मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2014 सत्र

मंगलवार, दिनांक 09 दिसम्बर 2014

तारांकित प्रश्नोत्तर

<u>शासकीय महाविद्यालय अलीराजपुर में कन्या छात्रावास भवन की स्वीकृति</u>

1. **(*क्र. 127) श्री माधो सिंह डावर** : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय अलीराजपुर में कन्या छात्रावास भवन स्वीकृत किया गया है ? यदि हॉ, तो कितनी सीट के लिए ? (ख) वर्तमान में भवन की क्या स्थिति है ? क्या भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है या अधूरा है ? (ग) यदि भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, तो क्या इसमें कन्या छात्रावास का संचालन किया जा रहा है ? (घ) यदि भवन में छात्रावास का संचालन नहीं किया जा रहा है, तो बताऐं कि कब तक संचालित किया जाएगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हॉ । 48 सीट हेतु । (ख) वर्तमान में कन्या छात्रावास का भवन बनकर तैयार हो चुका है । (ग) जी नहीं । (घ) मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

<u>औंकारेश्वर नहर चरण क्रं. 3 का कार्य अधूरा होने बाबत्</u>

2. **(*क्र. 701) श्रीमती रंजना बघेल (किराड़े)** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औंकारेश्वर नहर चरण क्रं. 3 मनावर विधानसभा क्षेत्र में आज दिनांक तक अपूर्ण है, जबकि उक्त नहर 2012 तक पूर्ण हो जाना थी ? नहर पूर्ण नहीं होने से किसानों को लाभ नहीं हो रहा है जबकि किसानों की जमीनें इसमें प्रभावित हुई हैं ? (ख) उक्त नहर कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण क्रमांक 3 का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है । मुख्य नहर का कार्य 99 प्रतिशत एवं वितरण प्रणाली का कार्य लगभग 65 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है । वितरण प्रणाली के शेष बचे कार्य में नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं के विरोध तथा उसके द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों के कारण एवं न्यायालयीन प्रकरणों में आदेशों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा नर्मदा नदी से 2 कि.मी. दूरी पर स्थित माईनर एवं सबमाईनर के कार्य को स्थगित रखने के कारण निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है । (ख) शेष निर्माण कार्य को जून 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

नौगांव इंजीनियरिंग कालेज का भवन निर्माण

3. **(*क्र. 441) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 1038 दिनांक 08 जुलाई 2014 को प्रश्नकर्ता द्वारा नौगांव इंजीनियरिंग कालेज के संबंध में पूछे प्रश्न के संदर्भ में बताए कि कालेज के भवन निर्माण हेतु कहाॅ पर कितनी भूमि आवंटित की गई है ? उक्त कालेज के निर्माण हेतु कितनी राशि बजट में स्वीकृत की गई है ? (ख) नौगांव इंजीनियरिंग कालेज के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्ति में होने वाली देरी के क्या कारण है ? इन कारणों को प्रशासनिक रूप से कब तक दूर कर भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय कर दी जावेगी ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) इंजीनियरिंग महाविद्यालय, नौगांव के लिए छतरपुर रोड पर नवरा पहाड़ी के पीछे 212.00 एकड़ भूमि आवंटित की गई है । उक्त कालेज के निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 में रूपए 110.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान किया गया था एवं वर्ष 2014-15 में रूपये 150.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । (ख) इंजीनियरिंग महाविद्यालय, नौगांव के भवन निर्माण हेतु नियुक्त निर्माण एजेंसी से विस्तृत प्राक्कलन विलम्ब से प्राप्त हुए । भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा रही हैं ।

धार जिले में अवैध शराब की जप्ती

4. **(*क्र. 469) श्रीमती नीना वर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि माह सितंबर-अक्टूबर 2014 को धार जिले के ग्राम लेबड़ से पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब से भरे हुए एक ट्रक को जप्त किया गया था ? (ख) यदि हां, तो कितनी पेटी अवैध शराब जप्त की गई तथा किस कंपनी की थी ? (ग) क्या यह सच है कि ट्रक के साथ पकड़े गये व्यक्ति क्लीनर ने ट्रांसपोर्ट कंपनी जहां से ट्रक में शराब का लदान हुआ था का नाम खुलासा किया था ? (घ) यदि हां, तो क्या उक्त ट्रान्सपोर्ट के मालिक को गिरफ्तार किया जाकर उससे शराब लदान कराने वाले व्यक्ति तथा जिस फैक्ट्री से यह अवैध शराब परिवहन की जा रही थी को गिरफ्तार किये जाने की कार्यवाही की गई ? (ड.) यदि नहीं, तो क्या जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में बरती जा रही लापरवाही की जांच करवाई जावेगी तथा ट्रक मालिक, ट्रांसपोर्ट कंपनी तथा फैक्ट्री मालिक के विरूद्ध भी प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) दिनांक 12.09.2014 को आबकारी विभाग, जिला धार द्वारा महू-नीमच रोड़, लेबड़ चौंकी, थाना पीथमपुर में आबकारी विभाग के वृत्त सागौर क्षेत्रान्तर्गत अवैध शराब से भरे हुए ट्रक क्रमांक एम.पी.09 एच.एफ. 5810 को जप्त किया जाकर प्रकरण क्रमांक 357 दिनांक 13.09.2014 दर्ज किया गया है । **(ख)** उपरोक्त ट्रक से 920 पेटी विदेशी मदिरा बीयर ब्लेकफोर्ड जप्त की गई थी, बीयर पर चस्पा लेबिल के आधार विनिर्माणी इकाई मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रोजराचक, जिला रायसेन अंकित था । **(ग)** ट्रक के साथ क्लीनर श्री कमल पिता शिवकरण यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी पिपराड़, थाना भीकनगांव, जिला खरगौन को गिरफ्तार किया गया था । उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट कंपनी एवं वह स्थान जहां से शराब का लदान हुआ है के नाम का खुलासा नहीं किया गया । **(घ)** क्लीनर के कथन एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त सागौर के अनुसंधान के आधार पर ट्रक के वर्तमान मालिक जो कि वाहन का ड्राईवर भी था, सलीम पिता शहबुद्दीन, उम्र 40 वर्ष, निवासी मस्जिद चैक, बड़वाह, जिला खरगौन को गिरफ्तार किया गया । वाहन मालिक एवं ड्राईवर द्वारा शराब लदान करने वाले व्यक्ति तथा जिस फैक्ट्री से यह शराब अवैध परिवहन की जा रही थी, के संबंध में अनभिज्ञता जारी करने के कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है ।

अन्य तथ्यों का पता लगाया जा रहा है । तथ्यों के प्रकाश में आने पर तदनुसार उचित कार्यवाही की जायेगी । **(ड.)** प्रकरण आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त सागौर द्वारा पंजीबद्ध किया गया है तथा विवेचना/ अनुसंधान अधिकारी वृत उपनिरीक्षक, सागौर है । उनके द्वारा प्रकरण की समस्त आवश्यक विवेचना कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय में दिनांक 10.11.2014 को प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अन्तर्गत जले या खराब ट्रांसफार्मरों में ऑइल बदलने बाबत्

5. **(*क्र. 169) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर में दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.10.2014 तक किस-किस गॉवों में कितने-कितने विद्युत ट्रॉसफार्मर खराब हुये ? उक्त जले या खराब हुये विद्युत ट्रॉसफार्मर कितनी अवधि में बदले गये ? विभाग द्वारा जले या खराब ट्रॉसफार्मरों को बदलने हेतु कितनी समयावधि निर्धारित है ? बतायें एवं जले या खराब ट्रॉसफार्मर कितने दिन के विलम्ब से बदले गये ? विलम्ब से बदलने का कारण स्पष्ट करें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या यह सही है कि क्षेत्र में जले या खराब ट्रॉसफार्मरों में ऑइल की कमी की पूर्ति हितग्राहियों या कनेक्शनधारियों से ही करायी जाती है ? यदि हॉ, तो विभाग के किस नियम/आदेश के तहत करायी जाती है ? कृपया आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा ट्रॉसफार्मरों में ऑइल की कमी को पूरा करने पर कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार दर्शायी गई अवधि में जले या खराब ट्रॉसफार्मरों पर कृषि पम्प/घरेलू कनेक्शनधारियों/हितग्राहियों की कितनी-कितनी राशि बकाया है ? बकाया वसूली हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं एवं विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अन्तर्गत ऐसे कितने ट्रॉसफार्मर विभाग द्वारा उठवा लिये गये हैं, जिन पर वसूली हेतु राशि बकाया है ? कृपया ट्रॉसफार्मरवार बकाया राशि का विवरण देवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जिला राजगढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.10.2014 तक 51 ग्रामों में 104 नग विद्युत ट्रांसफार्मर खराब हुए है । सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार है । उक्त जले या खराब हुए विद्युत ट्रांसफार्मर में से 89 नग ट्रांसफार्मर से संयोजित उपभोक्ताओं द्वारा ही निर्धारित बकाया राशि जमा करायी गई है । बकाया राशि जमा कराने के पश्चात् इन 89 नग ट्रांसफार्मर में से 63 नग ट्रांसफार्मर को निश्चित समयावधि में बदल दिया गया है । शेष 26 नग ट्रांसफार्मर को एप्रोच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण मौके पर ट्रांसफार्मर पहुंचाने में हुई असुविधा के कारण 3 से 4 दिवस की विलम्ब अवधि से बदले गये हैं । सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है । विभाग द्वारा ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु आवश्यक राशि जमा होने पर शहरी क्षेत्र में 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में शुष्क मौसम में 3 दिन तथा मानसून के मौसम में 7 दिन की समयावधि निर्धारित है । (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यह सही नही है कि क्षेत्र में जले या खराब ट्रांसफार्मरों में ऑइल की कमी की पूर्ति हितग्राहियों या कनेक्शनधारियों से ही करायी जाती है । कंपनी द्वारा सारंगपुर क्षेत्र में समय-समय पर क्षेत्रीय भण्डार भोपाल से ट्रांसफार्मर ऑयल प्राप्त कर जिस ट्रांसफार्मर में आइल की कमी होती है उसमें आइल डाला जाता है । इसके लिए राशि रू. 74400/- व्यय की गई । (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार दर्शायी गई अवधि में जले या खराब ट्रांसफार्मरों पर कृषि पम्प कनेक्शन धारियों/हितग्राहियों पर रू. 55.82 लाख एवं घरेलू कनेक्शनों पर रू. 67.02 लाख, कुल रू. 122.84 लाख राशि बकाया है । कंपनी द्वारा बकायादारों से बकाया जमा कराने के निरंतर प्रयास किये जाते हैं तथा बकाया जमा नहीं करने की स्थिति में उनके विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं । शत्-प्रतिशत बकाया राशि वाले ट्रांसफार्मरों का विद्युत प्रदाय बन्द किया जा रहा है एवं ट्रांसफार्मर निकाले जा रहे है । सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विभाग द्वारा

ऐसे 44 ट्रांसफार्मर निकाले गये हैं, जिन पर वसूली हेतु रू. 16.99 लाख की राशि बकाया है । ट्रांसफार्मरवार बकाया राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है ।

विधान सभा क्षेत्र रैगांव के कई गांवो में जले हुये ट्रांसफार्मरों को बदला जाना

6. **(*क्र. 945) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र रैगांव के किन-किन गांवों के ट्रांसफार्मर जले होने की सूचना ग्रामीण जनता द्वारा दी गई है ? (ख) क्या विभाग द्वारा इन जले हुये ट्रांसफार्मरों को बदलने या सुधार कराने का प्रयास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा भी अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री सतना को कई बार लिखित/मौखिक सूचना देने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये, क्यों कारण सहित बताऐं ? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मा. मंत्री जी से कई गांव के जले ट्रांसफार्मरों हेतु लिखित में 20 ट्रांसफार्मरों की मांग की गई थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई जबकि वर्तमान में रबी फसल की बोवाई प्रारंभ है लेकिन ट्रांसफार्मर जले होने के कारण किसान सिंचाई करने से वंचित हो रहे है, कब तक ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही की जावेगी, समय सीमा बताए ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) सतना जिले में विधान सभा क्षेत्र रैगांव अंतर्गत जिन ग्रामों के ट्रांसफार्मर जले/फेल होने की सूचना दिनांक 01.04.2014. से उत्तर दिनांक तक प्राप्त हुई है उनकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी हां । विभाग द्वारा जले हुये ट्रांसफार्मरों को बदलने का प्रयास करते हुए **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में वर्णित 272 ट्रांसफार्मरों में से नियमानुसार बदले जाने योग्य सभी 232 ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया है । शेष 40 ट्रांसफार्मरों पर बकाया राशि होने के कारण नियमानुसार बदलना शेष है । जिसके लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री सतना को लिखित/मौखिक सूचना देने पर जिन ट्रांसफार्मरों पर बकाया राशि नहीं है या बकाया राशि की नियमानुसार अंश राशि की प्राप्ति हो गई है उन सभी ट्रांसफार्मरों को बदलने की कार्यवाही की गई है । (घ) मान. विधायक महोदय द्वारा कई गावों के जले ट्रांसफार्मरों हेतु लिखित में 20 ट्रांसफार्मरों की मांग के संबंध में कोई पत्र पूर्व क्षेत्र कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है । कंपनी द्वारा नियमानुसार बदलने योग्य सभी ट्रांसफार्मरों को पहुंच मार्ग की उपलब्धता होने पर बदल दिया गया है । नियमानुसार बकाया राशि की अंश राशि जमा होने पर शेष बकाया राशि वाले ट्रांसफार्मरों को भी बदलने की कार्यवाही की जावेगी ।

दोषी के विरूद्ध त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही

7. **(*क्र. 861) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.भोज (मुक्त) विश्व विद्यालय में पदस्थ निदेशक केमिकल साइंस के विरूद्ध आर्थिक अनियमितता एवं गबन की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं जांच अधिकारियों के स्तर पर लंबित है ? (ख) क्या श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता द्वारा भोज (मुक्त) विश्व विद्यालय के निदेशक के विरूद्ध दिनांक 20.10.2009 को 35,47,975/- रूपये की आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच कराने बाबत् शिकायत की गई थी ? यदि हॉ, तो उस शिकायत में आज तक क्या कार्यवाही हुई ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में म.प्र. भोज (मुक्त) विश्व विद्यालय में भिन्न-भिन्न अनियमितताओं के दोषी निदेशक केमिकल साइंस के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) जी हां, ब्यूरो द्वारा आवेदन को क्रमांक 29/14 दिनांक 03/04/2014 पर पंजीबद्ध किया जाकर सत्यापन में लिया गया है । शिकायत अभी सत्यापनाधीन है ।

(ख) प्रश्नाधीन शिकायत पत्र ब्यूरो को प्राप्त न होकर विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसकी विश्वविद्यालय स्तर पर जांच कराने पर जांच में तथ्य अप्रमाणित पाये गये । (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

शा. महा. में आयोजित गठित जनभागीदारी समितियों की बैठक

8. (***क्र. 250) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय पेंचव्हेली महाविद्यालय परासिया में गठित जन भागीदारी समिति की बैठक वर्ष में कितने बार होने का प्रावधान है ? शासकीय महाविद्यालय परासिया में जनवरी, 2014 से आज दिनांक तक कितनी जनभागीदारी समिति की बैठकें सम्पन्न हुईं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? इसका उत्तरदायित्व किसका है ? (ख) क्या यह सही है कि जनभागीदारी समिति में क्षेत्रीय विधायक पदेन पदस्थ होते हैं एवं उन्हें बैठकों में आमंत्रित किया जाना चाहिये ? (ग) प्रश्नकर्ता को शासकीय पेंचव्हेली महाविद्यालय, परासिया की जनभागीदारी समिति की बैठक में कब-कब आमंत्रित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? इस त्रुटि के लिये कौन जिम्मेदार हैं एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? (घ) पिछले पांच वर्षों में पेंचव्हेली महाविद्यालय परासिया की जनभागीदारी समिति द्वारा कितनी राशि का व्यय किया गया, तथा किन-किन मदों एवं कार्यो के लिये किया गया ? क्या यह सभी व्यय नियमानुसार किये गये थे ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) महाविद्यालयों में नियमानुसार जनभागीदारी समिति की बैठक वर्ष में दो बार होने का प्रावधान है । महाविद्यालय में जनवरी, 2014 से प्रश्नांकित तिथि तक जनभागीदारी समिति की दिनांक 21.08.2014 एवं दिनांक 30.10.2014 को दो बैठकें आयोजित की गई हैं । (ख) जी हां । (ग) जी नहीं । आमंत्रित न करने के संबंध में जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । (घ) विगत पॉच वर्षों में राशि रूपये 61,09,617/- व्यय की गई । मदों एवं कार्यों के खर्च की जानकारी **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है । समस्त व्यय नियमानुसार जनभागीदारी समिति के अनुमोदन उपरान्त (भण्डार क्रय नियमानुसार) किया गया ।

परिशिष्ट - ''एक''

मुरैना जिले की एबीसी एवं एमबीसी के नालों से पत्थर संग्रहण की मात्रा

9. (***क्र. 597) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की एम.वी.सी. एवं ए.वी.सी. नहर शाखा का कंकरीकरण कब से प्रारंभ हुआ ? वर्तमान में कहां-कहां काम चल रहा है, तथा कार्य कब तक समाप्त कर दिया जावेगा ? अनुबन्ध के अनुसार समयसीमा कब तक थी ? (ख) उक्त नहरों के कंकरीकरण के पूर्व कहां-कहां पत्थर कार्य किया गया था ? कितना पत्थरों का संग्रहण कर भण्डारण किया गया व कहां रखा गया है ? (ग) क्या यह भी सही है कि जिले भर की नहर, पुलियों एवं कुलाबों के जोड़ों से निकाला गया पत्थर खुर्द-बुर्द कर दिया है, क्यों ? क्या विभाग जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) चंबल कॉम्पलेक्स परियोजना की अंबाह शाखा नहर एवं मुरैना शाखा नहर में कंकरीकरण का कार्य नहीं कराया जा रहा है । लाईनिंग का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी संलग्न प्रपत्र-'क' में दी गई है । (ख) एवं (ग) नहरों की लाईनिंग के पूर्व पिचिंग पत्थर को नहीं हटाया गया है ।

अंबाह शाखा नहर के कि.मी. 58 एवं 68 पर क्षतिग्रस्त क्रॉस रेग्यूलेटर को हटाने से निकले पत्थरों का उपयोग वितरिका क्रमांक-17 एवं 11 की पिचिंग में किया गया है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है ।

परिशिष्ट -''दो''

विभाग में कार्यरत उड़नदस्ते

10. **(*क्र. 1091) श्रीमती रेखा यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल स्थित संचालनालय एवं जिला खनिज कार्यालय में कार्यरत उड़न दस्ते ने जनवरी 2014 से प्रश्नांकित तिथि तक किस दिनॉक को किस-किस को कितने गौण खनिज का अवैध खनन करते पकड़ा, उनका प्रकरण किस दिनॉक को किस अधिकारी के समक्ष कितना अर्थदण्ड प्रस्तावित कर प्रस्तुत किया, अर्थदण्ड के आदेश की प्रति सहित बतावें ? (ख) उड़न दस्ते ने किस प्रकरण में पकड़े गए गौण खनिज की रॉयल्टी का 20 गुना अर्थदण्ड प्रस्तावित किया, किस प्रकरण में गौण खनिज का प्रति क्यूबिक मीटर कितना बाजार मूल्य का निर्धारण किस कानून, किस नियम, किस आदेश, किस निर्देश के तहत किसकी अनुमति से निर्धारित किया गया ? (ग) उड़न दस्ते ने रॉयल्टी के 20 गुना अर्थदण्ड किन कारणों से प्रस्तावित नहीं किया उड़न दस्ते के द्वारा रॉयल्टी का 20 गुना अर्थदण्ड प्रस्तावित न किए जाने पर संचालनालय ने किस दिनॉक को क्या कार्यावही की, यदि नहीं, की तो कारण बतावें, कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी, समय सीमा बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) संचालनालय भोपाल में नर्मदापुरम-भोपाल संभाग हेतु गठित उड़नदस्ता द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में अवैध उत्खनन का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया । जिला कार्यालय भोपाल में कोई खनिज उड़नदस्ता कार्यरत नहीं है । (ख) अवैध उत्खनन का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किये जाने के कारण जानकारी निरंक है । (ग) अवैध उत्खनन का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किये जाने के कारण जानकारी निरंक है ।

इछावर शा. महाविद्यालय का उन्नयन

11. **(*क्र. 1134) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय उच्च महाविद्यालयो को शासकीय उच्चतर महाविद्यालयों में उन्नयन हेतु शासन की क्या प्रक्रिया है ? (ख) क्या इछावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय उच्च महाविद्यालय इछावर का भी उन्नयन किया जा रहा है ? (ग) अगर नहीं तो कब तक इसका उन्नयन किया जाएगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार शासन के मापदण्डों को पूरा करने की स्थिति में शासकीय महाविद्यालय उन्नयन/खोले जाते है । (ख) एवं (ग) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

महाविद्यालय शाहपुर बैतूल में संचालित संकाय

12. **(*क्र. 1214) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाहपुर (बैतूल) शासकीय महाविद्यालय में कितने संकाय संचालित हैं ? (ख) क्या शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान, वाणिज्य संकाय प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कब तक संकाय संचालित होंगे ? यदि नहीं, तो क्या प्रावधान

हैं ? (ग) आदिवासी क्षेत्र में महाविद्यालय के छात्रों के लिये कोई प्रशिक्षण की योजना हैं ? (घ) यदि नहीं, तो म.प्र. शासन कोई प्रयास कर रहा है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) वर्तमान में कला संकाय संचालित है । (ख) जी नहीं । प्रस्ताव आने पर परीक्षण किया जाता है । (ग) जी हॉ, केरियर गाईडेंस के अन्तर्गत छोटे-छोटे अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं । (घ) प्रश्नांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

सिंचाई कार्य हेतु कृषकों को विद्युत की उपलब्धता

13. **(*क्र. 628) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा कृषि भूमि की सिंचाई हेतु कृषकों को प्रति दिवस कितने समय विद्युत प्रदाय शासन द्वारा तय किया गया है ? सुसनेर वि.स. क्षेत्र में विद्युत प्रदाय व्यवस्था का विस्तृत विवरण देवें ? क्या यह सही है कि विद्युत विभाग द्वारा 3 एच.पी. की मोटर उपयोग कर रहे कृषकों को 5 एच.पी. के मान से विद्युत देयक देकर वसूली कर रहा है ? यदि हां, तो जांच की जावेगी ? (ख) विद्युत प्रदाय हेतु निर्धारित समय में निरंतर विद्युत प्रदाय के दौरान यदि ब्रेक डाउन की स्थिति बनती है तो क्या कृषकों को ब्रेक डाउन का समय समायोजित करने के लिए अतिरिक्त विद्युत प्रदाय किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सुधार हेतु कार्यवाही की जावेगी ? (ग) क्या शासन उचित वोल्टेज के साथ कृषकों को नियमित विद्युत प्रदाय हेतु कोई प्रभावी कदम उठाने जा रहा है ? यदि हां, तो विवरण देवें ? सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में कितनी सोलर ऊर्जा कंपनियॉ कार्य कर रही है एवं करने जा रही हैं ? कंपनियों के शासन से अनुबंध की प्रतियां व कार्य क्षेत्र की जानकारी दें ? (घ) क्या यह सही है कि क्षेत्रांतर्गत ग्राम लालाखेड़ी में सौर ऊर्जा प्लांट हेतु सर्वे नंबर 68 गोचर भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है ? यदि हां, तो क्या गोचर भूमि को उक्त हेतु आवंटित किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या जॉच की जाकर उचित कार्यवाही होगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) कृषि भूमि की सिंचाई हेतु कृषि फीडर पर प्रतिदिन 10 घण्टे विद्युत प्रदाय किये जाने के शासन के निर्देश है । सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत प्रदाय व्यवस्था का विवरण संलग्न **परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** अनुसार है । जी नहीं, अत: प्रश्न नहीं उठता । (ख) विद्युत प्रदाय हेतु निर्धारित समय में निरंतर विद्युत प्रदाय के दौरान विद्युत अवरोध की स्थिति में अवरोध की अवधि समयोजित कर अतिरिक्त समय में विद्युत प्रदाय की व्यवस्था नहीं है । क्षेत्र में विद्युत अधोसंरचना के रख रखाव के लिये आवश्यक कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं ताकि यथा संभव ब्रेकडाउन की स्थिति कम से कम निर्मित हो । (ग) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय प्लान के अनुसार निर्धारित वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, तथापि प्रणाली सुदृढीकरण के तहत विद्युत अधोसंरचना के कार्य संपादित किये जा रहे हैं विवरण संलग्न **परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'** अनुसार है । सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सोलर ऊर्जा कंपनियां कार्य नहीं कर रहीं है । क्षेत्र में दो परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जो संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र **'स'** अनुसार है शासन द्वारा आवेदित परियोजनाओं के लिये अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किये गये हैं । आवेदित परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र की जानकारी संलग्न **परिशिष्ट के प्रपत्र 'स'** अनुसार है । (घ) ग्राम लालाखेडी में सौर ऊर्जा प्लांट हेतु सर्वे नम्बर-68 पर 1 मेगावाट की सौर परियोजना हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है । भूमि उपलब्धता के संबंध में कलेक्टर को पत्र लिखा गया है । कलेक्टर द्वारा परीक्षण किया जाकर राजस्व विभाग के नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी ।

परिशिष्ट - ''तीन''

गोदहा सिंचाई उद्वहन योजना का निर्माण एवं मरम्मत कार्य

14. **(*क्र. 420) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिला जल संसाधन उपसंभाग सेमरिया अंतर्गत-गोदहा सिंचाई उद्वहन क्या संचालित है ? यदि हां, तो क्या कृषकों को वर्ष 2014-15 की रवी फसल सिंचाई हेतु पानी दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संबंध में गोदहा सिंचाई उद्वहन नहर का क्या समुचित मरम्मत कार्य/वाटरकोर्स नाली का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कराया जायेगा ? (ग) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में नहर जीर्णशीर्ण/जर्जर हो चुकी है क्या नहर का पी.सी.सी. निर्माण/वाटर कोर्स, नाली का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जी नहीं, बंद है । जी हां । विद्युत कंपनी द्वारा कनेक्शन जोड़ने के उपरान्त । (ख) एवं (ग) जी हां । नहर जल प्रवाह के लिए उपयुक्त है । जी नहीं । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

शा. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास संस्थान के स्टाफ की जानकारी

15. **(*क्र. 1164) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राघौगढ़ नगर पालिका के शासकीय तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास संस्थान में प्राचार्य, अध्यापकों तथा स्टॉप के कितने पद स्वीकृत हैं, तथा कितने पद रिक्त है ? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, तथा इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) 1. शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय राघौगढ़ के स्वीक़ति, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है । 2. आईटीआई राघौगढ़ के स्वीक़ति तथा रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है । (ख) 1. पोलीटेक्निक महाविद्यालय के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. तकनीकी शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा भरती नियम-2004 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप संशोधन किया गया है । व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति GATE 2015 के माध्यम से करने हेतु विज्ञापन क्रमांक जी-18462/2014 एवं विज्ञापन क्रमांक जी -18808/14 प्रदेश एवं देश के बहुप्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है । इसी प्रकार कुछ विषय जो GATE 2015 में सम्मिलित नही है उन विषयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति UGC-NET के माध्यम से करने हेतु विज्ञापन क्रमांक जी-20827/2014 प्रकाशित किया गया है । UGC-NET परीक्षा दिसम्बर 2014 एवं GATE 2015 परीक्षा फरवरी 2015 में आयोजित की जा रही है । परीक्षा परिणाम घोषित होने पर निर्धारित मापदण्डों एवं प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी । तृतीय श्रेणी के 05 पद रिक्त हैं, जिसमें 03 पद सीधी भर्ती एवं 02 पद पदोन्नति के हैं । सीधी भर्ती के पद भरने के लिये मांगपत्र दिनांक 07.05.2013 को व्यापम को भेजा गया है । पदोन्नति के पदों को पदोन्नति द्वारा भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है । 2. आईटीआई राघौगढ़ में पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है ।

परिशिष्ट - ''चार''

विद्युत केन्द्रों में अनियमितताओं की जांच

16. **(*क्र. 580) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि दिनांक 01.11.2014 को प्रश्नकर्ता द्वारा तहसीलदार एवं टी.आई राहतगढ़ के साथ सागर जिले के विकासखण्ड राहतगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण विद्युत केन्द्रों का निरीक्षण किया गया था, तथा निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जिसकी जानकारी प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 837 दिनांक 01.11.2014 द्वारा अधीक्षण यंत्री म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. सागर को दी गई थी एवं तहसीलदार राहतगढ़ द्वारा उपस्थिति पंजी और अवकाश आवेदन का पंचनामा बनाया गया है ? (ख) यदि हां, तो निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही न करने के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध भी क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) जी हाँ , माननीय विधायक महोदय द्वारा तहसीलदार श्री प्रधान एवं वरिष्ठ नागरिकों सहित राहतगढ़ शहर एवं ग्रामीण वितरण केन्द्र का निरीक्षण दिनाक 1.11.2014 को किया गया । माननीय विधायक महोदय के पत्र क्रमांक 837, दिनांक 1.11. 2014 द्वारा 07 बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु लिखा गया, जिसके बिन्दु क्रमांक 07 में मूल आवेदन तहसीलदार द्वारा हेल्पर के हस्ताक्षर करवाकर जप्त करने का लेख है । (ख) माननीय विधायक महोदय के पत्र क्रमाक 83 दिनाक 1.11.2014 के उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में अधीक्षण अभियंता, सागर वृत्त के पत्र क्रमांक 6397 दिनांक 21.11.2014 द्वारा उन्हें बिन्दुवार वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया था । उक्त पत्र में स्थिति स्पष्ट की गई थी जिसके अनुसार किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनियमितता नहीं पाए जाने से कार्यवाही नहीं की गई । (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत सब स्टेशन निर्माण कार्य में विलंब

17. **(*क्र. 1168) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत गत तीन वर्षो में कौन-कौन से विद्युत सब स्टेशन निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये प्रस्तावित किये गये । विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी प्रदान करें । (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित कार्यो की वर्तमान में भौतिक व वित्तीय स्थिति क्या है ? कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा सहित कार्यवार विस्तृत जानकारी प्रदान करें । प्रस्तावित कार्य किन-किन ठेकेदारों के माध्यम से करवाये जा रहे है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना तो दूर कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया । यदि हां, तो कार्य विलंब के लिये दोषी ठेकेदारों पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई । यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों, कारण स्पष्ट करें यदि की जायेगी तो क्या और कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण संबंधी विकास खण्डवार वांछित जानकारी संलग्न **परिशिष्ट के प्रपत्र अ** अनुसार है । इसके अतिरिक्त अति उच्च दाब 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कुक्षी का उन्नयन करते हुए अति उच्च दाब 220/132 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है । इस कार्य की लागत राशि रूपये 2448.37 लाख है । कार्य प्रगति पर है । इस उपकेन्द्र से कुक्षी तहसील एवं आसपास के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित होंगे । (ख) उत्तरांश "क" में उल्लेखित प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों के कार्यो की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय स्थिति संलग्न **परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"** अनुसार है । उत्तरांश "क" में उल्लेखित अति उच्च दाब उपकेन्द्र के

उन्नयन का कार्य मेसर्स बी.एस.लिमिटेड, हैदराबाद को दिनांक 01.03.2014 से प्रदान किया गया है । उक्त कार्य की प्रभावशील तिथि 01.05.2014 से 30 माह है । अति उच्च दाब उपकेन्द्र एवं संबंधित लाईन का निर्माण कार्य हाल ही में प्रारंभ ही किया गया है । अत: भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निरंक है । (ग) जी नहीं । कुक्षी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत निविदा के माध्यम से कुल 6 कार्य कराये जाना है जिनमें से 02 कार्य मेसर्स भारत इलेक्ट्रिकल्स सांगली (महाराष्ट्र) द्वारा संपादित किये जाना है । उक्त कार्य की पूर्ण करने की तिथि 28.05.2016 है । कार्यादेशों में प्रावधानित समय-सीमा पूर्ण नहीं होने से पूर्व निविदा शर्तों के अनुसार निविदाकार पर कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है । शेष 4 कार्य जो मेसर्स सांई सुधीर इंफ्रा. प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा संपादित किये जाने थे, उनमें से 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र ढोल्या को स्थायी बनाने हेतु निविदाकार द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था । वस्तुत: मेसर्स सांई सुधीर इंफ्रा. प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद को 5 जिलों में नये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण कार्य, अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि, अस्थायी से स्थायी 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों को परिवर्तित करने के कार्यादेश दिये गये थे जिसकी कुल लागत रूपये 3078.51 लाख है । इन कार्यादेशों के अंतर्गत उक्त फर्म द्वारा विभिन्न जिलों में कुल रूपये 1637.00 लाख लागत के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं । जहां तक कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 4 अस्थायी उपकेन्द्रों को स्थायी में परिवर्तित करने का प्रश्न है इनमें से 1 उपकेन्द्र ढोल्या पर फर्म द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है । जिसके अंतर्गत उपकेन्द्र की बाउण्ड्रीवाल पॉवर ट्रांसफार्मर एवं सर्किट ब्रेकर के फाउण्डेशन, कंट्रोल रूम एवं बस स्ट्रेक्चर का निर्माण किया गया है । शेष 3 उपकेन्द्रों पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है । कार्य में विलंब हेतु दोषी निविदाकार मेसर्स सांई सुधीर इंफ्रा. प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद से कार्यादेश की शर्तों के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से जुर्माना राशि रूपये 16.47 लाख उनके देयकों से कटौती कर वसूल की गई है । साथ ही कार्य में विलंब हेतु उक्त फर्म के विरूद्ध कार्यादेश निरस्तीकरण का सूचना पत्र भी जारी किया गया ।

परिशिष्ट - ''पांच''

<u>**फीडर सेपरेशन का कार्य किया जाना**</u>

18. **(*क्र. 388) श्री प्रताप सिंह :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में 10 वीं पंचवर्षीय राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस दिनांक से लागू की गई है ? योजना की कार्य पूर्ति हेतु कितना बजट केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा अन्य विभाग से प्राप्त हुआ है ? प्राप्त राशि एवं व्यय राशि बतलावें ? अभी तक कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया जाना शेष है ? विधानसभा क्षेत्रवार बतलावें इनकों कब तक विद्युतीक़त कर दिया जावेगा ? (ख) दमोह जिले में फीडर सेपरेशन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था ? अभी तक जबेरा विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में बसाहट एवं खेत सिंचाई हेतु फीडर सेपरेशन का कार्य किया जा चुका है और कितने ग्राम शेष रह गये हैं, इन ग्रामों में यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? इस योजनान्तर्गत अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और कितनी व्यय होना संभावित है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) दमोह जिले में 10वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना दिनांक 02.01.2006 से लागू की गई । योजनांतर्गत दमोह जिले में योजना की कार्य पूर्ति हेतु प्रश्न दिनांक तक रू. 40.98 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हुयी है एवं रू. 58.77 करोड़ की राशि के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं । 2 ग्राम जिनमें से उकारपर जो कि दमोह विधानसभा के अंतर्गत आता है एवं ग्राम उन्हारीखेडा माल जो कि जबेरा विधानसभा के अंतर्गत आता है, के विद्युतीकरण का कार्य वन बाधित होने के कारण शेष है जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर स्वीकृति हेतु आर.ई.सी. नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है । इस कार्य की स्वीकृति आर.ई.सी. नई दिल्ली में लंबित है अत: वर्तमान में इन दोनों ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य की समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है । (ख) दमोह जिले

में फीडर सेपरेशन का कार्य अगस्त 2011 में प्रारंभ हुआ था । जबेरा विधानसभा क्षेत्र के कुल 377 ग्रामों में से 158 ग्रामों में बसाहट एवं खेत सिंचाई हेतु फीडर सेपरेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 219 ग्रामों का कार्य शेष है । इन ग्रामों में यह कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है । फीडर सेपरेशन योजनांतर्गत व्यय का लेखा जोखा विधानसभा क्षेत्रावार संधारित नहीं होता है अपितु दमोह दक्षिण संभाग की फीडर विभक्तिकरण योजना जिसमें जबेरा विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है, के अंतर्गत स्वीकृत राशि 51.06 करोड़ रूपये में से 10.75 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है तथा शेष राशि 40.31 करोड़ रूपये का व्यय और होना संभावित है ।

<u>शॉपबार (अहाता) बिना पार्किंग के स्वीकृत</u>

19. **(*क्र. 147) श्री अंचल सोनकर :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि जबलपुर जिले में शॉपबार (अहाता) बिना पार्किंग के स्वीकृत है ? यदि हां, तो कितने एवं कहां-कहां एवं किसकी अनुशंसा पर बिना पार्किंग के स्वीकृत किये गये ? शॉपबार लायसेंस के क्या नियम हैं ? क्या जिले के सभी शॉपबार नियमों का पालन कर रहे हैं ? (ख) क्या यह सत्य है कि शहर में एक से अधिक तल पर शॉपबार संचालित हो रहे हैं ? यदि हां, तो किस नियम एवं प्रावधान के अनुसार नियम बतायें ? क्या यह सही है कि सहायक आयुक्त आबकारी जबलपुर द्वारा एक से अधिक तल पर संचालित हो रहे शॉपबार पर आज तक कार्यवाही नहीं की गई ? यदि कार्यवाही की गई तो कब-कब, किन-किन शॉपबारों पर बतावें ? (ग) क्या यह भी सत्य है कि विदेशी एवं देशी मदिरा की दुकाने राष्ट्रीय राजमार्ग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टेण्ड एवं पेट्रोल पंप आदि स्थानों पर 50 मीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए ? यदि हां, तो जबलपुर शहर में उक्त स्थानों पर 50 मीटर की दूरी से कम दूरी पर कितने शॉपबार संचालित हो रहे हैं, नाम सहित बतायें ? इन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या कार्यवाही उपरांत शॉपबार नियमों का पालन कर रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) जबलपुर जिले में वर्ष 2014-15 के लिये शॉपबार (अहाता) लायसेंस उन्ही एफ. एल.-1 विदेशी मदिरा दुकानों को स्वीकृत किये गये है, जिनके पास नियमानुसार पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध है । कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा गठित समिति में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) नगर पुलिस अधीक्षक एवं वृत्त के प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी के सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत किये गये 21 शॉपबार (अहाता) लायसेंस की सूची संलग्न **परिशिष्ट के प्रपत्र एक** पर है । मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधाराण) क्रमांक-9 दिनांक 09 जनवरी 2014 में प्रकाशित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की निष्पादन व्यवस्था वर्ष 2014-15 की कण्डिका 29 के अनुसार लायसेंस स्वीकृत किये गये है । कण्डिका 29 का विवरण संलग्न **परिशिष्ट के प्रपत्र दो** पर है । जबलपुर जिले के समस्त शॉपबार (अहाता) नियमों का पालन करते है । (ख) जबलपुर जिले में वर्ष 2014-15 के लिये स्वीकृत शॉपबार (अहाता) एक ही तल पर संचालित हो रहे है । एक से अधिक तल पर कोई शॉपबार लायसेंस स्वीकृत नही है । अत: उनके विरूध्द कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) जी हां । मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) की अधिसूचना क्रमांक (23) बी-1-74-97 वा. कर-पांच, दिनांक 07 जून 2001 अनुसार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम-1 के अन्तर्गत देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें 50 मीटर से अधिक दूरी पर स्थापित होना प्रावधानित है । जबलपुर जिले में कोई भी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान एवं उनमें स्वीकृत शॉपबार 50 मीटर अथवा उससे कम की दूरी पर स्थापित नही है । जबलपुर जिले में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित शॉपबार में नियमों का पालन किया जा रहा है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - ''छ:''

KEI विद्युत संधारण कम्पनी के द्वारा ट्रान्सफार्मर नहीं बदले जाना

20. (***क्र. 23**) **श्री विष्णु खत्री** : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) KEI कम्पनी का भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर बदलने/ संधारण किये जाने हेतु विद्युत विभाग एवं कम्पनी के मध्य क्या/ कितनी समयावधि का अनुबंध है ? (ख) बैरसिया विधान सभा क्षेत्रांतर्गत दिनांक 01.12.2014 तक कितने ट्रान्सफार्मर खराब होने की सूचना कम्पनी के पास है एवं उनमें से कितने ट्रांसफार्मर ग्रामवार बदले जा चुके हैं एवं कितने बदलना शेष हैं ? ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें ? (ग) कम्पनी द्वारा समय पर ट्रान्सफार्मर नहीं बदले लाने के संबंध में हुए विलम्ब के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) मेसर्स के.ई.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली का भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदलने/संधारण किये जाने हेतु म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से पृथक से अनुबंध नहीं है तथापि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर विभक्तिकरण कार्य किये जाने के लिये मेसर्स के.ई.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली को दिनांक 22.12.2010 को अनुबंधित किया गया है जिसकी विस्तारित समयावधि 24.01.2014 है । उक्त अनुबंध में अनुबंधित एजेंसी द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मरों के बदलने/संधारण किये जाने हेतु ट्रांसफार्मर स्थापित होने अथवा आपरेशनल एक्सेप्टेन्स जारी होने की दिनांक से क्रमश: 3 वर्ष की समयावधि या 1050 दिन जो भी पहले हो, के अंदर ट्रांसफार्मर खराब/असफल होने पर उसे निर्धारित अवधि, में बदले जाने का प्रावधान है । (ख) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्न दिनांक तक कुल 195 नग ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना कंपनी के पास है, जिनमें से 132 नग ट्रांसफार्मर अनुबंधित एजेंसी मेसर्स के.ई.आई. द्वारा बदले जा चुके हैं एवं 63 नग ट्रांसफार्मर उनसे संबंधित उपभोक्ताओं पर विद्युत देयक की बकाया राशि शेष होने के कारण नहीं बदले गये हैं । बदले गये एवं बदलने हेतु शेष ट्रांसफार्मरों की ग्रामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब'** अनुसार है । (ग) मेसर्स के.ई.आई. इंडस्ट्रीज लिमि. नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफार्मर निर्धारित अवधि में बदले गये हैं । अत: कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा पर कार्यवाही

21. (***क्र. 905**) **श्रीमती झूमा सोलंकी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा खरगोन जिले के बड़वाह के कृषि उपज मंडी प्रांगण में कार्यक्रम के दौरान की गई घोषणा भीकनगांव जनपद क्षेत्र के 60 ग्रामों में नर्मदा की मुख्य नहर से पेयजल एवं सिंचाई हेतु व्यवस्था की जावेगी ? क्या यह घोषणा पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? (ख) भीकनगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अपरवेदा डेम की दायीं नहर जिससे 7000 एकड़ जमीन सिंचित होगी का कार्य कब प्रारंभ होगा ? (ग) क्या अपरवेदा डेम पर पर्यटन विभाग द्वारा झिरन्या से भीकनगांव मुख्यमार्ग पर फ्लाय ओवर ब्रिज का निर्माण हो सकता है ? (घ) क्या अपरवेदा डेम को पर्यटक स्थल बनाने हेतु कोई कार्य योजना है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): (क) इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत भीकनगॉव जनपद क्षेत्र के 60 ग्रामों की 9490 हेक्टेयर में मुख्य नहर एवं उद्वहन नहर से सिंचाई प्रस्तावित है । वर्तमान में मुख्य नहर से 13 ग्रामों में सिंचाई की जा रही है एवं शेष ग्रामों में उद्वहन नहर से सिंचाई हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है । (ख) अपरवेदा परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता 9917 हेक्टेयर है सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र में बांयी तट नहर से सिंचित किया जाना प्रस्तावित है । परियोजना के विस्तृत प्राक्कलन में दांयी तट नहर का प्रावधान नहीं है । (ग) एवं (घ) इस संबंध में पर्यटन विभाग को प्रस्ताव परीक्षण हेतु भेजा जाएगा ।

विधानसभा क्षेत्र करैरा अंतर्गत महुअर मध्यम परियोजना द्वारा निर्मित नहर

22. **(*क्र. 969) श्रीमती शकुन्तला खटीक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र करैरा अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा महुअर मध्यम परियोजना के तहत नावली डेम से बायीं तट नहर नावली से सिरसौद, सिल्लारपुर की ओर निर्माणाधीन है ? प्रश्न दिनांक तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना कार्य अपूर्ण है ? (ख) निर्माणाधीन नहर में हो रहे कार्य की गुणवत्ता की देख-रेख के लिये किस-किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, तथा क्या उनके द्वारा अपनी निगरानी में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही कार्य कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या यह सही है उक्त निर्माणाधीन नहर में निर्माण ऐजेंसी द्वारा अत्यंत घटिया किस्म का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? इसकी जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराई जावेगी ? निश्चित समय-सीमा देवें ? (घ) उक्त नहर के निर्माण में विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक निर्माण ऐजेंसी को निर्माण कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब भुगतान की गई, तथा क्या-क्या कार्य किये गये एवं किस-किस अधिकारी द्वारा उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) प्रश्नाधीन नहर का कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण और 5 प्रतिशत अपूर्ण है । (ख) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, गुण नियंत्रण संभाग, मुरैना और उनके अधीन पदस्थ सहायक यंत्री तथा उपयंत्री कार्य की गुणवत्ता की देखते है । जी हां । प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (ग) जी नहीं । अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है । (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में है ।

परिशिष्ट - "सात"

सिवनी जिले के अंतर्गत विकासखण्ड छपारा में तिंसा जलाशय की स्वीकृति

23. **(*क्र. 916) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम तिंसा, विकासखण्ड छपारा, जिला सिवनी में, तिंसा जलाशय की साध्यता रिपोर्ट शासन स्तर पर विचाराधीन है ? (ख) क्या उक्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2007-2008 में प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो अभी तक निर्माण कार्य क्यों प्रारंभ नहीं किया गया ? (ग) उक्त योजना के डूब में आने वाले समस्त कृषकों द्वारा उक्त जलाशय के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ? (घ) तिंसा जलाशय की साध्यता स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी ? समय अवधि बतावें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया): (क) एवं (घ) नए भू-अर्जन अधिनियम के तहत नियम एवं अधिसूचनाएं जारी नहीं हो पाने के परिप्रेक्ष्य में परियोजना की लागत का आंकलन संभव नहीं है । परिणामस्वरूप परियोजना की साध्यता का निर्धारण करने के लिए समय सीमा बताना संभव नहीं है । (ख) जी नहीं । स्वीकृत लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण कार्य पूर्ण होना संभव नहीं होने से कार्य नियमावली के तहत नई प्रशासकीय स्वीकृति आवश्यक हो जाने से । (ग) जी हां नियमानुसार देय मुआवजे की शर्त पर सहमति पत्र प्राप्त हुए हैं ।

<u>फीडर सेपरेशन के तहत लगाये गये/लगाये जाने वाले ट्रांसफार्मर</u>

24. **(*क्र. 1049) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के मेंहगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत फीडर सेपरेशन का कार्य 01.04.2014 से प्रश्न तिथि तक कितने ग्राम में किया जा रहा है ? फीडर सेपरेशन कार्य के अन्तर्गत कितने कनेक्शन पर एक ट्रांसफार्मर लगाने जाने के नियम है ? (ख) फीडर सेपरेशन वर्क के तहत ग्राम पंचायत बझांई, जनपद भिण्ड में ग्राम बझांई मजरा रामगढ़/मजरा गुबरहाई/मजरा कपाड में कितने-कितने ट्रांसफार्मर स्वीकृत थे ? कितने के.व्ही.ए के ? प्रश्नतिथि तक किस-किस ग्राम में कितने के.व्ही. के कितने ट्रांसफार्मर लग गये है ? एवं कितने ग्रामों में कितने ट्रांसफार्मर लगाये जाना है ? (ग) क्या यह सत्य है कि राज्य शासन की मंशानुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर सेपरेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण हो ? अगर हॉ, तो विधानसभा मेंहगांव एवं भिण्ड के जिन-जिन स्थानों पर फीडर सेपरेशन के तहत ट्रांसफार्मर कनेक्शनों की संख्या के आधार पर स्वीकृत है ? उन्हें प्रश्नतिथि तक क्यों नहीं लगाया गया है ? कब तक लगाया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल): (क) भिण्ड जिले की मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फीडर सेपरेशन का कार्य दिनांक 01.04.2014 से प्रश्न तिथि तक 22 ग्रामों में किया जा रहा है । सामान्यत: संयोजित भार एवं कनेक्शनों की संख्या (20 से 25 नं. कनेक्शन औसतन भार 1 किलोवाट प्रतिघर) के अनुसार एक ट्रांसफार्मर 25 के.व्ही.ए. क्षमता लगाये जाने का प्रावधान है । (ख) ग्राम बझांई में 5, मजरा रामगढ़ में 1, मजरा गुबरई (गुबरहाई नहीं) में 1, मजरा कुपाड (कपाड नहीं) में 1, 25 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर भार अनुसार स्वीकृत कर लगाये गये हैं । इन ग्रामों में कोई ट्रांसफार्मर लगाना शेष नहीं है । (ग) जी हां । विधानसभा क्षेत्र मेहगांव एवं भिण्ड के अंतर्गत फीडर सेपरेशन का कार्य टर्न-की आधार पर जिसमें ट्रांसफार्मर लगाये जाने का कार्य भी सम्मिलित है । एजेन्सी मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लिमि. मुम्बई को आवंटित है, परन्तु उक्त कंपनी के द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण कार्य में विलंब हुआ है । उक्त एजेन्सी के द्वारा कार्य में विलंब किये जाने के कारण उससे राशि रूपये 1.02 करोड़ लिक्विडेटेड डैमेजेज के रूप में वसूल की गई है । मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लिमि. मुम्बई से उक्त कार्य जिसमें ट्रांसफार्मर लगाना भी सम्मिलित है । अक्टूबर 2015 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

<u>पोलेटेक्निक कॉलेज बडवानी में अतिथि शिक्षक की भर्ती</u>

25. **(*क्र. 1203) श्री रमेश पटेल :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बडवानी विधानसभा क्षेत्र के पोलेटेक्निक कालेज में वर्ष 2014 अगस्त, सितम्बर में अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के क्या नियम है ? जानकारी (नियम) की छायाप्रति उपलब्ध करावें ? (ख) वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में चयनित अतिथि शिक्षकों की सूची देवें ? क्या भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता): (क) अतिथि शिक्षकों की भर्ती विभाग के ज्ञाप क्रमांकःएफ 1-2/2002 /42/1 दिनांक 9-6-2004 द्वारा जारी नियमों के तहत की गई है । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ'** अनुसार है । (ख) वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में चयनित अतिथि शिक्षकों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब', 'स' एवं 'द'** अनुसार है । जी हॉ ।

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

कार्य पूर्ण होने के बाद भी विधायक निधि की राशि भुगतान न किया जाना

1. **(क्र. 7) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा 1 अगस्त, 2014 से प्रश्न दिनांक तक विधायक स्वैच्छानुदान निधि के अन्तर्गत कब-कब कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव कलेक्टर/जिला योजना अधिकारी भिण्ड को प्रस्तुत किये, तथा हितग्राहियों के खातों में कब-कब राशि भेजी गई, प्रत्येक का अलग-अलग दिनांकवार विवरण दें ? (ख) म.प्र. शासन योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के पत्र क्रमांक 2924 भोपाल दिनांक 25.07.2011 में दिये निर्देशानुसार एक सप्ताह के भीतर भुगतान न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या यह सही है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2011-12 में प्रश्नकर्ता द्वारा विकास खण्ड लहार के ग्राम खजूरी, ग्राम खोडन (जलालपुरा) एवं ग्राम जमुहां में सीसी निर्माण हेतु ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग भिण्ड को निर्माण एजेन्सी बनाने की अनुशंसा की थी ? यदि हाँ तो विधायक की बिना अनुशंसा के दिनांक 21.08.2014 को कलेक्टर भिण्ड द्वारा ग्राम पंचायत बरौआ, जलालपुरा तथा जमुहां में निर्माण एजेन्सी की किस नियम के तहत नियुक्ति की गई ? बतायें ? (घ) क्या उपरोक्त कार्यों हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भिण्ड द्वारा ठेकेदार श्रीमती गीता त्रिपाठी को कार्य आदेश जारी किया था ? यदि हाँ तो क्या यह भी सच है कि ग्राम जमुहां में कार्य पूर्ण होने के 2 वर्ष बाद भी सम्बन्धित एजेन्सी को राशि भुगतान न करने का कारण बतायें ? (ड़) वर्ष 2014-15 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब किन-किन कार्यों की अनुशंसा की विवरण दें ? यो.आ.सा. भोपाल के आदेश दिनांक 06.01.2007 के अनुसार एक माह में अनिवार्य रूप से स्वीकृत प्रदान कर प्रथम किस्त जारी न करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है । (ख) कुछ हितग्राहियों के बैंक खातों की जानकारी समय-सीमा में प्राप्त न होने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ।इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । (ग) जी हॉ । मान. विधायक द्वारा अनुशंसित निर्माण एजेन्सी द्वारा समय-सीमा में कार्य न करने के कारण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा एजेन्सी का निर्धारण किया गया । (घ) जी हॉ । ठेकेदार द्वारा समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने के संबंध में नोटिस जारी किये । तत्पश्चात ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड के पत्र क्रमांक २९३८, दिनांक २१-११-२०१४ के द्वारा अनुबंध को निरस्त किया गया है । इस कारण भुगतान संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकी। (ड) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है । वर्तमान में सभी कार्यों की राशि निर्माण ऐजेन्सी को जारी की जा चुकी है । कार्यों की स्वीकृति हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया अथवा स्थानीय निर्वाचन का कार्य आ जाने के कारण राशि जारी करने में विलम्ब हुआ है । अत: किसी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

तत्का. कलेक्टर भिण्ड द्वारा जांच रिपोर्ट गायब किया जाना

2. **(क्र. 8) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) भिण्ड जिले के ग्राम डांग सरकार पहाड़, बिरखडी व कीरतपुरा में किन-किन व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2013 से प्रश्न दिनांक तक अवैध उत्खनन करने एवं पर्यावरण, विस्फोटक आदि के बिना स्वीकृति के क्रेशर लगाने की कब-कब किस स्तर पर क्या-क्या शिकायतें की गई पूर्ण विवरण दें ? (ख) क्या कलेक्टर भिण्ड ने दिनांक 03.07.2014 को राजेश राठौर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच दल गठित कर 3 दिवस में

रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था ? (ग) यदि हाँ, तो क्या श्री राजेश राठौर अनुविभागीय अधिकरी राजस्व लहार द्वारा 100 पृष्ठ से अधिक की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी (घ) क्या श्री राठौर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को तत्का. कलेक्टर भिण्ड ने गायब कर अवैध उत्खनन करने वालों को बचाने का प्रयास किया है ? यदि हाँ, तो तत्कालीन कलेक्टर भिण्ड के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ड़) उपरांत प्रश्नांश के परिपेक्ष्य में माह दिसम्बर, 2011 को ग्राम रोहानी, सींगपुरा, तहसील लहार, जिला-भिण्ड में रेत का अवैध खनन करने वाले प्रदीप सिंह पुत्र श्री हरिमोहन सिंह पर कब और किस दिनांक को कितनी राशि का जुर्माना किया था ? प्रदीप सिंह द्वारा जुर्माने की कितनी राशि जमा की गई, तथा शेष राशि कब तक वसूल कर ली जावेगी समय सीमा बतायें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शित है । (ख) जी हाँ । (ग) जी हाँ । (घ) जी नहीं । अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (ड.) माह दिसम्बर 2011 में प्रश्नाधीन क्षेत्र पर श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री हरिमोहन सिंह पर अवैध उत्खनन के प्रकरण में जुर्माना नहीं हुआ है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट-"आठ"

<u>सिहावल में महाविद्यालय का भवन निर्माण</u>

3. **(क्र. 30) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र (सिहावल) में शासकीय महाविद्यालय, सिहावल के भवन निर्माण कार्य हेतु उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-21/2/38-2/02, दिनांक 7.2.2002 के द्वारा 78.80 लाख रूपये स्वीकृत हुआ था ? (ख) क्या वर्ष, 2006 से राशि रूपये 14.07 लाख भवन निर्माण हेतु राशि जनभागीदारी समिति के माध्यम से जारी की गई थी ? यदि हां, तो वर्तमान स्थिति में भवन निर्माण की क्या स्थिति है ? कुल कितनी राशि खर्च हुई है ? (ग) भवन निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ? अभी तक भवन निर्माण पूर्ण न कराने का क्या कारण है ? इसमें कौन दोषी है ? क्या उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग, सीधी द्वारा कराया जा रहा है या किसी निजी संस्था द्वारा ? साथ ही शैक्षणिक स्टॉफ व अन्य संसाधनों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? (घ) क्या देवसर महाविद्यालय में स्थान उपलब्ध है, किन्तु भवन संसाधन, खेल मैदान, बाउण्ड्रीवॉल व शैक्षणिक स्टॉफ नहीं होने व पदस्थ स्टाफ द्वारा गंभीर अनियमितताओं के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ । (ख) जी नहीं । प्रश्नांश "क" में अंकित राशि शासकीय मद से स्वीकृत की गई थी, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 15.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई जिसे महाविद्यालय द्वारा आहरण कर संस्था के जनभागीदारी खाते में जमा की गई। उक्त राशि में से मात्र राशि रूपये 14.07 लाख जनभागीदारी खाते में से लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई गई थी । लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के प्लिंथ लेविल तक कार्य किया गया है, जिसमें राशि रूपये 3.77 लाख व्यय हुई है । (ग) संविदाकार द्वारा प्लिंथ लेबिल तक कार्य पूर्ण किया गया है । संविदाकार द्वारा आगे का निर्माण कार्य नहीं करने के कारण लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 5108/आडीटर/सीधी, दिनांक 24.11.2011 द्वारा कार्य आदेश निरस्त कर दिया गया है । लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन निविदा हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि कार्य आदेश निरस्त होने के कारण निर्माण एजेंसी द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सिंहावल के माध्यम से आगामी कार्यवाही की जा रही है । पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरांत कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । कार्य में विलंब के संबंध में प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में सम्बंधित

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा भी पर्याप्त रूचि न लेकर कार्य में विलंब किया जाना परिलक्षित होता है । उक्त निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, सीधी द्वारा कराया जा रहा है । अध्यापन व्यवस्था हेतु अतिथि विद्वानों से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है । रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रक्रियाधीन है । आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (घ) जी हाँ । शासकीय महाविद्यालय, देवसर के पास 10 एकड़ भूमि है, जिसमें भवन निर्मित है, खेल मैदान हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है । खेल मैदान एवं बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर, आवंटन उपलब्ध होने पर शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर निर्माण कार्य की कार्यवाही की जावेगी । शैक्षणिक स्टाफ की पूर्ति के संबंध में म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है । पदस्थ स्टाफ के संबंध में जन शिकायत विभाग द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यालयीन पत्र क्र. 1206, दिनांक 23.08.2014 एवं स्मरण पत्र दिनांक 15.10.2014 के द्वारा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा से प्रकरण की जाँच कर, जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है । जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

गुणवत्ताहीन विद्युत ट्रान्सफार्मर लगाये जाना

4. **(क्र. 31) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) 1 जनवरी, 2013 से 15 नवंबर, 2014 तक जिला सिंगरौली, सीधी और रीवा जिलों के ग्रामीण इलाकों में कितने ट्रांसफार्मर जले हैं ? उनमें कितने बदल दिये गये है ? तथा कितने बदलने हेतु शेष हैं ? जले हुए शेष ट्रांसफार्मरों को कब तक बदल दिया जावेगा ? क्या यह सही है कि कंपनी द्वारा गुणवत्ताविहीन ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं ? यदि हां तो की गई कार्यवाही का विवरण दें ? (ख) क्या 1 जनवरी, 2014 से 30 नवंबर, 2014 तक प्रदेश के रीवा संभाग के गांवों में बिना बिजली के सप्लाई के आये बिजली बिलों को माफ किया जायेगा ? (ग) पिछले दो सालों में कितने राज्यों को प्रदेश सरकार ने बिजली बेची ? विक्रय दर व अनुबंध शर्तों की जानकारी दें ? (घ) पिछले दो सालों में प्रदेश में विभिन्न स्त्रोतों से बिजली का उत्पादन कितना हुआ ? मांग कितनी थी ? अतीशेष बिजली किसानों को कम दाम में देने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या ? (ड) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 6110/2014/तेरह, दिनांक 12.9.2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से किसानों के हित में कौन से बिंदु हितकारी हैं ? ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना अंतर्गत अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे ? शेष ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) 01 जनवरी 2013 से 15 नवम्बर 2014 तक जिला सिंगरौली, सीधी तथा रीवा के ग्रामीण क्षेत्र में ट्रान्सफार्मर जले/खराब की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	जले/खराब ट्रांसफार्मरों की संख्या	बदले गए ट्रान्सफार्मरों की संख्या	बदलने हेतु शेष ट्रान्सफार्मरों की संख्या	टीप
1	सिंगरौली	249	165	84	शेष ट्रांसफार्मर नियमानुसार बकाया राशि जमा न होने के कारण नहीं बदले गए हैं।
2	सीधी	534	508	26	
3	रीवा	1844	1772	72	

शेष जले/खराब ट्रांसफार्मरों को नियमानुसार बकाया राशि जमा होने के पश्चात् बदल दिया जायेगा । जी नहीं कंपनी द्वारा गुणवत्तापूर्ण ट्रान्सफार्मर ही क्रय किये जाते है, क्रय करने के पूर्व ट्रान्सफार्मरों का विभिन्न स्तर पर परीक्षण

कराया जाता है । परीक्षण में सही पाये जाने पर ही ट्रान्सफार्मरों को स्वीकार किया जाता है । अत: किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । (ख) विद्युत देयक की बकाया राशि होने के कारण विद्युत प्रदाय बंद होने की स्थिति में जब तक बकाया राशि जमा नहीं हो जाती अथवा स्थाई विच्छेदन न होने तक नियमानुसार देयक जारी किये जाते है । अत: प्रश्न नहीं उठता । (ग) विगत दो वर्षों में दो राज्यों को "लघु अवधि विद्युत विक्रय" क्रमश: बिहार एवं उत्तर प्रदेश को किया गया है । विक्रय दर एवं आशय पत्र (अनुबंध नहीं) के शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' 'ब' एवं 'स' अनुसार है । (घ) वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में प्रदेश के विभिन्न स्त्रोतों से बिजली उत्पादन क्रमश: 25594.17 एवं 28395.29 मिलियन यूनिट हुआ । वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में प्रदेश की अधिकतम विद्युत मांग क्रमश: 9804 एवं 9758 मेगावाट रही। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में प्रदेश में बिजली की आपूर्ति क्रमश: 47858.32 एवं 51976.39 मिलियन यूनिट हुई । उक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश के विभिन्न संयंत्रों से उत्पादित विद्युत से अधिक विद्युत की आपूर्ति की गई है । किसानों को कृषि कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा सब्सीडाइज्ड दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है । (ड) राज्य शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक 6110/2014/तेरह, दिनांक 12.09.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् किसानों को ट्रांसफार्मर पर बकाया राशि की अंश राशि जमा करने पर भी असफल ट्रांसफार्मर के बदले जाने की सुविधा प्रदान की गई है । प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में 11वीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत सीधी एवं सिंगरौली जिले का कार्य पूर्ण हो गया है तथा सीधी जिले की पूरक योजना का कार्य भी पूर्ण हो गया है । 12वीं रा.गा.ग्रा.वि.योजना के तहत् सीधी जिले हेतु एक अविद्युतीकृत ग्राम एवं 861 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 या 100 से अधिक आबादी वाले मजरे टोलों का सघन विद्युतीकरण कराये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा विद्युतीकरण हेतु 'टर्न-की' कान्ट्रेक्ट अवार्ड मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मुंबई को सितम्बर 14 में जारी किया जा चुका है । कार्य प्रभावी तिथि से 24 माह में पूर्ण किया जाना है । अभी औपचारिकतायें पूर्ण की जानी है अत: समय सीमा बताना वर्तमान में संभव नहीं है । सिंगरौली जिले के एक अविद्युतीकृत ग्राम एवं 643 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 या 100 से अधिक आबादी वाले मजरे टोलों का सघन विद्युतीकरण कराये जाने हेतु प्रस्ताव ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है । 11वीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् रीवा जिले में चयनित 178 अविद्युतीकृत ग्रामों एवं 1283 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण में से 178 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 1077 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष 206 विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण का कार्य मार्च 15 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है । रीवा जिले में 12वीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् 1498 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 या 100 से अधिक आबादी वाले मजरें टोलों का सघन विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने हेतु कार्यादेश मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मुंबई को सितम्बर 14 में जारी किया गया है, निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार कार्य प्रभावी तिथि से 24 माह में पूर्ण किया जाना है । अभी औपचारिकतायें पूर्ण की जानी है अत: वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदान

5. **(क्र. 42) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) दिनांक 08.07.2014 के परि. अता. प्रश्न संख्या 5 (क्र. 101) के उत्तर (क) 25.11.2013 के उत्तर में यह स्वीकार किया था कि अज्ञात लोग जीप से मतदान केंद्र पर आये थे तथा समझाने पर चले गये थे ? बाद में कई दूसरे मतदान केंद्रों पर गये व फर्जी मतदान का प्रयास किया ? उसका परीक्षण कर क्या कार्यवाही करेंगे ? (ख) उत्तर (ख) में बताया गया है कि शिवपुरी जिले में ग्राम ऐजवारा, बारोद आदि गांव के लोग आये थे मुंगावली क्षेत्र के उम्मीदवार

के रिश्तेदार होने के कारण आये थे, उनकी जांच अनुविभागीय अधिकारी व सहायक रिटर्ननिंग अधिकारी विधानसभा कोलारस जांच कैसे करेंगे ? क्योंकि उनकी जांच व पहचान कोलारस बजाय अशोकनगर के निर्वाचन अधिकारी ही कर सकते हैं क्या शासन उक्त प्रकरण की जांच पुन: करवाकर दोषियों को चिन्हित कर दण्ड देगा, यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हां । मतदान केन्द्रों में किसी भी प्रकार का फर्जी मतदान नहीं किया गया है । अत: शेषांश का प्रश्न उपिस्थत नहीं होता । (ख) कलेक्टर व पुलिस अधीक्षण अशोक नगर व रिटर्निंग आफीसर मुगावली द्वारा जांच की गई, जिसमें इस प्रकार की कोई घटना का होना नहीं पाया गया है ।

<u>माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाओं का क्रियांवयन</u>

6. **(क्र. 60) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) जिला दमोह में विधानसभा क्षेत्र हटा में विगत पांच वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कितने बार आगमन हुआ ? (ख) दमोह जिले की हटा विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन ने कौन-कौन सी घोषणाएं की है ? क्या माननीय सीएम महोदय द्वारा की गई घोषणाएं पूर्ण हो गयी हैं यदि हां, तो कौन,सी नहीं तो क्यों ? (ग) दमोह जिले की हटा विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई अपूर्ण घोषणाएं कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) मान. मुख्यमंत्री जी का विधान सभा क्षेत्र हटा में तीन बार आगमन हुआ है । (ख) विधान सभा क्षेत्र हटा में विगत पांच वर्षों में 09 घोषणाएं की गई है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" में है । (ग) घोषणाओं के क्रियान्वयन की एक सतत् प्रक्रिया है । विभाग द्वारा अपनी नीति/प्रक्रियाओं के तहत कार्यवाही की जाती है । अत: इनकी कार्यवाही पूर्ण होने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट-"नौ"

<u>खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में नवीन तालाब का निर्माण</u>

7. **(क्र. 77) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र जिला टीकमगढ़ में पथरगुंवा तालाब निर्माण किये जाने हेतु दिनांक 27/08/13 में 160 लाख 94 हजार स्वीकृत किये गये थे एवं खोड़ेरा तालाब निर्माण हेतु दिनांक 27/08/13 में 624 लाख 26 हजार रूपये स्वीकृत कर दोनो तालाबों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था ? क्या उक्त दोनों तालाबों के निर्माण को निरस्त कर दिया गया है ? (ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है स्पष्ट करें साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का पुन: सर्वे कराया कि इन बांधो/ तालाबों से ही सिंचाई का साधन कृषकों के लिए कारगर हो सकता है ? यदि उक्त तालाबों का निर्माण किया जाता है तो कब तक करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो कारण क्या है, स्पष्ट करें ? (ग) क्या यह भी सच है कि दोनो तालाबों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था ? अब उक्त निर्माण कार्य बंद कर दिये है, जिसमें शासन का कितना व्यय हुआ ? क्या उक्त निर्माणों को पुन: चालू करेंगे ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । जी हां । (ख) प्रश्नाधीन परियोजनाओं का कमाण्ड क्षेत्र निर्माणधीन बानसुजारा वृहद सिंचाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में आने से निवेश निरर्थक होगा । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है । (ग) जी हां । जी हां । पथरगुंवा एवं खोडेरा परियोजना के निर्माण पर क्रमंश: राशि रू. 2.11 लाख एवं रू. 12.55 लाख का व्यय हुआ है । जी नहीं । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

बरकतउल्ला वि.वि. में संविदा प्रोफेसर से पेपर सेट कराया जाना

8. **(क्र. 101) श्री विश्वास सारंग :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) बरकतउल्ला वि.वि. में पेपर सेट करने वाले प्रोफेसरों के नामों की सूची कौन तैयार करता है ? पदनाम/नाम सहित जानकारी दें ? क्या यह सूची गोपनीय रहती है ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या वि.वि. के बीई की कंप्यूटर साइंस शाखा में पदस्थ संविदा प्रोफेसर द्वारा पेपर सेट करने का मामला उजागर हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रोफेसर का नाम पेपर सेट करने वालों की सूची में था ? यदि नहीं, तो उक्त ने पेपर सेट कैसे कर दिया और परीक्षा विभाग ने जमा कैसे किया ? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत क्या उक्त प्रोफेसर ने किसी दूसरे प्रोफेसर के नाम पर कॉपी जांची है ? यदि हां, तो उक्त प्रोफेसर के पास दूसरे प्रोफेसर के नाम पर जारी कॉपियां कैसे पहुंची ? और उसने जंची कॉपियां परीक्षा विभाग के पास कैसे जमा कर दीं ? (घ) प्रश्नांश (क) ,(ख) व (ग) के तहत इस पूरे मामले में परीक्षा विभाग के किस पदनाम/नाम के अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है ? क्या उन पर कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) प्रोफेसरों के नाम की सूची विश्वविद्यालय के संबंधित विषय की परीक्षा समिति द्वारा तैयार की जाती है । परीक्षा समिति में संबंधित संकाय के अधिष्ठाता, संबंधित विषय के अध्ययन मंडल के अध्यक्ष तथा अध्ययन मंडल से एक सदस्य नामांकित होता है । जी हां, (ख) जी हां, जी नहीं, उक्त संविदा शिक्षक समन्वयक था तथा अनुशंसित प्राध्यापकों के नाम से प्रश्न-पत्र तैयार कराने हेतु लिफाफा ले गया था । संबंधित शिक्षक के नाम से स्वयं ने प्रश्न-पत्र तैयार किया और संबंधित शिक्षक के नाम से प्रश्न-पत्र का लिफाफा होने के कारण परीक्षा/गोपनीय विभाग में जमा किया गया। (ग) जी हां । अन्य समन्वयक के माध्यम से मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें समन्वयक के माध्यम से परीक्षा/गोपनीय शाखा में संबंधित सहायक के पास जमा की गई । (घ) उक्त संविदा शिक्षक स्वयं जिम्मेदार है । इन्हें बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3147 दिनांक 03.07.2014 द्वारा बर्खास्त किया गया तथा थाना बागसेवनिया को पत्र क्रमांक 3834 दिनांक 04.09.2014 द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु लिखा गया है ।

अलीराजपुर जिले के सेजावाड़ा में मिनी आईटीआई प्रारम्भ की जाना

9. **(क्र. 132) श्री माधो सिंह डावर :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या ग्राम सेजावाड़ा, जिला अलीराजपुर में वर्ष 2002 में मिनी आई.टी.आई खोलने की घोषणा की गई थी ? (ख) यदि हॉ, तो क्या शासन द्वारा उक्त आई.टी.आई हेतु भूमि आबंटित कर दी गई थी ? यदि हॉ, तो कब ? (ग) वर्ष 2002 से अभी तक मिनी आई.टी.आई प्रारम्भ क्यों नहीं की गई ? क्या मिनी आई.टी.आई प्रारम्भ किया जावेगा ? यदि हॉ, तो कब तक ? अभी तक प्रारम्भ नहीं किये जाने के क्या कारण है ? क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जावेगी ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) विभाग में जानकारी अनुसार जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विंड एवं सौलर ऊर्जा प्लांट की स्थापना

10. **(क्र. 133) श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) गरोठ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों ने शासन की योजना के अंतर्गत निजी ट्रांसफार्मर के लिए कब से राशि जमा करा

रखी है ? क्या ऐसे समस्त किसानों को ट्रांसफार्मर वितरण कर दिये हैं ? यदि नहीं, तो कितने समय से लंबित हैं ? समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? (ख) क्या यह सही है कि विंड एनर्जी एवं सोलर एनर्जी के लिए भानपुरा, गरोठ तहसील का विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया था ? जहां विंड पॉवर एनर्जी को लगाने हेतु शासन ने उचित स्थल बताया था ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में सोलर एनर्जी एवं विंड एनर्जी के कार्य कब तक प्रारंभ कर दिये जायेंगे ? (ग) भानपुरा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थलों पर फीडरसेपरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा कितने मजरों-टोलों पर फीडरसेपरेशन का कार्य शेष है, जानकारी दें ? तथा शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? कोई समयावधि तय है ? (घ) मंदसौर जिले में फीडर सेपरेशन के कार्य की अनियमितता को लेकर कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस अधिकारी के खिलाफ कहाँ-कहां प्राप्त हुई ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) गरोठ-भानपुरा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी किसान ने निजी ट्रांसफार्मर (स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना) के लिए राशि जमा नहीं की है, अत: शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही नही उठता । (ख) जी, नहीं। शेष प्रश्नांश लागू नहीं है । (ग) गरोठ-भानपुरा विधानसभा क्षेत्र में जिन ग्रामों के लिए फीडर सेपरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। फीडर सेपरेशन योजना में छूटे हुए मजरें टोलों का कार्य प्रस्तावित नहीं हैं। फीडर सेपरेशन योजना के तहत शेष बचे कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण करने की संभावना है । (घ) मंदसौर जिले में फीडर सेपरेशन के कार्य की अनियमितता बाबत किसी भी अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं ।

परिशिष्ट-"दस"

गांधीसागर को पर्यटन स्थल बनाया जाना

11. **(क्र. 134) श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मंदसौर जिले में कुल कितने पर्यटन स्थल है ? क्या इन पर्यटन स्थलों को पर्यटन रूट से जोड़ा गया है ? (ख) क्या गांधीसागर में पर्यटन मोटेल प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक बनकर तैयार होगा ? (ग) गांधीसागर जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर पूर्व में कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब तक हो पायेगा ? एवं देरी हुई है, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय की है ? (घ) क्या भानपुरा में पर्यटन सूचना केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह कब तक संभव होगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) मंदसौर जिले में पुरातत्व महत्व के मुख्यत: सात एवं धार्मिक महत्व के मुख्यत दो पर्यटन स्थल तथा स्थानीय महत्व के अनेक पर्यटन स्थल हैं और यह चित्तौड़गढ राजस्थान मुख्य मार्ग से जुडा हुआ है, जो कि राज्य मार्ग 31 के समीप है । (ख) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) एवं (घ) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

अवैध रेत की निकासी

12. **(क्र. 152) श्री अंचल सोनकर :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या जबलपुर जिले के अंतर्गत अवैध रेत निकासी हो रही है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष, 2013-14 एवं 2014-15 में कुल कितने घन मीटर अवैध रेत की निकासी हुई ? एवं कितनी रेत जप्त कर नीलामी की गई ? वर्षवार एवं नीलामी की राशि बतायें ? (ख) क्या जबलपुर जिले के एक स्थानीय समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने के उपरांत ही विभाग

द्वारा अवैध रूप से स्टॉक की गई रेत पर छापा डाल कर जप्त की गई ? यदि हां, तो कितने डम्पर ? इसका बाजार में कितना मूल्य था ? (ग) प्रश्नांश (ख) में जप्त की गई रेत क्या वर्तमान में यथा स्थान पर रखी हुई है ? अथवा अवैध खनन ठेकेदारों द्वारा आधी से अधिक जप्त रेत उठा ली गई है ? यदि हां, तो इसका दोषी कौन है ? इन पर शासन ने क्या कार्यवाही कब की ? (घ) क्या विभाग की लापरवाही एवं उदासीनता खनन निगरानी न करने के कारण रेत अवैध रेत, खनन ठेकेदार द्वारा निकाली जाती रही ? इससे शासन को कितने राजस्व का नुकसान हुआ ? इस नुकसान की पूर्ति कैसे होगी ? एवं लापरवाह अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं । जिला जबलपुर के अंतर्गत रेत खदानों का संचालन म.प्र. राज्य खनिज निगम उपकार्यालय जबलपुर के द्वारा किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 (अक्टूबर 2014) तक अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर एवं भ्रमण केदौरान नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया है । उक्त दर्ज प्रकरणों में कुल 62214 घनमीटर (अवैधउत्खनन, परिवहन, भण्डारण से) अवैध रेत की जप्ती होना पाया गया। उक्त जप्तशुदा रेत की नीलामीनहीं की गई है । (ख) जी नहीं । खनिज विभाग को सूचना प्राप्त होने पर पाटन तहसील अंतर्गतविभिन्न ग्रामों में खनिज रेत का अवैध रूप से स्टॉक किये जाने के कारण संयुक्त रूप से छापाडालकर खनिज रेत की मात्रा लगभग 45440 घन मीटर जप्ती की कार्यवाही की गई । जो किलगभग 4544 डम्फर (औसतन दस घन मीटर के मान से) एवं जिसका बाजार मूल्य लगभग रूपये 2.27 करोड़ प्रचलित दर अनुसार मान्य किया गया है । (ग) जी हाँ । पुर्नमूल्यांकन एवं भौतिकसत्यापन उपरांत लगभग 12540 घनमीटर रेत कम पाई गई है । वर्तमान में इस विषय में प्रकरणन्यायालय कलेक्टर, जबलपुर में प्रक्रियाधीन है एवं प्रकरण के निराकरण उपरांत गुण दोषों के आधारपर कार्यवाही की जा सकेगी । (घ) प्रश्नांश ''ग'' में दिये गये उत्तर अनुसार ।

<u>विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पर्यटक स्थलों पर विशेष उत्सव का आयोजन</u>

13. **(क्र. 164) श्री जयभान सिंह पवैया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) म.प्र. में इस वर्ष अभी तक कितने विदेशी पर्यटक आये ? (ख) म.प्र. में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पर्यटक स्थलों पर किसी प्रकार के उत्सवों की योजना बनाई है क्या ? यदि हाँ, तो इस प्रकार के कौन से उत्सव आयोजित किये जाते है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) मध्यप्रदेश में इस वर्ष माह अगस्त 2014 तक 171817 विदेशी पर्यटक आये । (ख) जी हॉ । जानकारी परिशिष्ट "एक" पर है ।

परिशिष्ट- "ग्यारह"

<u>विद्युत ट्रांसफार्मर बदले जाने बाबत्</u>

14. **(क्र. 170) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विभाग द्वारा जले हुये ट्रांसफार्मरों पर बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करने के उपरांत ही ट्रांसफार्मरों को बदले जाने का नियम विभाग द्वारा कब से लागू किया गया है ? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नियम लागू होने की दिनांक से प्रश्न दिनांक तक जिला राजगढ़ की विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर के कितने ट्रांसफार्मर 50 प्रतिशत या अधिक राशि जमा होने के उपरांत ही बदले गये है ? एवं कितने ट्रांसफार्मर 50 प्रतिशत से कम राशि जमा होने पर बदले गये ? वर्षवार बदले गये ट्रांसफार्मर के विरूद्ध बकाया राशि एवं जमा राशि का विवरण देवें ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार 50 प्रतिशत से कम राशि जमा होने के उपरांत विभाग द्वारा उक्त ट्रांसफार्मर बदलने के क्या कारण

थे ? एवं 50 प्रतिशत से कम राशि जमा होने पर वर्तमान में जले हुये ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदले जा रहे हैं ? (घ) क्या यह सही है कि जिला राजगढ़ अंतर्गत सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में विद्युत आपूर्ति मात्र 5-6 घण्टे प्रदाय करने से किसानों की उपज में कमी आवेगी ? यदि हां, तो उसे रोकने के लिये शासन की क्या योजना है ? शासन की योजना यदि किसानों के लाभ के लिये हैं तो विद्युत की आपूर्ति किसानों के हित में प्रतिदिन 16 घण्टे थ्री फेस विद्युत कब से प्रदाय की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विभाग द्वारा जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने के संबंध में दिनांक 12.09.2014 से आदेश जारी किया गया है । आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है । (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार नियम लागू होने की दिनांक से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र सांरगपुर में 47 ट्रांसफार्मर 50 प्रतिशत या उससे अधिक बकाया राशि जमा होने के उपरांत ही बदले गये हैं, जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है एवं बकाया राशि का जमा होने वाले ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये हैं । (ग) उत्तरांश (ख) के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) जी नहीं। राजगढ़ जिले के अंतर्गत सांरगपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2014-15 के रबी सीजन में शासन की नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जाना है तथा क्षेत्र में ओसतन 09 घंटे 30 मिनट विद्युत प्रदाय किया गया । वर्तमान में कृषि उपभोक्ताओं हेतु तीन फेस पर प्रतिदिन 16 घंटे विद्युत आपूर्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

परिशिष्ट- "बारह"

मुख्यमंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन

15. **(क्र. 187) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि 2 मई, 2008 को भिण्ड प्रवास पर मा. मुख्यमंत्री, म.प्र. द्वारा टेहनपुर सिन्ध नदी पर पुल निर्माण, अकोड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिण्ड शहर में सीवर प्रोजेक्ट, गोरी तालाब का जीणोद्धार नहरों के समीप 58 नलकूपों की स्वीकृति की घोषणा की गई ? यदि हां, तो प्रश्नांश तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) में अन्नपूर्णा योजना के शुभारम्भ अवसर पर घोषणाऐं की गई थीं ? शासन द्वारा उनको कौन-कौन सा क्रमांक जारी किया गया ? (ग) कार्यालय कलेक्टर, जिला भिण्ड क्यू/ज.शि.नि.प्र./2014/2593, दि. 4/9/2014 आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र सचिव मु.मंत्री, म.प्र. शासन को लिखा गया है ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? (घ) मा. मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन द्वारा भिण्ड में 02 मई, 2008 को घोषणा की थी ? अधिकारियों की कार्यवाही में शिथिलता के कारण प्रश्नांश दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्या कार्यवाही की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" में है । (ग) जी हां । मुख्यमंत्री सचिवालय से 02 घोषणाओं की पुष्टि हुई है । (घ) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट- "तेरह"

विधायक के पत्रों का उत्तर दिया जाना

16. **(क्र. 204) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्र. 19-76/2007/1-4 दिनांक 17.08.2009 में दिये गये निर्देश लागू है तथा प्रत्येक अधिकारी विधायकों, सांसदों के पत्र की अभिस्वीकृति व बाद में उत्तर देना अनिवार्य है ? (ख) 1 अक्टूबर, 2013 से 1 नवम्बर 2014 तक माननीय मुंगावली के विधायक ने जिला वन

मण्डलाधिकारी जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सी.ई.ओ., जिला पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली, संभागीय यांत्रिकी विद्युत मण्डल मुंगावली तथा अशोकनगर, तहसीलदार मुंगावली, अधीक्षण यंत्री एम.पी.ई.बी. गुना को कितने पत्र लिखे है ? कृपया प्रति उपलब्ध करायें तथा इन्होंने कितने पत्रों का उत्तर दिया है उसकी भी प्रति उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांश (क) में दिये गये उत्तर तथा प्रश्नांश (ख) में दी गई जानकारी के आधार पर क्या सामान्य प्रशासन विभाग के किसी नियम का उल्लंघन हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या शासन दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक व क्या ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (E O W) , रीवा में पंजीबद्ध अपराध पर कार्यवाही

17. **(क्र. 207) श्री गिरीश गौतम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (E O W), रीवा में अपराध क्रमांक 81/12 अंतर्गत धारा 13(1) ई 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं 120 बी, भा.द.विधान का दिनांक 6.12.12 को अपराध पंजीबद्ध किया गया है ? यदि हां, तो यह प्रकरण किसके विरूद्ध कायम किया गया है ? नाम, पद, विभाग सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अपराध का चालान न्यायालय में पेश किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में चालान कब तक पेश किया जायेगा, तथा उपायुक्त सहकारिता, जिला रीवा, रीवा जिले में कब से पदस्थ हैं ? (ग) क्या जिस अधिकारी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध है, उसे अपराध कारित करने के स्थान से अन्यत्र हटाया गया है ? उक्त उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा को वर्तमान पदस्थापना से हटाने की कार्यवाही करेंगे क्या ? तथा कब तक कार्यवाही करेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) :(क) जी हॉ । प्रकरण 1. श्री विनोद सिंह, शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित चाकघाट, रीवा, 2. श्री सत्यप्रकाश सहायक सिमति प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, चाकघाट, रीवा, 3. श्री प्रमोद कुमार सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष, त्यौथर जिला, रीवा एवं अन्य 2 गैर लोक सेवक आरोपी श्री सत्येन्द्र सिंह,निवासी चाकघाट, रीवा, एवं 2. श्रीमती शोभावती देवी, निवासी चाकघाट, रीवा, के विरूद्ध कायम किया गया है । (ख) जी नहीं । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर जांच में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत निराकरण किया जायेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । उपायुक्त सहकारी जिला रीवा फरवरी, 2013 से रीवा जिले में पदस्थ है । (ग) जी नहीं । आवश्यक होने पर । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

सिंचाई हेतु विद्युत व्यवस्था बाबत्

18. **(क्र. 210) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि शासन द्वारा पूरे मध्यप्रदेश में कृषकों को सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है ? तथा विभाग द्वारा भी कृषकों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध होना बताया गया है ? (ख) क्या धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र के अनेकों ग्रामों में प्रदाय स्थाई/अस्थाई कनेक्शन की तुलना में विद्युत प्रवाह हेतु आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर नहीं लगाने के कारण कृषकों को बिजली नहीं मिल पाने से उनकी फसलें सूख रही है ? यदि हां, तो इसके लिए जवाबदार कौन हैं ? यदि वास्तविक रूप से ट्रांसफार्मर की कमी है तो विभाग आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य कब तक पूर्ण कर लेगा व कब तक क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली की सुविधा दे देगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) जी हां। (ख) जी नही। प्रश्नाश (ख) के प्रथम भाग के परिपेक्ष्य मे उत्तर अपेक्षित नहीं। कृषको को सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने हेतु ट्रासंफ़ारमरो की पर्याप्त उपलब्धता है। अत: प्रश्न के शेष भाग का उत्तर अपेक्षित नहीं।

<u>अवैध रूप से रेत का उत्खनन</u>

19. **(क्र. 212) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र में धरमपुरी व उसके आसपास के क्षेत्र में दशकों से खनिज विभाग की लापरवाही या मिलीभगत से मात्र एक या दो हेक्टेयर क्षेत्र से रेत उत्खनन की अनुमति/पट्टा प्राप्त कर रेत माफियाओं द्वारा लगभग 10-15 किलोमीटर तक नर्मदा नदी से अवैध रेत उत्खनन किया जाकर शासन को करोड़ो की राजस्व हानि पहुंचाई जा रही है ? तथा नर्मदा नदी के तट आदि को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है ? क्या विभाग/शासन की जानकारी में यह बात है अथवा नहीं ? (ख) क्या शासन द्वारा इस अवैध रेत उत्खनन की उच्च स्तरीय जॉच कराई जाकर पट्टाधारियों को आवंटित क्षेत्र के सीमांकन आदि की कार्यवाही कर शासन को हो रही राजस्व हानि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही की जावेगी एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में धरमपुरी व उसके आसपास मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को रेत खनिज के 11 उत्खनिपट्टे स्वीकृत हैं, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में ही नियमानुसार रेत खनिज का उत्खनन किया जा रहा है। नर्मदा नदी के तट आदि को कोई भारी नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है। (ख) उपरोक्त ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार सीमांकन करवाया जाता है। अवैध उत्खनन/परिवहन के तारतम्य में वर्ष 2013-14 में अवैध उत्खनन के दर्ज 03 प्रकरणों में रूपये 1,35,000/- अर्थदण्ड वसूल किया गया एवं अवैध परिवहन के दर्ज 260 प्रकरणों में रूपये 53,20,000/- अर्थदण्ड वसूल किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 (अक्टूबर 2014 तक) अवैध उत्खनन के दर्ज 06 प्रकरणों में रूपये 3,02,000/- अर्थदण्ड वसूल किया गया एवं अवैध परिवहन के दर्ज 82 प्रकरणों में रूपये 25,10,000/- अर्थदण्ड वसूल किया गया है। अवैध उत्खन/परिवहन की जाँच एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर जारी रहती है।

<u>प्रदेश में बिजली की उपलब्धता एवं उत्पादन</u>

20. **(क्र. 227) श्री रामनिवास रावत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा स्वंय की प्रदेश में 13000 मेगावाट बिजली उपलब्धता की जानकारी दी जा रही है ? यदि हां तो यह 13000 मेगावाट प्रदेश में बिजली स्थापित क्षमता है अथवा 13000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है ? कृपया स्पष्ट करें ? साथ ही निम्नानुसार विवरण सहित जानकारी दें - 1. ताप एवं जल विद्युत उत्पादन ग्रह का नाम 2. स्थान का नाम 3. क्षमता मेगावाट में 4. औसत प्राप्त विद्युत भार मेगावाट में ? कृपया विस्तृत विवरण सहित जानकारी दें ? (ख) प्रदेश में वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक माहवार एवं वर्षवार कितने मेगावाट विद्युत मांग रही एवं मांग आपूर्ति हेतु म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी, राज्य शासन, केन्द्रीय आवंटित, अनावंटित अंश, लघु अवधि प्राइवेट ट्रेडर्स से क्रय की गई बिजली, प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों से उत्पादित विद्युत एवं अन्य स्त्रोतों से सभी श्रेणी से कितनी-कितनी मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई ? (ग) क्या राज्य सरकार के पास विद्युत

मांग से अधिक बिजली उपलब्ध है ? क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा निरंतर जानकारी दी जा रही है कि प्रदेश में बिजली की मांग से अधिक उत्पादन हो रहा है ? साथ ही क्या यह भी जानकारी दी जा रही है कि राज्य सरकार 2000 मेगावाट बिजली यू.पी. या अन्य राज्य को बेच रही है या बेचने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? स्पष्ट करें ? साथ ही प्रदेश का कुल विद्युत उत्पादन एवं विद्युत मांग मेगावाट में बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) जी हाँ, प्रश्न दिनांक की स्थिति में मध्य प्रदेश को राज्य क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में विद्यमान विद्युत संयंत्रों से दीर्घ अवधि हेतु कुल 13399 मेगावाट विद्युत क्षमता का आवंटन उपलब्ध है । इसमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप व जल विद्युत संयंत्रों एवं राज्य शासन के संयुक्त उपक्रमों वाले जल विद्युत उत्पादन संयंत्रों से कुल 7064 मेगावाट क्षमता का आवंटन तथा केन्द्रीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रों के उत्पादन संयंत्रों से कुल 6335 मेगावाट क्षमता का आवंटन सम्मिलित है । यह उपलब्ध क्षमता है ना कि उत्पादन। विद्युत उत्पादन गृहों के नाम, स्थान का नाम, संयंत्र की क्षमता, उसमें से राज्य हेतु आवंटित अंश तथा इन उत्पादन गृहों से माह नवम्बर 2014 के दौरान दिनांक 01.11.2014 से दिनांक 20.11.2014 तक प्राप्त विद्युत ऊर्जा के आधार पर संगणित औसत विद्युत भार का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 1 अनुसार है । (ख) प्रश्नाधीन अवधि के दौरान प्रदेश में माहवार एवं वर्षवार विद्युत की अधिकतम मांग एवं अधिकतम मांग के समय विभिन्न स्त्रोतों से की गई आपूर्ति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 2 अनुसार है । (ग) जी हाँ, वर्ष 2014-15 के दौरान दिनांक 20.11.2014 तक प्रदेश में कुल 9507 मेगावाट की अधिकतम मांग दर्ज हुई है जिसकी आपूर्ति के दौरान कोई कटौती नहीं की गई है । जी हाँ, ऐसी जानकारी दी गई है कि प्रदेश में वर्ष 2014-15 एवं उसके बाद के कुछ वर्षों तक वार्षिक आधार पर विद्युत की उपलब्धता विद्युत की मांग से अधिक रहना संभावित है । जी नहीं, ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि राज्य द्वारा 2000 मेगावाट बिजली यू.पी. या अन्य राज्य को बेची जा रही है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है । वर्ष 2014-15 के दौरान दिनांक 20.11.2014 तक की अवधि तक प्रदेश में विद्युत की मांग एवं विद्युत की उपलब्धता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 2 में दर्शाई गई है ।

<u>प्रदेश में विद्युत उत्पादन इकाईयों से विद्युत उत्पादन</u>

21. **(क्र. 228) श्री रामनिवास रावत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) वर्तमान में म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी की ताप एवं जल विद्युत ईकाईयों की कितनी मेगावाट स्थापित क्षमता हैं ? ताप एवं जल विद्युत उत्पादन इकाईयों का विवरण, नाम, स्थान, इकाई की क्षमता, विवरण पृथक-पृथक बतावें ? साथ ही राज्य शासन की ईकाईयों का विवरण भी पृथक-पृथक बतावें ? (ख) अप्रैल 2009 से म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा प्रश्न दिनांक तक कितने ताप एवं जल विद्युत ईकाईयों का निर्माण प्रारंभ कराया ? वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी एवं राज्य शासन की कौन-कौन सी नवीन जल एवं ताप विद्युत इकाईयों से उत्पादन प्रांरभ होगा ? (ग) वर्तमान में प्रदेश में कौन-कौन सी निजी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्राप्त हो रहा है साथ ही भविष्य में 2014-15 से 2018-19 तक कौन-कौन सी विद्युत इकाईयों से उत्पादन प्राप्त होने लगेगा ? नाम, स्थान एवं क्षमता सहित बतावें ? (घ) म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी की ताप एवं जल विद्युत इकाईयों का वित्तीय वर्ष 2011-12 से माह अक्टूबर,2014 तक इकाईवार विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट में बतावें ? साथ ही मप्रपाजकंलि के सभी ताप विद्यत गृहों हेतु जून 2014 से अक्टूबर 2014 तक माहवार,विद्युतगृह वार कोल इंडिया से कितना कोयला प्राप्त किया गया ? साथ ही पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2011-2012,2012-2013 तथा 2013-14 में मप्रपाजकंलि के ताप विद्युत गृहों को कितना कितना कोयला प्राप्त हुआ ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) वर्तमान में म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ताप विद्युत इकाईयों की कुल स्थापित क्षमता 3720 मेगावाट तथा जल विद्युत इकाईयों की कुल स्थापित क्षमता 915 मेगावाट है । म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ताप एवं जलविद्युत उत्पादन इकाईयों के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है । राज्य शासन एवं उसके संयुक्त उपक्रमों की उत्पादन इकाईयों के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - "ब" अनुसार है । (ख) अप्रैल 2009 से म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्न दिनांक तक किसी नवीन ताप एवं जल विद्युत इकाई का निर्माण प्रारंभ नहीं कराया गया है । तथापि पूर्व से निर्माणाधीन 2X250 मेगावाट क्षमता की सतपुडा ताप विद्युत गृह इकाई क्रमांक-4, सारणी की इकाई क्रमांक 10 एवं 11 तथा श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खण्डवा-प्रथम चरण की 600 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक-1 से वर्ष 2013-14 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक राज्य शासन की म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की नवीन विद्युत इकाईयों से उत्पादन प्रारंभ करने संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - "स" अनुसार है । (ग) वर्तमान में प्रदेश में जिन निजी ताप विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "द" अनुसार है । वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक प्रदेश की निजी क्षेत्र की जिन विद्युत इकाईयों से उत्पादन प्राप्त होना संभावित है, के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - "क" अनुसार है । किसी भी निजी जल उत्पादन कंपनी से विद्युत प्राप्ति नहीं हो रही है । (घ) म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ताप एवं जल विद्युत इकाईयों का वित्तीय वर्ष 2011-12 से माह अक्टूबर 2014 तक इकाईवार, वर्ष वार विद्युत उत्पादन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - "ख" अनुसार है । म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सभी ताप विद्युत गृहों हेतु जून, 2014 से अक्टूबर 2014 तक माहवार, विद्युत गृहवार कोल इंडिया से प्राप्त कोयले का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - "ग" अनुसार है । विगत तीन वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत गृहों को प्राप्त कोयले की विद्युत गृहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - "घ" अनुसार है ।

पर्यटन स्थलों के लिए राशि की स्वीकृति

22. **(क्र. 256) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि परासिया विधान सभा क्षेत्र में प्रमुख रूप से तीन धार्मिक स्थान पर्यटक के रूप में विकसित हैं :- (1) मॉ खेड़ापति मंदिर चांदामेटा, (2) ग्राम सेमरताल के ग्राम देवरानी दाई मंदिर, (3) जिल्हेरीघाट ? (ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा मंत्री महोदय से इन क्षेत्रों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु राशि आवंटित किये जाने हेतु निवेदन किया था ? (ग) यदि हां, तो क्या यह राशि विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है, तथा कब तक कार्य प्रारंभ हो जायेगा ? यदि नहीं हुआ है, तो क्या कारण है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) :(क) प्रश्नांकित स्थनों को विकसित किया जा रहा है । (ख) जी हॉ । (ग) जी हॉ । पूर्व स्वीकृत राशि अनुसार कार्य प्रगति पर है । प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता ।

<u>**प्रोटोकॉल का उल्लंघन**</u>

23. **(क्र. 273) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन विभागों द्वारा किया जाता है या नहीं ? (ख) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में प्रोटोकॉल उल्लंघन के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रदत्त शिकायती पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दें ? (ग) प्रोटोकॉल के उल्लंघन में प्रदेश के उच्च अधिकारी, कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित के विरूद्ध की गई कार्रवाई के नोटिस सहित जानकारी दें ? (घ) प्रोटोकॉल उल्लंघन के संबंध में आज दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) :(क) जी हॉ । (ख) उक्त प्राप्त शिकायती आवेदन पर जॉच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी सीतामउ एवं गरोठ से प्राप्त किए गए। अनुविभागीय अधिकारी गरोठ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत सालरिया में पंचायत भवन एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान के शुभारंभ के समय मान0 विधायक को स्थानीय निकाय द्वारा मौखिक रूप से आमंत्रित किया गया था। किसी प्रकार के आमंत्रण पत्र नहीं छपवाए गए थे एवं पंचायत भवन के लोकार्पण के शिलालेख में मान0 विधायक का नाम अंकित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी सीतामउ द्वारा प्रोटोकॉल उल्लंघन की शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत रूनीजा, महुवी, खेताखेडा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर जबाव प्राप्त किए गये तथा आदेश पारित किया जाकर संबंधित सरपंचो को भविष्य के लिए सचेत किया गया है । (ग) प्रोटोकॉल के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी सीतामउ द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रूनीजा, महूवी खेताखेडा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर जबाव प्राप्त किए गये तथा आदेश पारित किया जाकर संबंधित सरपंचों को भविष्य के लिए सचेत किया गया है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (घ) प्रोटोकॉल का उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 361-62 दिनांक 10.10.2014 द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करने एवं समस्त मान0 जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक एवं शासकीय कार्यक्रमों में नियमानुसार आमंत्रित करने हेतु निर्देश दिए गए है ।

<u>**मा. संसद सदस्यों एवं विधायक के पत्रों पर कार्यवाही**</u>

24. **(क्र. 282) श्री रामलाल रौतेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विभाग द्वारा मा. संसद सदस्यों एवं विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही करने हेतु कोई निर्देश जारी किया गया है ? यदि हां, तो अवगत करावें ? (ख) अनूपपुर जिले में माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कुल कितने पत्र लिखे गये हैं ? वर्णित विभाग द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? (ग) क्या यह सही है कि विभागों ने सामान्य प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हां । (ख) माननीय संसद सदस्य एवं विधायकों से कुल 25 पत्र प्राप्त हुए। विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिष्ट "अ", "ब", एवं "स" में है । (ग) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट- "चौदह"

अवैध खनिज की जानकारी

25. **(क्र. 297) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) डिण्डौरी जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने वाहनों को अवैध खनिज परिवहन में जब्त कर कार्यवाही की गई ? कृपया वाहन का नाम, नम्बर, वाहन मालिक नाम, किस वस्तु का अवैध परिवहन कर रहा था, उसका नाम एवं कितना जुर्माना लगाया गया ? अवैध वाहन जब्त करने वाले अधिकारी का नाम बतावें ? (ख) डिण्डौरी जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने लोगों द्वारा अवैध खनन किया गया ? अवैध खनन करने वाले को पकड़ने वाले अधिकारी का नाम, रकवा, खसरा नं., अवैध खनिज का प्रकार, प्रत्येक प्रकरण में लगाया गया जुर्माना बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 में दर्शित है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 में दर्शित है ।

क्षतिग्रस्त पूल की मरम्मत

26. **(क्र. 309) श्री संजय पाठक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि कटनी जिले के बरही से मैहर रोड में अमरकंटक से खजुराहो वाया बरही पर्यटक मार्ग पर बॉणसागर द्वारा घटिया गुणवत्ता से 6 वर्ष पूर्व निर्मित पुल का आवागमन 5 अगस्त से पूर्णत: लोहे की बेरीकेटिंग करके बंद कर दिया गया है ? जिसके कारण शहडोल से सतना, रीवा, इलाहाबाद, मैहर, अमरकंटक, बॉधवगढ़ पर्यटक स्थलों में पहुँचने वाले पर्यटक तथा आसपास के ग्रामीणों एवं शहरवासियों का आवागमन पूर्णत: अवरूद्ध हो गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) अति महत्वपूर्ण उक्त मार्ग के घटिया निर्माण हेतु कौन जवाबदार है ? (ग) क्या अतिशीघ्र पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नाधीन मार्ग के पुल को ठीक कर आवागमन चालू कर दिया जावेगा ? निश्चित समयावधि बताये ? नहीं तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) छोटी महानदी पर निर्मित पुल के पीयर 9 एवं 10 के कैंटीलीवर स्लेब में दरार आने के कारण विशेषज्ञ परामर्श मुताबिक 4 पहिया वाहनों का पुल से आवागमन बंद किया गया है । वर्ष 2007-08 में निर्मित पुल 6 वर्ष बाद क्षतिग्रस्त हुआ । क्षति का कारण रूपांकन में कमी होना संभावित है । आई.आई.टी. मुम्बई के विशेषज्ञ की सलाह अनुसार मरम्मत एवं सुधार कराने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है ।

पर्यटन स्थल महेश्वर में कार्यों की स्वीकृति एवं आवंटन

27. **(क्र. 319) श्री मेव राजकुमार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) वर्ष 2016 में सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुये आने वाले पर्यटकों को सुविधा के लिए पर्यटन स्थल-महेश्वर, जिला खरगोन के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कार्ययोजना अनुसार क्या कार्यों में स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से विभागों को आवंटन दिया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि पर्यटन स्थल महेश्वर में कार्ययोजना अनुसार कार्यों की स्वीकृति वर्तमान तक अपेक्षित है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्यों में स्वीकृति अपेक्षित है और कब तक उन कार्यों में स्वीकृति प्रदान की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ । सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा महेश्वर-(आसूखेडी) -मंडलेश्वर में डे-शेल्टर, घाट का विकास एवं सौन्दर्यीकरण, जन सुविधा,पीने के पानी की सुविधा, रेलिंग सूचना पटल आदि के कार्यो हेतु राशि रू. 98.00लाख स्वीकृत है । उक्त कार्य प्रगति पर है तथा राज्य शासन के बजट वर्ष 2013-14में संपत्तियों के नवीनीकरण/अनुरक्षण मद में स्वीकृत राशि रू. 58.00 लाख से महेश्वर में स्थित निगम की होटल इकाई में 04 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य किया जा रहा है । (ख) उत्तरांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

महेश्वर में निमाड़ उत्सव का आयोजन

28. **(क्र. 320) श्री मेव राजकुमार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) संस्कृति विभाग द्वारा खरगोन जिले के महेश्वर में निमाड़ उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है, प्रतिवर्ष कितना बजट का प्रावधान किया जाकर उसके अनुपात में कितना आवंटन उपलब्ध कराया गया है ? वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निमाड़ उत्सव के आयोजन के तहत कौन-कौन से कार्यों पर कितनी-कितनी राशि का एवं किसको भुगतान किया गया ? उक्त कार्यों को करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? (ख) निमाड़ उत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग एवं अन्य कौन-कौन सी विभाग एवं संस्थाओं के साथ मिलकर इस उत्सव का आयोजन करती है ? (ग) निमाड़ उत्सव के आयोजन हेतु क्या किसी प्रकार की समिति का गठन किया गया है अथवा स्वंय विभाग इस उत्सव का क्रियान्वयन कार्यक्रमों का चयन, प्रतिभागियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है ? यदि समिति का गठन किया गया है तो इसमें कौन-कौन सी संस्थाएं, पदाधिकारी एवं विभाग अथवा जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है ? (घ) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निमाड़ उत्सव के आयोजन की रूप रेखा तैयार किये जाने हेतु शासन स्तर, जिला स्तर एवं स्थानीय स्तर पर कोई बैठक का आयोजन किया गया ? यदि किया गया है तो इसमें किन-किन पदाधिकारियों एवं संस्थाओं, विभागों को आमंत्रित किया गया ? बैठक कार्यवाही विवरण उपलब्ध कराई जावे ? क्या बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निमाड़ उत्सव का आयोजन किया गया ? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) वर्ष 1994 - समारोह के स्वरूप एवं आवश्यकतानुसार वर्ष 2013-14 में आयोजन नही हुआ है. वर्ष 2014-15 के आयोजन पर अब तक कुल राशि रूपये 9,01,500/- का व्यय है, जिसमे आमंत्रित कलाकारों को रूपये 5,97,500/- एवं व्यवस्था पर रूपये 30,4000/- है. विवरण परिशिष्ट “अ” अनुसार. (ख) निमाड उत्सव पूर्णत: संस्कृति विभाग का ही आयोजन है. अन्य विभाग अपनी सुविधानुसार उत्सव से जुड़ते रहे है. (ग) उत्सव की परिकल्पना एवं क्रियान्वयन विभाग द्वारा. प्रश्न का औचित्य नहीं.(घ) वर्ष 2013-14 प्रश्नांश “क” अनुसार एवं वर्ष 2014-15 प्रश्नांश “ग” अनुसार. प्रश्न का औचित्य नहीं.

परिशिष्ट- "पंद्रह"

समयमान वेतनमान में विसंगति

29. **(क्र. 351) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा किन-किन पदों के वेतनमानों का उन्नयन ब्रहमस्वरूप समिति अनुशंसानुसार एवं पृथक से 1 जनवरी 2006 के पश्चात् किया गया है ? सूची उपलब्ध करावें ? (ख) क्या वेतन उन्नयन पश्चात् इन पदों के कर्मचारियों का निर्धारित समयावधि पश्चात समयमान वेतनमान की पात्रता है ? (ग) क्या ऐसे उन्नयन प्राप्त कर्मचारियों का

10, 20 व 30 वर्ष पश्चात् समयमान वेतनमान में वेतनमान एक जैसी रीति से किया जाता है, अर्थात् ब्रह्मस्वरूप एवं अन्य वेतनमान उन्नयन प्राप्त करने वालों को समयमान पर वेतनबंध में वेतन का तीन प्रतिशत की वेतनवृद्धि दी जा रही है ? यदि नहीं तो ऐसी विसंगति का कारण क्या है ? इसे कब दूर किया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे अभिलेख अनुसार है । (ख) जी हां । मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक /एफ-11/1/2008/नियम /चार दिनांक 24 जनवरी 2008 की कंडिका 11 में इस संबंध में व्यवस्था है । (ग) जी हां । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता ।

करोड़ो की बकाया खनिज रॉयल्टी

30. **(क्र. 369) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1810, दिनांक 8 जुलाई 2014 के उत्तर में बताया गया कि खनिज रॉयल्टी के रूप में ठेकेदारों से करोड़ो की रॉयल्टी लेना शेष है, उनकी प्रश्न दिनांक तक अद्‌यतन स्थिति क्या है ? (ख) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिली भगत से लगातार विधान सभा में प्रश्नों के माध्यम से विभाग का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद राशि न वसूलना अधिकारी की लापरवाही को दर्शाता है ? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है जानकारी दें ? (ग) रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में 1 जनवरी 2013 के पश्चात् खनिज हेतु कितने ठेकेदारों को रॉयल्टी दी गई, तथा उनसे कितनी राशि वसूली गई, तथा कितनों से कितनी राशि वसूलना शेष है ? (घ) खनिज विभाग में उज्जैन संभाग में खनिज विभाग के कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करावें तथा बताएं कि कितने खनिज अधिकारियों के खिलाफ कितनी भ्रष्टाचार की शिकायत विभाग के पास लंबित है व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । प्रश्नांश के उत्तर में यह बताया गया कि रतलाम जिले में प्रश्नानुसार कोई राशिबकाया नहीं है । जिला मंदसौर में रूपये 9589338/- की राशि बकाया बताई गयी थी, जिसमें से रूपये 5645245/- की राशि जमा कराई जा चुकी है । शेष राशि रूपये 3518103/- लोक निर्माणविभाग द्‌वारा तथा रूपये 426000/- नगर पालिका मंदसौर द्‌वारा ठेकेदारों के बिलों से काटी जा चुकी है । परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्‌वारा पारित आदेशों के संबंध में यह राशि खनिज विभागके मद में जमा नहीं कराई गई है । जिला नीमच में रूपये 31054647/- की बकाया वसूली हेतुआर.आर.सी. जारी होने का लेख प्रश्नांश में किया गया था । इस राशि की वसूली वर्तमान में नहीं होसकी है । (ख) जी नहीं । विभाग द्‌वारा राशि वसूल किये जाने की कार्यवाही जिला मंदसौर में कीगयी है । जिला नीमच में बकाया वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई है । (ग) खनिज हेतु प्रचलितनियम अधिनियम में ठेकेदारों को रायल्टी दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः प्रश्न उपस्थितनहीं होता । (घ) विभागीय सेटअप अनुसार उज्जैन संभाग में खनिज विभाग में कार्यरत एवं रिक्तपदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट-अ में दर्शित है । उज्जैन संभाग में खनिजअधिकारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायत एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय मेंरखे संलग्न परिशिष्ट-ब में दर्शित है ।

अफीम फसल का नुकसान

31. **(क्र. 370) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में प्रतिवर्ष कितने पट्टे अफीम की खेती हेतु केंद्र शासन द्‌वारा प्रदान किए जाते है, क्या इस संबंध में केंद्र शासन, राज्य शासन, कृषि विभाग को जानकारी प्रदान करता है ? यदि नहीं, तो अफीम

की खेती हेतु राज्य शासन, केन्द्र शासन का कोई अनुबंध है, यदि हां, तो प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं ? (ख) क्या प्रदेश के अफीम कृषकों के लिए अफीम की खेती की पैदावार को लेकर राज्य शासन ने कोई कार्यशाला को आयोजन किया है ? यदि हां, तो अवगत करावें ? (ग) वर्ष 2013-14 में पाला एवं ओला गिरने से अफीम फसल नष्ट होने पर मुआवजें की मांग को लेकर कितने पत्र एवं ज्ञापन जिला कलेक्टर विभाग, कृषि विभाग एवं माननीय मंत्रीजी के समक्ष प्राप्त हुए ? (घ) क्या 2013-14 में पाला एवं ओले गिरने से अफीम की फसल नष्ट होने के संबंध में राज्य शासन ने केंद्र शासन से मुआवजें हेतु मांग की है, यदि हां, तो पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं तथा बताएं कि आगामी वर्षों में अफीम की फसलों को भी राज्य शासन के मुआवजे में शामिल करने हेतु कोई नीति बनाई जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिले में अफीम की खेती हेतु केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 में जिलावार क्रमशः 776, 15635 एवं 9353 पट्टे कृषकों को प्रदान किये गये थे। इस संबंध मे नारकोटिक्स विभाग अफीम काश्तकारों की संख्या, रकबा, ग्रामो की संख्या की जानकारी आबकारी विभाग के मांगने पर प्रदान करता है । शेष प्रश्नांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है । (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है । (ग) कार्यालय कलेक्टर, जिला रतलाम से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2013-14 में पाला एवं ओला गिरने से अफीम फसल नष्ट होने पर मुआवजे की मांग को लेकर कार्यालय कलेक्टर, जिला रतलाम में कोई पत्र या ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है । कलेक्टर जिला मन्दसौर एवं कलेक्टर जिला नीमच से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2013-14 मे पाला एवं ओला गिरने से अफीम फसल नष्ट होने पर मुआवजे की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय (भू-अभिलेख शाखा) में जिलावार क्रमशः 38 एवं 12 आवेदन पत्र@ज्ञापन प्राप्त हुये हैं। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है । (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>कटनी जिले में अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही</u>

32. **(क्र. 401) श्री कुंवर सौरभ सिंह :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) वर्ष 2013-14 में जिला कटनी, तहसील विजयराघवगढ़ अंतर्गत ग्राम घुनौर से रेत उत्खनन की निर्धारित मात्रा क्या थी ? (ख) क्या शिवा कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक उत्खनन किया गया है ? यदि किया गया है तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ? (ग) रेत उत्खनन से पानी में हुये गहरीकरण में कुल कितने इंसानों व जानवरों की मौत हो चुकी है ? यदि हुई है तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं की गई तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नाधीन ग्राम में खनन योजना के अनुसार 142500 घनमीटर रेत कीमात्रा निर्धारित थी । (ख) जी नहीं । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>सिंचाई उद्वहन योजनाओ से सिंचाई कृषकों को सिंचाई सुविधा दी जाना</u>

33. **(क्र. 421) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) रीवा जिला अन्तर्गत-गोदहा, पटेहरा, मोहरा, गाढ़ा, बरौली, जवा, चांदी, सिंचाई उद्वहन योजना क्या संचालित हैं ? यदि

हां,तो क्या इन योजनाओं से कृषको को सिंचाई सुविधा दी जा रही है ? यदि नहीं तो कृपया कारण बताये ? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में -सिंचाई उद्वहन योजना से कृषको को कृषि हेतु विगत तीन वर्षो से सिंचाई हेतु किन-किन योजनाओं में कितने ग्रामों के लिये कितने-कितने रकबे में सिंचाई सुविधा दी गई ? (ग) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में- उपरोक्त योजनाओं में फसल रबी 2014 के लिये क्या सिंचाई हेतु जल प्रदाय किया जायेगा ? यदि हां,तो किस नियम शर्त के तहत बताये ? उपरोक्त सभी योजनाओं में लगभग 15 वर्षो से योजना के शीर्ष भाग 1 किमी. (एक या दो ग्रामों में) आंशिक रकबो की सिंचाई हुई थी योजना का कमाण्ड एरियॉ 90 प्रतिशत असिचिंत रहता है ? समस्त कमाण्ड एरिया के कृषको से एडवासं विद्युत बिल की मॉग किये जाने का क्या औचित्य है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं, बंद है । परियोजनाओं के सैच्य क्षेत्र के कृषकों द्वारा विद्युत शुल्क के लिए अंशदान जमा नहीं कराने के कारण विद्युत प्रवाह विच्छेदित होने से । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"क" अनुसार है । (ग) परियोजनाओं का विद्युत कनेक्शन सैच्य क्षेत्र के कृषकों द्वारा विद्युत शुल्क के अंशदान जमा कराने पर निर्भर है । गोदहा एवं चांदी परियोजना में अंशदान जमा कराया जाने से इनमें विद्युत कनेक्शन के लिए अनुमति जारी की गई है । निर्देश पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ख" अनुसार है । प्रत्येक परियोजना का पूर्ण रूपांकित सैच्य क्षेत्र सिंचित करना आवश्यक होने से ।

मुख्यमंत्री सहायता योजना के अंतर्गत राशि की स्वीकृति

34. **(क्र. 431) श्री के.पी. सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) शिवपुरी जिले से विगत एक वर्ष में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक सहायता एवं बीमारी के उपचार हेतु कितने आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं ? (ख) मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से कितने लोगों को, कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई ? कितने आवेदन वर्तमान में लंबित हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) प्रश्नांश अवधि दिनांक 01-11-2013 से 20-11-2014 तक कुल 67 आवेदन पत्र प्राप्त हुए । (ख) वर्ष 2013-14 में 86 अनुदानग्रहिताओं को कुल राशि रूपये- 21,70,000/- एवं वित्तीय वर्ष 01-04-2014 से 20-11-2014 तक 26 अनुदानग्रहिताओं को राशि रूपये- 7,15,000/- वितरित की गई । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

होटल टूरिस्ट विलेज, शिवपुरी की शिकायतों पर कार्यवाही

35. **(क्र. 432) श्री के.पी. सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) शिवपुरी जिला मुख्यालय पर स्थित होटल टूरिस्ट विलेज का वर्ष 2010 से 2014 तक का वर्षवार आय-व्यय का ब्यौरा दें ? (ख) उक्त होटल में स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी सहित वर्तमान में पदस्थ अमले की नामवार जानकारी दें ? (ग) क्या यह सत्य है कि होटल टूरिस्ट विलेज शिवपुरी में भोजन खराब मिलने एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में विभाग एवं शासन को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि जॉच कराई गई है तो जॉच निष्कर्ष से अवगत करावें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" पर है । (ख) मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम में होटलवार पदों की स्वीकृति नहीं है । वर्तमान पदस्थ अमले की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "दो" पर है । (ग) जी नहीं वर्ष २०१० से अब तक विभाग एवं शासन को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट- "सोलह"

अस्थाई विद्युत कनेक्शन की जानकारी

36. **(क्र. 459) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में कितने सिंचाई हेतु अस्थाई विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है ? (ख) विभाग द्वारा कितने अस्थाई विद्युत कनेक्शन तीन एवं चार माह हेतु प्रदान किये गये हैं ? 02 से 10 हार्स पावर के अलग-अलग कनेक्शनों की जानकारी देवें ? (ग) यदि तीन माह के अस्थाई कनेक्शनों की संख्या कम है तो क्यों ? कारण सहित बतायें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्रांर्गत ग्रामों में 1747 अस्थायी कनेक्शन की स्वीकृति पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी गई है । (ख) कंपनी द्वारा 02 हॉर्स पावर से 10 हार्स पावर तक के अस्थायी कनेक्शन निम्न अवधि के लिए प्रदान किए गए है:-

2 हा. पा.			3 हा. पा.			5 हा. पा.			7.5 हा. पा.			10 हा. पा.			योग
3 माह	4 माह	4 माह से अधिक	3 माह	4 माह	4 माह से अधिक	3 माह	4 माह	4 माह से अधिक	3 माह	4 माह	4 माह से अधिक	3 माह	4 माह	4 माह से अधिक	
27	285	-	410	939	27	12	17	-	4	12	7	2	4	1	1747

(ग) आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर ही जितने माह हेतु कनेक्शन की मांग की गई थी, उतने माह के कनेक्शन जारी किए गए हैं ।

नवगठित नगर पालिका क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जाना

37. **(क्र. 460) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) नगर पालिका क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय खोलने हेतु शासन की कोई योजना है ? (ख) यदि हां, तो क्या नव गठित नगर पालिका क्षेत्र मकरोनिया बुजुर्ग में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग ने कोई कार्यवाही की है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों यदि हां, तो शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण सहित की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ? समय-सीमा बतायें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं। (ख) "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में गुणवत्ता, विकास एवं सुदृढीकरण का कार्य किया जा रहा है । अतः मकरोनिया बुजुर्ग में शासकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने में अभी कठिनाई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अवैध शराब की जप्ती

38. **(क्र. 471) श्रीमती नीना वर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सच है कि झाबुआ जिले में अक्टूबर, 2014 में पुलिस विभाग द्वारा अवैध शराब परिवहन करते हुए ट्रक जप्त किया गया था ? यदि हां, तो अवैध शराब की कितनी पेटियां थीं, तथा किस कम्पनी की थीं ? (ख) क्या ट्रक जप्ती के उपरांत ड्रायवर सहित गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की गई ? क्या ड्रायवर ने शराब माफिया का नाम, जो शराब का अवैध परिवहन कराने में लिप्त था, पुलिस को अपने बयान में बतलाया था ? (ग) यदि हां, तो जांचकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर से क्या कार्यवाही की गई ? अभी तक जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है, उसे तथा जो व्यक्ति इस अवैध शराब परिवहन में लिप्त हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ? तथा आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) :(क) जी हां **।** झाबुआ जिले में पुलिस विभाग द्वारा माह अक्टूबर, 2014 में अवैध शराब परिवहन करते हुए ट्रक जप्त किया गया था, जिसमें ओएसिस डिस्टलरी बोराली थाना बदनावर जिला धार की कुल 1200 पेटी जप्त की गई थी, जिसमें 845 पेटी कैस गैन ऑरेन्ज कम्पनी नाम की व्हिस्की तथा 355 पेटी जीन कैस गैन कम्पनी की थी। (ख) जी हां । ट्रक जप्ती के उपरांत ट्रक ड्राईवर अफसर अली पिता नवाब अली उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सागौर थाना सागौर, जिला धार जो ट्रक का मालिक भी है, से पूछताछ में उसने अवैध मदिरा परिवहन में लिप्त अशोक शुक्ला पिता किशनलाल शुक्ला उम्र 50 वर्ष निवासी 51 रामकृष्ण नगर झाबुआ, महेश जायसवाल तथा राजेश राव का नाम बताया था। (ग) जी हां। जांचकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा अशोक शुक्ला पिता किशनलाल शुक्ला, आयु 50 वर्ष, निवासी 51, रामकृष्ण नगर, झाबुआ को दिनांक 06.10.2014 को गिरफ्तार किया गया था । महेश जायसवाल एवं राजेश राव की तलाश करने पर नहीं मिले हैं। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है तथा प्रकरण में अनुसंधान जारी है ।

डिप्टी कमिश्नर के मकान पर छापा डालकर जांच की जाना

39. **(क्र. 472) श्रीमती नीना वर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सच है कि इंदौर लोकायुक्त पुलिस द्वारा अक्टूबर, 2014 को आबकारी विभाग ने इंदौर में पदस्थ डिप्टी कमिश्नर जामौद के मकान पर छापा डालकर जांच की गई थी ? (ख) यदि हां, तो छापे के दौरान आय से अधिक कुल कितनी सम्पत्ति जप्ती में ली गई, कृपया बतायें ? (ग) क्या उक्त अधिकारी धार जिले का निवासी होकर धार, झाबुआ एवं इंदौर में अधिक समय से पदस्थ रहा है, तथा वर्तमान में उसे इंदौर से अन्यत्र किया गया है या नहीं, तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है, कृपया बतावें ? (घ) क्या उक्त अधिकारी को धार नगर में शराब माफिया, जिसका पूर्व में धार एवं झाबुआ जिले में शराब के ठेके थे, द्वारा गुजरात अवैध परिवहन में मदद करने के बदले में मकान दिया गया था ? क्या उक्त मकान को राजसात किया गया है या नहीं ? कृपया बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हां। (ख) प्रकरण अभी विवेचना में होने से आय-व्यय/संपत्ति का आंकलन नहीं किया गया है । (ग) श्री नवल सिंह जामौद का गृह जिला तहसील कुक्षी, जिला धार है । श्री जामौद दिनांक 31/07/2003 से 06/02/2005 तक सहायक आयुक्त, आबकारी झाबुआ के पद पर, दिनांक 07/02/2005 से 14/05/2006 तक सहायक आयुक्त, आबकारी इंदौर के पद पर तथा दिनांक 10/09/2013 से दिनांक 22/11/2014 तक उपायुक्त, आबकारी संभाग इंदौर में पदस्थ रहे। श्री जामौद के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन में प्रकरण पंजीबद्ध

होने पर उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 23/02/2012 के अनुक्रम में वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश दिनांक 05/11/2014 द्वारा संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय, इंदौर से स्थानांतरित कर आबकारी आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर में पदस्थ किया गया है । (घ) उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

विद्युत फीडर सेपरेशन के कार्य में अनियमितता

40. **(क्र. 481) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विद्युत संभाग पिपरिया, जिला होशंगाबाद के अंतर्गत (कृषि हेतु) विद्युत प्रदान किये जाने हेतु फीडर सेपरेशन का वर्तमान में कार्य चल रहा है इसके पूर्णत: की क्या तिथि है ? (ख) विद्युत संभाग पिपरिया, जिला होशंगाबाद अंतर्गत किन-किन फीडरों का सेपरेशन कार्य पूर्ण हो चुका है ? कितने ट्रांसफार्मर रखे गये है ? फीडरवार संख्या बतायें (ग) चॉदोन वितरण केन्द्र एवं सांडिया वितरण केन्द्र में कितने ट्रांसफार्मर रखे गये हैं, तथा इससे कितने उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया है ? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य अभियंता म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. मध्यक्षेत्र भोपाल को पत्र क्र. 502/R दिनांक 28.10.14 को विद्युत ठेकेदार द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में पत्र लिखा था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) जी हाँ । इसके कार्य पूर्ण की संभावित तिथि 31.03.2015 है । (ख) संचा-संधा संभाग पिपरिया के अन्तर्गत 56 फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 2553 ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है । (ग) चांदोन एवं सांडिया वितरण केन्द्र के अन्तर्गत 32 फीडरों पर 1295 ट्रांसफार्मर लगाये गए हैं, इससे 3874 उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है । (घ) जी हाँ । मुख्य अभियंता म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., मध्यक्षेत्र भोपाल को पत्र क्र. 502/R दिनांक 28.10.2014 प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में मुख्य अभियंता (भो.क्षे.) भोपाल द्वारा महाप्रबंधक (संचा-संधा) होशंगाबाद एवं उप महाप्रबंधक (संचा-संधा) पिपरिया से जांच करायी गई। जांच में पाया गया कि कृषि फीडर के विद्यमान पंप उपभोक्ताओं के निम्नदाब लाईन का लाईन लॉस कम करने के लिए उच्चदाब वितरण प्रणाली (एच.व्ही.डी.एस.) करने हेतु परियोजना का अवार्ड मेसर्स फेडर्स लॉयड कार्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली को दिया गया है । चूंकि परियोजना विद्यमान कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए निम्नदाब से उच्चदाब लाईन में परिवर्तित करने हेतु एवं लाईन लॉस कम करने हेतु क्रियान्वित की जा रही है, इससे किसी विशिष्ट उपभोक्ता को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है । ग्राम सोहजरी धारपुरा फीडर विद्युत उपकेन्द्र सांडिया के अन्तर्गत नदी किनारे कृषक ढालसिंह पटेल के कनेक्शन पर ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाया गया, अत: उनको लाभान्वित किये जाने संबंधी शिकायत असत्य पायी गई। मुख्य अभियंता (भो.क्षे.) द्वारा उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी माननीय विधायक महोदय को पत्र क्र. 653 दिनांक 29.11.2014 के द्वारा दी गई है । पत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है ।

आनलाईन ई-रिटेल व्यवसाय के कारण राजस्व का नुकसान

41. **(क्र. 491) श्री अशोक रोहाणी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) आनलाईन ई-रिटेल व्यवसाय के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन को कितने राजस्व का नुकसान हो रहा है ? (ख) आनलाईन ई-रिटेल व्यवसाय के फलस्वरूप स्थानीय व्यापारियों के कारोबार पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए क्या शासन कोई योजना बना रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) :(क) ऑन लाईन ई-रिटेल व्यवसाय में अन्य राज्यों के विक्रेता व्यवसाईयों के द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को माल का विक्रय किया जाता है । इस प्रकार के संव्यहार अंतर्राज्यीय विक्रय के अंतर्गत आते हैं तथा ऐसे संव्यवहार पर विक्रेता व्यवसाई के द्वारा उसी राज्य में केन्द्रीय विक्रय कर के भुगतान का दायित्व आता है । ऐसे संव्यवहार अंतर्राज्यीय होने तथा क्रेता उपभोक्ता होने से, इन पर उपभोक्ता के राज्य के कर का दायित्व नहीं आता है । व्यवसाईयों द्वारा विभाग में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणपत्रों में ऑनलाईन ई-रिटेल व्यवसाय के संबंध में पृथक से कोई जानकारी नहीं दी जाती है, इसलिये विभाग के पास ऐसा कोई आधार उपलब्ध नहीं है, जिससे ऑनलाईन ई-रिटेल व्यवसाय के फलस्वरूप पृथक से कर राजस्व का आंकलन किया जा सके । (ख) विभाग द्वारा अन्य राज्यों द्वारा ऑनलाईन ई-रिटेल व्यवसाय के संबंध में बनाए गए नियम/प्रावधानों का परीक्षण कराकर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।

लंबित कार्यों को पूर्ण किया जाना

42. **(क्र. 498) श्री मधु भगत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम चांगोटोला लामता में विद्युत पावर हाउस निर्माण कार्य विगत 10 वर्ष से लंबित है ? (ख) क्या उक्त योजना के लिये लगभग 36 करोड़ रूपये की लागत प्रस्तावित की गई थी ? (ग) उक्त पावर हाउस का निर्माण कब तक कर लिया जावेगा ? समय-सीमा बतावें और यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या यह सही है कि मसान टोन सिंचाई परियोजना जिला सिवनी विगत 20 वर्षों से लंबित है ? उक्त परियोजना का 20 करोड़ रूपये स्वीकृति के साथ शिलान्यास किया था ? इस परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विभाग मे उपलब्ध जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र परसवाडा ग्राम चांगोटोला लामता मे किसी भी विद्युत गृह का निर्माण प्रस्तावित नहीं है । अत: निर्माण कार्य लंबित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिपेक्ष्य में निरंक। (घ) जल संसाधन विभाग अंतर्गत तत्समय सर्वेक्षणाधीन मसान टोंग परियोजना का शिलान्यास वर्ष 2003 में किया जाना प्रतिवेदित है । परियोजना के सर्वेक्षण उपरांत परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्डों पर असाध्य पाई गई है । अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है ।

सिवनी जिले में अटल ज्योति व राजीव गांधी विद्युतीकरण

43. **(क्र. 511) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) सिवनी जिले में दिनांक 1.1.2010 से प्रश्न दिनांक तक कितने ग्राम 10 वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से लाभान्वित हुए है? विधानसभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक ग्रामों की संख्या देवें ? (ख) उक्त राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सिवनी जिले हेतु कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई ? तथा कार्य करने वाले संबधित ठेकेदार के नाम बताएँ ? योजना की स्वीकृति दिनांक तथा कार्य पूर्णता दिनांक का भी उल्लेख करें ? (ग) राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिए गए हैं तथा कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना शेष है ? समय सीमा बताएँ ? (घ) निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों एवं इसकी अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक होगी ? समय-सीमा बताएं ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिवनी जिले में दिनांक 01.01.2010 से प्रश्न दिनांक तक 10वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से 787 ग्राम लाभांवित हुए है । विधानसभा क्षेत्रवार ग्रामों की संख्या परिशिष्ट पर संलग्न है । (ख) सिवनी जिले की 10वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु दिनांक 02.01.2006 को रू.63.73 करोड़ की राशि की स्वीकृति तथा रू.75.02 करोड़ की राशि की पुनरीक्षित स्वीकृति दिनांक 14.03.2009 को प्राप्त हुई। उक्त योजनांतर्गत सिवनी जिले में ठेकेदार मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद, मेसर्स मॉयटास इंण्डिया प्रा. लिमि., हैदराबाद तथा मेसर्स यूबीटेक प्रा. लिमि., फरीदाबाद द्वारा कार्य किया गया । सिवनी जिले में 10वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति दिनांक 02.01.2006 एवं कार्य पूर्णता की दिनांक 22.04.2014 है ।(ग) सिवनी जिले की 10वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत प्रथम जारी अवार्ड की दिनांक 30.09.06 से योजना समाप्ति तक कुल 1568 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर 1756 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये है तथा योजना में स्वीकृत कोई भी कार्य योग्य ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है अत: इस बाबत् समय-सीमा बताये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । (घ) निर्धारित अवधि में कार्यपूर्ण न करने वाले संबंधित ठेकेदारों से अनुबंध की शर्तो एवं प्रावधानों के अनुरूप प्रश्न दिनांक तक 5 प्रतिशत लिक्विडिटेड डैमेज के रूप में ठेकेदारों के बिल से कुल रू. 1.26 करोड़ (मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद से 0.78 करोड़ रू. एवं मेसर्स यूबीटेक प्रा. लिमि., फरीदाबाद से 0.48 करोड़ रू) की राशि वसूल की गई है । विलम्ब हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है अत: कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

परिशिष्ट- "सत्रह"

<u>तिलवाराघाट पुल से बहदन ग्राम तक सर्विस सड़क निर्माण की जांच</u>

44. **(क्र. 538) श्री तरूण भनोत :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि पाटन ब्रांच केनाल के अन्तर्गत तिलवारा पुल से ग्राम बहदन तक सर्विस रोड निर्माण का कार्य स्वीकृत हो चुका है एवं 50-50 लाख के पीस वर्क भी स्वीकृत किये गए हैं एवं विभागीय दस्तावेजों में उक्त निर्माण को पूर्ण दिखा दिया गया है ? (ख) यदि वर्णित (क) सत्य है तो वर्णित (क) के निर्माण कार्य की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है ? क्या यह सही है कि वास्तव में उक्त सर्विस रोड का निर्माण कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं किया गया है ? (ग) उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण बताकर भुगतान करने वाले अधिकारियों एवं एजेंसी पर शासन क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) पाटन ब्रांच केनाल के अंतर्गत आर.डी. 0.00 कि.मी. से आर.डी. 14.40 कि.मी. तक शाखा नहर के सर्विस बैंक पर डब्ल्यू.बी.एम.सड़क का कार्य श्री गोविन्द शर्मा ठेकेदार से अनुबंधित किया गया है । जिसकी निविदा राशि रू. 10470300.00 है । इस कार्य हेतु दिनांक 25.02.2014 को कार्यादेश दिया गया है, जिसमें कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह वर्षाकाल सहित निर्धारित है (संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार) इस कार्य हेतु 50-50 लाख के पीस वर्क जारी नहीं किये गये है । विभाग द्वारा कार्य की पूर्णता नहीं दिखाई गयी है । कार्य अभी अप्रारंभ है । (ख) ठेकेदार को इस कार्य के विरूद्ध कोई भुगतान नहीं किया गया है । कार्य अभी प्रांरभ नहीं हुआ है, जिससे संबंधित ठेकेदार को दिनांक 10.10.2014 को नोटिस दिया गया है (संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार) । (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के दृष्टिगत दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है ।

परिशिष्ट- "अठारह"

<u>**राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के कार्य**</u>

45. **(क्र. 568) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) उज्जैन संभाग में राजीव गांधी विद्युतिकरण योजनान्तर्गत किन-किन संस्थाओं कम्पनियों/ठेकेदारो को विद्युत पोल लगाने, वायरिंग एवं अन्य फिटिंग्स का कार्य दिया गया है ? (ख) उक्त कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि संस्थावार क्या थी ? जिलेवार ब्यौरा क्या है ? (ग) किन-किन संस्थाओं/कम्पनियों/ठेकेदारों के कार्यों में अनियमितता एवं समयावधि में कार्य ना करने की जांच करवाई गई ? ब्यौरा व रिपोर्ट क्या है ? (घ) अधूरे कार्य कब तक पूर्ण होंगे ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) उज्जैन संभाग में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कार्यादेश मेसर्स आई.सी.एस.ए.इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद, मेसर्स गोदरेज एण्ड बायसी कंपनी लिमिटेड, भोपाल, मेसर्स अग्रवाल पावर प्रायवेट लिमिटेड, भोपाल, मेसर्स जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर, मेसर्स जी.ई.आई.इण्डस्ट्रियल सिस्टम लिमिटेड, भोपाल, मेसर्स जी.ई.टी.पावर प्रा.लिमिटेड, चेन्नई को दिया गया है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - "अ" अनुसार है । (ग) संस्था/ठेकेदारों के कार्यों में अनियमितता की कोई शिकायत कंपनी स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है, अतः जाँच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। समयावधि में कार्य पूर्ण न कर पाने हेतु निविदा एवं कार्यादेश की शर्तों के अनुसार पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है जिसका पूर्णपालन किया जा रहा है । समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण ठेकेदारों/संस्थानों के विरूद्ध पेनल्टी वसूल की गई है । जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है । माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र महिदपुर द्वारा विधानसभा सत्र-जून-जुलाई 2014 में प्रश्न क्रमांक 3744 तथा इस प्रश्न के विरूद्ध निर्मित आश्वासन क्रमांक 640 जिसमें महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं अटल ज्योति अभियान का लाभ न मिलने का उल्लेख किया गया था, के संबंध में समिति गठित कर जाँच कराई गई एवं समिति से संतुष्टी रिर्पोट प्राप्त हुई। जाँच रिर्पोट की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है । (घ) शेष रहे कार्य माह जून 2015 तक पूर्ण किए जाने के प्रयास किए जावेंगे ।

परिशिष्ट- "उन्नीस"

<u>**उज्जैन संभाग में क्षतिग्रस्त बांध व तालाब**</u>

46. **(क्र. 569) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) उज्जैन संभाग में विगत तीन वर्षो में कौन-कौन सी बांध योजनाएं, तालाब योजनाएं जलसंसाधन विभाग द्वारा प्रारम्भ की व उनके अंतर्गत बांध व तालाब कहाँ-कहाँ निर्मित हुए ? जिलेवार ब्यौरा क्या है ? (ख) उपरोक्त अवधि में निर्मित कितने बांध व तालाब क्षतिग्रस्त हुए जिस कारण जल भंडारण न हो सका ? (ग) क्षति सुधारने पर हुआ व्यय का भुगतान किसने वहन किया ? क्या निर्माण एजेंसियों या जिम्मेदार अधिकारियों से उक्त राशि वसूली गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है । (ख) एवं (ग) निरंक शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है ।

<u>**सिंगल फेस-2 एच.पी.अस्थाई विद्युत कनेक्शन की जानकारी**</u>

47. **(क्र. 581) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुरखी अंतर्गत 01.09.2014 से प्रश्न दिनांक तक विद्युत कंपनी द्वारा किस-किस ग्राम के कितनें-कितनें किसानों को सिंचाई हेतु अस्थाई सिंगल फेस, दो एच.पी. के विद्युत कनेक्शन कितने समय के लिए

दिये गये है प्रति कनेक्शन कितनी राशि ली गई है ? (ख) क्या यह सही है कि विद्युत कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को जबरन सिंचाई हेतु अस्थाई कनेक्शन तीन वं पांच एच.पी. का दिया जा रहा है ? (ग) क्या यह भी सत्य है कि विद्युत कंपनी की मनमानी कार्यप्रणाली का विरोध किये जाने पर कंपनी के अधिकारी किसानों से अभद्र व्यवहार करते है ? जैसा कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कनिष्ठ अभियंता श्री नीरज सोनकर द्वारा ग्राम पंचायत मसुरहाई के किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है ? (घ) अभद्र व्यवहार करने के लिए दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं । दिनांक 04.10.14 को कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, सागर एवं सहायक अभियंता सागर द्वितीय उपसंभाग सिहोरा, दूरभाष पर प्राप्त अस्थायी पम्प कनेक्शन संबंधी शिकायत के निराकरण हेतु गये थे । उस समय सिहोरा वितरण केन्द्र में सरपंच ग्राम मसुरहाई एवं अन्य लगभग 20 किसान वहां पर उपस्थित थे। उक्त संबंध में कार्यपालन अभियंता(संचा/संधा) संभाग, सागर द्वारा सरपंच एवं उपस्थित सभी कृषकों को जानकारी देते हुए मौके पर ही अस्थायी पम्प कनेक्शनों की मांग अनुसार राशि जमा करने हेतु निवेदन किया गया था। जिस पर सहमति प्रकट करते हुए उपस्थित सरपंच एवं सभी कृषकों द्वारा 2-3 दिनों में राशि जमा करने का आश्वासन दिया गया था । अत: सरपंच को नियमानुसार राशि जमा करने हेतु विद्युत प्रभार सूची प्रदान की गई । मौके पर उपस्थित सरपंच अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा श्री सोनकर, कनिष्ठ अभियंता के दुर्व्यवहार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । (घ) उत्तरांश (ग) के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता ।

<u>विधान सभा सदस्यों के पत्रों के जवाब दिया जाना</u>

48. **(क्र. 592) श्रीमती प्रमिला सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किये गये हैं कि सांसदों व विधायकों के पत्रों का जवाब दिया जाना आवश्यक है ? (ख) यदि हां, तो जनहित में प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर शहडोल को लिखे गये एक भी पत्र का जवाब न दिए जाने के क्या कारण हैं ? (ग) क्या शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा हां, तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ । (ख) माननीय विधायक के पत्रो पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>शासकीय स्नातक महाविद्यालय पोरसा (मुरैना) में प्राचार्य व व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति</u>

49. **(क्र. 598) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मुरैना जिलों के शासकीय स्नातक महाविद्यालय पोरसा में प्राचार्य व व्याख्याताओं के कितने पद कब-कब से रिक्त है क्यों ? इन्हें कब तक भर लिया जावेगा वर्तमान में किन विषयों के व्याख्याताओं की पदस्थापना नहीं हुई है ? (ख) क्या यह भी सही है कि शिक्षा सत्र 2014-2015 में अगस्त माह तक अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं होने से छात्रों का अध्यापन कार्य काफी विलंब से प्रारंभ किया गया था क्यों ? नियुक्तियाँ किस

दिनांक को की गई ? (ग) क्या यह भी सही है शासकीय महाविद्यालय पोरसा में प्राचार्य के पद पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में लाइब्रेरियन को प्रभारी बनाया गया था ? उक्त अवधि में महाविद्यालय में हुए व्यय की स्वीकृति किसके द्वारा जारी की गई ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जानकारी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रक्रियाधीन है, विज्ञापन जारी किया जा चुका है । (ख) जी नहीं । महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से जारी है, अतिथि विद्वानों की नियुक्तियॉ दिनांक 05.09.2014 एवं 07.10.2014 द्वारा की गई। (ग) जी हॉ । महाविद्यालयों में शिक्षकीय सभी पद रिक्त होने के कारण लाइब्रेरियन को प्रभारी प्राचार्य का प्रभार दिया तथा उक्त अवधि में महाविद्यालय में हुये व्यय की स्वीकृति प्राचार्य के दायित्व अनुसार प्रभारी प्राचार्य द्वारा की गयी है ।

परिशिष्ट- "बीस"

अधिक बिजली बिल का प्रदाय

50. **(क्र. 606) श्री संजय उइके :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या बालाघाट जिले में विद्युत वितरण केन्द्र मोहगांव (मलाजखण्ड) के कनिष्ठ यंत्री, कंपनी के अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा माह सितम्बर 2014, अक्टूबर 2014 में विद्युत चोरी/अधिक मीटर रीडिंग की जांच हेतु दौरा किया गया है ? (ख) यदि हां तो किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किन-किन ग्रामों का, कब-कब, किस-किस दिनांक को दौरा किया गया, किन-किन उपभोक्ताओं के यहां विद्युत चोरी पकड़ी गई / अधिक मीटर रीडिंग पाई गई, पंचनामा की प्रति सहित जानकारी देवें ? (ग) क्या यह सही है कि जिन उपभोक्ताओं के यहां अधिक मीटर रीडिंग पाई गई, वह उपभोक्ता सतत रूप से बिजली बिल का भुगतान करते आ रहे थे ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) जी हां । मात्र माह सितम्बर 14 (माह अक्टूबर 14 में नहीं) के दौरान उक्त वितरण केन्द्र के कनिष्ठ यंत्री एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा मीटर रीडर द्वारा ली गयी मीटर रीडिंग के सत्यापन हेतु आकस्मिक चेकिंग की गयी थी। (ख) प्रश्नांश-क के उत्तर अनुसार आकस्मिक जांच में मीटर में अधिक रीडिंग/विद्युत चोरी के प्रकरण नहीं पाये गये, अपितु रीडिंग के सत्यापन करने में मीटर में रीडिंग कम पायी गई । अधिकारी/कर्मचारियों के नाम सहित उपभोक्तावार, दिनांकवार, ग्रामवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । चूंकि विद्युत चोरी के प्रकरण नहीं पाए गए, अत: पंचनामा बनाने का प्रश्न ही नहीं है । (ग) प्रश्नांश-ख के उत्तर के परिपेक्ष्य में लागू नहीं ।

निर्माणाधीन 220 K V का कार्य पूर्ण किया जाना

51. **(क्र. 615) श्री अरूण भीमावद :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) शाजापुर में निर्माणाधीन 220 K V उपकेंद्र का शिलान्यास कब किया गया था ? इस उपकेंद्र का कार्य कितनी समयावधि में पूर्ण होना था ? इस उप केंद्र के संपूर्ण कार्य की कुल लागत कितनी थी ? (ख) इस उपकेंद्र के कार्य का ठेका किस एजेंसी को दिया गया था ? उक्त निर्माण कार्य आज दिनांक तक क्यों पूर्ण नहीं हुआ ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? निर्माण एजेंसी या मण्डल के अधिकारी ? यदि कार्य पूर्ण करने में निर्माण एजेंसी या अधिकारी दोषी है, तो उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई ? (ग) उक्त उपकेंद्र का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) शाजापुर में निर्माणधीन 220 के.वी.उपकेन्द्र का शिलान्यास दिनांक 29.05.2013 को किया गया था। कार्यादेश की शर्तों के अनुसार मार्च 2013 से उक्त उपकेन्द्र का कार्य प्रारंभ किया जाकर 15 माह की अवधि में मई 2014 तक कार्य पूर्ण किया जाना था। इस उपकेन्द्र के संपूर्ण कार्य की कुल लागत राशि रूपये 3592.32 लाख स्वीकृत है । (ख) उपकेन्द्र के कार्य का ठेका मेसर्स श्रीम इलेक्ट्रिक लिमिटेड जयसिंहपुर जिला कोल्हापुर को जारी किया गया है । निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में विलंब किए जाने के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका है । निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में विलंब हेतु, कार्यादेश में शास्ति का प्रावधान अधिरोपित है जिसके अनुसार अधिकतम शास्ति दर 10% की शास्ति राशि ठेकेदार के बिलों से काटी जा सकती है । (ग) उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य माह मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है ।

पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण-पत्र के नियम

52. **(क्र. 621) श्री लाखन सिंह यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) पंचायत निर्वाचन के लिये अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण किया गया है । इसके लिये जाति प्रमाण-पत्र के लिये क्या म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. के बाहर के प्रदेशों के लिये कोई उक्त जातियों की महिलायें जो अन्य प्रदेशों में जन्मी थी किन्तु उनकी शादी म.प्र. में निवासरत व्यक्तियों के साथ हुई है उनका जाति प्रमाण पत्र उनके जन्म स्थान, पिता के यहाँ से बनेगा, ऐसा म.प्र. के सभी अधिकारी आवेदकों को नियमों का हवाला देकर वापिस करते हैं । किन्तु अन्य प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अधिकारी उन महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र बनाने से इन्कार कर रहे हैं ? इस बावत क्या म.प्र. सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों को जाति प्रमाण पत्र बनाने बावत् कोई आदेश जारी किया है ? यदि हाँ तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) यदि नहीं तो उन प्रदेशों के अधिकारी म.प्र. में निवासरत महिलायें जिनका उन प्रदेशों में न वोटर कार्ड न राशन कार्ड न कोई अन्य दस्तावेज फिर किस आधार पर उन प्रदेशों से वहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ । भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में पारित निर्णयानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति (महिलाएं भी) , राष्ट्रपतिजी द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवृजन करते है तो उन्हें प्रपत्र "तीन" में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । यह जाति प्रमाण पत्र अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के लिए मान्य है, किन्तु नवीन राज्य में इस पर आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं होगी । भारत सरकार का परिपत्र दिनांक 6 अगस्त, 1984 एवं प्रपत्र "तीन" पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'एक'एवं 'दो' पर है । (ख) जाति प्रमाण पत्र संबंधित के पैतृक रिकार्ड के आधार पर जारी किये जाते है । अत: ऐसी महिलाओं के मूल राज्यों में उक्त आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा सकते है ।

ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य

53. **(क्र. 625) श्री लाखन सिंह यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) परि अता. प्रश्न क्र. 87 (क्र. 3400) दिनांक 15 जुलाई, 2014 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया था कि ग्राम तोड़ा (बडेराभारस) बनवार, सहारन, ऐराया आदि गांवों का विद्युतीकरण कार्य राशि प्राप्त होने पर किया जा सकेगा, अभी तक कार्य न होने का क्या कारण है ? अब कब तक विद्युतीकरण कार्य कराकर गरीब अनु. जाति, अनु. जनजाति वर्ग के मजदूरों को विद्युत उपलब्ध करा दी जावेगी, एक निश्चित समय-सीमा

स्पष्ट करें ? (ख) अभी तक इस विद्युतीकरण कार्य में लापरवाही के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है ? उनके प्रति क्या कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित स्पष्ट करें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) जी हाँ । अता. प्रश्न क्रमांक 87 (क्रमांक 3400) में उल्लेखित राशि संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं हुई तथापि उक्त ग्रामों को 11 वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं फीडर विभक्तिकरण योजना में सम्मिलित कर विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है जिसमें ग्राम तोड़ा एवं ऐराया के विद्युतीकरण का कार्य माह जुलाई 2015 तक, ग्राम वनवार का कार्य दिसम्बर 2014 तक तथा ग्राम सहारन के विद्युतीकरण का कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है । (ख) उत्तरांश **क** में उल्लेखित ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य में विलंब सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग (कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर) द्वारा ग्रामों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु फंड उपलब्ध न कराये जाने के कारण हुआ है । अत: विलंब के लिये कंपनी का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । इसलिये कोई दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है । शेष प्रश्नांश लागू नहीं ।

<u>क्षेत्रांतर्गत जल आवर्धन योजनाओं से प्रभावित कृषक</u>

54. **(क्र. 629) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी जल आवर्धन योजनायें स्वीकृत है ? इनमें से कितनी संचालित है एवं संचालित योजनाओं से कितना क्षेत्र सिंचित है ? सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हेतु शासन किन-किन योजनाओं पर कार्य कर रहा है ? (ख) उक्तानुसार प्रश्नांश (क) में संचालित योजनाओं एवं स्वीकृत योजनाओं से प्रभावित कृषकों के पुनर्वास एवं अनुदान वितरण की क्या प्रक्रिया है ? (ग) विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रभावित कृषकों के पुनर्वास एवं अनुदान वितरण की क्या स्थिति है एवं कितने अनुदान प्रकरण लंबित है क्या लंबित अनुदान प्रकरणों का निराकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जाने की अंतिम समय-सीमा शासन द्वारा तय की गई है ? यदि हां, तो कब तक ? (घ) लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु तय समय-सीमा के बाद भी निराकरण न होने के लिए दोषियों पर कार्यवाही की जाकर प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) :(क) जानकारी परिशिष्ट-'क' अनुसार है । कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दी गई है, जिससे सुसनेर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 50 हजार हेक्टर भूमि में सिंचाई होना संभावित है । (ख) एवं (ग) भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजा भुगतान एवं राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत डूब प्रभावित कृषकों को लाभ दिए गए हैं । पुनर्वास लाभ दिए जा चुके हैं और कोई प्रकरण लंबित नहीं है । शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट- "इक्कीस"

<u>फीडर विभक्तिकरण योजना का कार्य बंद होने से विद्युत आपूर्ति न होना</u>

55. **(क्र. 644) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण तथा कितने ग्रामों में कार्य अपूर्ण है ? कार्य पूर्ण किये जाने कि लिये क्या समयावधि निर्धारित है, तथा

निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किये जाने हेतु विभाग द्वारा कया-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत उक्त योजना का कार्य विगत 06 माह से बंद पड़ा हुआ है ? जिससे शासन की घोषणा अनुसार 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति की योजना पर पलीता लग गया है ? (ग) क्या यह भी सही कि परि.अता. प्रश्न क्रमांक 3759 दिनांक 15 जुलाई 2014 के उत्तर की कंडिका (ग) में माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया था कि योजनांतर्गत गारंटी अवधि में जले/खराब 19 ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलने हेतु ठेकेदार एजेन्सी द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2014 तक का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सभी जले/खराब ट्रांसफार्मरों को कब-कब बदला गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिपेक्ष्य में विगत 06 माह से योजना का कार्य बंद रहने एवं निर्धारित दिनांक तक जले/खराब ट्रांसफार्मरों को नहीं बदलने के लिये कौन-कौन दोषी है ? शासन द्वारा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत योजना प्रारंभ दि. 09.08.2011 से प्रश्न दि. 18.11.2014 तक 264 ग्रामों में से 112 ग्रामों में कार्य पूर्ण कर दिया गया है । शेष 152 ग्रामों में कार्य अपूर्ण है कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि फरवरी 2013 थी तथा उक्त कार्य टर्न की आधार पर मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमि. मुम्बई को आवंटित किया गया है । परन्तु उक्त एजेंसी द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । समय सीमा में कार्य पूर्ण न किये जाने पर अनुबंध अनुसार मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमि.से रू. 81.25 लाख की राशि लिक्वडेटेड डेमेज के रूप में वसूल की गई है । (ख) जी नहीं । शासन की घोषणा अनुसार गैर कृषि फीडरों पर 24 घंटे बिजली एवं कृषि फीडरों पर 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है । (ग) जी हाँ । जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिपेक्ष्य में योजना का कार्य बंद नही है एवं निर्धारित दिनांक तक जले/खराब ट्रांसफार्मर नियमानुसार बदल दिये गए है । अतएव कोई दोषी नही है । अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट- "बाईस"

<u>अवैध रूप से देशी-विदेशी मदिरा विक्रय के संबंध में कार्यवाही</u>

56. **(क्र. 655) डॉ. योगेन्द्र निर्मल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील के अंतर्गत किन-किन ठेकेदारों को कहां-कहां पर देशी/विदेशी अंग्रेजी मदिरा दुकानें खोलने हेतु किन नियमों, शर्तों के तहत लायसेंस जारी किये गये हैं ? नियम शर्तों व स्थान सहित लायसेंसी ठेकेदारों के नाम सहित जानकारी देवें ? (ख) क्या यह भी सही है कि ठेकेदारों के द्वारा निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करते हुए लाइसेंसी स्थान के अलावा भी शहरों के एवं ग्रामों के गली कूचे में अपने बिचौलियों के द्वारा खुलेआम देशी/विदेशी मदिरा बेचे जाने की संबंधित थाना क्षेत्रों एवं जिला कलेक्टर बालाघाट को कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई ? (ग) उक्त शिकायत के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या निर्धारित दुकानों के अलावा अन्य स्थानों पर शराब/मदिरा बेचने वालों के विरूद्ध विभाग कार्यवाही करेगा और क्या अवैध मदिरा बिकवाने वाले लाइसेंसी ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये उनके लाइसेंस समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील के अंतर्गत जिन लायसेंसियों को विभिन्न स्थानों पर देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लायसेंस जारी किये गये हैं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है । उक्त लायसेंस मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 9, दिनांक 09-01-2014 में उल्लेखित नियमों/शर्तो, देशी मदिरा दुकानों हेतु लायसेंस प्रारूप सी.एस. 2 में उल्लेखित एवं विदेशी मदिरा दुकानों हेतु लायसेंस

प्रारूप एफ.एल.-2 में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत जारी किये गये हैं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2, 3 एवं 4 अनुसार है । (ख) बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील के मदिरा ठेकेदारों द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए लायसेंसी स्थान के अलावा भी शहरों एवं ग्रामों के गली कूचे में अपने बिचैलियों द्वारा खुले आम देशी/विदेशी मदिरा बेचे जाने की पुलिस विभाग एवं जिला कलेक्टर जिला बालाघाट को कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । अतः जानकारी निरंक है । (ग) प्रश्नांश-ख के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

जनसुनवाई एवं सी.एम. हेल्पलाईन में धार जिले से प्राप्त शिकायतों का निराकरण

57. **(क्र. 659) श्री उमंग सिंघार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) धार जिले में जनसुनवाई में 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? उन शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया एवं कितनी शिकायतें लंबित हैं ? (ख) धार जिले से सी.एम. हेल्पलाईन पर 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? उन शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया एवं कितनी शिकायतें लंबित है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 2178 । जिन में से 1800 शिकायतों का निराकरण किया गया है । 378 शेष है (ख) 54 14 है । 3266 शिकायतों का निराकरण किया गया है । 2148 शेष है ।

कर्मचारियों का स्थानांतरण

58. **(क्र. 665) डॉ. मोहन यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) म.प्र.प.क्षे.वि.कंपनी से उज्जैन शहर की विद्युत व्यवस्था फ्रेंचाइजी में जाने की वजह से कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण कब कब किया गया ? (ख) क्या यह सही है कि 323 कर्मचारियों को उज्जैन जिले में रिक्त स्थानों पर पदस्थ नहीं करते हुए जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया, कारण सहित बतायें ? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत कितने संविदा कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से स्थानांतरण मांगे जाने के प्रकरण उज्जैन रिजन में लंबित हैं ? नाम, पद सहित बतायें ? साथ ही यह भी बतायें कि प्रकरण किस-किस दिनांक से लंबित हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) उज्जैन शहर की विद्युत वितरण व्यवस्था फ्रेंचाइजी को दिनांक 01.08.14 को सौंपी जाने के कारण शहर संभाग (पूर्व/पश्चिम) में कार्यरत 301 अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.10.2014 को जारी किये गये थे । (ख) जी,हां । प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अन्य वृत्तों में स्थानांतरित किया गया था । कर्मचारी संगठनों की मांग के परिपेक्ष्य में तथा जन प्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत, पुनर्विचार कर उक्त जारी स्थानांतरण आदेशों को निरस्त करते हुए,सभी कर्मचारियों की सेवाएं नवनिर्मित सिंहस्थ संभाग उज्जैन अथवा उज्जैन वृत्तांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापना हेतु संचारण/संधारण वृत्त उज्जैन को सौंप दी गई है । (ग) प्रशनांश "क" के परिपेक्ष्य में उज्जैन रीजन में कुल 24 संविदा कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से स्थानांतरण मांगे जाने के आवेदन लंबित हैं। नाम, पद सहित विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में संलग्न हैं ।

परिशिष्ट- "तेईस"

कर्मचारियों की नियुक्ति

59. **(क्र. 666) डॉ. मोहन यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) उज्जैन में सिहस्थ, 2016 को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत विभाग का सिंहस्थ डिवीजन खोला जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त डिवीजन में कितने अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति प्रस्तावित हैं ? (ख) क्या सिंहस्थ डिवीजन में फ्रेंचाइजी की वजह से कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित बतायें ? (ग) क्या उपरोक्त कर्मचारियों में से अनेक कर्मचारियों को पूर्व के सिंहस्थों की व्यवस्थाओं का अनुभव है एवं वह शहर की विद्युत व्यवस्था से पूर्ण रूप से परिचित है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । उक्त डिवीजन में 5 अधिकारी एवं 137 कर्मचारी कुल 142 अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का सृजन किया गया है । (ख) जी नहीं। सिंहस्थ 2016 के निर्माण कार्यों के लिए तथा सिंहस्थ मेला अवधि के दौरान निर्बाध विद्युत व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष रूप से सिंहस्थ संभाग का सृजन किया गया है । फ्रैन्चाइजी को केवल उज्जैन शहर संभागों की सीमा के अंतर्गत विद्युत व्यवस्था का कार्य सौंपा गया है । (ग) जी हॉ। सिंहस्थ संभाग में मुख्य रूप से शहर संभाग उज्जैन पूर्व/पश्चिम में पदस्थ रहे वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है एवं इनमें से अनेक कर्मचारी पूर्व में सिंहस्थ 2004 में कार्य का अनुभव रखते है ।

फीडर विभक्तिकरण योजना के क्रियान्वयन के मापदण्डों का निर्धारण

60. **(क्र. 717) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) फीडर विभक्तिकरण योजना मध्यप्रदेश में कब से संचालित है व इसके क्या-क्या उद्देश्य होकर कार्य क्रियान्वयन के क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ? (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना में ऊर्जा विभाग द्वारा कितने ग्रामों में कार्य प्रारंभ होकर किस-किस ठेकेदार/विभाग द्वारा कार्य किये जाने के आदेश दिये गये व कार्य पूर्ण होने की कितनी समय सीमा निर्धारित थी ? क्या समय सीमा में सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस हेतु कौन दोषी है व कार्य कब तक पूर्ण हो जावेंगे ? (ग) क्या योजनांतर्गत कुछ ग्राम शेष भी हैं ? यदि हां, तो उन ग्रामों में कब तक कार्य प्रारम्भ किये जावेंगे ? (घ) क्या यह भी सच है कि प्रश्नकर्ता द्वारा लगभग 20-25 बार, मोबाइल एवं पत्र द्वारा भी फीडर विभक्तिकरण योजना की जानकारी चाहने पर भी प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक जानकारी नहीं दी गई ? कारण बतावें व इस हेतु कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी होकर उनके खिलाफ कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) फीडर विभक्तिकरण योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2011 से संचालित है । इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि फीडर को अलग-अलग विभक्त कर कृषि फीडरों पर 10 घंटे एवं गैर कृषि फीडरों पर 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना उपलब्ध कराना है । योजना के क्रियान्वयन के प्रमुख मापदण्ड-ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संरचना सुदृढ़ किये जाने हेतु 11 के.व्ही.लाइन, 25 के.व्ही.ए. वितरण उपकेन्द्रों एवं ए.बी. केबल की एल.टी.लाईन का निर्माण,कार्य की गुणवत्ता के नियंत्रण हेतु प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंट तृतीय पक्ष की नियुक्ति, निर्माण के उपयोग में लाई जाने वाली प्रमुख सामग्री का परीक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में वोल्टेज सुधार एवं वितरण ट्रांसफार्मर के असफल होने की दर में कमी लाना है । (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में उक्त योजनांतर्गत प्रस्तावित 28 ग्रामों में से 25 ग्रामों में कार्य प्रारंभ किया

गया है । मैसर्स ज्योति इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी,मुम्बई को कार्यादेश दिनांक 09.08.2011 को जारी किया गया है । उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक से 18 माह की समयसीमा निर्धारित थी, जिसकी अविध फरवरी 2013 में समाप्त हो चुकी है । उक्त योजना में 28 ग्रामों में से 18 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है । 07 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है । टर्न-की कॉन्ट्रेक्टर द्वारा कार्य में विलम्ब किये जाने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार रू. 74.82 लाख की राशि लिक्विडेटेड डैमेज (पेनाल्टी) के रूप में उनके देयकों से काटी गई है । कार्य अक्टूबर 2015 तक पूर्ण होना संभावित है । (ग) जी हां। 07 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है । तथा अन्य शेष 03 ग्रामों में कार्य अप्रैल 2015 में प्रारंभ किया जाना संभावित है । (घ) प्रश्नांश में स्पष्ट नहीं है कि प्रश्नकर्ता द्वारा मोबाईल पर किस अधिकारी/कर्मचारी से फीडर विभक्तिकरण योजना की जानकारी मांगी गई थी। प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 184 दिनांक 29.09.2014 के माध्यम से जो जानकारी चाही गई थी वह महाप्रबंधक (संचा/संधा) वृत्त मुरैना के पत्र क्रमांक 5460 दिनांक 30.10.2014 के माध्यम से प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करा दी गई है । अत: इस हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है एवं किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

<u>राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के निर्धारित मापदण्ड</u>

61. **(क्र. 718) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मध्यप्रदेश में कब से संचालित है व इसके क्या-क्या उद्देश्य होकर कार्य क्रियान्वयन के क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ? (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना में ऊर्जा/ विभाग द्वारा कितने ग्रामों में कार्य प्रारंभ होकर किस-किस ठेकेदार/विभाग को कार्यादेश दिये गये व कार्य पूर्ण होने की कितनी समय सीमा निर्धारित थी ? क्या समय सीमा में सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं तो क्यों ? इस हेतु कौन दोषी है व कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगें ? (ग) क्या योजनान्तर्गत कुछ ग्राम शेष भी हैं ? यदि हां, तो उन ग्रामों में कब तक कार्य प्रारम्भ किये जावेंगे ? (घ) क्या यह भी सच है कि प्रश्नकर्ता द्वारा लगभग 20-25 बार, मोबाइल एवं पत्र द्वारा भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जानकारी चाहने पर भी प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक जानकारी नहीं दी गई ? कारण बतावें व इस हेतु कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी होकर उनके खिलाफ कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मध्य प्रदेश में वर्ष 2005 से संचालित है । इस योजना का उद्देश्य अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण, बी.पी.एल. आवासो को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना तथा आवासों तक विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराना है । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के मापदण्ड-100 या 100 से अधिक जनसंख्या के सभी अविद्युतीकृत मजरों का सघन विद्युतीकरण, सभी विद्युतीकृत ग्रामों में वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना त्रि-स्तरीय मॉनीटरिंग सिस्टम के द्वारा योजना की मॉनिटरिंग एवं राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नेटवर्क के ग्रामों में 6 से 8 घण्टे विद्युत प्रदाय की व्यवस्था आदि है । (ख) जिला मुरैना हेतु 11 वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विधानसभा क्षेत्र दिमनी हेतु स्वीकृत 72 ग्रामों में से 40 ग्रामों में कार्य प्रारंभ किया गया था। कार्यादेश मेसर्स के.ई.सी इन्टरनेशनल को दिया गया था। कार्य पूर्ण होने की सीमा 25.11.2011 निर्धारित थी। योजनांतर्गत 18 ग्रामों में कार्य पूर्ण हुए है । तथा 22 ग्रामों में कार्य प्रगति पर था। उक्त 72 ग्रामों में से 01 ग्राम का कार्य विभागीय स्तर पर एवं 07 ग्रामों का कार्य अन्य योजना (फीडर विभक्तिकरण) के अतंर्गत कराया गया है । इस प्रकार कुल 26 ग्रामों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । कार्य राजीव गांधी योजनांतर्गत क्रियान्वयन एजेंसी मेसर्स के.ई.सी. इन्टरनेशनल गुडगांव द्वारा कार्य

समयसीमा में पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अवार्ड दिनांक 23.11.2013 को निरस्त कर दिया गया है एवं रू. 23.70 करोड़ की बैंक गारंटी राजसात कर ली गई है । शेष कार्य विभागीय स्तर पर कराने हेतु विशेष प्रोजेक्ट संभाग का गठन किया गया है । कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण करने की संभावना है । (ग) जी हां । योजनांतर्गत 46 ग्रामों में कार्य शेष है । इन ग्रामों में योजनांतर्गत कार्य करने हेतु कंपनी द्वारा गठित नवीन प्रोजेक्ट संभाग द्वारा ग्रामों में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है । (घ) प्रश्नांश में स्पष्ट नहीं है कि प्रश्नकर्ता द्वारा मोबाईल पर किस अधिकारी/कर्मचारी से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जानकारी मांगी गई थी। प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 184 दिनांक 29.09.2014 के माध्यम से जो जानकारी चाही गई थी वह महाप्रबंधक (संचा-संधा) वृत्त मुरैना के पत्र क्रमांक 5460 दिनांक 30.10.2014 के माध्यम से प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कर दी गई है । अत: इस हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है एवं किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजनांतर्गत लगाएं गए मीटर के संबंध में

62. **(क्र. 755) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) श्योपुर जिला मुख्यालय पर आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजनांतर्गत योजना के प्रारंभ दिनांक से वर्तमान तक की अवधि में कितने डिजीटल मीटर गोदरेज कंपनी फर्म द्वारा लगाये गये इनकी गारंटी अवधि क्या है ? क्या विद्युत कंपनी व फर्म के मध्य ये अनुबंध है, कि गारंटी अवधि में यह मीटर खराब हो जाते है तो फर्म द्वारा उन्हें बदला जावेगा ? (ख) यदि हां, तो बतावे कि उक्त अवधि में फर्म द्वारा कितने मीटर श्योपुर शहर में लगाये गये में से कितने मीटर खराब अथवा जल कर बंद पड़े हैं कितने चालू हैं ? अनुबंधानुसार क्या बंद मीटरों को फर्म द्वारा तत्काल बदला गया यदि नहीं, तो क्यों इस हेतु कब-कब विद्युत कंपनी द्वारा फर्म को लिखे गये ? (ग) क्या यह सच है कि श्योपुर शहर में उपभोक्ताओं के लगभग 4 हजार मीटर लगाये जा चुके है में से लगभग एक हजार मीटर कुछ ही महीनों में खराब हो गये के बावजूद प्रभावित उपभोक्ताओं के मीटर फर्म द्वारा बदले नहीं जा रहे हैं ? (घ) क्या यह भी सच है कि प्रभावित उपभोक्ता बिलों में सुधार हेतु बिजली कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके बिलों में कंपनी के उदासीन अमले की अभिरूची के कारण सुधार कार्य संभव नहीं हो पा रहा है ? (ड.) यदि नहीं, तो क्या शासन खराब मीटरों का सर्वे करायेगा तथा फर्म द्वारा यथासमय खराब मीटरों को न बदले जाने, बिजली कंपनी द्वारा फर्म को यथासमय पत्र न लिखे जाने के कारण भी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रभावित उपभोक्ताओं से वसूली गई अधिक राशि का समायोजन आगामी बिलों में करने एवं खराब मीटरों को बदले जाने के उपरांत भविष्य में नियमानुसार बिल राशि वसूलने के आदेश विद्युत कंपनी को जारी करेगा, यदि नहीं तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) श्योपुर जिला मुख्यालय पर आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजनान्तर्गत कुल 5473 नं. डिजिटल मीटर मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयर्स मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड मुंबई के द्वारा लगाये गये हैं । अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्णता उपरांत इनकी गारंटी अवधि साढे पांच वर्ष है । जी हाँ । (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार श्योपुर शहर में मेसर्स गोदरेज एण्ड बॉयर्स मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड मुबंई के द्वारा कुल 5473 मीटर लगाये गये हैं । इनमें से गारंटी अवधि के 840 मीटर बंद/खराब हुये थे । जिनमें से 515 मीटर बदले जा चुके हैं । शेष 325 न. बंद/खराब मीटरों को संबंधित फर्म के द्वारा बदलने की कार्यवाही की जा रही है । उपरोक्त के अतिरिक्त 190 मीटर विभिन्न कारणों से जले हुये पाये गये थे, जिनमें उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित उपभोक्ताओं से अपेक्षित राशि जमा कराने के उपरांत 102 मीटर बदले जा चुके हैं, शेष 88 नं. जले मीटरों का नियमानुसार बदलने की कार्यवाही जारी है । अत: संबंधित फर्म के द्वारा खराब मीटर बदलने की निरंतर कार्यवाही करने से पत्र

लिखे जाने की आवश्यकता नहीं थी । (ग) जी नहीं । उत्तरांश (क) के अनुसार खराब/बंद हुए मीटर कंपनी (फर्म) द्वारा नियमित रूप से बदले जा रहे हैं । (घ) जी नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर बिल संबंधी सुधार हेतु श्योपुर शहर वितरण केन्द्र में कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा तत्काल कार्यवाही कर नियमानुसार बिलों के सुधार का कार्य किया जा रहा है । (ड) उत्तरांश (घ) के परिपेक्ष्य में आवश्यकता नहीं ।

निवाड़ी तालाब पर सौन्दर्यीकरण योजना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

63. **(क्र. 769) श्री अनिल जैन :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) सागर संभाग में विभाग के कितने जलाशय नगरीय सीमाओं में स्थित हैं ? जिलेवार संख्या एवं नाम तथा उनका कमाण्ड एरिया बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के जलाशयों के बंधानों पर क्या सौन्दर्यकरण के कार्य कराये जाते हैं ? यदि हाँ तो विगत 3 वर्षो में जलाशयवार कराये गये कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त जलाशयों पर सौन्दर्यकरण कार्य कराने के पूर्व क्या जलसंसाधन विभाग द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है ? यदि हाँ तो प्रश्नांश (ख) अनुसार कराये गये कार्यों के लिये जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनॉक व जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम सहित बतावें ? (घ) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के निवाड़ी नगर स्थित सिंचाई तालाब पर सौन्दर्यकरण कार्य कराने हेतु क्या कोई प्रस्ताव अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हाँ तो इसे कब तक जारी किया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) :(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है । (ख) जी नहीं । विभाग द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया । (ग) विभाग द्वारा अनुमति दी जाने की व्यवस्था है । जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार है । (घ) शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

परिशिष्ट- "चौबीस"

फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच

64. **(क्र. 784) श्री नथनशाह कवरेती :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विधान सभा क्षेत्र छिंदवाड़ा के अंतर्गत फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नामजद शिकायत (लोवेल संजीव पंवार) द्वारा जिलाध्यक्ष, जिला दण्डाधिकारी को दिनांक 30.10.14 को लिखित में तथा कोरियर द्वारा की गई थी ? जिसका आवक क्रमांक 04 जिला कार्यालय छिंदवाड़ा है ? (ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई है ? आवेदक द्वारा दी गई सत्यापित प्रति पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या आवेदक द्वारा दिये गये पत्र में जिन व्यक्तियों के नाम हैं, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक प्रकरण दर्ज कर जांच की जायेगी ? समय-सीमा बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ । (ख) एवं (ग) पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा से जॉच करायी गई, पुलिस अधीक्षक का पत्र दिनांक 23-11-2014, संलग्न परिशिष्ट "एक" पर है, जिसमें प्रकरण की वस्तुस्थिति दी गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

परिशिष्ट- "पच्चीस"

हटाये गये कर्मचारियों को पुन: सेवा में लेना

65. **(क्र. 785) श्री नथनशाह कवरेती :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा सन् 1998 में पोल निर्माण केंद्र सिविल संभाग में टी.एण्ड.डी. सिविल जबलपुर के आदेश द्वारा छिंदवाड़ा में 25 और पांढुर्ना में 29 कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगियों के रूप में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई थी ? (ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की नियुक्ति उपरांत भी पोल निर्माण केंद्र को ठेके पर देने की क्या आवश्यकता थी ? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? (ग) क्या यह भी सही है कि इन नियुक्त कर्मचारियों का ई.पी.एफ. काटा जा रहा था ? तथा तीन वर्ष तक लगातार कार्य करने के उपरांत भी बिना नोटिस दिये हटा दिया गया ? (घ) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (ग) के परिपेक्ष्य में कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं श्रम न्यायालय में अपील करने पर इनके पक्ष में निर्णय दिया गया था ? यदि हां, तो इसके परिपेक्ष्य में 1800 रूपये प्रतिमाह राशि प्रदान की जा रही थी ? (ड.) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को न्यायालय के आदेश के परिपालन में तत्काल 1998 से वापस लेकर नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं । अपितु पोल निर्माण केन्द्रों में कोई रिक्त पद नहीं थे, तथा आकस्मिक कार्य हेतु, दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखा गया था, एवं किसी प्रकार की नियुक्ति प्रदान नहीं की गई थी । (ख) जी नहीं, दिनांक 23.04.2001 से पोल निर्माण केन्द्र छिन्दवाड़ा एवं पांढुर्ना में पोल उत्पादन बंद था, पोल की आवश्यकता होने के कारण वर्ष 2007 से छिन्दवाड़ा एवं वर्ष 2008 से पांढुर्ना पोल निर्माण केन्द्र को लीज पर देने के कंपनी के नीतिगत निर्णय के अनुसार ठेके पर प्रदान किया गया था, अत: किसी अधिकारी के दोषी होने तथा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है । (ग) जी हां,परन्तु 3 वर्ष नहीं बल्कि जनवरी 1999 से अप्रेल 2001 तक 2 वर्ष 4 माह ई.पी.एफ. काटा गया। पोल निर्माण केन्द्र छिंदवाड़ा में मई-1998 से तथा पांढुर्ना में माह सितम्बर-98 से पोल निर्माण केन्द्रों में आकस्मिक कार्य हेतु श्रमिक रखे गये थे। चूंकि पोल निर्माण का कार्य बंद हो गया था एवं उक्त श्रमिक आकस्मिक कार्य हेतु दैनिक वेतन पर रखे गये थे अत: उन्हें हटाने हेतु नोटिस देने का प्रश्न नहीं उठता । (घ) जी हां । (ड.) जी नहीं। वर्तमान में प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन है, न्यायालय के निर्णय के अनुसार आगे कार्यवाही की जा सकेगी। अत: नियमित किये जाने तथा समय सीमा बताये जाने का प्रश्न नहीं है ।

सागर जिला सागर में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित कनेरा तालाब का निर्माण

66. **(क्र. 790) श्री हर्ष यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि जल संसाधन विभाग द्वारा सागर में कनेरा तालाब का निर्माण वर्ष 2013 में पूर्ण किया गया है ? तालाब की प्रशासकीय स्वीकृति कितनी राशि की थी ? स्थल निरीक्षण उपरान्त निविदा कितनी राशि की जारी की गई ? निविदा कितनी राशि की स्वीकृत हुई बताये ? कार्य कितनी राशि में पूर्ण किया गया ? (ख) क्या यह सही है कि प्रशासकीय स्वीकृति से कम राशि की निविदा जारी की गई ठेकेदार से निविदा राशि से कम राशि का अनुबंध किया गया लेकिन वास्तविक भुगतान पचास लाख रू. से अधिक की राशि का किया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त तालाब से एक भी किसान की भूमि सिंचित नहीं हो रही है यदि नहीं तो सिंचित रकबा, लाभान्वित किसानों के नाम,लिया गया सिंचाई शुल्क बकाया शुल्क सहित बताये ? (घ) अधिक व्यय एवं उपयोग विहीन तालाब का निर्माण कराने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । प्रशासकीय स्वीकृति रू. 215 लाख की दी गई । निविदा राशि रू. 199.70 लाख की आमंत्रित की गई थी । न्यूनतम निविदाकार की निविदा रू.158.76 लाख की स्वीकृत की गई । परियोजना कुल लागत रू. 209.99 लाख में पूर्ण की गई जिसमें निर्माण कार्य पर राशि रू. 115.86 लाख व्यय हुआ (ख) जी नहीं । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है । (ग) जी नहीं । परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 110 हे. की तुलना में गत रबी में 176 कृषकों की 107 हे. भूमि में सिंचाई की गई । कृषकवार सिंचाई रकबे की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है । सिंचाई कर रू. 26,881/- के विरूद्ध रू. 22,170/- बकाया है । (घ) प्रश्नांश 'क' से 'ग' के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

सागर जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा छेवला,टडा जलाशय एवं रोजेघाट वियर पर मरम्मत कार्य

67. **(क्र. 791) श्री हर्ष यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) सागर जिला में जल संसाधन विभाग द्वारा छेबला,टडा जलाशय एवं रोजेघाट वियर पर अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक मरम्मत कार्य पर कितनी राशि,मरम्मत के कौन से कार्य पर व्यय की गई बताये ? (ख) क्या यह सही है कि छेबला जलाशय में मरम्मत पर व्यय करने के उपरान्त भी पानी का भारी रिसाव बंद नहीं हुआ है ? (ग) क्या यह सही है कि छेबला जलाशय में वास्तविक रूप में मरम्मत नहीं कराई गई, राशि का आहरण मरम्मत मद का कर लिया गया है, इसलिये जलाशय में भारी जल रिसाव हुआ किसानों की खरीफ फसल बह गई ? (घ) क्या इसकी जांच मुख्य तकनीकी परीक्षक से कराई जावेगी यदि नहीं तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) :(क) प्रश्नाधीन अवधि में छेवला एवं टड़ा जलाशयों के स्लूस के पास से रिसाव रोकने हेतु मरम्मत कार्य पर क्रमंश: रू.1.54 लाख एवं रू. 1.70 लाख व्यय किए गए । रोजेघाट वियर परियोजना की मरम्मत पर कोई व्ययनहीं किया गया है । (ख) जी नहीं । (ग) एवं (घ) जी नहीं । छेवला जलाशय में स्लूस के बांयी और लगभग 10 मी. दूरी तक मरम्मत कराई गई थी । दिनांक 24.09.2014 को स्लूस के दांयी ओर लगभग 15 मी. तक पिचिंग से रिसाव प्रारंभ हुआ जिसे तत्समय ही बंद कराया गया । कृषकों की फसल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति नहीं है । दांयी ओर की पिचिंग की मरम्मत रबी सिंचाई उपरांत कराने के निर्देश दे दिए गए है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

भोपाल जिले में स्वीकृत खदानों पर क्रेशर मशीन स्थापित की जाना

68. **(क्र. 797) श्री रामेश्वर शर्मा :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) भोपाल जिले में गौण खनिज की कितनी खदानें स्वीकृत है ? सभी स्वीकृत खदानों के पट्टेदार का नाम, स्वीकृत खनिज का नाम, आबंटित भूमि का खसरा क्रं., हलका एवं रकबा, सहित बतावें ? (ख) क्या भोपाल जिले में क्रेशर के लिए स्वीकृत खदानों के सभी पट्टेधारकों ने क्रेशर मशीनें स्थापित कर ली है ? क्रेशर उत्खनी पट्टा स्वीकृत होने के कितने दिन के भीतर क्रेशर मशीन स्थापित कर लिया जाना चाहिए ? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार जिनकी खदान स्वीकृत है लेकिन क्रेशर स्थापित नहीं है, ऐसे सभी पट्टेधारकों एवं खदानों की विस्तृत जानकारी,हलका, खसरा क्रमांक, रकबा सहित बतावें ? (घ) प्रश्नांश (ख) की समयसीमा का उल्लंघन करने वाले कितने पट्टाधारकों के विरूद्ध सन् 2010 के बाद से अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 में दर्शित है । (ख) भोपाल जिले में यांत्रिक क्रिया से गिट्टी निर्माण हेतु 188 उत्खनिपट्टा पत्थर खनिज के स्वीकृत हैं । जिसमें से 18 उत्खनिपट्टा धारियों द्वारा क्रेशर स्थापित नहीं किया गया है । मप्र गौण खनिज नियम 1996 में एक वर्ष में खनन संक्रिया प्रारंभ किये जाने के प्रावधान हैं। क्रेशर स्थापना हेतु पृथक से कोई समय सीमा नियत नहीं है । (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 में दर्शित है ।

<u>अस्थायी बिजली कनेक्शन बाबत्</u>

69. **(क्र. 810) श्री जितू पटवारी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सत्य है कि रबी के मौसम में म.प्र.वि.म. द्वारा किसानों को अस्थाई बिजली कनेक्शन चार माह की बाध्यता के साथ प्रदाय किये जा रहे हैं ? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में यदि हां, तो क्या शासन द्वारा अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु न्यूनतम चार माह की अवधि निर्धारित किये जाने का नियम बनाया गया है ? क्या पानी की कमी होने अथवा पानी की अनुपलब्धता की दशा में किसानों को न्यूनतम चार माह तक की राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा ? (ग) बोई गई फसल की अवधि एक समान होने के बावजूद ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की दरें क्यों अलग-अलग रखी गई हैं ? (घ) इस संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे गये पत्र के प्रति, उत्तर में विभाग को क्या निर्देश प्रदान किये गये हैं ? एवं निर्देशों के परिपालन में प्रमुख सचिव द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में विद्युत की दरों का निर्धारण म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है जो कि एक अर्द्ध न्यायिक संस्था है । आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु जारी टैरिफ आदेश में दोनों क्षेत्रों के लिए प्रति यूनिट विद्युत दरें समान रखी हैं। (घ) इस सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता माननीय विधायक महोदय ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को प्रेषित पत्र में किसानों को दिये जाने वाले अस्थाई कनेक्शन की अवधि वितरण कंपनियों द्वारा 4 माह अनिवार्य किये जाने का लेख करते हुए इस निर्णय को वापिस लेने बावत् अनुरोध किया है । म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए जारी टैरिफ आदेश के प्रावधान अनुसार कृषि उपयोग हेतु अस्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को 3 माह के अग्रिम प्रभारों का भुगतान करना होता है तथा अस्थाई कनेक्शन अवधि पूर्ण होने पर कनेक्शन विच्छेदन उपरांत अंतिम देयक तैयार कर वापिसी योग्य राशि आवेदक को वापिस की जाती है । विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के उक्त आदेश के अनुसार ही अस्थाई विद्युत कनेक्शन की राशि जमा कराई जा रही है, तथा इस बावत् 4 माह की अवधि की अनिवार्यता नहीं है । अत: इस बावत् माननीय विधायक महोदय को विभाग के पत्र दिनांक 26.11.2014 द्वारा अवगत कराया गया है ।

<u>विश्वविद्यालयों में अवैध पदोन्नतियों पर कार्यवाही</u>

70. **(क्र. 838) श्री बाला बच्चन :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विश्वविद्यालयीन सेवा में परम्परागत विश्वविद्यालयों के लिए प्रदेश में कितने पद स्वीकृत हैं, तथा इसमें से कुल सचिव के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने कार्यरत हैं ? पृथक-पृथक बताएं ? (ख) क्या यह सही है कि विशेष लोगों

को पदोन्नत करने के लिए नवम्बर 2013 से अप्रैल 2014 के बीच अर्थात 6 माह के अंदर दो बार डी.पी.सी. कराकर बिना पद रिक्त रहते हुए 6 (छः) उप कुलसचिवों को कुल सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है ? (ग) उक्त डी.पी.सी. कब-कब कराई गई ? उनकी दिनांक, पदोन्नत किए गए उप कुलसचिवों के नाम सहित बताएं ? (घ) उपरोक्त नियम विरूद्ध पदोन्नति करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो विवरण दें ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही होगी ? बिना पद के पदोन्नत किए गए अधिकारियों को विभाग द्वारा कब तक पदानवत किया जावेगा ? समय सीमा बताएं ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जानकारी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । (ख) जी नहीं, कैलेण्डर वर्ष 2013 में 03 सितंबर 2013 को तथा कैलेण्डर वर्ष 2014 में 15 अप्रैल 2014 में डी.पी.सी. कराई गई थी । पदोन्नति कोटे से रिक्त पदों की उपलब्धता की स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है । (ग) "ख" के अनुसार । जानकारी परिशिष्ट "ब" पर संलग्न । (घ) जी नहीं। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट-"छब्बीस"

<u>**बिजली पोल लगाये जाना**</u>

71. **(क्र. 843) श्री सचिन यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 154 एवं 157 दिनांक 09.08.14 को कार्यपालन यंत्री, म.प्र.वि.वि.कं.लि. मण्डलेश्वर को ग्राम पंचायत रूपखेड़ा अंतर्गत मिट्टी मशीन के पास नई बस्ती में 08 नग एवं ग्राम मकुन्दपुरा में नई आबादी इंदिरा कॉलोनी में बिजली व्यवस्था हेतु 03 नग बिजली पोल स्वीकृत कर लगाये जाने के संबंध में क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ है, हां तो उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्यवाही को पूर्ण किये जाने के लिए क्या संबंधित प्रस्ताव जिला स्तर से विभागाध्यक्ष से कार्यवाही किये जाने के लिए पत्र व्यवहार किया गया है हां, तो कब-कब नहीं तो क्यों कारण बतायें ? (ग) उक्त बस्तियों में बिजली पोल की पूर्ति किये जाने के लिए क्या बजट की कमी है हां, तो बतायें नहीं तो क्या घर-घर बिजली पहुंचाने की सरकार की कार्ययोजना का उल्लंघन किया जा रहा है नहीं तो कब तक उक्त पोल संबंधित बस्ती में स्थापित कर कार्य पूर्ण किया जायेगा उसकी सीमा बतायें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । प्रश्न में उल्लेखित दोनों पत्रों पर संबंधित कार्यपालन यंत्री (संचा.संधा.) संभाग, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मण्डलेश्वर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1916 दिनांक 05 सितम्बर 2014 एवं क्रमांक 1791 दिनांक 28.08.2014 के माध्यम से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराते हुए यह लेख किया गया था कि, वर्तमान में इस आशय के कार्यों के संपादन हेतु कंपनी में पृथक से कोई फण्ड आवंटित नहीं है । अपितु उक्त कार्य विधायक निधि अथवा संबंधित ग्राम पंचायत की ओर से जमा योजना के अन्तर्गत सहमति देने एवं औपचारिकताएं पूर्ण करने पर संपादित किया जा सकता है । (ख) जी नहीं । उत्तरांश "क" के परिपेक्ष्य में संबंधित प्रस्ताव को जिला स्तर एवं विभागाध्यक्ष को कार्यवाही किये जाने हेतु सीधे तौर पर प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्नांश "क" के संबंध में जिला योजना अधिकारी द्वारा कार्य का प्राक्कलन बनाने हेतु सूचना पत्र प्राप्त होने पर विद्युत कंपनी द्वारा प्राक्कलन जिला योजना अधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है एवं तदानुसार जिला योजना अधिकारी द्वारा निविदा के माध्यम से कार्य संपादित कराये जाते हैं एवं केवल सुपरविजन चार्ज की राशि विद्युत कंपनी में जमा कराई जाती है । उक्त प्रकरण में जिला योजना

अधिकारी द्वारा कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भी जमा योजना में आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अत: विभाग के उच्च कार्यालय से पत्र व्यवहार किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित ग्राम पंचायत रूपखेड़ा गिट्टी मशीन के पास नई बस्ती जो कि ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत बारहवी पंचवर्षीय योजना में कार्य प्रस्तावित किया गया है, लेकिन ग्राम मुकुन्दपुरा की इंदिरा कॉलोनी जो कि गांव से बाहर बसी है, उक्त बसाहट की आबादी 100 जनसंख्या से कम होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जनसंख्या न होने के कारण उक्त योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है । जी नहीं। योजना के प्रावधानों के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही बस्तियों को चिन्हित कर उनके विद्युतीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । ग्राम पंचायत रूपखेड़ा गिट्टी मशीन के पास नई बस्ती के विद्युतीकरण कार्य को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रस्तावित किया गया है, किन्तु योजना की स्वीकृति भारत शासन से अपेक्षित है । अत: कार्य करने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रीवा को अपर पुरवा नहर संभाग में समाहित किया जाना

72. **(क्र. 862) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या रीवा जिले में कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रीवा जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.7 (पुरानी रोड) उर्रहट, रीवा में स्थित है, को सरकार द्वारा तोड़ा जा रहा है ? एवं क्या यह कार्यालय करीब एक एकड़ की सिंचाई विभाग की शासकीय जमीन में संचालित हैं ? (ख) क्या यह भी सही है कि इस संभाग का लगभग 15,000 हे. सिंचाई रकवा है एवं इसकी 9 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है ? साथ ही क्या यह भी सही है कि इस कार्यालय को तोड़कर अपर पुरवा नहर संभाग रीवा में समाहित किया जाना है, जोकि एक अपूर्ण बाणसागर योजना का संभागीय कार्यालय है ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या उपरोक्त कार्यालय की रोड के किनारे की एक एकड़ सिंचाई विभाग की शासकीय बेश कीमती जमीन को हड़पने की साजिश के तहत इस कार्यालय को तोड़कर अन्यत्र स्थापित किया जा रहा है ? (घ) यदि नहीं तो रीवा शहर की अधिकांश शासकीय जमीनों को अधिग्रहित कर एक नामी बिल्डर को ही क्यों दी जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जल संसाधन संभाग, रीवा को विभागीय आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2014 से अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा में समाहित किया गया है । कार्यालय परिसर की भूमि 1.72 एकड़ है । (ख) जल संसाधन संभाग, रीवा में 22,947 हेक्टर रूपांकित सैच्य क्षेत्र की निर्मित परियोजनाऐं थी और 10 लघु सिंचाई परियोजनाऐं निर्माणधीन थी । बाणसागर परियोजना की नहर प्रणाली के विभिन्न संभागीय कार्यालयों द्वारा इन परियोजनाओं का संचालन एवं संधारण सुविधाजनक होने से युक्तियुक्तकरण किया गया है । (ग) जी नहीं । एवं (घ) प्रश्नाधीन भूमि किसी बिल्डर को दी जाना विचाराधीन नहीं है ।

त्यौंथर फ्लो सिंचाई योजना में अनियमितता

73. **(क्र. 868) पं. रमाकान्त तिवारी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) रीवा जिले की त्यौंथर तहसील अंतर्गत त्यौंथर फ्लो सिंचाई योजना का कार्य कब से प्रारंभ है ? (ख) क्या उपरोक्त कार्य जल संसाधन विभाग एवं कार्य करने वाली कंपनी के अनुबंध के मापदण्डों के अनुरूप कराया जा रहा है ? यदि नहीं,

तो क्यों ? (ग) क्या उक्त कार्य की गुणवत्ता एवं मापदण्डों की जांच उच्च स्तरीय विशेषज्ञों द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? (घ) उपरोक्त कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ एवं कार्य करने वाली कंपनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? और कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) :(क) सितम्बर 2014 से । (ख) जी हां । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता । (ग) निर्माण के वर्तमान चरण पर उच्च स्तरीय विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं है । (घ) लापरवाही की स्थिति नहीं होने से प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

मिनी बाण सागर सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण किया जाना

74. **(क्र. 869) पं. रमाकान्त तिवारी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मिनी बाणसागर सिंचाई परियोजना (लिफ्ट एरीगेशन) त्योंथर, जिला रीवा की निविदा कब निकाली गई थी ? उक्त कार्य किस कंपनी से कराया जा रहा है ? (ख) उपरोक्त कार्य करने की क्या अवधि थी ? क्या उस अवधि में कार्य पूर्ण कर लिया गया, यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त कार्य करने की अवधि बढ़ाई गई, यदि हां, तो कब ? (ग) यदि उपरोक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुआ तो संबंधित कंपनी के खिलाफ एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही की जायेगी तो कब तक ? (घ) यदि कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया तो किसी अन्य कंपनी द्वारा कार्य कराये जाने संबंधी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब और क्या कार्यवाही की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विभाग में मिनी बाणसागर सिंचाई परियोजना (उद्वहन सिंचाई) के नाम से कोई योजना नहीं है । त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की नहर निर्माण की निविदा दिनांक 29-08-2011 को आमंत्रित की गयी । न्यूनतम निविदाकार मेसर्स एच.ई.एस. इन्फ्रा प्रा.लि. हैदराबाद द्वारा । (ख) अनुबंध तिथि से 15 माह । जी नहीं । निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था होने और सड़कों की क्रासिंग की अनुमति में विलंब होने के कारण । जी हां । दिनांक 23-09-2014 को समयावृद्वि दी गयी । (ग) एवं (घ) भू-अर्जन एवं सड़कों की क्रासिंग निर्माण एजेन्सी एवं विभाग के नियंत्रण में नहीं होने से निर्माण एजेन्सी अथवा विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की स्थिति नहीं है ।

मंदसौर जिले के संचालित तालाब

75. **(क्र. 876) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मंदसौर जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा कितने तालाबों को संचालित किया जा रहा है ? (ख) वर्तमान में तालाबों में संग्रहित जल स्तर कितना है ? कितने जल स्तर पर तालाबों में से पानी गेट खोलकर निकाला जाता है ? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के बड़ोद-पानपुर के कितने किसानों को डूब में गई भूमि का मुआवजा दिया गया है और कितने किसान मुआवजें से वंचित हैं ? (घ) पानपुर-बड़ोद का तालाब का वर्तमान जल स्तर कितना है, तथा किसके आदेश से उसके गेट खोलकर उसका पानी निकाला गया ? इस क्षेत्र में वर्तमान वर्ष में कितनी वर्षा हुई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र –'क' अनुसार है । जलशयों के गेट खोलकर स्लूस स्तर से नहर में जल प्रवाहित किया जाता है । (ग) एवं (घ) बड़ोद –पानपुर जलाशय

निम्मज्जित तालाब है । निम्मज्जित तालाब का जल वर्षा ऋतु उपरांत खाली किया जाता है । निम्मज्जित तालाब के डूब क्षेत्र की भूमि का अर्जन नहीं किया जाता है । अत: मुआवजा भुगतान की स्थिति उत्पन्न नहीं है । जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक दिनांक 14.10.2014 में लिए गये निर्णय के पालन में बड़ोद-पानपुर निम्मज्जित तालाब के गेट खोलकर पानी निकाला गया । प्रश्नाधीन क्षेत्र में इस वर्ष 497.80 मि.मी. वर्षा हुई ।

परिशिष्ट-"सत्ताईस"

जले/खराब ट्रांसफार्मर को बदला जाना

76. **(क्र. 894) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) नवम्बर, 2014 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले में किन-किन ग्रामों के ट्रांसफार्मर कब से जले/खराब हैं, तथा उनको क्यों नहीं बदला जा रहा है ? (ख) जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं, उनकी प्रति दें ? (ग) उक्त जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने के संबंध में मा. मंत्रीजी को किन-किन जनप्रतिनिधियों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए, तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (घ) उक्त जले/खराब ट्रांसफार्मर कब तक बदल दिये जायेंगे ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) देवास जिले में माह नवंबर - 2014 में दिनांक 21.11.2014 की स्थिति में 29 नंबर फेल एवं जले हुए ट्रांसफार्मर पर बकाया राशि होने से बदलना शेष है । फेल ट्रांसफार्मर संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण नहीं बदले गए है । फेल एवं जले ट्रांसफार्मर का ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है । (ख) जले खराब ट्रांसफार्मर बदलने के बावत् शासन के निम्न निर्देश है :- (1) यदि बकाया राशि रू. 25000/- या उससे कम है, तो संपूर्ण राशि जमा होने पर जला/खराब ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। (2) यदि बकाया राशि रू. 25000/- से अधिक एवं रू. 1.00 लाख से कम है, तो रूपये 25000/- या बकाया राशि का कम से कम 50 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के जमा होने पर जला/खराब ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। (3) यदि बकाया राशि रू. 1.00 लाख या उससे अधिक है, तो बकाया राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान प्राप्त होने पर जला/खराब ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। निर्देश की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है । (ग) माह नवम्बर 2014 में जिला रायसेन एवं देवास में खराब वितरण ट्रांसफार्मर बदलने हेतु जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) नियमानुसार बकाया राशि का भुगतान प्राप्त होने पर ट्रांसफार्मर बदल दिया जावेगा ।

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राचार्य परीक्षा

77. **(क्र. 895) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के 240 प्राचार्य पद हेतु आयोजित परीक्षा जिन कारणों से स्थगित की गई है उक्त कारणों के निराकरण/संशोधन हेतु शासन तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) उक्त परीक्षा कब तक किन-किन संशोधनों के साथ आयोजित की जावेगी निश्चित समयावधि बतायें ? (ग) क्या उक्त परीक्षा को स्थगित करने के स्थान पर निरस्त करने पर शासन विचार कर रहा है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नया रूप देने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 25-07-2013 द्वारा "राज्य शिक्षा सेवा" का गठन होने के फलस्वरूप सीधी भरती से

प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति का प्रावधान समाप्त होने के कारण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा स्थगित की गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) एवं (ग) म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा निरस्त कर दी गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

आदिवासी विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा दी जाना

78. **(क्र. 906) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि भीकनगांव विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तथा आस-पास कोई तकनीकी संस्था नहीं है जिससे कई छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ? (ख) क्या भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नवीन आय.टी.आय. संस्था खोली जा सकती है ? (ग) यदि हां, तो कब तक स्वीकृति एवं आवंटन कब किया जायेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) :(क) जी हॉ । भीकनगांव के पास आईटीआई खरगौन, आईटीआई झिरन्या तथा आईटीआई भगवानपुरा संचालित है । वर्ष 2012 से भीकनगांव में तकनीकी प्रशिक्षण के लिये कौशल विकास केन्द्र भी संचालित है ।(ख) जी हॉ। (ग) समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है ।

शासकीय महाविद्यालय छपारा में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तथा स्नातकोत्तर में कला संकाय प्रारंभ किया जाना

79. **(क्र. 917) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय छपारा जिला सिवनी में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर में कला संकाय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक प्रारंभ की जावेगी ? (ग) यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें ? (घ) इसी तरह केवलारी जिला सिवनी में विज्ञान संकाय खुलने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो कब तक ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) :(क) जी नहीं । (ख) 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) वर्तमान में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों के सुदृढीकरण एवं गुणवत्ता/विकास करने के प्रयास किये जा रहे हैं । अतः शासकीय महाविद्यालय छपारा जिला सिवनी में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर में कला संकाय प्रारम्भ करने में अभी कठिनाई हैं । (घ) जी नहीं ।

रा.प्र.से. के अधिकारी तत्कालीन सीईओ, म.प्र. वक्फ बोर्ड के विरूद्ध कार्यवाही

80. **(क्र. 961) श्री आरिफ अकील :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा वर्ष, 2011-12, रा.प्र.से. के अधिकारी तत्कालीन सीईओ के विरूद्ध इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रीवा तथा अन्य जिलों में लगभग 2000 करोड़ की वक्फ सम्पत्तियों और कब्रस्तान आदि का अवैध अधिकारिता विहीन हस्तांतरण कर लीज पर दिये जाने के आरोप में विभागीय जांच/अपराधिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र एवं प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को बोर्ड द्वारा विभाग की ओर प्रेषित किया गया है ? (ख) यदि हां, तो आरोप-पत्र किस दिनांक को प्रेषित किया गया और कार्यवाही हेतु किस स्तर पर, किन कारणों से लंबित रखा गया है ? अभी तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण हैं, तथा कब तक स्वीकृति दी जावेगी ? (ग) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में प्रश्नकर्ता द्वारा भी माह, जुलाई- अगस्त, 2014 को

माननीय मुख्यमंत्री, मा. मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पत्र लिखकर कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई, बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) :(क) तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के विरूदध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र प्रारूप सहित 04 प्रस्ताव पिछडा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त हुए हैं । आपराधिक कार्यवाही/ अभियोजन का कोई प्रस्ताव अल्पसंख्यक क्ल्याण विभाग अथवा विधि विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है । (ख) प्रस्ताव/आरोप पत्र आदि सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के दिनांक का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 16-9/90/6/एक दिनांक 25.11.2004 से जारी निर्देशों के अनुरूप स्वयंपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्रस्तावों से संबंधित सुसंगत दस्तावेजों/नियमों की जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है । अभियोजन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्न उपिस्थत नहीं होता है । (ग) जी हां । अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4-5/2014/54-2 दिनांक 10 अक्टूबर 2014 से माननीय सदस्य को उक्त विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण भेजा गया है ।विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' और उत्तरांश 'ख' के अनुसार है ।

परिशिष्ट- "उनतीस"

<u>म.प्र. स्थापना दिवस पर व्यय</u>

81. **(क्र. 962) श्री आरिफ अकील :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) भोपाल में 2014 का म.प्र. स्थापना दिवस आयोजित करने के नाम पर कार्यक्रम प्रारंभ से समापन तक किस-किस विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य/ व्यवस्था पर व्यय की गई, तथा यह भी अवगत करावें कि किन-किन कलाकारों को कहां-कहां से बुलाया गया था और उन्हें पुरस्कार, मेहनताने, खाने, निवास, शहर भ्रमण, आतिशबाजी, लाईटिंग, डेकोरेशन, मंच सज्जा, कितने कार्ड छपाई आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई, तथा कार्यक्रम में कितने अतिथि उपस्थिति हुए ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : संस्कृति विभाग द्वारा मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह लाल परेड मैदान, भोपाल में आयोजित करने के लिए रू.368.00 लाख की रूपरेखा तथा अनुमान रखा गया. अन्य विभागों से जानकारी अपेक्षित है. कार्यक्रम की मुख्य गतिविधि पर आमंत्रित कलाकारों को रूपये 10190813.00 एवं व्यवस्थाओं पर अब तक रूपये 57,30,000.00 व्यय किया गया है, शेष देयक अप्राप्त है. प्रदेश एवं देश के अलग अलग क्षेत्रों से कलाकारों को आमंत्रित किया गया. उत्सव में 50 हजार नागरिकों के बैठने की व्यवस्था विभिन्न स्वरूपों में की गई. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सुधिजन उपस्थित रहे । मंच पर आसीन अतिथियों की संख्या 16 थी. प्रश्नानुसार विवरण संलग्न परिशिष्ट “अ” अनुसार.

परिशिष्ट-" तीस"

<u>विधायक के पत्रों पर कार्यवाही</u>

82. **(क्र. 978) पं. रमेश दुबे :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) माननीय विधान सभा सदस्यों के पत्रों का समयावधि में जवाब देने, पत्रों पर कार्यवाही करने इत्यादि के संबंध में क्या म.प्र. शासन ने म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. को कोई दिशा-निर्देश जारी किया है ? यदि हां, तो क्या यह आदेश निर्देश की प्रति अधीक्षण यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. छिन्दवाड़ा एवं संभागीय यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.कं. अमरवाड़ा/सौंसर, को उपलब्ध कराया है ?

यदि हां, तो आदेश-निर्देश की प्रति दें ? (ख) अधीक्षण यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. छिन्दवाड़ा, संभागीय यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.कं. अमरवाड़ा/सौंसर, को दिसम्बर 2013 से अक्टूबर 2014 तक प्रश्नकर्ता ने किन-किन विषयों/समस्याओं को लेकर कब-कब पत्र प्रेषित किये हैं ? पत्रवार उल्लेखित विषयों व समस्याओं का उल्लेख करें ? (ग) क्या उक्त पत्रों को प्राप्त होने की अभिस्वीकृति तथा पत्रों पर किये गये कार्यवाही का जवाब प्रश्नकर्ता को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों, तथा इसके लिए कौन लोग दोषी हैं ? तथा शासन उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । पत्र की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है । (ख) अधीक्षण यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., छिन्दवाडा तथा संभागीय यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., अमरवाडा/सौंसर को दिसम्बर, 2013 से अक्टूबर, 2014 तक माननीय विधायक महोदय द्वारा जिन-जिन विषयों/समस्याओं पर पत्र प्रेषित किए गए हैं उनका पत्रवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है । (ग) माननीय विधायक महोदय से प्राप्त पत्रों पर यथासंभव कार्यवाही यथाशीघ्र कर प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया है, पत्रवार विवरण उत्तरांश (ख) में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है । माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रेषित पत्रों पर यथोचित कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया है । अत: शेष प्रश्नांश लागू नहीं है ।

<u>भारतीय प्रशासनिक सेवारत् अधिकारियों के संबंध में</u>

83. **(क्र. 993) श्री गोवर्धन उपाध्याय :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) लोकायुक्त,मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2001से 2006 तक तथा वर्ष 2014 की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में सेवारत ऐसे किन-किन अधिकारियों को अभियोजित(P r o s e c u t e) करने के लिये स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे गये हैं ? (ख) उपरोक्त प्रस्ताव राज्य सरकार को कब-कब प्राप्त हुए और उनमें से कौन से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं और कौन से अभी तक राज्य सरकार के पास लंबित हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) से संबंधित किन-किन अधिकारियों को, उपरोक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात उच्चतर वेतनमान किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट - 'अ' अनुसार है । (ग) श्री वी.सी. सेमवाल, भाप्रसे (1985) का अभियोजन प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अमान्य किए जाने के पश्चात् श्री सेमवाल को प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नत किया गया है । श्री रमेश एस. थेटे, भाप्रसे (1993) को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दायर क्रिमिनल अपील क्रमांक 865/2007 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2009 से दोषमुक्त किया गया, इस आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी दिनांक 29.3.2010 को अपास्त हुई और भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश दिनांक 2.5.2011 से श्री रमेश एस. थेटे, भाप्रसे (1993) की बर्खास्तगी संबंधी आदेश दिनांक 29.1.2008 को वापिस लिया गया। इसके पश्चात राज्य शासन द्वारा श्री रमेश एस. थेटे को आदेश दिनांक 30.6.2011 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति दी गई । श्री थेटे को अभी आगे पदोन्नति नहीं दी गई है ।

परिशिष्ट- "इकतीस"

विकास कार्यो के उद्‌घाटन एवं लोकापर्ण के दिशा-निर्देश

84. **(क्र. 997) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) शासन द्वारा सभी विभागों के विकास कार्यो के लिए विधानसभा क्षेत्रों में उद्‌घाटन एवं लोकापर्ण हेतु क्या-क्या दिशा-निर्देश हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में यदि निर्वाचित विधायक/सदस्यों के क्षेत्र में विधायक के विशेषाधिकार का हनन किया जाता है तो उसके लिए क्या-क्या प्रावधान किए गये हैं ? (ग) प्रश्नांश (ख) के सन्दर्भ में यदि कोई लोक प्रशासक किसी निर्वाचित सदस्य, विधायक को नजरअंदाज करता है तो उसके विरूद्ध कौन-सी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) :(क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है ।

पूर्वी क्षेत्र कम्पनी जबलपुर में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी की पदोन्नति

85. **(क्र. 998) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) पूर्वी क्षेत्र कंपनी जबलपुर में चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिये अर्हता प्राप्त कितने चतुर्थ श्रेणी भृत्य कर्मचारी कार्यरत हैं ? सूची उपलब्ध करायें ? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 332/410/2008/3/एक भोपाल दिनांक 23-02-08 के अनुसार पूर्वी क्षेत्र विद्‌युत कम्पनी जबलपुर में तृतीय श्रेणी के कुल स्वीकृत पदों में 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये सुरक्षित रखने का क्या प्रावधान है ? (ग) वर्ष 2012 के बाद तृतीय श्रेणी के कितने प्रतिशत पद रिक्त हुए हैं और इन रिक्त पदों में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है ? (घ) वर्ष 2012 के बाद पदोन्नत हुए कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराएॅ कब तक शेष की पदोन्नति होगी और इस प्रक्रिया में क्या कार्यवाही हो रही है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्‌युत वितरण कंपनी लिमिटेड में भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) की तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है । अत: शेष प्रश्नांश लागू नहीं है । (ख) राज्य शासन द्वारा पूर्व क्षेत्र कंपनी की स्वीकृत संगठनात्मक संरचना में तृतीय श्रेणी के कुल स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान नहीं है । (ग) पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्‌युत मण्डल से पूर्व क्षेत्र विद्‌युत वितरण कंपनी को स्वीकृत संख्या से अधिक तृतीय श्रेणी कार्मिक अंतिम रूप से अंतरित होने के कारण वर्ष 2012 के बाद समग्र रूप से तृतीय श्रेणी का पद रिक्त नहीं हुआ है तथापि पदोन्नति हेतु उपलब्ध कराए गए पदों के विरूद्ध 73 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (भृत्य छोडकर) तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नत हुए हैं। (घ) वर्ष 2012 के बाद पदोन्नत हुए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों पर पात्र कार्मिकों की पदोन्नति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तथापि इसके लिए वर्तमान में कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट-"बत्तीस"

पाटन विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत बिगडे ट्रान्सफार्मर एवं अधिक राशि के बढ़े हुए बिल

86. **(क्र. 1005) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है, कि पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पाटन एवं मझौली तहसीलों के कृषकों को पूर्व में देय किये जा रहे कृषकों के

सिंचाई पंपो के बिल 2 एच.पी. की जगह 3 एच.पी एवं 3 एच.पी की जगह 5 एच.पी. की क्षमता वाले बढ़े हुये बिजली के बिल भेजे जा रहे है ? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हां, तो विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं के लोड बढाने के क्या नियम हैं ? क्या इन कृषि उपभोक्ताओं के बढ़े हुये बिलों के भुगतान हेतु कृषकों को अपना पक्ष रखने हेतु ऊर्जा विभाग कोई पहल अपनी तरफ से कर रहा है ?क्या ग्रामीण घरेलू बिल उपभोक्ताओं की अचानक बिना रिडिंग के बढ़े हुये बिल भेजने का क्या औचित्य हैं ? इन बढ़े हुये बिजली के बिलों को कम कराने हेतु उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं ? उन्हें कब राहत प्रदान की जावेगी ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित क्षेत्र में कितनी शक्ति के कितने ट्रान्सफार्मर खराब है ? दिनांक 12/11/14 की स्थिति में सूची देवें ? इन्हें बदलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? तथा इन्हें कब तक बदला जावेगा ? (घ) क्या यह सही है कि इस वर्ष अल्प वर्षा से खरीफ फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ है उत्तर में यदि हां, तो क्या शासन ऐसी स्थिति में कृषको से बिजली बिल की वसूली में कठोरता पूर्वक व्यवहार न कर, किसानों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज न कर बिल वसूली में क्या राहत प्रदान करेगा ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, उपभोक्ताओं को उनके संयोजित वास्तविक भार के अनुसार ही बिल दिये जा रहे हैं। (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिपेक्ष्य में लागू नहीं। (ग) पाटन विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 69 ट्रांसफार्मर दिनांक 12.11.2014 की स्थिति में खराब थे, जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । उक्त में से 50 ट्रांसफार्मर बकाया राशि होने के कारण एवं 19 ट्रांसफार्मर धान की फसल लगी होने के कारण नहीं बदले जा सके। दिनांक 26.11.2014 तक बकाया राशि वाले 50 ट्रांसफार्मरों में से 21 ट्रांसफार्मर नियमानुसार बकाया राशि जमा होने पर बदल दिए गए हैं। धान की फसल कटने पर 19 ट्रांसफार्मरों में से 09 ट्रांसफार्मर बदल दिए गए है । बकाया राशि वाले ट्रांसफार्मरों को नियमानुसार बकाया राशि जमा होने पर बदल दिया जाएगा तथा धान की फसल के कारण जो ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा सके हैं, उन्हें धान की फसल कटने पर बदल दिया जाएगा। (घ) किसानों को कृषि पम्प हेतु म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा लागू विद्युत दरों पर राज्य शासन द्वारा सब्सिडी दी जा रही है तथा फ्लेट योजना के तहत् वर्ष में छः माही आधार पर कृषक को मात्र दो बार बिल जमा करना है । बिजली बिल वसूली के प्रकरण में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता है ।

परिशिष्ट-"तैंतीस"

<u>कृषक अनुदान सिस्टम इम्प्रुवमेंट (S S T D) के संबंध में</u>

87. **(क्र. 1020) श्री सतीश मालवीय :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) उज्जैन जिले के घट्टिया एवं बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषक अनुदान एवं सिस्टम इम्प्रुवमेंट (S S T D) के अंतर्गत कितने कार्य स्वीकृत हैं ? सूची उपलब्ध करावें ? (ख) रबी सीजन में आज दिनांक तक कितने ट्रांसफार्मर दोनों योजनाओं के अंतर्गत लगाए गये हैं एवं कितने ट्रांसफार्मर लगना शेष हैं ? शेष ट्रांसफार्मर कब तक लगा दिये जावेंगे ? सूची उपलब्ध करावें ? (ग) क्या यह सही है कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई का आर्डर कृषक अनुदान एवं सिस्टम इम्प्रुवमेंट दोनों ही योजनाओं का एक ही कंपनी को दिया गया ? कंपनी ट्रांसफार्मर सप्लाय करने में रबी सीजन में नाकाम रही, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ ? ट्रांसफार्मर खरीदी का आर्डर देने वाले अधिकारी एवं समय पर ट्रांसफार्मर उपलब्ध न कराने पर कंपनी पर शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) उज्जैन जिले के घट्टिया एवं बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्रमशः कृषक अनुदान योजना में क्रमशः 257 एवं 135 कार्य स्वीकृत है । उसी प्रकार सिस्टम इम्प्रूव्हमेंट (SSTD) योजना के अंतर्गत क्रमशः 12 एवं 15 कार्य स्वीकृत है । योजनावार कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-

1,2,3 एवं 4 अनुसार है । (ख) रबी सीजन में आज दिनांक तक घट्टिया एवं बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कृषक अनुदान योजना के अंतर्गत क्रमश:कुल 238 नग एवं 122 नग ट्रांसफार्मर लगाये जाने थे जिनके विरूद्ध घट्टिया एवं बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में क्रमश: 142 नग एवं 61 नग ट्रांसफार्मर लगाये जा चुके है । घट्टिया एवं बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में क्रमश: शेष रहे 96 नग एवं 61 नग ट्रांसफार्मर माह मार्च 2015 तक स्थापित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 एवं प्रपत्र-6 अनुसार है । घट्टीया एवं बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में सिस्टम इम्प्रवूमेंट योजना (SSTD) में क्रमश: 03-03 पॉवर ट्रांसफार्मर लगाये जाना प्रावधानित थे, इनमें से बड़नगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 01 पॉवर ट्रांसफार्मर का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 7 अनुसार है । (ग) जी नहीं। वर्ष 2014-15 में कृषक अनुदान योजना एवं सिस्टम इम्प्रूव्हमेंट (SSTD) योजना में 09 अलग-अलग फर्मों को ट्रांसफार्मर प्रदाय के कुल 10 क्रयादेश वितरण एवं पॉवर ट्रांसफार्मर प्रदाय करने हेतु जारी किये गये हैं। कुल 06 फर्मो को वितरण ट्रांसफार्मर प्रदाय करना थे, जिनमें से 03 फर्मे क्रयादेश के निर्धारित डिलेवरी शेडयुल से पीछे चल रही है । यह सही नहीं है कि उक्त ट्रांसफार्मर प्रदाय कार्य में विलंब से किसानों का काफी नुकसान हुआ है । क्रयादेश के अनुसार अभी ट्रांसफार्मर के प्रदाय हेतु तीन से पांच माह की समयावधि शेष है । निर्धारित डिलेव्हरी शेडयुल से विलंब से ट्रांसफार्मर आपूर्ति करने की स्थिति में क्रयादेश की शर्तो के अनुसार फर्मो पर शास्ति अधिरोपित की जावेगी ।

<u>रियोटिण्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. को प्रोसेसिंग प्लांट संचालन की अनुमति की जानकारी बावत्</u>

88. **(क्र. 1041) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मै. रियोटिण्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लि. बंदर डायमण्ड माईन तहसील बक्स्वाहा जिला छतरपुर में स्थित कंपनी का प्रोसेसिंग प्लांट कब से संचालित है और कब तक संचालित रहा ? क्या इस कंपनी को हीरा सैंपिल प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है, तो कब ? (ख) कंपनी को हीरा उत्खनन सर्वेक्षण हेतु कब से कब तक अनुमति दी गई ? कब तक क्रियाशील रही ? क्या इस बीच उत्खनित खनिज के व्यावसायिक उपयोग हेतु आभूषणों की प्रदर्शिनी से संबंधित विज्ञप्ति जनसंपर्क विभाग द्वारा दिनांक 22.8.12 को जारी की गई ? क्या माईनिंग लीज के जारी हुये बिना शासन द्वारा उक्त विज्ञप्ति जारी करना वैधानिक है ? यदि नहीं, तो इस बावत् कंपनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या उक्त कंपनी के विरूद्ध लगाई गयी जनहित याचिका 6135/2011 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो जवाब प्रस्तुत किया है कि कंपनी द्वारा आवेदित भूमि में कई ग्रामों में वन एवं राजस्व विभाग की लगभग दो हजार हैक्टे. से अधिक में उत्खनन/ पूर्वेक्षण किया है, इससे कितने वृक्षों की हानि/कटाई हुई है ? (घ) क्या कंपनी के प्लांट हेतु म.प्र. भू-राजस्व सं. 1959 के तहत अनुमति प्रदाय की गई है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) रियोटिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. के बंदर डायमण्ड प्रोजेक्ट को डेंस मीडिया सेपरेशनप्लांट के संचालन की अनुमति खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक आर2037/2007/12/1/ 4821 भोपाल, दिनांक 12.03.2010 से दी गई थी, यह प्लांट जुलाई 2013 तककार्य करता रहा। प्रशनांश में उल्लेखित हीरा सैंपल प्रोसेसिंग प्लांट स्थापना की अनुमति नहीं दीगई है । (ख) छतरपुर जिले के विकासखण्ड बक्सवाहा अंतर्गत तहसील बक्सवाहा के अंतर्गत हीराखनिज पूर्वेक्षण हेतु मेसर्स रियोटिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. को म.प्र. शासन खनिज साधनविभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश दिनांक 04.08.2006 से 25 वर्ग कि.मी. क्षेत्र परजिसमें 23.29 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र एवं 1.54 वर्ग कि.मी. राजस्व क्षेत्र सम्मिलित था एवं आदेश दिनांक 10.07.2007 से 45 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर जिसमें से 39.74 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर वनक्षेत्र एवं 4.41 वर्ग कि.मी. राजस्व क्षेत्र सम्मिलित था, में वन क्षेत्र पर दो वर्ष के लिये एवं राजस्वक्षेत्र पर 3 वर्ष की अवधि के लिये

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई थी। 25 वर्ग कि.मी. हेतुस्वीकृत किये गये क्षेत्र के लिये 06.09.2006 से 05.09.2009 तक तीन वर्ष के लिये अनुबंधनिष्पादन किया गया था । जिसका नवीनीकरण म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल के आदेश दिनांक 29.12.2009 से 23.29 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र पर पी.एल. समाप्ति दिनांक 06.09.2009 से दो वर्ष के लिये किया गया । जी हां । प्रशनाधीन विज्ञप्ति जारी की गई थी । पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन प्राप्त हीरा खनिज की रायल्टी जमा कर, अनुज्ञप्तिधारी बाजारसर्वेक्षण/नमूने के परीक्षण प्रयोजन हेतु ऐसा खनिज अनुज्ञप्ति क्षेत्र से ले जाने हेतु अधिकृत है । अतःमाईनिंग लीज स्वीकृत होने के बगैर विज्ञप्ति जारी किये जाने में कोई अनियमितता जैसी स्थितिनहीं है । अतः प्रश्नांश अनुसार कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । (ग) प्रश्न में उल्लेखित याचिकाका संबंध भारत सरकार से है । प्रश्नाधीन क्षेत्र में वृक्ष की कटाई/हानि नहीं हुई है । (घ) अनुविभागीयअधिकारी विजावर द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत अनुमति प्रदान की गई है ।

तिलहन संघ के सेवायुक्तों को नियमानुसार वेतनमान नहीं दिया जाना

89. **(क्र. 1050) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सत्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-14/2013/1/3 दिनांक 12.08.13 के द्वारा जारी आदेश में तिलहन संघ के सेवायुक्तों का विभिन्न विभागों में संविलियन योजना के तहत संविलियन किन-किन विभागों में प्रश्नतिथि तक किया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित तिलहन संघ के सेवायुक्तो को सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी संविलियन के पश्चात पूर्ववर्ती वेतनमान से कम वेतनमान एवं पूर्ववर्ती पदनाम से कम पदनाम पर विभागों के द्वारा संविलियन किया गया है ? अगर नहीं तो विभिन्न संविलियन हुये सेवायुक्तो ने शासन या अन्य के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है ? प्रकरणवार दें ? (ग) क्या तिलहन संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों के संविलियन पर सामान्य प्रशासन/सहकारिता/पंचायत एवं ग्रामीण में लिया गया है ? क्या संविलियन पश्चात इनके पदनाम/वेतनमान का उक्त तीनों विभागों में नियमानुसार पालन किया ? अगर नहीं तो क्यों ? (घ) संविलियन हुये सेवायुक्तों को क्या क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा ? अगर नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हां। सहकरिता विभाग में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्न तिथि तक 189 कर्मचारियों का विभिन्न विभागोंमें संविलियन किया जा चुका है ।विभागवार सूची परिशिष्ट (एक) पर है । (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तिलहन संघ के सेवायुक्तों के संविलियन संबधी जारी नीति दिनांक 12.08.2013 की कंडिका 2.6 में संविलियंन पद पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया तथा तिलहन संघ के वर्तमान में प्राप्त वेतन के संरक्षण की व्यवस्था दी गई है । अतः पूर्व वर्ती पद से कम वेतनमान देने का प्रश्न उपस्थित नही होता सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर कोई आपत्तिया दर्ज नही कराई गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता (ग) जी हॉ तिलहन संघ के कई पदनाम शासन के विभागो में विद्यमान नही है अतः अन्य पदों पर भी संविलियन किया गया है । किन्तु प्रश्नांश (ख) के अनुसार वेतन संरक्षण दिया गया है । संविलियन नीति का पालन किया गया है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (घ) दिनांक 1.4.2006 पदोन्नति योजना प्रभावशील ना होनेसे शेष प्रश्न उपस्थित नही होता ।

परिशिष्ट-"चौंतीस"

वेट कर की राशि जमा न होना

90. **(क्र. 1092) श्रीमती रेखा यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) वेट कर अधिनियम 2002 की धारा 26(1) में क्या प्रावधान किया जाकर इसे किस दिनॉक से लागू किया गया है, इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर धारा 26(6) में क्या प्रावधान दिए गए हैं ? (ख) धारा 26(1) के प्रावधान लागू किए जाने के दिनॉक से वर्ष 2013-2014 तक किस वर्ष में छतरपुर जिले में कार्यरत वन विभाग के किस-किस कार्यालय ने किस संयुक्त वन प्रबन्धन समिति के कितने मूल्य की क्रय सामग्री पर कितना टैक्स काट कर विभाग में किस दिनॉक को जमा करवाया ? (ग) धारा 26(1) के प्रावधान लागू किए जाने के दिनॉक से वर्ष 2013-2014 तक क्रय की गई सामग्री एवं काटे गए वेट की जानकारी हेतु वाणिज्यिक कर विभाग छतरपुर ने किस दिनॉक को पत्र लिखे यदि पत्र भी नहीं लिखे गए हों तो कारण बतावें ? (घ) उपरोक्त अवधि में क्रय की गई सामग्री पर वेट कर काट कर जमा न करवाने वालों के विरूद्ध धारा 26(6) के तहत कब तक प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा, समय सीमा सहित बतावें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम २००२ की धारा २६(१) एवं धारा २६(६) के प्रावधान परिशिष्ट 'ए' पर है । उपरोक्त प्रावधान दिनांक ०१-०४-२००६ से लागू किया गया है । (ख) धारा २६(१) के प्रावधान लागू किये जाने के दिनांक से वर्ष २०१३-२०१४ तक मण्डलाधिकारी छतरपुर व्दारा छतरपुर जिले में वन विभाग के कार्यालयों व्दारा वन प्रबन्धन समितियों से सामग्री क्रय नहीं की गई हैं। अतः जमा कर निरंक है । (ग) धारा २६(१) के प्रावधान लागू किये जाने के दिनांक से वर्ष २०१३-१४ तक क्रय की गई सामग्री एवं काटे गए वेट की जानकारी हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी छतरपुर व्दारा पत्र क्रमांक ६६४, दिनांक १९-११-२०१४ से वन मण्डलाधिकारी छतरपुर से जानकारी चाही गई है । क्रय की गई सामग्री पर वेट काटे जाने के संबंध में राज्य शासन के व्दारा पत्र क्रमांक २९९६/पी.एस./सीटी/०८,भोपाल, दिनांक २९-०७-२००८, क्रमांक ए १३-३५/९६ विक/पॉच, भोपाल दिनांक २३-१२-२००८ एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर का पत्र क्रमांक १८४/२०१२-१३ पंद्रह २३ इन्दौर दिनांक २१-०३-२०१३ व्दारा भी परिपत्र जारी किये गये हैं। (घ) उपरोक्त अवधि में सामग्री क्रय नहीं किये जाने से धारा २६(६) के तहत कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

परिशिष्ट-" पैंतीस"

सागर जिले की देवरी तहसील में अवैध शराब बिक्री

91. **(क्र. 1114) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि जिला सागर की तहसील देवरी में अवैध शराब विक्रय होने संबंधी शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रभारी मंत्री एवं पुलिस अधीक्षक, सागर को प्रेषित किया गया था ? (ख) यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । माननीय विधायक प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अवैध शराब विक्रय होने संबंधी शिकायत माननीय प्रभारी मंत्री एवं पुलिस अधीक्षक, सागर की ओर प्रेषित की गई थी । (ख) माननीय विधायक द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग द्वारा शिकायती पत्र में वर्णित व्यक्तियों एवं ग्रामों में 34 अवसरों पर दबिश कार्यवाही के दौरान 20 आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-34 (क) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये हैं। तलाशी की कार्यवाही के दौरान शेष 14 स्थानों पर कोई अवैध मदिरा विक्रय एवं संग्रहण होना नहीं पाये जाने से कोई प्रकरण कायम नहीं किये गये हैं ।

ट्रांसफार्म बदलने के नाम पर विद्युत तेल की राशि की किसानों से वसूली

92. **(क्र. 1119) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या यह सही है कि जौरा विधान सभा क्षेत्र में किसानों द्वारा विद्युत बिलों की अदायगी के बावजूद भी किसानों के विद्युत पम्पों के ट्रांसफार्मर खराब होने पर विद्युत तेल बदलने के नाम पर हजारों रूपये संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों से वसूल किये जा रहे हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित तेल बदलने के नाम पर वसूली का कोई विभागीय प्रावधान है ? यदि हां, तो निर्धारित राशि मात्रा बतावें ? यदि नहीं, तो वसूल किये गये हजारों की राशि पर संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? (ग) वर्ष, 2013-14 एवं चालू वर्ष में प्रश्न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र जौरा के अंतर्गत विद्युत केन्द्र जौरा एवं विद्युत केन्द्र अलापुर एवं विद्युत केन्द्र कैलारस के संलग्न क्षेत्रों में घरेलू उपयोग एवं कृषि उपयोग के कितने ट्रांसफार्मर खराब हुये और कितने ट्रांसफार्मर निश्चित अवधि में बदले गये ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में खराब हुये एवं बदले हुये ट्रांसफार्मरों की संख्या एवं स्थान बतायें ? क्या खराब हुये सभी ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कारण बतावें ? ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया के दौरान मनमाने तरीके से संबंधित अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है ? इस संबंध में क्षेत्र से आम लोगों की कितनी शिकायतें विद्युत केन्द्र जौरा, विद्युत केन्द्र अलापुर, विद्युत केन्द्र कैलारस के संबंध में प्राप्त हुई ? और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (घ) प्रश्नांश 'ग' के संदर्भ में खराब हुये एवं बदले हुये ट्रांसफार्मरों की संख्या स्थान तथा बदल दिये गये ट्रांसफार्मरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । वर्ष 2013-14 के 02 ट्रांसफार्मरों को बकाया राशि होने के कारण बदला नहीं गया है । जी नहीं। संबंधित क्षेत्र के वितरण केन्द्र अलापुर, कैलारस एवं जौरा आदि क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अत: प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी परियोजना के तहत विद्युतीकरण की प्रगति

93. **(क्र. 1121) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) जौरा विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी परियोजना के तहत कितने ग्रामों में विद्युतीकरण पूर्ण कर ग्रामों को विद्युत सुविधा से जोड दिया गया है और कितने ग्राम अभी भी विद्युत सुविधा से वंचित रह गये हैं ? (ख) मार्च, 2014 के सत्र में दिनांक 5 मार्च, 2014 के प्रश्न क्रमांक 64 (473) के प्रश्नांश (ख) में विद्युत विहीन एवं अपूर्ण कार्य के संबंध में स्वीकृत प्राप्त होने के पश्चात् शेष कार्य को एक वर्ष के अंदर पूर्ण कराने के प्रयास किये जावेंगे लेख किया गया था, तो उत्तरांश में अभी तक क्या प्रयास किये गये है ? किये गये प्रयासों में कितने ग्राम विद्युत सुविधा से जोड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो ग्रामों की सूची से अवगत करायें ? यदि नहीं, तो कब तक विद्युत सुविधा से जोड़ दिये जावेंगे ? समयसीमा निर्धारण की जावेगी ? (ग) क्या यह सही है कि राजीव गांधी परियोजना के तहत विद्युतीकरण कार्य में पूरे जिले की विधान सभाओं में कार्य के अनुपात में जौरा विधान सभा में सबसे कम कार्य हुआ है ? यदि हां, तो जौरा विधान सभा में विद्युतीकरण हेतु कोई विशेष योजना बनाकर विद्युत विहीन ग्रामों को जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाया जायेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 47 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर विद्युत प्रदाय चालू कर दिया गया है एवं 72 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना शेष है । (ख) जी हां। इस हेतु विभागीय स्तर से कार्य सम्पादित कराने हेतु आर.ई.सी से पत्र दिनांक 1 मार्च 2014 से स्वीकृति प्राप्ति उपरांत विशेष प्रोजेक्ट संभाग का गठन किया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । उक्त संभाग द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लम्बित कार्यों में से प्रश्नांश दिनांक तक जौरा विधानसभा के 01 ग्राम (आंतरी) में कार्य पूर्ण कर विद्युत प्रदाय चालू कर दिया गया है । विशेष प्रोजेक्ट संभाग द्वारा शेष ग्रामों में अधोसंचरना के कार्य हेतु कार्यवाही प्रगति पर है तथा कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण कराया जाना संभावित है । (ग) जी नहीं। जिले की अन्य विधानसभाओं के लगभग समानुपात में ही जौरा विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी योजनांतर्गत विद्युतीकरण के कार्य हुए हैं। जौरा विधानसभा क्षेत्र में योजनांतर्गत लम्बित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु विशेष प्रोजेक्ट संभाग गठित किया गया है जिसके द्वारा कार्य कराने की कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त मुरैना जिले में 100 एवं इससे अधिक आबादी वाले मजरे/टोलों के विद्युतीकरण के कार्य राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनांतर्गत बारहवॉ प्लान में स्वीकृत है । जिसका अवार्ड जारी किया जा चुका है, जिसमें जौरा विधानसभा क्षेत्र के मजरे/टोलों के विद्युतीकरण के शेष कार्य भी सम्मिलित हैं ।

नियुक्तियों की नस्ती गुम होने के दोषी का स्थानांतरण

94. **(क्र. 1125) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विधानसभा सत्र जुलाई 2014 की 22 जुलाई की प्रश्नोत्तरी में प्रश्न क्रमांक 118 (क्र. 4693) में नियुक्तियों की जांच संबंधी नस्ती गुम होने के कारण किसी अधिकारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, का उत्तर दिया गया है तो एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद क्या उक्त अधिकारी का वर्तमान पदस्थापना से अन्यत्र स्थानांतरण किया गया है ? यदि हां, तो कब ? आदेश क्रमांक/दिनांक बताएं ? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हां है, तो क्या उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है ? यदि हां तो कार्यमुक्त का आदेश क्रमांक/दिनांक बताएं और यदि नहीं, तो कार्यमुक्त न करने का कारण स्पष्ट करें ? क्या उच्च शिक्षा विभाग की भांति कार्यमुक्त न होने वाले उक्त अधिकारी को शासन आदेश की अवहेलना के लिए निलंबित किया गया है ? नहीं, तो क्या निलंबित किया जाएगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) पूर्व में उत्तर दिया गया था कि मूल नस्ती गुम होने के कारण एफआईआर दर्ज करने हेतु भोपाल स्थित जहॉगीराबाद थाने को दिनांक 17 जुलाई 2014 को लिखा गया है । प्रकरण वर्तमान में भी विवेचनाधीन है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

दमोह जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई का समय

95. **(क्र. 1126) श्री लखन पटेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) दमोह जिले में पथरिया एवं बटियागढ़ तहसील के ग्रामों में विद्युत मोटर चलाने हेतु कितने विद्युत फीडर हैं ? (ख) किन-किन विद्युत फीडरों से कितने-कितने ग्रामों की विद्युत प्रदाय की जाती है? वर्तमान में समय का निर्धारित कितने घण्टे एक दिवस में है ? (ग) प्रत्येक फीडर पर कितना लोड विद्यमान है? कितने फीडरों पर अधिक लोड है तथा अधिक लोड वाले फीडरों पर कब तक लोड कम कर दिया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) दमोह जिले में पथरिया एवं बटियागढ़ तहसील क्षेत्रान्तर्गत कृषि उपयोग के 11 के.व्ही. के 47 फीडर विद्यमान है । (ख) दमोह जिले में पथरिया एवं बटियागढ़ तहसील क्षेत्रान्तर्गत कृषि फीडरवार ग्रामों को विद्युत प्रदाय करने की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । वर्तमान में कृषि फीडरों पर 10 घण्टे विद्युत प्रदाय की व्यवस्था है । (ग) इन कृषि फीडरों पर वर्तमान में विद्यमान भार संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । दमोह जिले में पथरिया एवं बटियागढ़ तहसीलों में विद्यमान सभी कृषि उपयोग के 11 के.व्ही. फीडरों की भार क्षमता 170 एम्पीयर है, जबकि वर्तमान में सभी फीडरों पर उक्त क्षमता से कम भार है । अत: फीडरों का भार कम करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

बिजली के तार बदलेने जाना

96. **(क्र. 1127) श्री लखन पटेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) दमोह जिले में हटा से ग्राम हारट विद्युत लाइन कब स्थापित की गई थी ? (ख) क्या उपरोक्त विद्युत लाइन पुरानी हो गई है, उसकी उम्र (समय) कब तक उपयोग करने का है, तथा लाइन यदि ढीली हो गई है, तो कब तक खिंचाई कार्य होगा ? (ग) यदि विद्युत लाइन का समय (उम्र) पूरा हो गया हैं, तो बदलने का कार्य कब किया जावेगा तथा यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सन् 1990 में स्थापित की गई । (ख) जी नहीं । लाईन के निर्माण के उपरांत इसके उपयोग करने की निश्चित अवधि नहीं होती है तथा लाईन सुचारू बनाए रखने हेतु समय-समय पर इसके मेन्टेनेंस का कार्य निष्पादित किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार लाईन की पुरानी सामग्री को नई सामग्री से बदला जाता है । इस लाईन के ढीली होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और ना ही पेट्रोलिंग के समय लाईन के तार ढीले पाये गये हैं। सामान्यत: पेट्रोलिंग के दौरान लाईन ढीली पायी जाने पर खिंचाई/दुरूस्तीकरण का कार्य किया जाता है । सामान्यत: वर्ष में दो बार वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात् लाईनों का रख-रखाव का कार्य किया जाता है उस दौरान ढीली लाईनों के तारों को टाइट करने का कार्य भी किया जाता है । (ग) जी नहीं अत: प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि पम्पो के बिलो में बदलाव

97. **(क्र. 1135) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या सीहोर जिले के कृषकों के कृषि पम्पो के बिल 5 H .P से 7.5 H .P के कर दिए है ? (ख) अगर हॉ तो किन आदेशो से यह बदलाव किया हैं ? (ग) अगर नहीं तो कृषकों को 5 H .P के कृषि पम्पो के बिल 7.5 H .P के कृषि पम्प के हिसाब से क्यों दिया जा रहा है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) यह सही नहीं है कि सीहोर जिले के अन्तर्गत कृषि पम्प उपभोक्ताओं को 05 अश्वशक्ति के स्थान पर 7.5 अश्वशक्ति के बिल दिये जा रहे हैं, बल्कि उपभोक्ता परिसर का निरीक्षण एवं भार सत्यापन उपरांत ही उपभोक्ता द्वारा उपयोग किये जा रहे भार के आधार पर बिल दिये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 2252 कृषि उपभोक्ताओं के सत्यापित भार के आधार पर भार 05 अश्वशक्ति के स्थान पर 7.5

अश्वशक्ति के बिल दिये गये हैं तथा 29 कृषि उपभोक्ताओं के भार में कमी भी की गई है । (ख) हां निरीक्षण के दौरान किये गये भार सत्यापन अनुसार म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान अनुसार बदलाव किया गया। (ग) उत्तरांश (ख) के परिपेक्ष्य में प्रश्नांश लागू नहीं ।

महाविद्यालयों में रिक्त पद

98. **(क्र. 1165) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) राघौगढ़ नगर पालिका/आरोन नगर पंचायत में शासकीय महाविद्यालय तथा इन महाविद्यालय में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत है ,तथा कितने पदों पर शिक्षक कार्यरत है एवं शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी देवें ? (ख) शासन द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है एवं रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाऐगी ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जानकारी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । (ख) प्रदेश के महाविद्यालयों में राजपत्रित शैक्षणिक रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रक्रियाधीन है । लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है ।

परिशिष्ट-"छत्तीस"

विभाग द्वारा नियम विरूद्ध वसूली

99. **(क्र. 1170) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी रिटेल सप्लाय टेरिफ आर्डर वित्तीय वर्ष 2014-2015 में कृषि हेतु अस्थाई विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिये 3 माह का अग्रिम भुगतान करने का प्रावधान है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में क्या यह सही है कि, धार जिले में कृषकों को 3 माह के स्थान पर 4 माह का अग्रिम भुगतान हेतु बाध्य किया जा रहा है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिपेक्ष्य में यदि उत्तर हाँ है, तो कृषकों पर दबाव बनाकर 4 माह का भुगतान करवाने वाले विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों, कारण स्पष्ट करें ? यदि कोई कार्यवाही की जाएगी, तो कब तक, समय सीमा बतायें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । (ख) जी नहीं । (ग) उत्तरांश 'ख' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना

100. **(क्र. 1187) श्री उमंग सिंघार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) इंदिरा सागर डेम (पुनास डेम) के बैकवाटर हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विभाग द्वारा क्या योजना (नीति) बनाई गई है, उसमें क्या प्रावधान है ? (ख) विभाग द्वारा कौन-कौन सी भूमि पर्यटन के लिये प्रस्तावित की गई है ? गांव के नाम, भूमि का सर्वे नंबर, रकबा स्पष्ट करें ? (ग) क्या विभाग निजी क्षेत्र में स्वयं की भूमि पर पर्यटन उद्योग स्थापित करना चाहता है ? निजी व्यवसायियों के लिए नीति में क्या प्रावधान है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) इंदिरा सागर डेम के बैठवाटर में पर्यटन को बढावा देने के लिए स्वीकृत योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" के अनुसार । (ग) जी हॉ। निजी व्यवसायियों के लिए पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित 2014) में प्रावधान निहित हैं। पर्यटन नीति की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "तीन" के अनुसार ।

प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही नहीं किया जाना

101. **(क्र. 1188) श्री उमंग सिंघार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा 28 अगस्त एवं 22 सितंबर 2014 को सचिव खनिज साधन भोपाल एवं संचालक खनिकर्म एवं भौमिकी भोपाल को लिखे गये पत्रों में अवैध खनिज खनन से संबंधित किस जिले की कौन-कौन सी चाही गई जानकारी प्रश्नांकित तिथि तक प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करवाई गई, और कौन-कौन सी जानकारी किन कारणों से उपलब्ध नहीं करवाई गई ? (ख) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1966 के नियम 53 में अवैध खनिज खनन के प्रकरणों को सुनवाई हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के क्या प्रावधान वर्ष 2010 में शामिल किए गए इन प्रावधानों का पालन किए जाने के संबंध में सचिव एवं संचालक ने किस दिनांक को आदेश, निर्देश, पत्र, परिपत्र जारी किए प्रति सहित बतावें ? (ग) नियम 53 के अनुसार अवैध खनिज खनन के प्रकरणों को सुनवाई हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत न करने वाले, खनिज विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध सचिव एवं संचालक के द्वारा प्रश्नांकित तिथि तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, की गई हो तो कारण बतावें ? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 28 अगस्त एवं 22 सितम्बर 2014 को लिखे गए पत्र में अवैध खनिज खनन से संबंधित चाही गई जानकारी प्रश्नकर्ता को कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नांकित पत्रों के द्वारा वांछित जानकारी विस्तृत स्वरूप की तथा विषयवस्तु विभिन्न जिलों से संबंधित होने के कारण संचालनालय द्वारा जानकारी सीधे प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु जिलों को निर्देश जारी किये गये थे। निर्देश के पालन में जिलों द्वारा प्रेषित की गई जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार है । शेष जिलों को शीघ्र जानकारी प्रेषित करने के निर्देश पुनः दिए गये हैं। (ख) मप्र गौण खनिज नियम 1996 में वर्ष 2010 में प्रश्नाधीन प्रावधान नहीं किया गया है । यह प्रावधान नियम 1996 में पूर्व से ही अधिसूचित है । अतः कोई आदेश पत्र परिपत्र जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है । (ग) प्रश्नांश ख में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन संस्थित करने के साथ ही प्रकरण के प्रशमन के प्रावधान भी नियम में हैं। अतः प्रश्नाधीन कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (घ) जानकारी प्रश्नांश क में दिये गये उत्तर अनुसार।

लोअर गोई व पुनासा बांध परियोजना

102. **(क्र. 1194) श्री बाला बच्चन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) बड़वानी जिले की लोअर गोई बांध परियोजना (भीमा नायक) कब तक पूर्ण होकर नहरों का पानी लाभान्वितों को मिलना था, स्पष्ट करें ? (ख) क्या ठेकेदार द्वारा इसका काम बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस परियोजना का काम कैसे पूरा होगा ? पूर्ण होने व नहरों के पानी मिलने की समयावधि बताएं ? ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक होगी ? (ग) पुनासा बांध परियोजना भी कब तक पूर्ण होगी व इससे कब तक नहरों को पानी मिलेगा ? (घ) इसके विलंब के दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही होगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) वर्ष 2013 में पूर्ण करने का लक्ष्य था। (ख) ठेकेदार द्वारा परियोजना का कार्य बंद नहीं किया गया है । कार्य निरंतर किया जा रहा है । कार्य पूर्ण होने तथा नहरों का पानी मिलने हेतु जून 2015 का लक्ष्य निर्धारित है । ठेकेदार पर निर्माण कार्यक्रम में दिए वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने का करण रूपये 1.52 करोड की पेनाल्टी अधिरोपित की गयी है, जिसके विरूद्ध ठेकेदार द्वारा प्रकरण न्यायालय में लगाया गया है प्रकरण न्यायालय में प्रक्रियाधीन है । अत: परियोजना में विलम्ब के लिए अधिकारियों पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । (ग) पुनासा बांध परियोजना (इंदिरा सागर परियोजना) पूर्ण हो चुकी है नहरों का काम प्रगति पर है एवं नहरों द्वारा वर्ष 2009-10 से सिंचाई हेतु पानी छोडा गया। वर्ष 2014-15 में रबी सिंचाई हेतु दिनांक 01.11.2014 से पानी छोडा गया है एवं वर्ष 2013-14 में 53000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई की गई । (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजीव गांधी विद्युतीकरण में ट्रांसफार्मर लगाए जाना

103. **(क्र. 1195) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में शेष रहे ट्रांसफार्मर कब तक लगा दिए जाऐंगे ? (ख) उपरोक्त ग्रामों की सूची ट्रांसफार्मर क्षमता के साथ देवें ? (ग) शेष रहे ग्राम कब तक इस योजना में शामिल कर लिए जाऐंगे ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में कोई भी ट्रांसफार्मर लगाना शेष नहीं है । (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार कोई ट्रांसफार्मर लगाया जाना शेष नहीं है, अत: प्रश्न नहीं उठता। (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कोई ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है, अत: योजना में शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अवैध खनिज खनन पर कार्यवाही

104. **(क्र. 1196) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के ग्राम बपैय्या में दिनेश पिता मांगीलाल के विरूद्ध दिनांक 29.05.2014 को की गई जॉच में 30,29,25,600 रू. की रिकवरी निकाली गई ? यह राशि कब तक वसूल की जावेगी ? (ख) उपरोक्त प्रकरण चलने के बाद भी इनकी गिट्टी मशीन सील नहीं की गई व खनन पर रोक नहीं लगाई गई ? कारण स्पष्ट करें ? इस पर कब तक कार्यवाही की जावेंगी ? (ग) विगत 5 माह में दिनेश पिता मांगीलाल द्वारा प.रेलवे कोटा को क्या-क्या खनिज सामग्री सप्लाई की गई ? इसकी माहवार, खनिजवार सूची देवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। श्री दिनेश पिता मांगीलाल के विरूद्ध दर्ज अवैध उत्खनन का प्रकरण वर्तमान में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, महिदपुर में विचाराधीन है । प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियाधीन होने के कारण वसूली हेतु समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ख) प्रश्नाधीन व्यक्ति के विरूद्ध स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र से अतिरिक्त क्षेत्र पर खनिज के अवैध उत्खनन करने के आधार पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(7) के तहत प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में दर्ज है । यह पृथक दण्डात्मक कार्यवाही है । इसके तहत खनन संक्रियाओं पर रोक लगाया जाना नियमानुसार नहीं है । उत्खनिपट्टा की शर्तों के

उल्लंघन पर प्रश्नाधीन व्यक्ति को कारण बताओ सूचना पत्र दिनाँक 03.06.2014 को जारी किया गया है । इसका जवाब उनके द्वारा दिनाँक 08.09.2014 को दिया गया है । विधि प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही प्रचलित है । इस पर अंतिम निर्णय नहीं होने से वर्तमान में खनन कार्य/संक्रिया पर रोक लगाया जाना संभव नहीं है । (ग) प्रश्नांश संबंधी जानकारी संधारित किये जाने का म.प्र गौण खनिज नियम 1996 में कोई प्रावधान नहीं है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

पुर्नवास स्थल पर मूलभूत सुविधाएं एवं अनुदान राशि का प्रदाय

105. **(क्र. 1204) श्री रमेश पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) बडवानी विधान सभा क्षेत्र के (सरदार सरोवर परीयोजना) के डूब प्रभावित पुर्नवास स्थल पर मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने पर कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? (ख) इस क्षेत्र के निवासियों को उपरोक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी, समयसीमा बतावें ? पुर्नवास स्थलों पर पक्की नालियां और विस्थापितों के भू:खण्ड/प्लाट में शौंचालयों का पानी ड्रेनेज वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है ? (ग) (सरदार सरोवर परियोजना) में 25 प्रतिशत् से अधिक कृषि भूमि प्रभावित परिवार के मुखिया एवं वयस्क पुत्रों को सर्वोच्च न्यायाल के निर्णय में 2 हैक्टेयर कृषि भूमि की पात्रता है और 2 हैक्टर के बदले विशेष पुर्नवास अनुदान भी दिया जा रहा है ? उक्त राशि 5 लाख 65 हजार दी जा रही है ? उक्त राशि की गणना कौन से वर्ष में की थी ? वहीं राशि आज सन् 2014 में भी दी जा रही है ? क्या S. .R . P . की राशि बढ़ाने का प्रावधान है ? यदि है, तो कब तक दी जायेगी ? (घ) सरदार सरोवर परियोजना, डूब प्रभावित मुखिया एवं व्यवस्क पुत्रों को एस.आर.पी. राशि का भुगतान एवं प्लाट अनुदान परिवहन, परीसम्पत्ति अनुदान देना बन्द है ? कब तक भुगतान देना चालू हो जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) :(क) सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत बडवानी विधान सभा क्षेत्र के कुल 40 डूब प्रभावित ग्रामों के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 18 पुनर्वास स्थल विकसित किये गये है । सभी पुनर्वास स्थलों पर N W D T अवार्ड एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की पुनर्वास नीति के अनुरूप सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (अ) पर है । अत: शेषांश का प्रश्न नहीं उपस्थित होता। (ख) उपरोक्त (क) अनुसार । नालियों (ड्रेनेज) की जहॉ आवश्यकता है, 18 में से 13 पुनर्वास स्थलों पर आवश्यकतानुसार ड्रेनेज व्यवस्था की गई है । पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (अ) पर विवरण संलग्न है । (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.05.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि के वयस्क पुत्र विस्थापितों को पृथक से वैकल्पिक कृषि भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है । इसलिए वर्तमान में वयस्क पुत्रों को पृथक से भूमि आवंटन की पात्रता नहीं दी जा रही है । 2 हेक्टेयर भूमि आवंटन के बदले विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में रू. 558000/- की राशि दी जाती है । इस राशि की गणना वर्ष 2001 में की गई थी तथा इस राशि में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । इस राशि को बढाने का कोई प्रावधान नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) सरदार सरोवर परियोजना के डूब प्रभावित परिवारों को (वयस्क पुत्रों को विशेष पुनर्वास अनुदान छोडकर) पुनर्वास संबंधी देय समस्त अनुदान के भुगतान पर कोई प्रतिबंध नहीं है । अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जनभागीदारी योजनांतर्गत स्वीकृत राशि

106. **(क्र. 1207) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या बैतूल जिले में जन भागीदारी योजनांतर्गत राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो विगत तीन वर्षो में वर्षवार कितनी राशि बैतूल जिले को आवंटित की गई ? (ख) विगत 03 वर्षो में वर्ष वार एवं विकासखण्ड तथा पंचायत वार कौन--कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ? उपरोक्त स्वीकृत कार्य किसके द्वारा स्वीकृत किये गये ? (ग) क्या जनभागीदारी योजना से कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु स्थायी जनप्रतिनिधि विधायक से सहमति प्राप्त की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सही है कि वर्ष 2014 की जिला योजना समिति की बैठक में जनभागीदारी की राशि से कार्यों की स्वीकृति हेतु विधायक की सहमति लिए जाने का निर्णय लिया गया था ? (घ) यदि हां, तो क्या बैठक के पश्चात जन भागीदारी की राशि से स्वीकृत कार्यों हेतु विधायक की सहमति प्राप्त की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) :(क) जी हॉ । जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	आवंटित राशि
२०१२-२०१३	रू0 २५०.०० लाख
२०१३-२०१४	रू0 ३००.०० लाख
२०१४-२०१५	रू0 ५००.०० लाख

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट-अ पर है । जनभागीदारी योजना अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा जारी की गई है । (ग) जी नहीं। जानभागीदारी नियम-२००० में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । यदि जनप्रतिनिधि द्वारा कार्यों की अनुशंसा की जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । जिला योजना समिति की बैठक में विधायक की सहमति लिए जाने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया। (घ) जी नहीं।शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

बैतूल में स्वीकृत सब स्टेशन

107. **(क्र. 1209) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) विगत 3 वर्षों में बैतूल जिले में कितने सब स्टेशन स्वीकृत हुए ? सूची देवें ? (ख) कितने सब स्टेशन के कार्य पूर्ण है, अपूर्ण है, पृथक-पृथक बताएं ? समय-सीमा से अधिक अपूर्ण रहने के कारण बताएं ? (ग) क्या पूर्व में स्वीकृत सब स्टेशन बाद में निरस्त कर दिए गए यदि हाँ, तो कारण बताएं ? (घ) उपरोक्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिए जाएंगे ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :(क) विगत 3 वर्षो में बैतूल जिले में 132/33 के.व्ही. अति उच्च दाब का 01 एवं 33/11 के.व्ही. के 20 उपकेन्द्र स्वीकृत हुये है । सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है । (ख) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित उपकेन्द्रों में से 132/33 के.व्ही. का 01 तथा 33/11 के.व्ही. के 05 कुल 6 उपकेन्द्रों के कार्य पूर्ण होने की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - "ब" अनुसार है । 33/11 के.व्ही. के शेष 15 उपकेन्द्रों का कार्य प्रगति पर

है, जो कि समय-सीमा के अन्तर्गत ही है, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार है । (ग) जी नहीं। (घ) शेष 15 उपकेन्द्र के कार्य पूर्णता की तिथि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार है ।

परिशिष्ट- "सैंतीस"

ग्राम मांगरोल तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना में मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के कार्य

108. **(क्र. 1219) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) ग्राम मांगरौल, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना में मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट का कार्य कब स्वीकृत हुआ है ? एवं इस कार्य को पूर्ण होने की समय-सीमा बतावें ? (ख) मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट का कार्य किस कम्पनी/ठेकेदार को दिया गया है ? नाम बतायें ? (ग) क्या यह सही है कि संबंधित ठेकेदार/कम्पनी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया जा रहा है ? इसके लिए जिम्मेदार संबंधित ठेकेदार/अधिकारी का नाम बतावें ? (घ) क्या संबंधित ठेकेदार अथवा अधिकारी के खिलाफ समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण कार्यवाही एवं कार्य पूर्ण कब तक हो जावेगा इसकी भी समय सीमा बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) ग्राम मांगरोल तह. सबलगढ़ जिला मुरैना में मिनी हाईड्रो प्रोजेक्ट के कार्य के लिये आशय पत्र(Letter of Award) दिनांक 07.02.2014 को जारी किया गया एवं लीज अनुबंध दिनांक 24.03.2014 को हस्ताक्षरित किया गया। लीज अनुबंध के अनुसार प्रोजेक्ट के शेष कार्य को पूर्ण करने की दिनांक 24.09.2014 थी, जिसे अनुबंध के प्रावधान अनुसार पुन:रीक्षित दिनांक 24.12.2014 को किया गया है । (ख) मिनी हाईड्रो प्रोजेक्ट का कार्य मेसर्स माधव इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड बडोदरा को दिया गया है । (ग) जी नहीं । कंपनी (मेसर्स माधव इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड बडोदरा) द्वारा विस्तारित निर्धारित समयावधि में ही कार्य पूर्ण किया जाना अपेक्षित है । (घ) उत्तरांश (ग) के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। दिनांक 24.12.2014 तक कार्य पूर्ण होना अपेक्षित है ।

चम्बल नहर का सुदृढ़ीकरण

109. **(क्र. 1220) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) चम्बल नहर पर सुदृढ़ीकरण का कार्य किस कंपनी/ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है ? नाम बतायें ? एवं सुदृढ़ीकरण में स्टेटमेंट अनुसार किस नदी का रेत प्रयोग किया जाना है नाम सहित बतायें ? (ख) क्या यह भी सही है कि इसमें सिंध नदी का रेत का प्रयोग किया जाना है ? परन्तु ठेकेदार द्वारा चम्बल नदी के वीहड़ का घटिया रेत प्रयोग किया जा रहा है ? इससे सुदृढ़ीकरण कार्य की गुणवत्ता घटिया किस्म की है ? जहां-जहां सीमेंटीकरण हो चुका है उसमें दरारे पड़ चुकी है ? क्या संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी ? और कब तक ? समय-सीमा बतायें ? (ग) सुदृढ़ीकरण कार्य कब तक पूरा होने की स्वीकृति मिली थी एवं कब तक कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण करना है समय-सीमा बतायें ? एवं समय सीमा में कार्य न होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी/ठेकेदार का नाम बतायें ? (घ) क्या समय-सीमा में कार्य पूरा न होने की स्थिति में जिम्मेदार ठेकेदार/अधिकारी के खिलाफ कब तक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी समय-सीमा बतायें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) संलग्न जानकारी प्रपत्र -1 अनुसार है । अनुबंध में विर्निदिष्ट नदी की रेती का उपयोग होना प्रतिवेदित है । निर्माण कार्य को पूर्ण कराना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा सिंचाई एवं वर्षा ऋतु के पूर्व निर्माण कार्य हेतु समय मिलने पर निर्भर है । अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है ।

परिशिष्ट- "अड़तीस"

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शासनादेश का उल्लंघन कर प्रश्नकर्ता के पत्रों का जवाब नहीं दिया जाना

1. **(क्र. 16) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 6 अगस्त 2012 के द्वारा माननीय संसद सदस्यों/विधायकों से प्राप्त पत्रों की अभिस्वीकृत एवं पत्रों पर की गई कार्यवाही से माननीय सांसद/विधायकों को अवगत कराने के दिशा-निर्देश जारी किये गये है एवं इसी प्रकार के समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रश्न दिनांक तक भी जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ? बतायें? (ख) यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड, मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार एवं रौन तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार जिला भिण्ड को पत्र लिखे गये । उन किन-किन पत्रों का उत्तर कब-कब दिया गया ? पत्रवार ब्यौरा दें ? (ग) क्या शासन के उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार भिण्ड जिला प्रशासन पालन कर रहा है ? यदि नहीं, तो प्रश्नकर्ता के द्वारा किये गये पत्राचारों पर उक्त दिशा-निर्देशो के अनुसार पालन नहीं किये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त अवधि में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे पत्रों का उत्तर कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ? समयावधि बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 06.08.2012 को निर्देश जारी किये गये । इसके पश्चात कोई निर्देश जारी नहीं किये गये । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हां । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

म.प्र. स्थापना दिवस के आयोजन पर व्यय

2. **(क्र. 17) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्या यह सही है कि राजधानी भोपाल में 01 नवम्बर, 2014 को म.प्र. स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया था ? (ख) यदि हां, तो इस समारोह के आयोजन में किस-किस कार्य पर एवं कार्यक्रम हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस को किया गया ? पृथक-पृथक व्यय राशि का ब्यौरा दें ? तथा कार्यक्रम के लिए किस-किस प्रकार के आमंत्रण कार्ड, कितनी संख्या में छपवाये गये, तथा इन छपवाई पर कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) उक्त समारोह के आयोजन के लिये किस एजेंसी द्वारा कार्य, किस दिनांक से प्रारंभ कर दिया गया था ? तथा इस हेतु टेण्डर कब आमंत्रित किये गये और टेण्डर में किन-किन एजेंसियों ने भाग लिया, तथा किस एजेंसी का चयन, किस आधार पर किया गया, बतायें ? क्या जिस एजेंसी का चयन किया गया, उसके द्वारा टेण्डर आमंत्रित करने के पूर्व ही कार्य आरंभ कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या टेण्डर प्रक्रिया से हटकर इस एजेंसी को कार्य दिया गया ? इस एजेंसी को कुल कितनी राशि का भुगतान किन-किन कार्यो के लिये किया गया ? चयनित एजेंसी के संचालक एवं भागीदारों के नाम, पते सहित ब्यौरा दें ? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या वर्ष, 2012 में स्थापना दिवस के समारोह के आमंत्रण कार्ड लाल परेड मैदान, भोपाल में लोगों की बैठने की क्षमता से कई गुना अधिक संख्या में लगभग 5 लाख 59 हजार आमंत्रण कार्ड का मुद्रण म.प्र. माध्यम से कराया गया था ? यदि हां, तो आमंत्रण कार्ड के मुद्रण पर माध्यम को कितनी राशि का भुगतान कब किया गया ? क्या यह आवश्यकता से अधिक कार्ड छपवाना आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है ? यदि हां, तो इसके लिये संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ. (ख) आमंत्रित कलाकारों को रू. 1,01,90,813.00 एवं उत्सव की व्यवस्था पर रू. 57,30,000.00.विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार. अतिविशिष्ट श्रेणी के 2500 एवं विशिष्ट श्रेणी के 12500. मुद्रण देयक अप्राप्त है. (ग) मेसर्स सजावट टेन्ट हाउस भोपाल को दिनांक 16.10.2014 से. आयोजन संबंधी समस्त कार्य संस्कृति संचालनालय की स्वीकृत दर अनुसार क्रियान्वित. उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश का औचित्य नहीं. (घ) लोकव्यापी प्रचार-प्रसार के लिए कार्ड 5,57,000. रूपये 22,20,610. जी नहीं. उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न का औचित्य नहीं.

परिशिष्ट - "उन्चालीस"

कार्यकारी संचालक उद्‍यमिता विकास केन्द्र द्‍वारा पद का दुरूपयोग

3. **(क्र. 27) श्रीमती सरस्वती सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन को उद्‍यमिता विकास केन्द्र म.प्र., भोपाल के कार्यकारी संचालक में एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में श्री जितेन्द्र तिवारी द्‍वारा भारत के राज्य संप्रतीक का अपने लेटरहेड एवं विजिटिंग कार्ड में दुरूपयोग किये जाने के संबंध में मई, 2013 में कोई शिकायत साक्ष्य सहित प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण और यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो कारण बतावें ? (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन को इसके पूर्व भी किसी अन्य व्यक्तियों द्‍वारा भारत के राज्य संप्रतीक के दुरूपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो की गयी कार्यवाही का विवरण देवें ? (ग) क्या श्री जितेन्द्र तिवारी को भारत के राज्य संप्रतीक की पात्रता है ? या सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन द्‍वारा उपयोग की पात्रता के संबंध में कोई आदेश जारी किया था ? यदि नहीं, तो की गई कार्यवाही का विवरण देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

फीडर सपरेशन कार्य

4. **(क्र. 52) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश में फीडर सपरेशन का कार्य कराया गया है जिससे घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को अलग-अलग विद्‍युत वितरण किया जा रहा है ? किन्तु कई किसान ऐसे हैं जो अपने कुएं पर ही मकान बना कर उसमें निवास करते हैं उन्हें घरेलू लाइट का फायदा नहीं मिल पाता ? (ख) क्या शासन की खेतों पर रहने वाले लोगों को घरेलू विद्‍युत उपलब्ध करवाने की कोई योजना है यदि हॉ, तो क्या ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । ऐसे किसानों को उनके निवास के लिए घरेलू लाइट कनेक्शन देने की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु उन्हें वहाँ विद्‍युत की आपूर्ति कृषि फीडर के अनुसार की जाती है । (ख) जी, नहीं । खेत पर रहने वाले लोगों के लिए पृथक से घरेलू उपयोग के लिए 11 के.वी. फीडर लगाने की शासन की कोई योजना नहीं है ।

विज्ञापनों पर खर्च राशि

5. **(क्र. 53) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में पिछले 4 वर्षों में शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन पर प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि (1) समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, प्रिंट मीडिया (2) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च की गई, प्रतिवर्ष का विवरण दें ? (ख) इंदौर में इस वर्ष हुई इन्वेस्टर्स मीट पर समाचार पत्रों (साप्ताहिक, मासिक व दैनिक) तथा टी.वी. इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ तथा दिल्ली में खासतौर से जितने पोस्टर आदि लगे हैं उन पर कितना खर्च हुआ ? इसका अलग से विवरण देवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नांकित अवधि में विभिन्न विभागों के (वर्गीकृत विज्ञापनों को छोड़कर) जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर वर्षवार किये गये व्यय का ब्यौरा :-

वर्ष	प्रिंट मीडिया	इलेक्ट्रानिक मीडिया
2010-11	26.48 करोड़	11.90 करोड़
2011-12	31.86 करोड़	12.61 करोड़
2012-13	45.10 करोड़	15.86 करोड़
2013-14	67.04 करोड़	27.61 करोड़

(ख) इंदौर में इस वर्ष हुई इन्वेस्टर्स मीट पर समाचार पत्र-पत्रिकाओं एवं इलेक्टानिक मीडिया पर 11.14 करोड़ का व्यय हुआ । पोस्टर आदि पर कोई राशि खर्च नहीं की गई । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

हटा में विद्युत प्रदाय

6. **(क्र. 63) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह, विधानसभा क्षेत्र हटा में कितने विद्युत केंद्र व उपकेंद्र स्थापित है ? स्थलवार, स्थापना दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) शासन द्वारा किसानों को व घरेलू उपभोक्ताओं को कितने-कितने घण्टे बिजली प्रदाय करने का प्रावधान है ? आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें ? साथ में यह भी बतावें कि विधानसभा क्षेत्र हटा में कितने विद्युत ट्रान्सफार्मर चालू हैं कितने बंद हैं बंद है तो किन कारणों से बंद है ? कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें ? (ग) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय भ्रमण उपरान्त प्राप्त जनता द्वारा शिकायतों के आधार पर विद्युत आपूर्ति समयानुसार नहीं की जा रही है कहीं पर दो घण्टे तो कहीं पर तीन घण्टे विद्युत प्रदाय की जा रही है ? जो अधिकारी दोषी है उन पर कार्यवाही के निर्देश प्रदाय करेंगे ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिला दमोह, विधानसभा क्षेत्र हटा में 1 अतिउच्चदाब विद्युत केन्द्र व 15 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित हैं । स्थलवार, स्थापना दिनांक सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है । (ख) शासन द्वारा किसानों को कृषि कार्य हेतु 10 घंटे एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत प्रदाय के निर्देश है । आदेश की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है । विधानसभा क्षेत्र हटा में 1928 विद्युत ट्रांसफार्मर चालू हैं एवं 105 विद्युत ट्रांसफार्मर बन्द है । ट्रांसफार्मर से सम्बद्ध विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण सभी 105 ट्रांसफार्मर बन्द हैं । (ग) जी नहीं । शासन द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक तकनीकी खराबी आदि के कारण विद्युत प्रदाय अवरूद्ध होने पर तत्काल सुधार कार्य कर पुन: विद्युत प्रदाय प्रारंभ कर दिया जाता है । अत: कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

परिशिष्ट - '' चालीस''

जन शिकायत पर प्राप्त प्रतिवेदनों पर कार्यवाही नहीं की जाना

7. **(क्र. 71) श्री राम सिंह यादव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कोलारस विधान सभा क्षेत्र के जिन आवेदकों ने दिनांक 01/06/2014 से 31/10/2014 तक (05 माह में) कलेक्टर जनसुनवाई में एवं पी.जी. में आवेदन प्रस्तुत किए थे ? उनमें से किन-किन आवेदकों के जांच प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय शिकायत

शाखा को प्राप्त हुए ? (ख) क्या उक्त प्राप्त जांच प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों नहीं की गई ? और यदि की गई तो, किस-किस जांच प्रतिवेदन पर क्या-क्या कार्यवाही की एवं पत्राचार किया गया है ? (ग) जनसुनवाई दिनांक 09/09/2014 के क्रम में जनसुनवाई शाखा कार्यालय कलेक्टर शिवपुरी में दिनांक 04/10/2014 को पत्र क्रमांक 282 दिनांक 25/09/2014 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ? तथा प्रतिवेदन प्रेषितकर्ता अधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन में अपना क्या सुझाव दिया ? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में किन-किन आवेदकों के जनसुनवाई आवेदन पत्र, जनसुनवाई पंजी में दर्ज किए बगैर सीधे उपस्थित विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए थे ? जिनकी संबंधित आवेदक के पास जिला अधिकारी की प्राप्ति है ? परन्तु उन आवेदनों पर कतई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की गई जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>**विद्युत वितरण कम्पनियों में अनुकम्पा नियुक्ति**</u>

8. **(क्र. 72) श्री राम सिंह यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में विद्युत कम्पनियों में अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने हेतु शासन ने अक्टूबर-नवम्बर 2014 में निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो निर्णय के पालन में प्रदेश में कार्यरत विद्युत कम्पनियों द्वारा जारी अनुकम्पा नियुक्ति नियम/आदेश-2014 की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें ? (ख) शिवपुरी जिले में म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी/म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी/म.प्र. विद्युत उत्पादन कम्पनी में किन-किन विद्युत कर्मचारियों के किन-किन आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पत्र प्रश्न दिनांक तक लंबित थे ? आवेदकों के नाम, पता सहित जानकारी दें ? (ग) शिवपुरी जिले में उक्त में से किन-किन को नवीन आदेश के तहत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है ? (घ) उक्त नवीन आदेश के तहत शिवपुरी जिले में विद्युत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । राज्य शासन द्वारा जारी आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- के प्रपत्र 'अ' पर है । राज्य शासन के आदेश के परिपालन में विद्युत कंपनियों द्वारा वर्तमान में लागू अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2013 में यथास्थान संशोधन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । तदुपरांत कंपनी स्तर पर आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही की जाएगी । (ख) शिवपुरी जिले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 83, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के 3, म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के 3 प्रकरण प्रश्न दिनांक तक लम्बित है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार है । (ग) नवीन (संशोधित) अनुकम्पा नीति 2013 के आदेश जारी होने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अत: नियुक्ति दिये जाने की जानकारी निरंक है । (घ) नवीन संशोधन सहित आदेश जारी होने के पश्चात् अनुकम्पा नीति के प्रावधान अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित सिंचाई परियोजनाएं

9. **(क्र. 73) श्री राम सिंह यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अक्टूबर 2014 की स्थिति में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं किस-किस क्षमता की कहां-कहां पर है ? उक्त सिंचाई परियोजनाओं से कितनी-कितनी भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है ? (ख) उक्त सिंचाई परियोजनाओं में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि से कराए जाने की आवश्यकता है ? जिससे उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सकें ? (ग) उक्त सिंचाई परियोजनाओं के संचालन, देख-रेख आदि के लिये कौन-कौन कर्मचारी-अधिकारी किन-किन सिंचाई परियोजनाओं में पदस्थ होकर कार्यरत हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है । उपलब्ध जल के मद्देनज़र क्षमतानुसार सिंचाई की जा रही होने से शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है । (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है ।

परिशिष्ट - ''इकतालीस''

माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों द्वारा शासकीय/निजी विमानों से की गई यात्रा पर व्यय ।

10. **(क्र. 87) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों द्वारा प्रदेश एवं देश में की गई हवाई यात्राओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ? (ख) उक्त अवधि में शासकीय विमान एवं हेलीकॉप्टर/ निजी विमान एवं हेलीकॉप्टर से की गई यात्राओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) शासकीय/अशासकीय विमान/हेलीकॉप्टर से प्रदेश में की गई हवाई यात्राओं पर कुल राशि रूपये 1,55,77,201/- एवं देश में की गई हवाई यात्राओं पर कुल राशि रूपये2,04,93,351/- व्यय हुई । (ख) शासकीय विमान एवं हेलीकाप्टर से की गई यात्राओं पर कुल राशि रूपये 1,49,45,000/- तथा निजी विमान एवं हेलीकाप्टर से की गई यात्राओं पर कुल राशि रूपये 2,11,25,552/- व्यय हुई ।

कलियासोत डेम की नहर पर अतिक्रमण एवं पुलियों का निर्माण

11. **(क्र. 110) श्री विश्वास सारंग :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल स्थित कलियासोत डेम की नहर पर अनेक स्थानों पर कॉलोनाईजरों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर किन-किन के द्वारा किया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या अनेक स्थानों पर कॉलोनाईजरों द्वारा नहर पर अवैध पुलियों का निर्माण भी कराया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां किन-किन के द्वारा किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत विभाग ने ऐसे कॉलोनाईजरों के खिलाफ प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की है ? नहीं की है, तो क्यों ? कारण दें ? क्या अब की जायेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>**नियम विरूद्ध पदस्थापना**</u>

12. **(क्र. 111) श्री विश्वास सारंग :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में प्रश्न तिथि तक 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार के नाम, वर्तमान पदस्थापना की जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार को एक जिले में अधिकतम कितने वर्ष पदस्थापना रहने के क्या नियम निर्धारित हैं ? क्या उक्त नियमों का प्रश्न तिथि तक नियमानुसार पालन हो रहा है ? अगर नहीं, तो क्यों ? कारण दें ? (ग) वित्तीय वर्ष 2011-12, 12-13 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के किस-किस रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार के विरूद्ध कब व क्या शिकायतें शासन/वाणिज्यिक कर आयुक्त के समक्ष आईं ? उन पर किस आदेश क्रमांक/दिनांक से क्या कार्रवाई प्रकरणवार की गई का बिन्दुवार विवरण दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) जिले में अधिकितम पदस्थापना संबंधी कोई नियम नहीं है । अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" पर है ।

परिशिष्ट - ''बयालीस''

<u>**शिवपुरी जिले में खदानों की लीज अवधि**</u>

13. **(क्र. 124) श्री प्रहलाद भारती :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में शिवपुरी जिलें में खनिज विभाग द्वारा कौन-कौन से खनिज की खदानें कहॉ-कहॉ पर किस अवधि तक, लीज पर या ऑक्शन पर किस व्यक्ति या फर्म के नाम से किस सर्वे नं. पर कितने क्षेत्र में किस ग्राम पंचायत में, किस प्रकार के खनिज के उत्खनन के लिये स्वीकृत होकर वर्तमान में संचालित है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जो खदानें स्वीकृत होकर संचालित है क्या उनमें स्वीकृत खसरा नम्बर एवं निर्धारित स्वीकृत रकबा में ही उत्खनन किया जा रहा है यदि नहीं तो वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस खदान पर किस दिनांक को स्वीकृत रकबा एवं सर्वे नम्बर में ही खनिज उत्खनन करने का निरीक्षण किया गया व उत्खनन सही पाया गया ? (ग) वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक खनिज का कोई अवैध उत्खनन करते हुए किस-किस खदान सर्वे नं. एवं रकबे से अवैध उत्खनन करते हुए किस-किस वाहन के साथ पकड़ा गया ? वाहन का नाम, नम्बर एवं किस खनिज के साथ पकड़ा गया उसके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नांश से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है । (ख) जी हाँ । शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।(ग)वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक किसी भी खदान से खनिज का कोई अवैध उत्खनन करते हुए वाहन नहीं पकड़ा गया है । अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

<u>**शासकीय महाविद्यालय भानपुरा का भवन निर्माण**</u>

14. **(क्र. 138) श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र के भानपुरा शासकीय महाविद्यालय वर्तमान में कहां संचालित हो रहा है ? क्या उक्त महाविद्यालय हेतु भूमि का आवंटन हो गया है ? यदि हां, तो भवन निर्माण करने की शासन की कोई योजना

है ? यदि हां, तो कब तक भवन का निर्माण होगा ? (ख) क्या वर्तमान में जहां महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है वहां मूलभूत संविधाऐं उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या शासन वहां मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? (ग) क्या महाविद्यालय में अध्यापन हेतु समस्त पदों की पूर्ति की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो किस-किस विषय के पद रिक्त हैं और इन पदों की पूर्ति कब तक हो जायेगी ? वर्तमान में अध्यापन व्यवस्था हेतु कौन-कौन अध्यापक कार्यरत हैं ? नाम बतायें और किस विषय के हैं ? (घ) महाविद्यालय में कौन से पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ? क्या विज्ञान, वाणिज्य एवं तकनीकी संकाय संचालित करने हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक संचालित होंगे ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय, भानपुरा, शासकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय में संचालित किया जा रहा है । जी नहीं, महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है । (ख) जी हाँ । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय, भानपुरा में समस्त विषयों के पद रिक्त हैं । अध्यापन व्यवस्था हेतु अतिथि विद्वानों से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है । रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रक्रियाधीन है । लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है । शेष जानकारी संलग्न पारिशिष्ट पर है । (घ) महाविद्यालय में कला संकाय संचालित है । जी नहीं । शेष प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - ''तैंतालीस''

<u>भानपुरा इन्द्रगढ़ जलाशयो की नहरों का सुद्दढ़ीकरण</u>

15. **(क्र. 139) श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग द्वारा गरोठ, भानपुरा तहसील में 01 जनवरी 2010 के पश्चात् कौन-कौन से कार्य एवं योजनाऐं संचालित है ? (ख) क्या विभाग द्वारा 2005, 2006, 2007 की सर्वेक्षित योजना सेमलीशंकर सिंचाई तालाब, कैथुली सिंचाई तालाब, संधारा सिंचाई तालाब, कालाकोट सिंचाई तालाब सहित 10 योजनाओं पर सर्वेक्षण पश्चात् प्रश्न दिनांक तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है ? कार्य नहीं होने का कारण बतायेंगे ? (ग) क्या भानपुरा इन्द्रगढ़ जलाशयो की नहरों के सुद्दढ़ीकरण का प्रस्ताव प्रचलन में है ? यदि हां, तो वर्तमान में स्थिति क्या है ? कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा ? (घ) भानपुरा स्थित गोवर्धनपुरा तालाब का निर्माण कार्य क्यों अधूरा है एवं कब तक पूर्ण होने की संभावना है ? समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने का क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी 2010 के पश्चात् भानपुरा नहर परियोजना निर्माणाधीन है । (ख) जी हां । निर्धारित वित्तीय एवं तकनीकी मापदण्डों पर परियोजना साध्य नहीं होने के कारण । (ग) इंद्रगढ़ परियोजना की नहरों के सुद्दढ़ीकरण के लिए दिनांक 22.05.2013 को राशि रू. 349.89 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है । 6 बार निविदाएं आमत्रित करने पर निविदाएं प्राप्त नहीं होने से पुन: निविदा आमंत्रित की गई है । अत: कार्य पूर्ण करनेके लिए समय-सीमा बताना संभव नहीं है । (घ) वन विभाग की आपत्ति के कारण । गोवर्धनपुरा परियोजना का निर्माण कार्य वन भूमि प्रभावित होने से बंद है । गोवर्धनपुरा परियोजना का सैच्य क्षेत्र निर्माणाधीन भानपुरा नहर परियोजना के सैच्य क्षेत्रमें समाहित होने से अब गोवर्धनपुरा परियोजना की आवश्यकता नहीं रही है ।

मुख्य अभियंता अपर नर्मदा कछार को जबलपुर में स्थापित किया जाना

16. **(क्र. 154) श्री अंचल सोनकर :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा क्रं. एफ-1-01/2008/पी-1/इकतीस, भोपाल, दिनांक 30/7/2008 के द्वारा जल संसाधन विभाग की संरचनाओं के युक्ति युक्तकरण के उद्देश्य से मुख्य अभियंता अपर नर्मदा कछार ज.स.वि.(17) को जबलपुर में स्थापित किय जाने के आदेश हुये थे ? (ख) यदि हां, तो प्रश्नांश (क) युक्ति युक्तकरण के तहत क्या जबलपुर में मु.अ. का कार्यालय स्थापित कर दिया गया है ? यदि हां, तो जबलपुर में कहां पर ? स्थान बतायें ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण बताते हुये स्पष्ट करें कि क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश को निरस्त कर दिया गया है ? आदेश की प्रति दें ? (ग) क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नांश (क) के अनुसार जबलपुर में स्थित किये गये कार्यालय में अमले की पदस्थापना हो चुकी है ? यदि हां, तो पदवार अमले की सूची देवें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) विभागीय आदेश दिनांक 30.07.2008 द्वारा मुख्य अभियंता (वि./यां.) भोपाल की संरचना को पुनर्विनियोजित करते हुए मुख्य अभियंता, अपर नर्मदा कछार, जबलपुर से स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी । इसके विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक-9830/2008 विचाराधीन होने से आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है । (ग) जी नही । प्रश्नांश उपस्थित नही होता है ।

सारंगपुर एवं पचौर में विद्युत प्रदाय

17. **(क्र. 179) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला राजगढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर की तहसील सारंगपुर एवं तहसील पचोर में स्थापित 132 के.व्ही. के स्टेशन से कौन-कौन से ग्रिड पर विद्युत प्रवाह होता है ? उस ग्रिड से कौन-कौन से फिडर पर 11 के.व्ही. विद्युत प्रवाह होता है ? तथा उन फिडर से कितने ग्रामों में विद्युत प्रदाय किया जाता है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दिये गये फिडरों से उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को विद्युत पम्प एवं घरेलु उपयोग हेतु दिनांक 01.10.2014 से प्रश्न दिनांक तक औसत कितने-कितने घंटे विद्युत प्रदाय किया गया है ? शासन द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु कितने घंटे विद्युत प्रदाय किया जाना निर्धारित है ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार दर्शाये गये फिडर अन्तर्गत कितने ग्रामों के कितने कृषकों पर कितनी राशि बकाया है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिला राजगढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर की तहसील सारंगपुर एवं तहसील पचोर में स्थापित 132 के.व्ही.उपकेन्द्रों से 33/11 के.व्ही. के 13 उपकेन्द्रों पर विद्युत प्रदाय होता है । उक्त उपकेन्द्रों से 11 के.व्ही. के 38 फीडरों पर विद्युत प्रदाय किया जाता है तथा इन 11 के.व्ही. फीडरों से 161 ग्रामों में विद्युत प्रदाय होता है । उपकेन्द्रों तथा 11 के.व्ही.फीडर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार दिये गये 11 के.व्ही.फीडरों से जुडे ग्रामों के दिनांक 01.10.2014 से प्रश्न दिनांक तक कृषि उपभोक्ताओं को औसतन 9 घण्टे 30 मिनट एवं घरेलू उपभोक्ताओं को औसतन 23 घण्टे विद्युत प्रदाय किया गया । शासन द्वारा कृषि फीडरों को 10 घंटे एवं घरेलू फीडर को 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने के निर्देश हैं । (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शाये गये फीडर अन्तर्गत 161 ग्रामों के 5690 कृषकों पर 989.22 लाख रू. राशि बकाया है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।

भिण्ड जिले के अन्तर्गत जलाशय और नहरों की मरम्मत व पुनर्निर्माण

18. **(क्र. 197) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग संभाग भिण्ड को वर्ष 2009-10 से प्रश्नांश दिनांक तक अनुरक्षण/मरम्मत मद में कितना आवंटन प्रदाय किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) प्रश्नावधि में किये गये कार्य की माप किस उपयंत्री ने दर्ज की ? एवं किस सहायक यंत्री के द्वारा कार्य की माप का सत्यापन किया गया ? म.प्र. कार्य मैनुएल 1983 के नियमानुसार किस कार्यपालन यंत्री ने भुगतान के पूर्व कार्य का कितना सत्यापन कर भुगतान किया गया ? (ग) उक्त प्रश्नावधि में संभाग भिण्ड में कौन-कौन सी जलाशयो/नहरों के टूटने से किस-किस क्षेत्र के कृषकों की फसल नष्ट हुई है ? (घ) क्या भिण्ड जिले के अन्तर्गत नहरों को पक्का करने का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो प्रश्नांश दिनांक तक कौन-कौन सी नहरों को पक्का कर लिया गया है ? कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जानकारी प्रपत्र एक में है । (ग) प्रश्नांकित अवधि में कोई नहर नहीं टूटना प्रतिवेदित है । अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (घ) जी हां । जानकारी संलग्न प्रपत्र दो में है । नहरों को पक्का करने का कार्य पूर्ण करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा सिंचाई एवं वर्षा ऋतु के मध्य निर्माण कार्य हेतु समय मिलने पर निर्भर है । अत: कार्य पूर्ण करने के लिये समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

छप्पन महल संग्रहालय की बाउंड्रीवाल का निर्माण

19. **(क्र. 215) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा विगत वर्ष धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र की पर्यटन नगरी माण्डव के छप्पन महल संग्रहालय की बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कितनी लागत से करवाया गया है ? (ख) पुरातत्व विभाग की परिसम्पत्ति की बाउण्ड्री वॉल का निर्माण क्या पूर्व निर्मित महल अनुरूप ही सामग्री का उपयोग कर निर्माण किया जाना निर्धारित था अथवा नहीं ? यदि हॉ, तो क्या उसी अनुरूप ही निर्माण हुआ है ? (ग) बाउण्ड्री वॉल के निर्माण में उपयोग में लाई गई सामग्री कहॉ से व किस दर से बुलवाकर उपयोग की गई है ? सामग्रीवार बतावें ? तथा उपयोग में लाई गई सामग्री क्या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो सकती थी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क)जी हॉ. राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा धार जिले की धरमपुरी विधानसभा के क्षेत्र स्थित माण्डव के छप्पन महल संग्रहालय की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के अंतर्गत रूपये 18,76,826/- की लागत से कराया गया है. (ख)जी हॉ. बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण पूर्व निर्मित महल के अनुरूप प्रस्तरखण्ड का उपयोग कर उसी अनुरूप निर्माण हुआ है. (ग) छप्पन महल, माण्डव, जिला धार के अनुरक्षण एवं विकास कार्य के अंतर्गत बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण खुली निविदा पद्धति से निविदाएं आमंत्रित कर न्यूनतम निविदाकर्ता ठेकेदार के माध्यम से कराया गया है. ठेकदार द्वारा ही कार्य में उपयोगी सामग्री स्वयं के स्तर से एकत्रित कर कार्य में उपयोग की गई तथा ठेकेदार को स्वीकृत निविदा दरों के अनुसार मदवार किये गये कार्यों का भुगतान किया गया है ।

<u>नर्मदा नहर का निर्माण</u>

20. **(क्र. 222) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले की धरमपुरी तहसील से नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत पक्की नहरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें कई ग्रामों में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा अनेकों प्रभावित किसानों को नहीं दिया गया है तथा कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है । कई स्थानों पर नहरें अभी से क्षतिग्रस्त हो गई हैं । शासन नहर कार्यों की जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही कब तक करेगा ? तथा प्रभावित किसानों को मुआवजा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ? (ख) धरमपुरी तहसील अंतर्गत प्रगतिरत नहर निर्माण कार्य के अंतर्गत क्षेत्र में कार्यरत निर्माण एजेंसी द्वारा ग्राम चिकट्यावड, बगवान्या, ढापला एवं लालमाट्िया आदि स्थानों पर बड़ी नहर को पक्की करने हेतु पास में छोटी नहर खोदी गई थी, तथा बड़ी नहर को पक्का करने के बाद छोटी नहर को बन्द कर उसे बड़ी नहर से नहीं जोड़ा गया, जिससे छोटी नहर का पानी आसपास के कई किसानों के खेतों में जाने से कृषकों की फसलें नष्ट हो गई । क्या शासन कृषकों की हुई नुकसानी का हर्जाना निर्माण एजेंसी से वसूल कर प्रभावित कृषकों को भुगतान करेगा अथवा नहीं ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ । स्वामित्व विवाद के प्रकरणों में मुआवजे का भुगतान लंबित है । कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है । अभी कार्य निर्माणाधीन है और निर्माण के पश्चात् उचित गुणवत्ता होने पर ही स्वीकार किया जाता है । निर्माण के दौरान जहॉ पर क्षति होती है, वह ठेकेदार के व्यय पर ही ठीक कराई जाती है । निर्माण के पश्चात् भी एक वर्ष तक ठेकेदार के व्यय पर सुधार कराया जाता है । अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । विवादित प्रकरणों में स्वामित्व विवाद निराकरण के पश्चात् ही मुआवजा भुगतान संभव है । (ख) कुछ ग्रामों में नहर के निर्माण के समय अतिवृष्टि होने के कारण कुछ कृषकों के खेत में वर्षा का जल अल्पावधि के लिये भर गया था, जिससे फसलों को नुकसान नहीं हुआ किन्तु जिन प्रकरणों में कृषकों की भूमि में जल अधिक देरी तक भरा रहा था, उनको हुई नुकसानी के हरजाने का भुगतान निर्माण एजेंसी द्वारा संबंधित कृषकों को कर दिया गया है ।

<u>श्योपुर जिले में तीन फेसों से विद्युत सप्लाई</u>

21. **(क्र. 235) श्री रामनिवास रावत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में विगत एक माह में कितने-कितने घंटे विद्युत प्रदाय की गई ? कृपया फीडरवार बतावें ? विभाग द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार जिले के फीडरों पर विद्युत प्रदाय नहीं किए जाने के लिए कौन-कौन दोषी हैं ? (ख) श्योपुर जिले में ऐसे कितने फीडर हैं जिनमें मात्र एक या दो तार ही है, तीन तार न होने से तीनों फेसों में किन-किन फीडरों पर विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है ? साथ ही यह भी बतावें के जिले के समस्त फीडरों पर तीनों फेंसो पर शेड्यूल अनुसार विद्युत सप्लाई किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो किसानों को तीनों फेसों पर किस प्रकार विद्युत सप्लाई प्राप्त होगी ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन फीडरों में मात्र एक अथवा दो तार ही खिंचे होने के कारण तीन फेसों में विद्युत सप्लाई नहीं होने से कृषक अपने विद्युत पंप नहीं चला पा रहे हैं, उन पर कब तक तीनों तार खींच दिए जावेंगे, जिससे कृषकों को तीनों फेसों पर विद्युत मिल सके ? कृपया समय-सीमा बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) श्योपुर जिले में विगत एक माह में फीडरवार विद्युत प्रदाय के घंटों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है । स्थानीय विद्युत व्यवधान, आवश्यक संधारण कार्य जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में हुए विद्युत व्यवधान को छोडकर जिले में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्युत प्रदाय किया गया हैं । अत: कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । (ख) श्योपुर जिले में 06 ऐसे 11 के.व्ही. फीडर हैं जिनके कुछ भाग में दो तार है । इन 6, 11 के.व्ही. फीडरों में से 4 फीडर में सिर्फ घरेलू कनेक्शन है एवं 2 फीडरों पर घरेलू एवं कृषि कनेक्शन है, परन्तु इन पर विद्युत देयकों की राशि बकाया है । उपभोक्ताओं पर विद्युत देयक की राशि बकाया होने के कारण थ्री फेज विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा है, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है । जिले के 11 के.व्ही. के शेष 140 फीडरों पर तीन फेज पर निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है । 11 के.व्ही. के उक्त 6 नं. फीडरों पर बकाया राशि जमा होने पर तार लगाने की कार्यवाही की जावेगी। (ग) उक्त फीडर पर कृषि उपभोक्ताओं पर बकाया राशि होने से थ्री फेज विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा है । बकाया राशि जमा होने पर तार खींच कर थ्री फेज विद्युत प्रदाय किया जावेगा ।

प्रदेश में प्रचार-प्रसार पर व्यय

22. **(क्र. 242) श्री रामनिवास रावत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी 2014 से प्रश्नांकित तिथि तक विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन व योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु लगने वाले होर्डिंग्स, समाचार पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन व टी.व्ही. चैनलों में दिए गए विज्ञापनों पर शासन द्वारा अभी तक कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? कृपया विभागवार व योजनावार बतावें ? (ख) शासन के विभिन्न विभागों में योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु एजेंसियों का चयन किए जाने के संबंध में शासन के क्या नियम एवं निर्देश हैं ? 1 जनवरी,2014 से प्रश्नांकित अवधि तक श्योपुर जिले में विभिन्न विभागों में योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु किस-किस एजेंसी का चयन किस आधार पर किया गया ? अभी तक किस-किस एजेंसी को किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार केलिये होर्डिंग्स पर 62 लाख एवं समाचार पत्र-पत्रिकाओं पर 50.62 करोड़ तथा टी.व्ही. चैनलों पर 18.14 करोड़ वर्गीकृत विज्ञापनों को छोड़कर व्यय हुआ । विभागवार योजनावार जानकारी संधारित नहीं की जाती । (ख) ओपन निविदा द्वारा राज्य स्तर पर एजेंसीयों का चयन कर प्रचार-प्रसार किया जाता हैं । जिला स्तर पर बजट का संधारण नहीं किया जाता है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य

23. **(क्र. 259) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र परासिया अंतर्गत 10 वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य, गॉवों की संख्या तथा काण्ट्रेक्ट अवार्ड के दिनांक सहित अवगत करावें ? (ख) राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत सम्मिलित किये गये ग्रामों में सर्वे किन अधिकारियों/ ठेकेदारों द्वारा किया गया ? क्या यह सही है कि सर्वे के दौरान ग्रामों के मात्र एक या दो फलियों का सर्वे कर विद्युतीकरण कार्य किये गये, तथा ग्राम के शेष फलियों को छोड़ा गया ? यदि हां, तो इसका कारण बतायें ? (ग) विधान सभा क्षेत्र परासिया में विद्युतीकरण से शेष रहे ग्रामों में कब तक विद्युतीकरण कार्य किया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 10वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत छिन्दवाड़ा जिले हेतु 03 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य एवं 1896 ग्रामों के अविद्युतीकृत क्षेत्र एवं उनसे संबंधित 300 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत मजरे टोले के विद्युतीकरण का कार्य तथा सभी श्रेणी के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 39947 हितग्राहियों को नि:शुल्क बी.पी.एल.कनेक्शन प्रदान करने हेतु रूपये 69.83 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें परासिया विधानसभा क्षेत्र के 178 ग्राम शामिल हैं । निविदा आधार पर उपरोक्त कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 27.10.2006 को मेसर्स मेटॉस, हैदराबाद को जारी किया गया था । कार्य की अति धीमी गति के कारण मेसर्स मेटॉस हैदराबाद, का ठेका निरस्त करते हुए शेष कार्यों हेतु पुन: निविदा आधार पर कार्यादेश मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमि., मुम्बई को दिनांक 04.08.2010 को जारी किया गया । (ख) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये ग्रामों में सर्वे कार्य कार्यादेश प्राप्त फर्म, मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमि., मुम्बई द्वारा किया गया । 10वीं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य एवं विद्युतीकृत ग्रामों के अविद्युतीकृत क्षेत्र एवं 300 या 300 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत मजरे टोलों के विद्युतीकरण का प्रावधान था, तदनुसार ग्रामों के मजरे टोलों का विद्युतीकरण हेतु चयन कर कार्य किया गया । 300 से कम आबादी वाले मजरे टोलों के विद्युतीकरण का कार्य उपरोक्त दिशा-निर्देशों के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के 10वीं योजना में सम्मिलित नहीं किया गया । (ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की दसवीं योजना में विधानसभा क्षेत्र परासिया के कोई भी ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं हैं अपितु विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों के 100 या 100 से अधिक की आबादी वाले अविद्युतीकृत क्षेत्र एवं अविद्युतीकृत मजरे टोलों के विद्युतीकरण हेतु 12वीं योजना में शामिल किया गया है जिस हेतु टर्न-की आधार पर कार्यादेश दिनांक 20.11.2014 को मेसर्स विन्ध्याटेलीलिंक, रीवा को जारी किया गया है । कार्य करने हेतु ठेकेदार द्वारा आवश्यक औपचारिकता पूर्ण की जा रही है । औपचारिकता पूर्ण होने पर विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जावेगा । कार्य पूर्ण करने की अवधि ठेके की शर्तों के अनुसार प्रभावी तिथि से 24 माह है ।

<u>पन्ना जिले की सिंचाई हेतु बांध/नहर/जलाशयों की स्वीकृति</u>

24. **(क्र. 272) श्री मुकेश नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पन्ना हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2009 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से बांध, नहर, जलाशय योजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन से मद से कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति स्वीकृत की गई है ? (ख) कौन सी योजनाएं पूर्ण है, तथा योजनावार सिचिंत रकवा लाभांवित कार्यो की संख्या बतायें, तथा यह भी कि पन्ना जिले के कौन-कौन से जलाशय के भराव, क्षेत्र में रबी, खरीफ की फसल बोई जाती है तथा वर्ष 2013-2014 में कौन-कौन से किसानों को किस नियम के तहत किस तिथि को कौन सी फसल बोने की अनुमति दी गई तथा कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है । जलाशयों के डूब क्षेत्र में फसल बोने की जानकारी शासन स्तर पर संकलित एवं संधारित नहीं जाती है । म.प्र. सिंचाई अधिनियम-1931, में डूब क्षेत्र में फसल के लिए पट्टा देने का प्रावधान है । वर्ष 2013-14 में पन्ना जिले में जलाशयों के डूब क्षेत्र में फसल के लिए पट्टे पर 68 कृषकों से राशि रूपये 11,720/- राजस्व की प्राप्ति हुई है ।

राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना का क्रियान्वयन

25. **(क्र. 287) श्री रामलाल रौतेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में 11 वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या वर्णित ग्रामों में विद्युत की सप्लाई जारी है ? यदि हां, तो अनूपपुर जिले से कितनी राजस्व की प्राप्ति होती है ? (ग) क्या यह सच है कि आज भी अनेक ग्रामों के ट्रान्सफार्मर खराब है एवं विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो विभाग क्या कार्यवाही करेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) अनूपपुर जिले में 11 वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 3 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 419 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत मजरे/टोलों का सघन विद्युतीकरण किया गया है । इन 422 ग्रामों की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) जी हाँ । प्रश्न 'क' में वर्णित ग्रामों में विद्युत सप्लाई जारी है । अनूपपुर जिले में वर्ष 2014-15 में अक्टूबर माह तक प्रतिमाह औसत रूपये 351.70 लाख राजस्व की प्राप्ति होती है ।(ग) जी हाँ । ग्रामों के 45 वितरण ट्रांसफार्मर फेल/खराब हैं । इन ट्रांसफार्मरों पर बकाया राशि होने के कारण नियमानुसार इन्हें बदला नहीं गया है । नियमानुसार बकाया राशि जमा होने पर ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही की जावेगी ।

राजस्व की प्राप्ती एवं जिले के विकास पर खर्च

26. **(क्र. 288) श्री रामलाल रौतेल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले से विभाग को किस-किस प्रकार की राजस्व की प्राप्ती होती है ? (ख) जिले को प्राप्त राजस्व में से कुल कितना अंश भाग जिले के विकास में खर्च करने का प्रावधान है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) अनूपपुर जिले से जिला कोषालय के माध्यम से शासन को संलग्न परिशिष्ट अनुसार शीर्षो में राजस्व की प्राप्ति होती है ।(ख) जिले को प्राप्त होने वाली राजस्व आय का, सीधे जिले को व्यय का प्रावधान नही है । म.प्र. विधान मण्डल द्वारा पारित बजट अनुसार व्यय का प्रावधान है ।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

खनिज साधन से राजस्व की प्राप्ती

27. **(क्र. 289) श्री रामलाल रौतेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुपपुर जिले में कितने प्रकार के खनिज साधन उपलब्ध हैं ? उपलब्ध खनिज का दोहन किस प्रकार से किया जा रहा है ? (ख) जिले को खनिज साधन से कुल कितने राजस्व की प्राप्ती होती है ? वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 12-13 तथा 2013-14 का पूर्ण विवरण प्रदान करें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्रशुक्ल) : (क) अनूपपुर जिले में कोयला बाक्साइट ओकर्स लेटेराइट मिट्टी पत्थरगिट्टी रेत मुरम खनिज उपलब्ध है। उपलब्ध खनिज का नियमानुसार स्वीकृत खनिपट्टा उत्खनिपट्टा व्यापारिक खदान के माध्यम से दोहनकिया जा रहा है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है ।

परिशिष्ट - "छियालीस"

बाणसागर डूब क्षेत्र के विस्थापितों को मुआवजे एवं अनुदान राशि का वितरण

28. **(क्र. 311) श्री संजय पाठक :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के विजयराघवगढ़ तहसील के ग्राम खेरवा खुर्द को विगत वर्षों में बॉणसागर डूब क्षेत्र होने के कारण विस्थापित किया गया है ? (ख) क्या यह सही है उन्हें मुआवजे एवं अनुदान की राशि का भुगतान विगत 30 वर्ष पूर्व की दर से किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हॉ, तो प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में विस्थापितों के साथ उक्त अनियमितता एवं मनमानी हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? नाम एवं पदनाम का उल्लेख करे ? क्या ऐसे विस्थापितों को वर्तमान दर पर मुआवजे एवं अनुदान की राशि दी जावेगी ? नहीं तो क्यों ? (घ) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) तहसील के ही ग्राम कूटेश्वर में भी बॉणसागर का पानी निवासरत लोगों के घर में घुस जाता है ? (ड.) प्रश्नांश (घ) यदि हॉ, तो उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने ग्रामों में लोगों के घरों में उक्त परियोजना के भराव का पानी घुसने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? कब तक ऐसे ग्रामों के पीड़ित लोगों को विस्थापित कर दिया जावेगा ? नहीं तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । (ख) जी नहीं । (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । बाणसागर जलाशय में अधिकतम जल भराव स्तर तक जल भरने की दशा में ग्राम कुटेश्वर एवं उबरा में कुछ घरों में पानी घुसने की शिकायतें प्राप्त हुई है । इस वर्ष जलाशय में अधिकतम जल भराव स्तर तक जल आवक नहीं होने से शिकायत का परीक्षण करना संभव नहीं हो सका है ।

बिजली की मेंटेनेंस के नाम पर कटौती

29. **(क्र. 329) श्री मेव राजकुमार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. द्वारा किसानों को सिंचाईं एवं घरेलु उपयोग हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पृथक-पृथक कितने समय एवं कब से कब तक बिजली उपलब्ध कराने का क्या नियम है ? (ख) क्या मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमी. द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार क्षेत्र के किसानों को सिंचाई एवं घरेलु उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो कारण बतावें ? (ग) क्या यह सही है कि खरगौन जिले में विधानसभावार निर्धारित समयावधि के अनुसार बिजली विभाग द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु एवं घरेलु उपभोक्ताओं को मेंटेनेंस के नाम से बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ? यदि हां, तो तिथिवार कब से कब तक बिजली कटौती की गई ? (घ) क्या यह सही है कि महेश्वर विधान सभा क्षेत्र में स्थित म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. के ग्रिड, काकरिया, महेतवाड़ा, महेश्वर, मण्डलेश्वर, चोली, सोमाखेडी, पिपल्या, करही, पाडल्या, बागोद, बलवाड़ा एवं बड़वाह ग्रामीण में बिजली कटौती दिनांक 18.5.2014 से प्रश्न दिनांक तक तिथिवार कब से कब तक अवधि (समय से समय तक) बिजली की मेंटेनेंस के नाम पर कटौती की गई है ? इसके कारण किसानों को गर्मी की बोई गई फसल की सिंचाई नहीं करने से फसल खराब हुई है ? क्या इसके लिए बिजली कंपनी जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत घरेलू उपयोग हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध कराने तथा किसानों को सिंचाई के लिए 2 समूहों में क्रमश: अ एवं ब समूहों में बांटकर 10 घण्टे विद्युत प्रदाय की व्यवस्था है । विद्युत प्रदाय का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है । (ख) जी हां । प्रश्न के शेष भाग का उत्तर अपेक्षित नहीं । (ग) जी नहीं ।

शेष प्रश्नांश लागू नहीं । (घ) जी नहीं । तथापि जिले में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष नियमानुसार दो बार (प्री-मानसून एवं पोस्ट-मानसून) मेंटेनेंस किया जाता है । खरगोन वृत्त अंतर्गत महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में स्थित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र (ग्रीड) काकरिया, मेहतवाड़ा (महेतवाड़ नहीं), महेश्वर, मण्डलेश्वर, चोली, सोमाखेड़ी, पिपल्या, करही-पाडल्या, बागोद, बलवाड़ा एव बड़वाह ग्रामीण में दिनांक 18.05.2014 से प्रश्न दिनांक तक संबद्ध लाईनों एवं उपकेन्द्रों पर किये गये मेंटेनेंस कार्य का तिथिवार एवं समयवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार ही उक्त मेंटेनेंस कार्य से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पृथक-पृथक समय पर विद्युत प्रदाय बंद किया गया था इसके कारण किसानों की गर्मी की बोई हुई फसल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ । अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाना

30. **(क्र. 330) श्री मेव राजकुमार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र महेश्वर के अंतर्गत औंकारेश्वर नहर सिंचाई परियोजना के माध्यम से कितने ग्राम की कितनी भूमि सिंचित होगी ? (ख) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र के कई ग्राम नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा से लाभांवित नहीं हो रहे हैं ? (ग) क्या यह सही है कि औंकारेश्वर नहर परियोजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा से ग्राम मुख्त्यारा, बलवाड़ा, पडाली, झिगडी, कुण्डिया, हनुमन्त्या, सेल्दा, बावी, बांडीखार, मोगरगांव, बागौद, टेमला, बरझर इत्यादि ग्राम वंचित हो रहे हैं ? क्या इन ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ दिये जाने हेतु शासन स्तर से सर्वे किया जाकर क्षेत्र में निर्मित तालाबों में औंकारेश्वर नहर का पानी डालकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी, ताकि क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु औंकारेश्वर नहर सिंचाई परियोजना का लाभ प्राप्त हो सके ? (घ) क्या औंकारेश्वर नहर परियोजना के अंतर्गत नहरों के निर्माण का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां, तो शासन स्तर से संबंधित निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह सही है कि जिस ठेकेदार द्वारा नहर निर्माण का कार्य लिया गया है, वह अन्य ठेकेदारों को ठेके पर पेटी कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर कार्य करा रहा है, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है ? नहर निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कराया जाकर किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पानी उपलब्ध कराया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) विधान सभा क्षेत्र महेश्वर के अंतर्गत ओंकारेश्वर नहर परियोजना से कुल 200 ग्रामों के 44289 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है । (ख) जी हॉ । (ग) जी हॉ । इन ग्रामों में स्थित तालाबों का स्तर ओंकारेश्वर नहर के पूर्ण जल प्रवाह स्तर से अधिक होने के फलस्वरूप ओंकारेश्वर नहर का पानी इन तालाबों में ग्रेवीटी फ्लो द्वारा डालना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है । (घ) ओंकारेश्वर नहर परियोजना का कार्य माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र. 6056/2009 में दिये गये स्थगन आदेश के कारण तथा नर्मदा बचाओं आंदोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर व्यवधान उत्पन्न करने के कारण तथा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा नर्मदा नदी से 2 कि. मी. दूरी तक स्थित क्षेत्र में माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण कार्य को स्थगित रखने के कारण कार्य की गति धीमी थी । वर्तमान में निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है । ठेकेदार को समय-समय पर कार्य की गति बढाने हेतु नोटिस दिये गये । अनुबंध की कंडिका-23.1 के प्रावधानानुसार ठेकेदार द्वारा अन्य ठेकेदार से पेटी कान्ट्रेक्ट के आधार पर कार्य कराया जा सकता है । वर्तमान में ठेकेदार द्वारा कई स्थानों पर कार्य किया जा रहा है, तथा किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु विभाग द्वारा सलाहकार एजेंसी नियुक्त की गई है जो कार्य की गुणवत्ता हेतु समय-समय पर आवश्यक जांच करती है एवं गुणवत्ता अनुरूप कार्य संपादित करा रही है । नहर के निर्माण कार्य को जून 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि क्षेत्र के किसानों को आवश्यकता अनुसार जल उपलब्ध कराया जा सकें।

साइबर लॉ के प्रति जागरूकता

31. **(क्र. 359) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में इंटरनेट के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल एवं लगातार हो रहे साईबर क्राईम को देखते हुए इससे निपटने के लिए महाविद्यालयों में साइबर लॉ या अन्य कोई प्रशिक्षण दिया जा सकता है ? (ख) यदि नहीं तो क्यों ? विद्यार्थियों में स्मार्टफोन के साथ ही साइबर क्राईम से निपटने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करने की कोई योजना बनाने पर विचार किया जाएगा ? (ग) क्या साइबर लॉ को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है ? यदि हां, तो कब तक ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हां । (ख) परीक्षण किया जायेगा । (ग) अलग से पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अध्ययन मंडल में विचार किया जायेगा । समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

निजी महाविद्यालय द्वारा काशन मनी न लौटाना

32. **(क्र. 368) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इन्दौर-उज्जैन संभाग में कई अशासकीय तकनीकी एवं निजी महाविद्यालय द्वारा काशन मनी ली जाती है ? काशन मनी के संबंध में क्या नियम है ? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त संभाग में ज्यादातर निजी महाविद्यालय द्वारा काशन मनी के रूप में मोटी राशि विद्यार्थियों से वसूल कर उन्हें पुन: नहीं लौटाई जाती है ? (ग) प्रश्नांक (क) और (ख) के संबंध में बताएं कि काशन मनी न लौटाने की कितनी शिकायतें महाविद्यालय एवं विभाग के पास लम्बित है ? इस हेतु शासन द्वारा अगर कोई निर्देश दिए गए हैं तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करावें, तथा शिकायतकर्ता का नाम, पता एवं राशि का उल्लेख करें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हॉ । प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निजी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय तकनीकी (इंजीनियरिंग) महाविघालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु एक बार देय कॉशनमनी रूपये 1500/- निर्धारित की गई है । छात्रों को उनके पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत वापस किये जाने का प्रावधान है । नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित कॉशनमनी रूपये 1500/- से अधिक राशि वसुलने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । (ग) संचालनालय में इस संबंध में कोई शिकायत लंबित नहीं है । प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के पास एक मात्र लंबित शिकायत छात्र श्री अजय धनोतिया के संबंध में संस्था द्वारा छात्र के नाम से दिनांक 29.09.2014 को चैक तैयार किये जाने की सूचना दी गई है । संस्था के अनुसार छात्र से संपर्क न होने के कारण छात्र को चैक न उपलब्ध कराये जा सकने की जानकारी प्रदान की गई है । प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति ने छात्र को दिनांक 24.11.2014 को उक्त सूचना प्रदान कर संस्था से चैक प्राप्त करने का अनुरोध किया है । शेषांष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'ब' अनुसार है ।

<u>उज्जैन संभाग के तकनीकी कॉलेज</u>

33. **(क्र. 378) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में कितने शासकीय पोलिटेक्निक एवं आईटीआई कॉलेज कहाँ-कहाँ पर स्थित है, वर्ष 2014-15 में यहाँ कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है तथा यहाँ कितने कोर्स संचालित हुए है ? (ख) संभाग के पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई महाविद्यालयों में कितने पद स्वीकृत है, तथा कितने रिक्त है ? रिक्त पदो की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) उज्जैन संभाग में संचालित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक उपकरण, मशीने निर्माण कार्य एवं प्रशिक्षण हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई, क्या समस्त कार्य सम्पादित हो चुके है ? निर्माण कार्यो में यदि देरी हो रही है तो कारण स्पष्ट करें ? (घ) मन्दसौर नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नवीन भवन में कब तक स्थानान्तरित कर दिया जाएगा तथा मन्दसौर महाविद्यालय में दी जाने वाली समस्त सुविधाऐं कब तक पूर्ण कर ली जाएगी एवं रिक्त पद कब तक भर दिए जाऐंगे ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है ।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' एवं 'द' अनुसार है । पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. तकनीकी शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा भरती नियम-2004 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप संशोधन किया गया है ।तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत पोलीटेक्निक महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति GATE 2015 के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है एवं इस हेतु विज्ञापन क्रमांक जी -18462/2014 एवं विज्ञापन क्रमांक जी -18808/14 क्रमशः प्रदेश एवं देश के बहुप्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है । इसी प्रकार कुछ विषय जोकि GATE 2015 में सम्मिलित नही है, केव्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति UGC-NET के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है तथा इसका विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया है ।UGC-NET परीक्षा माहदिसम्बर 2014 एवं GATE 2015 परीक्षा फरवरी 2015 में आयोजित की जा रही है । परीक्षा परिणाम घोषित होने पर भर्ती की कार्यवाही की जायेगी । पोलीटेकनिकमहाविद्यालयों के लिपिकीय, अलिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भरती के रिक्त पदों को भरने के लिये मांग पत्र दिनांक 7.5.2013 को व्यापम को भेजा गया है । पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है । नवीन शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय,देवास, शाजापुर एवं मंदसौर के स्वीकृत तृतीय श्रेणी के पद निश्चित वेतनमान में संविदा आधार पर स्वीकृत है जिन्हें व्यापम के माध्यम से भरने हेतु मांग-पत्र दिनांक22.11.2014 को भेजा गया है ।आईटीआई के पदों की पूर्ति के लिये की मांग पत्र व्यापम को भेजा गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है । (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है । (घ) पोलीटेक्निक महाविद्यालय,मंदसौर के भवन का निर्माण कार्य म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा दिनांक 30.06.2015 तक पूर्ण होना है, जिसके पश्चात पोलीटेक्निक महाविद्यालय नवीन भवन में जुलाई 2015 तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा । रिक्त लिपिकीय/अलिपिकीय पदों को व्यापम के माध्यम से भरने हेतु मांग-पत्र दिनांक 22.11.2014 को भेजा गया है । रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है समय-सीमा बताया जाना संभव नही है ।

जल संसाधन विभाग के स्टाप डेम

34. **(क्र. 379) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम,मन्दसौर, नीमच जिले में जल संसाधन विभाग के कितने स्टॉप डेम में जल संग्रहित है,तथा कितने प्रश्न दिनांक तक पूर्णत: सूख गए है, जिलेवार,स्थानवार जानकारी दें ? (ख) क्या यह सही है कि शासन की नीति अनुसार जिले के समस्त स्टॉप डेम पर गेट बंद करने की तिथि 15 सितम्बर निर्धारित है ? यदि हॉ, तो नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ? (ग) क्या अल्प वर्षा के दौरान जिलाधीश को स्टॉप डेम गेट लगाने की तिथि में तिथि परिवर्तन का अधिकार हैं ? यदि हां, तो कितने जिला कलेक्टर ने 15 सितम्बर के पूर्व ही स्टॉप डेम गेट लगवा दिए और कितनो ने नहीं ? (घ) उक्त जिलो में 1 जनवरी 2010 के पश्चात कितने स्टॉप डेम के गेट चोरी होने की शिकायत प्राप्त हुई है,तथा इन स्टॉप डेम पर नवीन गेट लगाने हेतु कितनी राशि खर्च की गई है, जानकारी दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है । (ख) जी नही । प्रश्नांश उत्पन्ननही होता है ।(ग) प्रश्नांश-'ख' के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । (घ) निरंक । निरंक ।

परिशिष्ट - ''सैंतालीस''

शिक्षक संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग की वेतनमान विसंगति को दूर किया जाना

35. **(क्र. 389) श्री प्रताप सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि शिक्षक संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग का वेतनमान दिनांक 1/1/1972 के पूर्व एक समान था ? (ख) दिनांक 1/1/1972 में पाण्डे वेतनमान को चौधरी वेतनमान (1/4/1981) में आयोग की अनुशंसा से हटकर शासन द्वारा शिक्षकों का वेतनमान बढ़ा दिया गया ? उल्लेखित संवर्गों में कितनी राशि का अंतर आया ? क्या शासन द्वारा आये अंतर को दूर करने के लिए अभी तक क्या प्रयास किये हैं ? (ग) क्या लिपिक संवर्ग द्वारा वेतन विसंगति दूर करने के लिए मा. उच्च न्यायालय में न्याय पाने हेतु याचिका दायर की थी, जिसमें निर्णय लिपिक वर्ग के पक्ष में रहा है ? निर्णय के पालन में अभी तक क्या कार्यवाही शासन स्तर पर की गई, अवगत करावें ? यदि नहीं की गई, तो कब तक की जावेगी बतलावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । (ख) जी हां । संवर्ग में वेतनमानों के न्यूनतम प्रक्रम में रूपये 30/- का अंतर है । वेतनमानों से संबंधित निर्णय विशेष परिस्थितियों को द्रष्टिगत रखा जाकर राज्य शासन द्वारा लिया गया है । अत: वेतनमानों में आये अंतर को समान किये जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा प्रयास किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नही होती है । (ग) जी हां । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के क्रम में लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 1918/2011 दायर की गयी । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8-2-2013 में राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर अवमानना याचिका निराक़त की गई । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पुन: याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. क्रमांक 6555/2013 दायर की गई जिसमें राज्य शासन द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत किया गया है जो अभी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में निर्णयाधीन है ।

खराब/जले ट्रांसफार्मरों को बदला जाना

36. **(क्र. 394) श्री प्रताप सिंह :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जबेरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस ग्राम के ट्रांसफार्मर खराब/जले होने पर कब बदला गया ? खराब/जले ट्रांसफार्मर बदलने की कोई समय सीमा निर्धारित है ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि कम क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित होने के कारण बारबार जल जाते हैं ? यदि हां, तो ऐसे ग्रामों अथवा स्थानों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर अथवा लोड के अनुरूप ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) विधान सभा के अन्तर्गत ऐसे कितने ग्राम है, जिनके ट्रांसफार्मर जले/खराब होने के बावजूद भी नहीं बदले गये फलस्वरूप क्षत्र में संचालित अनेक पेयजल योजनाएं बंद रही है, साथ ही खरीफ मौसम में अवर्षा के कारण कृषकों को सिंचाई में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा है ? इस क्षति के लिए कौन उत्तरदायी है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 (31.10.2014 तक) में खराब/जले ट्रांसफार्मरों को बदलने की ग्रामवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । जी हाँ, खराब जले ट्रांसफार्मरों को बदलने की समय सीमा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित है जो कि पहुंच मार्ग उपलब्ध होने पर ग्रामीण क्षेत्र हेतु वर्षा काल में 7 दिवस एवं अन्य मौसम में 3 दिवस है । (ख) जी नहीं । तथापि समय-समय पर भार का आकलन कर आवश्यकता अनुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हेतु अपना अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना के कार्य किये जाते हैं । (ग) जबेरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 31 गावों के 32 ट्रांसफार्मर बकाया राशि जमा न होने के कारण बदलने हेतु शेष हैं । पेयजल योजना से संबंधित कोई भी ट्रांसफार्मर बदलने हेतु शेष नहीं है । नियमानुसार बकाया राशि जमा होने पर ही फेल ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं, जिसके लिए संबंधित उपभोक्ता ही उत्तरादायी हैं ।

कार्यभारित समय पालकों (स्थल सहायकों) को क्रमोन्नति वेतनमान

37. **(क्र. 410) श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन में कार्यभारित स्थापना में कार्यरत वाहन/चालक/समयपाल (स्थल सहायक) तृतीय श्रेणी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं ? यदि हॉ, तो स्पष्ट करें ? (ख) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश दिनांक 18 सितम्बर, 1998 के द्वारा प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित स्थापना के वाहन चालकों को क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें ? (ग) शासन, कार्यभारित स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों (समयपाल/स्थल सहायकों) के साथ समानता का व्यवहार करते हुए समान श्रेणी (तृतीय श्रेणी) के कर्मचारियों के पक्ष में कार्यवाही कर क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने के आदेश जारी करेगा ? हॉ, तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है । (ग) कार्यभारित वाहन चालकों को छोड़कर कार्यभारित स्थापना में कार्यरत अन्य संवर्गों /पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये क्रमोन्नति वेतनमान लागू नहीं है । अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

राजीव गांधी योजना अन्तर्गत विद्युतीकरण

38. **(क्र. 422) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत-ग्राम मरैला (इन्द्रानगर) ग्राम भनिगवॉ ड़ाडी टोला (सरकारी बस्ती), गाढ़ा-137, कोनी, गडेहरा, देवखर, चॉद, कुरैली, महराज पुर्वा, चुनगी,बसरेही, चौखण्डी, लूक (हरिजन आदिवासी पिछडा वर्ग) बस्तियों में क्या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य किया गया ? यदि नही तो कब तक किया जायेगा ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में -सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्य ग्राम में विद्युतीकरण किया गया किन्तु उसके जुडे ग्राम में जो (हरिजन आदिवासी पिछडा वर्ग) के टोले बसे हुये है वहां विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण है ? क्या समुचित विद्युतीकरण का कार्य किया जायेगा यदि हां, तो कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिरमौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 11वीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत ग्राम गड़ेहरा, देवखर, एवं लूक (हरजिन आदविासी पछिड़ा वर्ग) में दिनांक 31.10.2014 तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम चुनगी एवं कोनी, का कार्य प्रगति पर है जिसका कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है । ग्राम मरैला (इन्द्रनगर), ग्राम भनिगवॉडान्डी टोला (सरकारी बस्ती), गाढ़ा-137, चॉद, कुरैली, महराजपुर्वा, बसरेडी (बसरेही नहीं) एवं ग्राम चौखण्डी के विद्युतीकरण का कार्य 12वीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत स्वीकृत है, जिसके कार्य करने हेतु मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल लि. मुम्बई को कार्यादेश दिनांक 06.09.2014 को जारी किया गया है । ठेकेदार द्वारा निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार कार्य प्रारंभ करने हेतु औपचारिकतांऐ पूर्ण की जा रही है तदुपरांत ठेके की प्रभावी तिथि से कार्य अवधि 24 माह रहेगी । अत: वर्तमान में समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है । (ख) सिरमौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 268 ग्रामों में से 166 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य करने हेतु आर.ई.सी. नई दिल्ली से पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 144 ग्रामों के मुख्य बसाहट एवं उनसे जुड़े 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत बस्ती/बसाहट/मजरे-टोले जिसमें हरिजन आदिवासी पिछड़े वर्ग के कार्य भी शामिल है, का कार्य 31.10.2014 तक पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष 22 ग्रामों में उपरोक्तानुसार कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण कराना अनुमानित है । शेष ग्रामों तथा 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत बस्ती/बसाहट/मजरे-टोलों के विद्युतीकरण का कार्य 12वीं योजना में स्वीकृत है जिसका कार्य आदेश मे. बजाज इलेक्ट्रिकल लिमि. मुम्बई को दिनांक 6.9.2014 को जारी किया गया है । ठेकेदार द्वारा निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार कार्य प्रारंभ करने हेतु औपचारिकतांऐ पूर्ण की जा रही है तदुपरांत ठेके की प्रभावी तिथि से कार्य अवधि 24 माह रहेगी । अत: वर्तमान में समय सीमा दिया जाना संभव नहीं हैं ।

विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के संबंध में

39. **(क्र. 423) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत-ग्राम चम्पागढ़ (मौहरिया),बसरेही, लूक, चौखण्डी, भनिगवॉ (डाडी टोला सरकारी बस्ती), गाढा-137 (हरिजन बस्ती) गाढ़ा-138, छतैनी टोला, अतरैला, कोटवा,टेढी, अठ्इसा,कोनी (पोखरी टोला) के विद्युत ट्रांसफार्मर क्या जले हुये है ? यदि हां तो क्या ट्रांसफार्मर लगाये जायेगे यदि हां, तो कब तक समय सीमा बताये ? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में -युक्त ग्रामो में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण विगत 6 माह से विद्युत प्रवाह बंद है जिसके कारण कृषको की सिंचाई एवं विद्युत सुविधा न मिलने पर भी क्या विद्युत देयक लिया जायेगा ? यदि हां,तो क्यो और किस नियम के बाबत् ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चम्पागढ़ (मौहरिया), बसरेड़ी (बसरेही नहीं), लूक, चौखण्डी (चौखण्डी नहीं) के वितरण ट्रांसफार्मर फेल हैं एवं बकाया राशि जमा न होने के कारण नियमानुसार नहीं बदले गये हैं । ग्राम भनिगवां (डांडी टोला सरकारी बस्ती) में विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है, गाढ़ा 137 (हरिजन बस्ती) में पृथक से कोई ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं है, गाढ़ा 137 में स्थापित 100 केव्हीए ट्रांसफार्मर से हरिजन बस्ती में विद्युत प्रदाय किया जा रहा है जो चालू हालत में है । गाढ़ा 138 का छतैनी टोला ट्रांसफार्मर चालू हालत में है, ग्राम अतरैला के कौटवा, खैरहाई के टेढ़ी में ट्रांसफार्मर नियमानुसार बकाया राशि जमा होने के कारण बंद है, ग्राम अइइसा का फेल वितरण ट्रांसफार्मर नियमानुसार बकाया राशि जमा न होने के उपरांत दिनांक 22.11.2014 को बदल दिया गया है । ग्राम कोनी (पोखरी टोला) में कंपनी मेसर्स बी.एस. कंपनी लिमिटेड, जिसके द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है, के द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर खराब है, जो कि ठेकेदार द्वारा बदला जावेगा, वर्तमान में उक्त ट्रांसफार्मर पर कोई कनेक्शन प्रदाय नहीं किया गया है । नियमानुसार बकाया राशि जमा होने के उपरांत फेल ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में की जावेगी । (ख) जी नहीं बकाया राशि जमा न होने के कारण नियमानुसार 04 फेल/खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये हैं। 02 वितरण ट्रांसफार्मर की सप्लाई बकाया राशि होने के कारण बंद की गयी है । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत स्थापित 01 ट्रांसफार्मर खराब हैं, जिससे कोई कनेक्शन जारी नहीं किया गया । उक्त ट्रांसफार्मर को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत ठेकेदार द्वारा बदला जाएगा । बकाया राशि वाले ट्रांसफार्मरों को नियमानुसार बकाया राशि जमा होने के उपरांत ट्रांसफार्मर बदलने एवं सप्लाई पुर्नसंयोजित करने की कार्यवाही की जावेगी । तदुपरांत म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक होने पर बिल पुनरीक्षण की कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

<u>पर्यटन स्वागत केन्द्र, शिवपुरी का निर्माण</u>

40. **(क्र. 437) श्री के.पी. सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्या यह सत्य है कि शिवपुरी जिला मुख्यालय पर पर्यटन स्वागत केन्द्र स्थापित है ? इसे कब बनाया गया ? इसकी लागत क्या थी ? इसका निर्माण किस मद से किया गया ? पर्यटन स्वागत केन्द्र, शिवपुरी किस विभाग की भूमि पर बनाया गया है ? विस्तृत जानकारी दें ? (ख) पर्यटन स्वागत केन्द्र, शिवपुरी का संचालन वर्तमान में कौन सी संस्था कर रही है ? क्या यह वर्तमान में चालू है ? क्या जिन उद्देश्यों को लेकर इसका निर्माण किया गया था उसकी पूर्ति वर्तमान संचालन से हो रही है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ । इसे माह सितम्बर 2009 में बनाया गया था । इसकी लागत रूपये 172.16 लाख है । इसका निर्माण भारत शासन पर्यटन विभाग नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत डेस्टीनेशन डेवलेपमेंट ऑफ शिवपुरी की योजना के अन्तर्गत किया गया है । पर्यटक स्वागत केन्द्र परिसर शिवपुरी का निर्माण नगर पालिका परिषद शिवपुरी की भूमि पर बनाया गया है । पर्यटस्वागत केन्द्र परिसर का अधिपत्य नगर पालिका परिषद शिवपुरी को सौपा गया है ।(ख) उक्त कण्डिका (क) में वर्णित परिसर में पर्यटक स्वागत केन्द्र का संचालन पर्यटन् निगम द्वारा किया जा रहा है । जी हॉ । जी हॉ ।

विधायकों के पत्रों पर की गई कार्यवाही के संबंध में

41. **(क्र. 440) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2011 जिसमें विधायकों के पत्रों की अभिस्वीकृति एवं जवाब देने के बादे में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं का छतरपुर जिले में पालन किया जा रहा है ? (ख) यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी, 2014 से 10 अक्टूबर, 2014 तक कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, जनपद पंचायत बिजावर/राजनगर/छतरपुर, नगर पंचायत बिजावर/सटई, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर/राजनगर/छतरपुर, तहसीलदार/बिजावर/राजनगर/छतरपुर को लिखे गए पत्रों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराये तथा किन-किन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की ? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार सांसदों एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों के लिए क्या पृथक से पंजी संधारित की जाती है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

अविवाहित पुत्रियों विधवा पुत्रियों एवं तलाकशुदा मृत कर्मचारियों की बेसहारा महिलाओं को परिवार पेंशन का लाभ दिया जाना

42. **(क्र. 493) श्री अशोक रोहाणी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार ने वर्ष 2007 से अविवाहित पुत्रियों, विधवा पुत्रियों एवं तलाकशुदा मृत कर्मचारियों की बेसहारा महिलाओं को फेमिली पेंशन का लाभ देकर महिलाओं को सशक्त बनाने का एतिहासिक फैसला किया है ? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की अविवाहित पुत्रियों, विधवा पुत्रियों एवं तलाकशुदा पुत्रियों को फेमिली पेंशन का लाभ देने की योजना है अथवा नहीं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 6-9-2007 में बेसहारा महिलायें सम्मिलित नही है । (ख) जी हां । म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 47 के प्रावधान अनुसार अविवाहिता, विधवा या तलाकशुदा पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु पूरा कर लेने तक ही परिवार पेंशन की पात्रता है ।

विद्युतीकरण की जानकारी एवं अनियमितता पर कार्यवाही

43. **(क्र. 505) श्री मधु भगत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के परसवाड़ा, किरनापुर, बालाघाट ब्लाक में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत अब तक कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है ? सूचीवार, ग्रामों के नाम बताये ? विद्युतीकरण का किस-किस एजेंसी द्वारा क्या-क्या कार्य किया गया ? (ख) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिये क्या-क्या सुविधा देने का प्रावधान है ? क्या परसवाड़ा विधान क्षेत्र में उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गई है ? (ग) क्या यह सही है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कार्य अपूर्ण है ? यदि हां तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं,

तो कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ? योजना के तहत लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लेक लिस्ट करने का क्या प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक कितने ठेकेदार ब्लेक लिस्ट हुये ? इन कार्यों में म.प्र. पू.क्षे.वि.वि.क. के अधिकारियों के पास ठेकेदार को दण्डित करने का अधिकार है ? (घ) क्या यह सच है कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किसानों के कनेक्शन न होने पर भी बिजली बिल आ रहे हैं ? यदि हां, तो इसका निराकरण कैसे किया जा रहा है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) परसवाडा विधानसभा क्षेत्र के परसवाडा, किरनापुर, बालाघाट ब्लाक में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत प्रश्न दिनांक तक २63 ग्रामों में से 14 अविद्युतिकृत ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य ठेकेदार मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मुम्बई द्वारा तथा 249 विद्युतीकृत ग्रामों के अविद्युतीकृत क्षेत्र में 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले मजरे/बसाहटों/टोलों में सघन विद्युतीकरण का कार्य मेसर्स जी.व्ही.पी.आर.इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया गया है । ग्रामवार सूची संलग्न प्रपत्र में दर्शाये अनुसार है । एजेंसियों द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु मुख्यत: 11 के.व्ही. लाईन तथा निम्नदाब लाईन का निर्माण कार्य एवं वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना के कार्य, कर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणी के हितग्राहियों को नि:शुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किये जाने के कार्य किये गये हैं । (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग सहित सभी श्रेणी के हितग्राहियों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधानहै । जी हां । (ग) जी हां । वर्तमान में परसवाडा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत शेष कार्य प्रगति पर है । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत दिए गए प्रावधान/अनुबंध की शर्तो के अनुसार संबंधित ठेकेदार द्वारा समय सीमा में कार्यपूर्ण न करने पर प्रश्न दिनांक तक ठेकेदार के बिलों से रू. 1.17 करोड़ की राशि,लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में काटी जा चुकी है । योजना के अंतर्गत जारी कान्ट्रेक्ट अवार्ड में ठेकेदारों को ब्लेक लिस्ट करने का प्रावधान नहीं है, अत: किसी ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है । म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. के अधिकारियों के पास राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत कार्य में विलम्ब पर ठेकेदारों को निविदा में निहित शर्तो के अनुसार लिक्विडेटेड राशि वसूल करना,ठेका निरस्त कर परफारमेंस बैंक गॉरटी राशि वसूल करने का अधिकार है । (घ) जी नहीं । अत: प्रश्न नही उठता ।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

<u>विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत से अधिक के देयक दिये जाने की शिकायतों पर कार्यवाही</u>

44. **(क्र. 506) श्री मधु भगत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बालाघाट जिले के ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत खपत से कई गुना अधिक के विद्युत देयक देने की कितनी शिकायतें विभाग को 2013-14, 2014-15 वर्तमान में प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुई संभागवार जानकारी देवें ? (ख) क्या यह सही है कि बालाघाट जिले के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से कई गुना अधिक राशि के विद्युत देयक विभाग द्वारा दिये एवं वसूले जा रहे हैं ? (ग) क्या खपत से अधिक के विद्युत देयक के वितरण वसूली पर रोक लगाने के लिये शासन स्तर से पहल की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी ? (घ) क्या यह भी सही है कि प्रश्न दिनांक तक परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम, टोले, मजरे विद्युत विहीन है ? विद्युत विहीन ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें ? विद्युतीकरण कब तक कर लिया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) बालाघाट जिले के अधीनस्थ संभागों में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत खपत से कई गुना अधिक विद्युत देयक देने की नहीं अपितु गलत रीडिंग, गलत पंचिंग आदि के कारण वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रश्न दिनांक तक संभागवार प्राप्त शिकायतों की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई हैं । इनका समय-सीमा में निराकरण कर शिकायत सही पाने पर उपभोक्ताओं को संशोधित विद्युत देयक दिया गया है । (ख) जी नहीं । (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता । (घ) प्रश्न दिनांक तक परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ग्राम विद्युत विहीन नहीं है, यद्यपि विद्युतीकृत ग्रामों के अविद्युतीकृत क्षेत्र 100 या 100 से अधिक आबादी वाले मजरे/बसाहटों/टोलों में 11वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसे कि दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित हैं । चूंकि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ग्राम अविद्युतीकृत नहीं है अत: विद्युत विहीन ग्रामों की सूची उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

परिशिष्ट - ''उन्चास''

सिवनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यों हेतु राशि का आवंटन

45. **(क्र. 519) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 से प्रश्न दिनांक तक जल संसाधन विभाग खण्ड, सिवनी को कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य हेतु आवंटित की गई है ? जानकारी वर्षवार मांग संख्या सहित देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्राप्त राशि में से प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन, कार्य कितने-कितने लागत से, किस निर्माण एजेन्सी द्वारा कराये गये हैं ? जानकारी वर्षवार, कार्यवार देवें ? तथा उक्त कार्यों की वर्तमन स्थिति क्या है, तथा कितने पूर्ण हैं ? कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण होने के कारण क्या हैं ? उन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ? (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में स्वीकृत कार्यों को पूरा न कराने में कौन-कौन दोषी हैं ? उनके विरूद्ध कब क्या कार्यवाही शासन/विभाग द्वारा की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है । (ख) जानकारी प्रपत्र-'ब' अनुसार है । (ग) निर्माण कार्यो को पूरा कराना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, भूमि के अर्जन, निर्माण एजेंसी के निर्धारण एवं वनभूमि के उपयोग की अनुमति आदि पर निर्भर होता है । निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से कराए जाने के परिपेक्ष्य में किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है । अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

जन सुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति

46. **(क्र. 520) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में 1 अप्रैल, 2013 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में जिला मुख्यालय पर संचालित समस्त विभागों में कितने-कितने आवेदन आम जनता की ओर से प्राप्त हुए ? कितने आवेदन निराकरण हेतु कलेक्टर कार्यालय से विभिन्न विभागों में प्रेषित किए गए ? इनकी संख्या बतावें ? (ख) उक्त में से कितने आवेदनों का निराकरण करके उनके संबंध में कलेक्टर एवं संबंधित आवेदकों को सूचित किया गया ? कितने-कितने आवेदन समस्त विभागों में वर्तमान की स्थिति में लंबित पड़े हैं ? कब तक उनका निराकरण किया जावेगा ? (ग) क्या यह सच है कि जिले में कलेक्टर कार्यालय को छोड़कर अधिकांश विभागों में जन सुनवाई कई

माह से बंद पड़ी है ? क्या यह भी सही है कि कलेक्टर द्वारा उक्त अवधि में सभी संबंधित विभागों को जो आवेदन निराकरण हेतु भेजे गये हैं, उनमें से वर्तमान में अनेक आवेदन 6-6 माह से लंबित पड़े हैं ? (घ) क्या उक्त स्थिति से निपटने हेतु शासन कार्यवाही करेगा ? आवेदनों को लंबित रखने के कारणों की जांच शासन करायेगा तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ? (ड़) प्रश्नांश (क) अवधि में प्राप्त आवेदनों में से कितने जांच के दौरान गलत पाये गये ? क्या शासन ऐसे आवेदकों पर शासन/प्रशासन का समय बर्बाद करने पर कोई कार्यवाही भविष्य में करेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जिला मुख्यालय में कुल 13578 आवेदन प्राप्त हुये । समस्त आवेदन संबंधित विभागों/शाखाओं को निराकरण हेतु प्रेषित किये गये हैं । (ख) 12294 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाकर संबंधित आवेदकों को विभाग द्वारा सूचित किया गया है । 1284 आवेदन निराकरण हेतु विभिन्न कार्यालयों में लंबित हैं । निरन्तर निराकरण किया जा रहा है समयावधि बताना संभव नहीं है(ग) जी नहीं । आवेदन निराकरण के लिये प्रकियाधीन है । (घ) संबंधित कार्यालय प्रमुखों को जिला प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं, संबंधितों के वेतन रोकने की कार्यवाही भी की गई है । (ड) 708 आवेदन पत्र जांच के दौरान गलत पाये गये । ऐसे आवेदकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश नहीं हैं ।

<u>केपिसिटी बिल्डिंग मद से लाखों रूपये का भुगतान</u>

47. **(क्र. 534) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि शिवपुरी में पदस्थ रहे कार्यपालन यंत्री ए.के.अग्रवाल द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंपिसिटी बिल्डिंग मद से लाखों रूपये के भुगतान किये गये हैं ? जिसकी स्वीकृति नियमानुसार डी.एल.आई.सी. (जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति) से नहीं ली गई है ? (ख) यदि हॉ, तो कितनी-कितनी राशि का किस-किस फर्म को कितने-कितने वर्क ऑर्डर एवं कितने का भुगतान किया गया है ? सूची उपलब्ध करावें ? (ग) प्रश्न क्रमांक (क) एवं (ख) के संदर्भ में किये गये भुगतान की शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग ग्वालियर के स्तर से हुई है ? (घ) यदि जांच प्रतिवेदन में संबंधित को दोषी पाया गया है, तो उसके विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जी हां जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है । (ग) एवं (घ) तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री ए.के.अग्रवाल के विरूद्ध विभागीय जांच सम्पन्न की जा चुकी है । आरोप प्रमाणित पाए गए हैं । प्रकरण में श्री ए.के.अग्रवाल को विभागीय प्रमुख सचिव के समक्ष दि. 29.12.2014 को सुनवाई नियत है ।

परिशिष्ट - ''पचास''

<u>जलसंसाधन विभाग के उपयंत्रियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर कार्यवाही</u>

48. **(क्र. 551) श्री तरूण भनोत :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग में ऐसे उपयंत्रियों जिनकी सेवायें नर्मदा घाटी विकास विभाग को सौंपी गई एवं उनके द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग में की गई अनियमितताओं के विरूद्ध नर्मदा घाटी विकास विभाग ने विभागीय जांच संस्थापित कर उनको दोषी पाया है, तो क्या इन प्रकरणों पर जल संसाधन विभाग के अनुशासनिक प्राधिकारी (प्रमुख अभियंता) को अंतिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार है अथवा नहीं ? (ख) यदि वर्णित (क) का उत्तर हां

है तो क्या जल संसाधन विभाग के अनुशासनिक प्राधिकारी (प्रमुख अभियंता) प्रमुख अभियंता द्वारा वर्ष 2010 से 31 अक्टूबर 2014 तक के सभी ऐसे प्रकरण निर्णित किये गये या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) वर्णित (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में किसी उपयंत्री का कथन अभियोजन साक्ष्यों के पूर्व लिए गए हैं तथा ऐसा अपचारी सेवक अभियोजन साक्ष्यों के प्रति परीक्षण से वंचित रखा गया है तो क्या ऐसी जांच विभागीय जांच के नियमो के अनुसार प्रदूषित मानी जावेगी या नहीं ? (घ) यदि वर्णित (ग) का उत्तर हां तो वर्ष 2010 से 31 अक्टूबर 2014 तक ऐसे कौन-कौन से प्रकरण जल संसाधन विभाग के अनुशासनिक प्राधिकारी (प्रमुख अभियंता) द्वारा निर्णित कर दण्डात्मक आदेश जारी किये गए हैं जिसमें अपचारी सेवक के कथन अभियोजन साक्ष्यों के पूर्व लेते हुए अभियोजन साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण से उसे वंचित रखा गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । (ख) निर्णित किए गए । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है । (ग) विभागीय जांच के प्रकरणों में किसका साक्ष्य कब लिया यह जानकारी संकलित एवं संधारित नहीं की जाती है । विभागीय जांच की प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय आधारित होकर जांचकर्ता अधिकारी के विवेक पर होने से विभागीय जांच दूषित नहीं है । (घ) प्रकरण क्रमांक-3328700/34/11 दिनांक 28.06.2014 क्रमांक-3328700/34/11 दिनांक 31.07.2014 एवं क्रमांक-3328700/34/11 दिनांक 19.11.14 विभागीय जांच प्रमुख अभियंता द्वारा संपन्न नहीं की जाती होने से प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

<u>कौशल उन्नयन योजना अन्तर्गत कार्य</u>

49. **(क्र. 570) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कौशल विकास योजनान्तर्गत उज्जैन संभाग में 01 अप्रैल 2011 से आज दिनांक तक किन-किन एन.जी.ओ./संस्थाओं को कितने व्यक्तियों के कौशल उन्नयन का कार्य किस दर पर, कितनी राशि का दिया गया ? (ख) उपरोक्त वर्णित एन.जी.ओ./संस्थाओं ने उपरोक्त वर्णित अवधि में कितने-कितने हितग्राहियों का कौशल उन्नयन किस-किस फैकल्टी में दिया गया ? (ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) में वर्णित संस्थाओं/एनजीओ के भुगतान हेतु किन नियमों शर्तों का पालन किया गया ? (घ) क्या निर्धारित मापदण्डानुसार ही उक्त भुगतान किये गये ? भुगतान अधिकारी का ब्यौरा क्या है ? (ड.) उपरोक्त (क) एवं (ख) के तहत प्रशिक्षण दौरान कितने हितग्राहियों को रोजगार प्राप्त हुआ ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एवं (ख) भारत सरकार की स्किल डेवलमेंट इनीशियेटिव स्कीम के तहत मॉडयूलर एम्प्लायबल स्किल (एमईएस) अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में उज्जैन संभाग में पंजीकृत 58 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर (वीटीपी) के माध्यम से 19979 व्यक्तियों को प्रशिक्षण विभिन्न पाठ्यक्रमों में दिया गया है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है । उक्त अवधि में प्रशिक्षण का कार्य भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों पर दिया गया :- (1) दिनांक 01.04.2011 से 10.09.2013 की अवधि में रू. 15.00 प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षणार्थी । (2) दिनांक 11.09.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि में पाठ्यक्रम अनुसार रू.20.00 अथवा रू. 25.00 प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षणार्थी । (3) दिनांक 01.04.2014 से पाठ्यक्रम अनुसार रू. 22.50 अथवा रू. 27.50 प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षणार्थी । (ग) एवं (घ) वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को भुगतान की मुख्य शर्त निम्नानुसार है :- (1) दिनांक 01.04.2011 से 10.09.2013 की अवधि में दिये गये प्रशिक्षण की परीक्षण उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुपात में निर्धारित दर से भुगतान । (2) दिनांक 11.09.2013 से प्रारंभ प्रशिक्षण के लिए परीक्षा में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित दर से भुगतान । जी हॉ. नियमों के

पालन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन साफटवेयर आधारित प्रक्रिया के तहत है. भुगतान के लिए निर्धारित शर्त के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के उत्तीर्ण होने अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने की जानकारी पोर्टल पर क्रमश; क्षेत्रीय निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण, कानपुर एवं असेसिंग बॉडी द्वारा दर्ज किए जाने के आधार पर भुगतान की कार्यवाही मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा की जाती है । (ड.) एमईएस योजना के रोजगार की जानकारी भारत सरकार द्वारा संधारित पोर्टल पर इंद्राज करने का प्रावधान है किंतु व्हीटीपी द्वारा इसे पोर्टल पर इंद्राज नहीं किया जा रहा है । अत: रोजगार की जानकारी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ।

जले विद्युत ट्रांसफार्मर को बदला जाना

50. **(क्र. 571) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आलोट विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष2011-2012,2012-2013 एवं 2013-2014 में अक्टूबर,2014 तक कितने विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर जले अथवा खराब हुए ? वर्षवार संख्या बतायें ? (ख) आलोट विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2011-2012,2012-2013 एवं 2013-2014 में अक्टूबर,2014 तक कितने विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर निर्धारित समयावधि में नहीं बदले गये संख्या बतावें ? (ग) प्रश्नांश(ख) केअनुसार निर्धारित समयावधि में नहीं बदले गये विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर के प्रकरणों में देरी के क्या कारण है और इस हेतु विभाग ने क्या कार्यवाही की बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) आलोट विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 495, वित्तीय वर्ष 2012-13 में 486, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 608 तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांक 31.10.2014 तक 385 ट्रांसफार्मर जले अथवा खराब हुए । (ख) प्रश्न में उल्लेखित अवधि में निर्धारित समयावधि में नहीं बदले गये विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या निरंक है । प्रचलित नियमों के अनुसार उपरोक्त अवधि में पात्रता में आने वाले जले/खराब विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समयावधि में बदला गया । (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में उत्तर अपेक्षित नहीं । अत: प्रश्न उपस्थित नहीं उठता ।

विधायकों के पत्रों के उत्तर दिये जाना

51. **(क्र. 584) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन द्वारा माननीय विधायकों के पत्रों पर समय सीमा में कार्यवाही करने और की गई कार्यवाही से अवगत कराने तथा जानकारी देने हेतु समय-समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां तो परिपत्र की प्रति बतावें ? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा 08 दिसम्बर 2013 से प्रश्न दिनांक तक सागर जिले के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पी.डब्ल्यू.डी., आर.ई.एस., प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सड़क योजना, आदिम जाति कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, पशु पालन विभाग, सी.ई.ओ. जनपद पंचायत जैसी नगर एवं राहतगढ़ को कब-कब पत्र लिखे गये और जानकारी चाही गयी ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिपेक्ष्य में किन-किन अधिकारियों ने कब-कब कौन-कौन से पत्रों के उत्तर भिजवायें और किन-किन पत्रों के उत्तर एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद प्रश्न दिनांक तक भी नहीं दिये और न ही जानकारी ही उपलब्ध करायी और क्यों ? (घ) ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा न तो पत्रों के उत्तर दिये गये और न ही जानकारी ही उपलब्ध करायी गयी है, उन अधिकारियों के विरूद्ध प्रश्नांश (क) के अनुसार कोई कार्यवाही की जावेगी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? संबंधित अधिकारियों से कब तक उत्तर एवं जानकारी दिला दी जावेगी, समय सीमा बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है । (ग) सभी पत्रो के उत्तर भिजवाये गये है । (घ) कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

<u>राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का संचालन</u>

52. **(क्र. 641) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित है ? यदि हां तो योजना के स्वरूप का विस्तृत विवरण देवें ? (ख) सुसनेर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उक्त योजना में कितने मजरे/टोले में विद्युतीकरण संपन्न हुआ ? कृपया सूची उपलब्ध करायें ? (ग) सूसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत योजना में लाइनों के खम्भे व तार कब लगाये गये वर्तमान में विद्युत प्रदाय व विद्युत देयकों की स्थिति क्या हैं ? (घ) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने निजी व शासकीय ट्रांसफार्मर लगे हैं ? क्या लगे हुए ट्रांसफार्मर पर्याप्त है ? यदि नहीं तो विभाग कोई प्रभावी कदम उठाने जा रहा हे ? ग्रिड पर भार कितना है? उपलब्ध ग्रिड पर्याप्त है ? लोड शेडिग का विवरण देवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । जिला शाजापुर अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत है जिसमें सुसनेर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कार्य सम्मिलित है । योजना का कार्यादेश मेसर्स अग्रवाल पावर प्राय.लिमि.भोपाल को दिया गया है, जिसके अन्तर्गत 1203 कि.मी. 11 के.व्ही.लाईन, 1068 नंबर 25 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर, 569 कि.मी. एल.टी.लाईन एवं 37935 नंबर बीपीएल उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदाय किया जाना है । योजना की कुल लागत 58.05 करोड़ रू. है जिसके अन्तर्गत सुसनेर विधानसभा के ग्रामों में भी कार्य किया जाना है । (ख) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में 19 ग्रामों/मजरे टोले में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न हुआ जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) योजनान्तर्गत लाईनों के निर्माण (विद्युतीकरण) की दिनांक संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । वर्तमान में सभी ग्रामों में आबादी क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है एवं विद्युत देयक म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार जारी किये जा रहे हैं । (घ) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 196 नग निजी (स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना अन्तर्गत स्थापित) एवं 2047 नग पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ट्रांसफार्मर लगे हैं । जी हाँ, लगे हुए ट्रांसफार्मर पर्याप्त हैं । प्रत्येक ग्रिड पर क्षमता अनुसार भार है । उपलब्ध 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र (ग्रिड) पर्याप्त है तथा लोड़ शेडिंग निरंक है ।

<u>परिशिष्ट</u> - "इक्यावन"

<u>क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही</u>

53. **(क्र. 642) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवगठित आगर जिले में शासन द्वारा कितने स्थलों की खनन हेतु अनुमत किया गया है ? अनुमत स्थलों की सूची अनुमत अवधि के साथ उपलब्ध करावें ? (ख) विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में कौन-कौन सी खनन इकाईयॉ कार्यरत है ? कार्यरत ठेकेदारों की सूची उपलब्ध करावें ? (ग) विगत दो वर्षो में क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है एवं इनमें क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्षेत्र में विगत 2 वर्षों में अवैध खनन के मामलों में की गई कार्यवाहियों से प्राप्त अर्थदण्ड का प्रकरणवार ब्यौरा प्रस्तुत करें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर दर्शित है । (ख) जिले में 38 खनन इकाईयों में से 22 इकाईयां कार्यरत हैं एवं शेष 16 इकाईयां पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में शिथिल हैं । प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" में दर्शित है। (ग) म.प्र. शासन द्वारा आगरमालवा जिले का गठन दिनाँक 16.08.2013 को किया गया है । प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त 18 अवैध उत्खनन संबंधित शिकायतों परत्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधितों के विरूद्ध अवैध उत्खनन के 05 प्रकरण दर्ज किये गयेए जिसमें नियमानुसार आगामी कार्यवाहीगतिशील है एवं अवैध परिवहन के 25 प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार अर्थदण्ड वसूल किया गया । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट क्रमशः "ब" एवं "स" में दर्शित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में दर्शित है ।

कर्मचारियों के रिक्त पद

54. **(क्र. 667) डॉ. मोहन यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.प.क्षे.वि. वि. कंपनी, उज्जैन के सर्कल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? (ख) क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरीयता सर्कल में होती है ? (ग) उज्जैन शहर की विद्युत व्यवस्था फ्रेंचाइजी के पास जाने के कारण कर्मचारियों को सर्कल कार्यालय में रिक्त पदों पर पदस्थ क्यों नहीं किया गया ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर के अन्तर्गत संचारण/संधारण वृत्त उज्जैन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 281 पद रिक्त है । (ख) जी हाँ । (ग) उज्जैन शहर की विद्युत वितरण व्यवस्था फ्रेन्चाईजी के पास जाने के उपरांत उज्जैन के शहर संभागों में पदस्थ कर्मचारियों को प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन वृत्त से बाहर अन्य वृत्तों में पदस्थ किया गया था । कर्मचारी संगठनों की मांग के परिप्रेक्ष्य में तथा जनप्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत, पुनर्विचार कर दिनांक 12.11.2014 को उक्त जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त करते हुए, सभी कर्मचारियों की सेवाएं नवनिर्मित सिंहस्थ संभाग उज्जैन एवं उज्जैन वृत्तांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापना हेतु संचारण/संधारण वृत्त उज्जैन को सौंप दी गई है ।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अवधि

55. **(क्र. 671) डॉ. मोहन यादव :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कंपनी में कितने कर्मचारी सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी आउट सोर्स पर कार्यरत हैं ? (ख) क्या यह सही है कि उज्जैन शहर की व्यवस्था फ्रेंचाइजी के पास जाने से कार्यरत कर्मचारियों को आउट सोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को हटाकर पदस्थ किया जा सकता था ? (ग) क्या कारण थे कि कार्यरत कर्मचारियों के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानांतरण किये जा रहे हैं, जबकि उन्हें यहीं पदस्थ किया जा सकता था ? कारण सहित जानकारी दें ? (घ) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का कार्यकाल 2 वर्ष या उससे कम अवधि का शेष है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि.,के क्षेत्रांतर्गत 05 कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात् आउटसोर्स पर कार्यरत हैं । (ख) जी, नहीं । उक्त सभी 05 कर्मचारी उज्जैन क्षेत्र के बाहर इन्दौर क्षेत्र में कार्यरत हैं, अत: इन आउट सोर्स पर रखे गये सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हटाकर उज्जैन शहर में कार्यरत कर्मचारियों को इनकी जगह पर पदस्थ करने का औचित्य नहीं था । (ग) प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन शहर संभागों में पदस्थ कर्मचारियों को उज्जैन क्षेत्र के अंतर्गत अन्यत्र वृत्तों में स्थानांतरित किया गया था । तथापि कर्मचारी संगठनों की मांग के परिप्रेक्ष्य में तथा जनप्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत, पुनर्विचार कर दिनांक 12.11.2014 को उक्त जारी किये गये स्थानांतरण आदेशों को निरस्त करते हुए,सभी कर्मचारियों की सेवाएं उनको सिंहस्थ संभाग उज्जैन एवं उज्जैन वृत्तांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ करने हेतु संचारण संधारण वृत्त उज्जैन को सौंप दी गई है । (घ) म.प्र. पश्चिमक्षेत्र वि.वि. कं.लि., के क्षेत्रांतर्गत 1100 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का कार्यकाल 2 वर्ष या उससे कम अवधि का शेष हैं ।

किये गये कार्यों में अनियमितता

56. **(क्र. 679) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा प्रश्न क्रं. 1356, दिनांक 15.7.2014 के उत्तर (ख) में अनुपूरक योजना में 542 ग्रामों के विद्युतीकरण/ सघन विद्युतीकरण का कार्य पृथक से स्वीकृत है, जिसकी स्वीकृत राशि 44.44 करोड है ? अब तक किये गये कार्यों की प्रगति दें ? (ख) किस-किस एजेंसी को कितना-कितना चैक द्वारा भुगतान किया गया ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । इन स्वीकृत कार्यों के अन्तर्गत दिनांक 31.10.2014 तक 02 अविद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य तथा 67 विद्युतीकृत ग्रामों के अविद्युतीकृत क्षेत्र एवं 100 या 100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत क्षेत्र/मजरे/टोलों में सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणी के 2400 हितग्राहियों को नि:शुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किए गए हैं । (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित कार्य का ठेका मेसर्स एलटेल पॉवर लिमिटेड, सतना को दिया गया है जिसको दिनांक 31.10.2014 तक आर.टी.जी.एस. के माध्यम से (चेक के माध्यम से नहीं) रू. 8.45 करोड का भुगतान किया गया है ।

हरसी कमांड क्षेत्र डबरा अंतर्गत विकास कार्यों की स्थिति

57. **(क्र. 695) श्रीमती इमरती देवी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत हरसी जल संसाधन संभाग डबरा को वर्ष 2012-13 से 2014-15 (30/10/2014) तक वर्षवार (मरम्मत एवं नवीन निर्माण कार्य) विभिन्न मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? प्राप्त राशियों को उप संभाग/सिंचाई संस्थाओं में मदवार कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त वर्षों में उप संभाग/सिंचाई संस्थाओं को प्रदाय राशि से विधान सभा क्षेत्र डबरा में किस स्थान पर क्या कार्य, कितनी राशि के स्वीकृत किये गये जिन्हें पूर्ण करने की अवधि क्या है, तथा किस उपयंत्री की देखरेख में कार्य हुआ ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य समयावधि में किस कारण अपूर्ण हैं, जिन्हें कब तक पूर्ण किया जावेगा ? अपूर्ण कार्यों की सूची उपलब्ध करावें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक', 'एक (अ) ' एवं 'दो' अनुसार है ।

ग्वालियर जिले में बी.एड. एवं डी.एड., कॉलेजों का संचालन

58. **(क्र. 696) श्रीमती इमरती देवी :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में अशासकीय बी.एड. एवं डी.एड. कॉलेज खोलने के क्या नियम एवं शर्ते है ? बी.एड. एवं डी.एड. में प्रवेश हेतु वर्ष 2012-13 से 2014-15 में कितनी फीस निर्धारित की गई ? (ख) ग्वालियर जिले में जुलाई 2014 की स्थिति में अशासकीय बी.एड. एवं डी.एड. कॉलेज, किस स्थान पर संचालित है, प्रत्येक कॉलेज का पंजीयन क्रं. एवं दिनॉक सहित, संचालन का समय एवं संचालित स्थान का पूर्ण पता बताएं ? (ग)ग्वालियर जिला में संचालित बी.एड. एवं डी.एड. प्रत्येक कॉलेज को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कितनी-कितनी अनुदान राशि केन्द्र सरकार एवं म.प्र. शासन से प्राप्त हुई, बतावें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) म.प्र. में अशासकीय बी.एड. एवं डी.एड. कॉलेज खोलने के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के नियम एवं शर्तें की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है । बी.एड. में प्रवेश हेतु वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2014-15 में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" एवं "स" अनुसार है । सत्र 2013-14 को शून्य वर्ष घोषित किया गया था । डी.एड. में प्रवेश हेतु अशासकीय कॉलेजों की फीस का निर्धारण नहीं किया गया है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है । (ग) ग्वालियर जिले में संचालित बी.एड. एवं डी.एड. महाविद्यालयों को केन्द्र सरकार से किसी प्रकार की अनुदान राशि इस विभाग के माध्यम से एवं म.प्र. शासन से प्रदान नहीं की जाती है ।

किसान समृद्धि योजना में प्रदत्त सुविधाएं

59. **(क्र. 727) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान समृद्धि योजना अंतर्गत कृषकों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती है व इस हेतु क्या-क्या नियम प्रक्रियाऐं है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त योजनाओं की कृषक वर्ग को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जन जागरण चलाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना में कब-कब, कहां-कहां अभियान के माध्यम से जानकारी दी गई ? प्रमाण सहित बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना के तहत् विधान सभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना में कितने कृषकों ने आवेदन प्रस्तुत किए ? प्रस्तुत आवेदनों में से कितनों का निराकरण हो चुका है व कितने शेष हैं व उनका कब तक निराकरण कर दिया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) किसान समृद्धि योजना अंतर्गत दिनांक 28 फरवरी 2013 की स्थिति में कृषि पंपों की बकाया राशि में से कृषि उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा प्रभार की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर शेष 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाना है । उपभोक्ता की सरचार्ज की राशि भी शत्-प्रतिशत माफ किए जाने का प्रावधान है । योजना अंतर्गत किसान को बकाया राशि का भुगतान 10 समान छः:माही किश्तों में करना

है । यदि किसान चाहे तो कम किश्तों में भी बकाया राशि का भुगतान कर सकता है । निर्धारित तिथि पर देयक का भुगतान नहीं किए जाने पर ऐसे देयकों में बकाया राशि पर म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार सरचार्ज देय होगा ।(ख) जी हॉ । दिमनी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार माईक के माध्यम से किया गया । इसके अतिरिक्त बुकलेट भी वितरित की गई तथा शिविर आयोजित किए गए, जिनका विवरण एवं प्रमाणीकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ग) योजनान्तर्गत दिमनी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 736 किसानों द्वारा आवेदन किये गये । सभी आवेदनों का निराकरण किया गया है । वर्तमान में निराकरण हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है ।

दीनबंधु योजना अंतर्गत प्रदत्त सुविधाएं

60. **(क्र. 728) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दीनबंधु योजना अंतर्गत कृषकों को क्या-क्या सुविधाऐं प्रदान की जाती है व इस हेतु क्या-क्या नियम प्रक्रियाऐं है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त योजनाओं की कृषक वर्ग को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जन जागरण चलाने का प्रावधान हैं ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना में कब-कब, कहां-कहां अभियान के माध्यम से जानकारी दी गई ? प्रमाण सहित बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना में कितने कृषकों ने आवेदन प्रस्तुत किए ? प्रस्तुत आवेदनों में से कितनों का निराकरण हो चुका है व कितने शेष हैं व उनका कब तक निराकरण कर दिया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) दीनबंधु योजना अंतर्गत कृषकों को सुविधा नहीं दी गई है, बल्कि योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के घरेलू कनेक्शनों पर दिनांक 30.06.2013 की स्थिति में बकाया राशि को शत् प्रतिशत माफ किए जाने का प्रावधान है । (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

बाणसागर प्रभावित परिवार को तहसील रामनगर में आवासीय भूखण्ड का पट्टा बंटन

61. **(क्र. 747) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बाणसागर परियोजना रीवा द्वारा क्र. 407/एच-52 दिनांक 1-10-05 को विस्थापित व्यक्तियों को कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी यूनिट क्रं. 6 द्वारा बिहारीलाल तिवारी तनय श्री हरप्रसाद ब्राम्हण निवासी गंगासागर तहसील रामनगर को आवासीय भूखण्ड का पट्टा 50 x 50 का न्यू रामनगर (तुर्की) में प्लांट नं. 440 आवंटित किया गया था ? (ख) यदि हां, तो क्या रामबिहारी तिवारी का मौके पर कब्जा है ? या उक्त प्लाट किसी अन्य व्यक्ति के नाम परिवर्तित कर दिया गया है ? पूर्ण विवरण सहित सत्यापन कराकर जानकारी देवें ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त प्लाट साजिश रचकर फूलमती कोरी को कब्जा दे दिया गया है जो श्री बाला प्रसाद तिवारी को बेच दी है, जबकि उक्त प्लाट मकान बनाने के लिये आवंटित है ? बेचने के लिये नहीं ? बेचने की अनुमति किसने दी है तथा बेचने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की गई या नहीं बतायें ? (घ) क्या प्लाट नं. 440 रामविहारी तिवारी निवासी गंगासागर को आवंटित किया गया था उन्हें मौके से कब्जा दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है, कब तक मौके से कब्जा दिलाया जायेगा, समय-सीमा बतायें ? व साजिश कर अन्य को प्लाट आवंटित करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । (ख) श्री रामबिहारी तिवारी के नाम से कोई प्लाट आबंटित नहीं है । भू-अर्जन अधिकारी,यूनिट क्रमांक-4 सतना द्वारा ग्राम गंगा-सागर के विस्थापितों को आवासीय भू-खण्ड आबंटन हेतु उपलब्ध सूची के सरल क्रमांक 281 एवं 407 में बिहारी लाल, तनय, हरप्रसाद ब्रा० का नाम दर्ज होने के कारण उन्हे आर्दश ग्राम न्यू रामनगर (तुर्की) के प्लाट नं. क्रमंश: 273 एवं 440 दिनांक 01.12.2005 को आबंटित किया गया था । एक ही विस्थापित परिवार को दो प्लाट आबंटित हो जाने संबंधी त्रुटि संज्ञान में आने पर श्री बिहारीलाल तिवारी को आबंटित प्लाट 273 यथावत रखते हुए प्लाट क्रमांक-440 परिवर्तित कर मु० फूलमती बे० रामदयाल कोरी को दिनांक 23.10.2006 को दिया गया था । (ग) एवं (घ) जी नहीं । मु० फूलमती कोरी को भू-खण्ड आवासीय प्रयोजन हेतु आबंटित किया गया था । स्थल सत्यापन में दिनांक 28.11.2014 को ज्ञात हुआ कि उक्त प्लाट की बिक्री मु० फूलमती कोरी की मृतयु पश्चात उसके पुत्र द्वारा इंद्रेश तिवारी तनय बालाप्रसाद तिवारी को दिनांक 29.07.2011 को शपथ पत्र के जरिये बेचने की जानकारी मिली है । पट्टाधारी को सुनवाई का अवसर देते हुए कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर एवं नगर पंचायत, रामनगर को लिखा गया है ।

बांध निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता

62. **(क्र. 764) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि श्योपुर जिले में मूँझरी बांध के निर्माण हेतु 675 हैक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित होने के कारण प्रभावित वन भूमि की स्वीकृति हेतु प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को शासन द्वारा उतनी ही राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त चम्बल संभाग एवं कलेक्टर श्योपुर, मुरैना एवं भिण्ड से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के वास्ते अनुरोध किया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में आयुक्त एवं कलेक्टरों द्वारा वर्तमान तक प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ? शासन द्वारा आयुक्त एवं कलेक्टरो को दिये गये अनुरोध के तारतम्य में लिखे गये पत्र की छायाप्रतियां भी उपलब्ध करावे ? (ग) क्या यह सच है कि उक्त बांध के निर्माण की मांग जिले के नागरिक विगत चार दशक से करते आ रहे हैं ? क्योंकि जिलावासियों की ये सर्वोच्च प्राथमिकता वाली मांग है ? इसके पूरे हो जाने पर जिले का सर्वांगीण विकास भी सम्भव हो सकेगा ? (घ) यदि हां, तो जनहित एवं जिले के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर क्या शासन उक्त आयुक्त एवं कलेक्टरो को प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को शासन द्वारा उनकी ही राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण में शीघ्रता से कार्यवाही प्रचलित कराने हेतु पुन: अनुरोध पत्र जारी करेगा यदि नहीं तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मूंझरी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि की अनुमति के लिए क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के लिए कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर द्वारा आयुक्त, चंबल संभाग एवं कलेक्टर, मुरैना एवं श्योपुर से अनुरोध किया जाना प्रतिवेदित है । (ख) संभागायुक्त एवं कलेक्टर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक मात्रा में गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं करा सके हैं । क्षतिपूरक वनीकरण हेतु शासन स्तर से पत्राचार नहीं किया गया है । (ग) उक्त परियोजना के लिए क्षेत्रीय मांग लंबे अरसे से है । सिंचाई परियोजना से लाभांवित क्षेत्र का विकास होता है । (घ) क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि की मांग संबंधित संभागीय कार्यपालन यंत्री द्वारा किए जाने की व्यवस्था है ।

शासकीय महाविद्यालय निवाड़ी में प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति

63. **(क्र. 776) श्री अनिल जैन :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में चालू शिक्षा सत्र में स्नातक कक्षाओं एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में किन-किन संकायों में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं ? महाविद्यालयवार, कक्षावार एवं संकायवार जानकारी देवें? (ख) विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में संचालित शासकीय महाविद्यालय निवाड़ी में स्नातक कक्षाओं एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु संकायवार प्राध्यापकों/फैकल्टी एवं अन्य प्रकार के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने पद भरे एवं कितने पद कब से रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों को आगामी शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के समय तक भर लिया जायेगा ? यदि नहीं तो कब तक भरा जायेगा ? (ग) शासकीय महाविद्यालय निवाड़ी में सहायक प्राध्यापकों के वर्तमान में स्वीकृत पद इस महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुपात में क्या पर्याप्त है ? यदि नहीं तो आवश्यक पद सृजित किये जाना क्या शासन के विचाराधीन है और इन पदों का सृजन कब तक हो सकेगा ? संकायवार बतावें ? (घ) क्या शासकीय महाविद्यालय निवाड़ी में स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु कोई नवीन संकाय प्रारम्भ किये जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कौन-कौन से संकाय कब तक प्रारंभ किये जा सकेंगे ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" पर हैं । रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रक्रियाधीन है । लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है । (ग) वर्तमान में छात्र संख्या के आधार पर स्वीकृत पद पर्याप्त हैं । शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही नहीं उठता । (घ) जी नहीं है । शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिशिष्ट - ''बावन''

भीतरी उद्वहन सिंचाई योजना चालू की जाना

64. **(क्र. 783) श्री अनिल जैन :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कितनी उद्वहन सिंचाई योजनायें किन-किन स्थानों पर निर्मित हैं ? योजनावार कमाण्ड क्षेत्र एवं लाभांवित ग्रामों की संख्या विधानसभा क्षेत्रवार बतायी जावें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में से विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के अंतर्गत कितनी योजनायें बंद पड़ी हैं ? योजनावार कारण बताये जावें ? (ग) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में बंद भीतरी उद्वहन सिंचाई योजना कैसे और कब तक चालू करायी जा सकेगी ? समयावधि बताई जावें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है । (ख) निरंक । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है । (ग) भीतरी उद्वहन सिंचाई परियोजना में अस्थाई विद्युत कनेक्शन लिया जाकर परियोजना 1 दिसंबर 2014 से चालू करा दी गई है ।

परिशिष्ट - ''तिरपन''

अग्रवाल वेतन आयोग की अनुशंसाओं का पालन किया जाना

65. **(क्र. 803) डॉ. रामकिशोर दोगने :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अग्रवाल वेतन आयोग की रिपोर्ट में शासकीय सेवकों को तृतीय समयमान वेतनमान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमश: 10, 20 एवं 30 वर्ष में दिये जाने की अनुशंसा की गई है ? (ख) यदि हां, तो उक्त अनुशंसा के उपरांत भी वर्ग (स) के शासकीय सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान क्रमश: 10, 20 एवं 30 वर्ष में दिया जा रहा है ? (ग) वर्ग (अ) एवं वर्ग (ब) के शासकीय सेवकों को प्रथम समयमान वेतनमान 08 वर्ष, द्वितीय समयमान वेतनमान 16 वर्ष में एवं तृतीय समयमान वेतनमान 30 वर्ष में दिया जा रहा है ? (घ) यदि हां, तो

उक्त विसंगति के क्या कारण है ? उक्त विसंगति को कब तक दूर किया जायेगा ? निश्चित समय-सीमा बतायें ? (ड.) तृतीय समयमान वेतनमान संबंधी वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 30 सितंबर, 2014 के आदेश में मंत्रालय, विधि-विधायी कार्य विभाग में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 को तृतीय समयमान वेतनमान कौन सा प्राप्त होगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । (ख) जी हां । (ग) जी हां । (घ) राज्य शासन की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार समय सीमा निर्धारित है । अत विसंगति की स्थिति नहीं है । (ड.) मंत्रालय एवं विधि-विभाग कार्य विभाग में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 को तृतीय समयमान वेतनमान दिये जाने संबंधी आदेश संबंधितों के प्रशासकीय विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत विचारणीय होगें ।

<u>केन्द्र सरकार द्वारा म.प्र.शासन को वित्तीय आवंटन</u>

66. **(क्र. 821) श्री जितू पटवारी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य शासन पर वित्तीय भार है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं तो विगत माह कोषालयों में राशि आहरण पर क्यों रोक लगाई गई थी ? (ख) वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं वर्तमान सत्र 2014-15 में प्रश्न दिनांक तक केन्द्र शासन द्वारा किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी-कितनी अधिक राशि राज्य शासन को आवंटित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये बजट अनुमान रूपये 1,17,041/- करोड है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (ख) केन्द्र से विभिन्न योजनाओं मे वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 प्राप्त अनुदान राशि की जानकारी पुस्तकालय मे रखे अभिलेख अनुसार है । वित्तीय वर्ष 2013-14 के महालेखाकार द्वारा वित्त लेखों को अंतिम रूप दिया जाना शेष है । वित्त वर्ष 2014-15 पूर्ण होने पर वर्ष 2014-15 की जानकारी ज्ञात हो सकेगी ।

<u>राजीव गांधी ग्राम विद्युत योजना में अनियमितता</u>

67. **(क्र. 870) पं. रमाकान्त तिवारी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क)11 वी पंचवर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र, त्योंथर, जिला रीवा की किन-किन ग्रामों विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ है ? (ख) उपरोक्त कार्य कब प्रारंभ किया गया, उपरोक्त कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या थी ? उपरोक्त कार्य किस फर्म द्वारा कराया जा रहा है ? (ग) क्या उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया गया या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) उपरोक्त विद्युतीकरण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न हो पाने की स्थिति में कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ एवं कार्य करने वाली कंपनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? और कब तक समयावधि सहित बतायें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) 11वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में 146 ग्रामों की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं । ग्रामवार सूची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) उपरोक्त कार्य सितम्बर 2009 में प्रारंभ किया गया । कार्य की अवधि, अनुबंध दिनांक 22.09.2009 से 18 माह थी । उपरोक्त कार्य वर्तमान में मेसर्स बी.एस.लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा टर्न-की आधार पर

कराया जा रहा है । (ग) जी नहीं 11वीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत टर्न-की आधार पर कार्य करने हेतु पूर्व में रीवा जिले के स्वीकृत कार्य जिसमें विधानसभा क्षेत्र त्यौंथर के 146 ग्राम भी शामिल थे, का कार्यादेश मेसर्स आई.सी.एस.ए.लिमिटेड, हैदराबाद को दिनांक 06.08.2009 को जारी किया गया था परन्तु ठेकेदार के कार्य की धीमी गति होने के कारण ठेका दिनांक 20.12.11 को निरस्त कर दिया गया । ठेका निरस्त होने के बाद उक्त शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु पुन: निविदा आधार पर दिनांक 24.03.12 को कार्यादेश मेसर्स बी.एस.लिमिटेड, हैदराबाद को जारी किया गया है, जिसके द्वारा कार्य पूर्ण करने की समय सीमा सितम्बर 2013 थी । ठेकेदार द्वारा कार्य में विलम्ब के कारण, कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं हो सका हैं । (घ) धीमीगति से कार्य किये जाने के कारण टर्न-की पूर्व ठेकेदार मेसर्सआई.सी.एस.ए.लिमिटेड का ठेका निरस्त कर लिक्विडेटेड डेमेज के मद में रूपये 0.294 करोड़ तथा परफारमेंस गांरटी के रूप में रूपये 15.28 करोड़ की राशि ठेकेदार से वसूल की गई । वर्तमान में कार्य कर रहे टर्न की ठेकेदार मेसर्स बी.एस. लिमिटेड,हैदराबाद से भी कार्य में विलम्ब के कारण लिक्विडेटेड डेमेज के रूप में राशि रूपये 1.81 करोड़ वसूल की गई है । अत: किसी अधिकारी/ कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है । उक्त परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न नहीं उठता है ।

परिशिष्ट - "चौवन"

किसानों को अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने के नियम

68. **(क्र. 885) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा किसानों को अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने के लिए क्या नियम और शर्तें बनाई गई हैं ? (ख) विगत पांच वर्षों में विद्युत मण्डल द्वारा किसानों को अस्थाई विद्युत कनेक्शन कितने-कितने माह के लिए दिए गए हैं ? (ग) म.प्र. में इस वर्ष अल्पवर्षा होने से कुओं में सिंचाई हेतु उपयुक्त पानी नहीं होने के बावजूद भी विद्युत मण्डल द्वारा किसानों से चार माह का कनेक्शन दिया गया है ? विद्युत मण्डल द्वारा किसानों को अस्थाई विद्युत कनेक्शन इससे कम अवधि के लिए किसानों की स्वेच्छानुसार और आवश्यकतानुसार क्यों नहीं दिया जा रहा है ? (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने विद्युत वितरण केंद्र हैं ? किन-किन विद्युत वितरण केंद्रों पर विद्युत चोरी के कितने प्रकरण विद्युत मण्डल द्वारा बनाए गए तथा उनसे कितनी राशि वसूल की गई ? उनके नाम तथा राशि वितरण केंद्र अनुसार अलग-अलग बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग भोपाल द्वारा जारी टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2014-2015 में एलबी 5.1 के तहत अस्थायी कृषि विद्युत पम्प कनेक्शन श्रेणी में उपभोक्ता के भार के अनुसार तीन माह की देयक के समतुल्य राशि अग्रिम रूप से जमा किये जाने पर किसान को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान यदि किसान एक माह का कनेक्शन भी लेना चाहता है तब भी उसे नियमानुसार तीन माह की देयक राशि के समतुल्य राशि अग्रिम रूप से जमा करनी होती है । संयोजन विच्छेदन के उपरांत अंतिम देयक में समायोजना के पश्चात समायोजन के पश्चात ही शेष राशि रहने पर इसे किसान को वापस करने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त रबी सीजन/खरीफ सीजन के अंत में फसल थ्रेशिंग हेतु भार के अनुसार एक माह की देयक राशि के समतुल्य राशि अग्रिम रूप से जमा किये जाने पर उपभोक्ता को थ्रेशिंग हेतु विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने का प्रावधान है ।(ख) विगत पांच वर्षों में किसानों को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उनकी आवश्यकता अनुसार एक माह, दो माह, तीन माह एवं चार माह के अस्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन प्रदान किये गये है । (ग) जी नहीं । किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग भोपाल के उत्तरांश "क" में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार ही अस्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन प्रदान किये गये है । नियामक आयोग के उपरोक्त वर्णित नियमों के अनुसार ही किसान को तीन माह की देयक राशि के समतुल्य राशि अग्रिम

जमा करनी होती है एवं यदि उससे पूर्व कनेक्शन विच्छेदित कराया जाता है, तो शेष राशि टेरिफ आदेश के अनुसार किसान को वापस की जाती है । (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 11 विद्युत वितरण केन्द्र है । इस वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांक 19.11.2014 तक विद्युत वितरण केन्द्रों अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के कुल 204 प्रकरण बनाये गये तथा उनसे कुल राशि 984467/- वसूल की गई । प्रकरणों की वितरण केन्द्रवार जानकारी परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार पुस्तकालय में रखी है

किसानों से बिल की वसूली

69. **(क्र. 886) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कयामपुर वितरण केंद्र पर वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अक्टूबर-2014 तक कितने उपभोक्ताओं के तीन हार्स पावर के सिंचाई विद्युत कनेक्शनों को चार हार्स पावर में भार वृद्धि की गई है एवं उन्हें चार हार्स पावर के अनुसार विद्युत देयक जारी किये जा रहें है संख्या एवं कारण बतावें ? (ख) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कयामपुर वितरण केन्द्र पर वित्तीय वर्ष 2013-14 2014-2015 में अक्टूबर 2014 तक कितने उपभोक्ताओं के तीन हार्स पावर के सिंचाई विद्युत कनेक्शनों को चार हार्स पावर में भार वृद्धि की गई है उन उपभोक्ताओं की सूचीमय जांच रिपोर्ट को उपलब्ध करावें ? (ग) पूर्व में जिन किसानों द्वारा तीन हॉर्स पावर का बिल भुगतान किया जा रहा था, उन किसानों से कितने वर्षों से चार हॉर्स पावर का बताकर बिल वसूला जा रहा है ? उनकी जॉचकर उसकी रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कयामपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में माह अक्टूबर-2014 तक किसी भी सिंचाई उपभोक्ता के तीन हार्स पावर सिंचाई विद्युत पम्प कनेक्शन को चार हार्स पावर में भार वृद्धि नहीं की गई है । अत: प्रश्न के शेष भाग का उत्तर अपेक्षित नहीं । (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक । (ग) पूर्व में जिन किसानों को 3 हार्स पॉवर का विद्युत देयक जारी किया जा रहा था उन सिंचाई कनेक्शनों को 4 हार्स पॉवर में भारवृद्धि करते हुए 3 साल 8 माह से विद्युत देयक दिये जा रहे हैं । इन उपभोक्ताओं के परिसर का भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा एवं तत्संबंधी जांच रिपोर्ट माह मार्च 2015 तक तैयार करवा ली जायेगी ।

जाति प्रमाण पत्र के लंबित आवेदन पत्र

70. **(क्र. 902) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले में मेघवाल जाति को अ.जा. वर्ग की सूची में मान्य किया गया है ? यदि हां, तो किस क्रमांक पर तथा यदि नहीं तो किस वर्ग में उसको माना गया है ? (ख) 01 जनवरी 2013 से नवंबर 2014 तक देवास जिले में मेघवाल जाति को किस वर्ग में मान्य कर जाति प्रमाण पत्र बनाये गये ? संख्या तहसीलवार बतायें ? (ग) नवंबर 2014 की स्थिति में मेघवाल जाति के जाति प्रमाण पत्र के कितने आवेदन पत्र लंबित है तथा क्यों ? कारण बतायें ? (घ) उक्त आवेदन पत्रों का निराकरण कब तक होगा ? निश्चित समयावधि बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ, यह सही है कि, मध्यप्रदेश राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक 38 पर मेघवाल जाति दर्ज है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (ख) कलेक्टर, देवास से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जनवरी 2013 से नवंबर 2014 तक देवास जिले के पाचों अनुविभाग कार्यालयों में मेघवाल जाति का कोई जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (ग) एवं (घ) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

घटिया निर्माण कार्यो की शिकायतें

71. **(क्र. 903) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के बागली विकास खण्ड के अन्तर्गत धाराजी मार्ग एन.एच.डी.सी. द्वारा कितनी लागत की पुलिया बनाई जा रही है उक्त पुलिया की लम्बाई, चौडाई कितनी है ? क्या तकनीकी स्वीकृति अनुसार कार्य हो रहा है ? (ख) उक्त निर्माण कार्यो में अनियमितताओं की कितनी शिकायतें विभाग को किन-किन माध्यमों से प्राप्त हुई, तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) उक्त कार्यो का निरीक्षण कब-कब किस-किसनें किया तथा क्या-क्या अनियमिततायें पाई तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (घ) उक्त कार्यो का मूल्यांकन कब-कब किसने किया, तथा ठेकेदारों को कब-कब कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) देवास जिले के बागली विकास खण्ड के अंतर्गत धाराजी मार्ग पर अनुबंधित राशि रूपये 5289965/- अनुमानित लागत की पुलिया बनाई जा रही है । पुलिया की लंबाई कुल 40 मीटर एवं चौडाई 6 मीटर है । जी हॉ । (ख) उक्त निर्माण कार्य के संबंध में किसी भी माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) एन.एच.डी.सी. के प्रबंधक सिविल, उप-प्रबंधक सिविल एवं सहायक अभियंता सिविल स्तर के मैदानी अधिकारियों द्वारा कार्य का निरीक्षण दिनांक 01.01.2014 से 25.09.2014 के बीच निरंतर किया गया । पुलिया के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उक्त कार्यों का मूल्यांकन एन.एच.डी.सी के प्रबंधक सिविल, उप-प्रबंधक सिविल एवं सहायक अभियंता सिविल द्वारा क्रमश: दिनांक 27.01.2014., 30.06.2014, 21.07.2014 एवं दिनांक 25.09.2014 को किया गया, जिसकी संबंधित ठेकेदार/फर्म को भुगतान राशि क्रमश रूपये 1245930/-, रूपये 374614/-, रूपये 540544/- तथा रूपये 607853/- का भुगतान किया गया ।

किसानों की सिंचाई की समस्याओं को हल किया जाना

72. **(क्र. 907) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सतसोई टेंक शासन स्तर पर क्या साध्यता हेतु लंबित हैं ? यदि हॉ, तो क्या उसकी साध्यता प्राप्त होगी ? (ख) उसकी स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही कब से प्रारंभ होगी ? (ग) इसी प्रकार क्षेत्र की अन्य योजनाएं लंबित हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जी नहीं । निर्धारित मापदण्डों पर परियोजना साध्य नहीं पाई गई । अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । (ग) प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

अपरवेदा डेम की नहरों की जीर्ण शीर्ण स्थिति की जांच

73. **(क्र. 908) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र में अपरवेदा डेम पूर्ण हो चुका है एवं नहरों का निर्माण बहुत ही खराब हुआ है ? डेम से पानी छोड़ने पर पानी नहरों से रिसाव होकर किसानों के खेत में भर जाता है ? (ख) क्या यह भी सही है कि

खराब नहरों के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है ? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) यदि हां, तो क्या नहरों के खराब निर्माण के लिये क्या माननीय मुख्यमंत्री जांच कराएंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ, डेम पूर्ण । शेषांश जी नहीं । (ख) जी नहीं । (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बागरी जाति को पूर्व की भांति अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना

74. **(क्र. 924) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र देना कब से बंद कर दिया गया है तिथि सहित कारण स्प्ष्ट करें ? (ग) क्या शासन द्वारा पूर्व की भांति बागरी जाति को अनुसूचित जाति के अनुरूप प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हॉ तो तिथि सहित बतायें ? (घ) प्रश्नांक (ग) में उल्लेखित आदेश का पालन जिला प्रशासन द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है ? कारण स्पष्ट करें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जी हां । सिवनी जिले के साथ ही पूरे मध्यप्रदेश में बागरी, बागड़ी जाति मध्यप्रदेश की सूची मे क्रमांक 2 पर अनुसूचित जाति के रूप में अंकित थी । संसद द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (संशोधन) अधिनियम पारित कर भारत सरकार के विधि एवं विधायी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त 2007 द्वारा मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक 2 पर बागरी, बागड़ी के साथ'(बागरी, बागडी में राजपूत एवं ठाकुर की उप जातियों को छोड़कर)'जोड़ा गया है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 31-01-2008 द्वारा सभी संबंधितों को पृष्ठाकिंत किया गया है । उक्त संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए बागरी एवं बागड़ी (बागरी, बागड़ी में राजपूत एवं ठाकुर की उप जातियों को छोड़कर) जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) एवं (घ) अनुसूचित जाति का विषय संवैधानिक होने के कारण भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन दिनांक 30 अगस्त 2007 एवं राज्य शासन द्वारा किये गये पृष्ठांकन दिनांक 31-01-2008 के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी किये गये है, तद्अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता ।

रूमाल जलाशय की मरम्मत के लिये राशि का प्रदान

75. **(क्र. 925) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत रूमाल जलाशय के समीप निरीक्षण गृह/विश्राम गृह निर्मित हैं ? (ख) यदि हॉ तो उक्त भवन का मरम्मत कार्य शासन द्वारा कब से नहीं कराया गया है ? विगत तीन वर्ष में व्यय की गई राशि का विवरण तिथि वार उपलब्ध करायें ? (ग) क्या शासन रूमाल विश्राम गृह की मरम्मत हेतु आवश्यक धन राशि उपलब्ध करायेगा ? यदि हॉ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । (ख) विगत तीन वर्षो से मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया है । (ग) जी नहीं प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

ग्वालियर जिले की भितरबार तहसील के ग्राम पवाया में भवभूती स्थल की सीमा

76. **(क्र. 938) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले की भितरवार तहसील के ग्राम-पबाया के मजरा टोला में स्थित भवभूती चबूतरा (समृति स्थल) जो पुरातत्व महत्व का है उसकी सीमा कितनी है चारों दिशा की नाप सहित जानकारी दी जावें ? (ख) क्या यह भी सही है उक्त स्थल की सीमा से बाहर बस्ती के लोगों को स्थाई घर बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है क्यों ? (ग) क्या यह भी सही है उक्त मजरा टोला के लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं ? उन्हें स्थाई निवास बनाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है ? कब इस समस्या का समाधान कर दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क)ग्वालियर जिले की भितरबार तहसील के ग्राम पवाया, स्थित प्राचीन स्थल राज्य संरक्षित स्मारक नहीं है. उक्त स्थल केन्द्रीय शासन के संरक्षण में है अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल मण्डल से प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल प्राचीन स्थल,पवाया तहसील भितरबार, जिला ग्वालियर के संरक्षित क्षेत्र से 300 मीटर चतुर्दिक क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन स्मारक एवं स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र से 100 मीटर चतुर्दिक निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित है उससे आगे 200 मीटर चतुर्दिक विनियमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता.(ग)प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र में नवीन निर्माण कार्य प्रतिबंधित है तथा विनियमित क्षेत्र में निर्माण कार्य सक्षम प्राधिकारी (क्षेत्रीय निदेशक मध्य क्षेत्र भा.पु.सर्वेक्षण भोपाल) के समक्ष आवेदन करने पर नियमानुसार अनुमति दी जा सकती है/प्रदान की जा रही है.

मुरैना जिले से प्रकाशित दैनिक, साप्ताहिक समचार पत्रों में शासन द्वारा प्राप्त विज्ञापन राशि

77. **(क्र. 939) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले से कितने दैनिक, साप्ताहिक समाचार पत्र वर्तमान में नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं ? उनके नाम, प्रकाशक के नाम, पते सहित जानकारी दी जावे ? (ख) उक्त समाचार पत्रों में से किन-किन समाचार पत्रों का राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन सूची में सम्मिलित किया गया है उनके नाम व प्रसार संख्या सहित जानकारी दी जावे ? (ग) उक्त समाचार पत्रों को राज्य शासन द्वारा जनवरी, 2011 से नवम्बर, 2014 तक कितनी-कितनी धनराशि के विज्ञापन प्रदान किये गये ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट- "अ" एवं "ब" अनुसार हैं । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट- "स" अनुसार हैं । (ग) 01 जनवरी, 2011 से 20 नवम्बर, 2014 तक का ब्यौरा :-

वर्ष	दैनिक/साप्ताहिक संख्या	वर्गीकृत एवं प्रदर्शन जारी विज्ञापन
2010-11	9	15.87 लाख
2011-12	14	77.53 लाख
2012-13	14	44.37 लाख
2013-14	18	95.93 लाख
2014-15	19	36.58 लाख

परिशिष्ट - "पचपन"

ग्राम अंबाड़ा, में खसरा नं. 104/1 में रखे गये पाईपों के संबंध में

78. **(क्र. 941) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र नेपानगर के ग्राम अंबाडा, के खसरा नंबर 104/1 में रखे गये पाईप जलसंसाधन विभाग की संपत्ति है ? (ख) यदि हॉ तो उक्त पाईपों की संख्या कितनी है, इनका वर्तमान बाजार मूल्य क्या है ? एवं उक्त पाईप किस योजना के लिए कब क्रय किये गये थे ? (ग) पाईप उल्लेखित भूमि में कब से एवं कितने क्षेत्रफल में रखे गये है ? क्या यह सत्य है, कि उक्त भूमि ग्राम अंबाडा निवासी कृषक की निजी भूमि है ? (घ) यदि हॉ, तो इतने वर्षों से संबंधित कृषक को फसल न ले पाने के कारण भूमि का कितना मुआवजा या किराया दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? वर्षो से बहुमूल्य पाईप लावारिस हालत में पड़े हुए है ? क्या संबंधित कृषक को हुए आर्थिक नुकसान के जवाबदेही का निर्धारण कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाएगा ? यदि हॉ, तो कब तक, कृपया अवधि बतलाए ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां । (ख) पाईप संख्या 132 है । पाईप फरवरी-मार्च 1989 में अंबाडा उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए रू. 9.31 लाख में क्रय किए गये थे । इनका वर्तमान बाजार मूल्य रू. 20 लाख अनुमानित है । (ग) वर्ष 1993-94 से 0.240 हे. भूमि में । जी हां । (घ) मुआवजा निर्धारण रू. 9,833/- दिनांक 21.10.1992 को किया गया जिसे भूमि स्वामी द्वारा निजी कारणों से भूमि का नामान्तरण नहीं होने से नहीं लिया गया । प्रश्नाधीन पाईप कृषक की भूमि से हटाकर विभाग के भण्डारगृह में अंतरित करने के निर्देश दे दिए गये है । कृषक को मुआवजा लेने अथवा भूमि वापस लेने के विकल्प देने के निर्देश दिए गए है ताकि कृषक द्वारा चुने गए विकल्प अनुसार कार्रवाई की जा सके ।

मुरैना जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अधीक्षक द्वारा किये भ्रष्टाचार की जॉच

79. **(क्र. 947) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के अधीक्षक पी.के.ओरिया के विरूद्ध प्रशिक्षणार्थियों द्वारा छात्रावास में रहने के ऐवज में 1000/-रू. प्रति प्रशिक्षणार्थी से अवैध वसूल किये गये खराब भोजन बगैर मीन्यू के दिया जा रहा है, कि शिकायत जिला प्रशासन सहित, विभाग एवं जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में पी.जी. क्रमांक 252801/2014/99 के माध्यम से की है जिसमें जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त पी.जी. की जॉच में उल्लेखित बिन्दुओं को जॉच में सत्य पाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर को भेजा है लेकिन आज दिनॉक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई क्यों कारण सहित बताऍ ? (ख) क्या यह भी सही है कि अधीक्षक पी.के. ओरिया द्वारा वित्तीय अधिकारों के विरूद्ध जाकर वर्ष 2012 में एस.डी.सी. अम्बाह एवं एस.डी.सी. पहाडगढ हेतु घटिया किस्म की सामान की महज छः दिन में 11,53000/- रू. से ज्यादा की ताबडतोड खरीदी की है जिसकी शिकायत सामजसेवियों द्वारा शासन, प्रशासन, एवं विभाग, सहित जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में पी.जी. क्रमांक 241129/2013/99, पी.जी. क्रमांक 250621/2013/99 के द्वारा की गयी है जो जॉचकर्ता अधिकारियों द्वारा सत्य पायी गयी है जिसमें कार्यवाही आज दिनॉक तक लम्बित होकर दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुयी है क्यों ? (ग) क्या यह भी सही है कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग मुरैना द्वारा जॉच प्रतिवेदन क्रमांक 1003 दिनॉक 27.09.14 द्वारा कलेक्टर मुरैना को सौंपा गया है, जिसमें संबंधित अधीक्षक के विरूद्ध क्रय नियमों का पालन न किये जाने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई है, यदि हॉ तो शासन प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई बताऍ ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (ग) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक 10007 दिनांक 29.11.2014 द्वारा सूचित किया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के अधीक्षक श्री पी.के. औरिया एवं अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध जनशिकायत निवारण विभाग के माध्यम से पी.जी. क्रमांक 252801/2014/99 पी.जी. क्रमांक 241129/2013/99 एवं पी.जी. क्रमांक 250621/2013/99 के परिपेक्ष्य में कलेक्टर मुरैना द्वारा शिकायतों की जॉच अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना से कराई गई । अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन क्रमांक 1003 दिनांक 27.09.2014 में शिकायत सत्य बताई गई । कलेक्टर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

<u>नागरिकों को 24 घंटे अटल ज्योति बिजली उपलब्ध कराई जाना</u>

80. **(क्र. 965) श्री आरिफ अकील :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अटल ज्योति कार्यक्रम के शुभ अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो यह अवगत करावें कि प्रदेश में अटल ज्योति कार्यक्रम कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि व्यय कर आयोजित किए गए ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : जी हां । प्रदेश में अटल ज्योति अभियान कार्यक्रमों पर कुल रू. 169822197/- की राशि व्यय की गई । व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण सलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।

परिशिष्ट - ''छप्पन''

<u>विधानसभा क्षेत्र करैरा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित ग्राम</u>

81. **(क्र. 971) श्रीमती शकुन्तला खटीक :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) करैरा विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत कितने ग्राम को सम्मिलित किया गया है ? सूची उपलब्ध करायें ? (ख) उक्त योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, एवं कितने ग्रामों में कार्य शेष हैं और क्यों ? विवरण दें तथा ये भी बतावें कि उक्त विद्युत विहीन ग्रामों में कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ? निश्चित समय-सीमा देवें ? (ग) करैरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत किस-किस एजेन्सी को कार्य का ठेका दिया गया है,तथा उक्त कार्य का किस-किस एजेन्सी को कितना-कितना भुगतान किया गया ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 56 ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया गया है । सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - (अ) अनुसार है । अटल ज्योति अभियान संपूर्ण प्रदेश में ग्रामों के आबाद क्षेत्र में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय करने के उद्धेश्य से प्रारंभ किया गया था तथा उक्त अभियान के अंतर्गत कोई कार्य किया जाना प्रस्तावित नहीं है । (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 30 ग्रामों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 26 ग्रामों का कार्य शेष है । विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - (ब) एवं (स) के अनुसार है । इन ग्रामों में टर्न-की कान्ट्रेक्टर द्वारा किये जा रहे कार्यों में राइट ऑफ वे, पर्याप्त श्रमिकों की अनुपलब्धता एवं समय अनुसार सामग्री की अनुपलब्धता आदि कारणों से कार्य में विलंब हुआ है । विद्युत विहीन ग्रामों के विद्युतीकरण के शेष कार्य प्रगति पर हैं जिन्हें अक्टूबर , 2015 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है ।

(ग) करैरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ठेका टर्नकी आधार पर मेसर्स हाइथ्रो पावर कारपोरेशन लि. गुडगांव को दिया गया है । कार्य एजेंसी को कार्य के देयकों का भुगतान विधानसभा क्षेत्रवार नहीं होकर कार्य के अाधार पर किया जाता है । कार्य एजेंसी को संपूर्ण जिले का कार्य आवंटित किया गया है । एजेंसी को वर्तमान तक रू. 38.35 करोड भुगतान किया गया है । करैरा विधानसभा क्षेत्र में किये गये कार्यों के विभाजन ना होने से विधानसभा अनुसार भुगतान की जानकारी पृथक से देना संभव नहीं है । अटल ज्योति अभियान अंतर्गत जानकारी उत्तरांश क अनुसार है ।

विद्युत विहीन ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध करायी जाना

82. **(क्र. 981) पं. रमेश दुबे :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में विद्युत सुविधा से वंचित कुल कितने ग्राम हैं ? विकासखण्डवार विद्युत सुविधा से वंचित ग्रामों की जानकारी के साथ-साथ इन ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा किये गये प्रयासों की भी जानकारी दें ? (ख) विधान सभा क्षेत्र चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के विद्युत सुविधा से वंचित ग्राम, मजरे टोलों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण यंत्री म.प्र.पू.क्षे.वि.कं.लि. छिन्दवाड़ा को एवं संभागीय यंत्री म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. अमरवाड़ा को समय-समय पर क्या प्रश्नकर्ता ने पत्र प्रेषित किया है ? यदि हां, तो इन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्रों पर कोई सार्थक पहल नहीं करने तथा प्रश्नकर्ता को कोई उत्तर आदि नहीं देने पर प्रश्नकर्ता ने उक्त प्रेषित पत्रों का विवरण देते हुए कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र क्रमांक 2260 दिनांक 31/10/2014 प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो इस पत्र पर किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है ? (घ) क्या शासन प्रश्नकर्ता के पत्रों पर म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के सेवकों द्वारा सार्थक पहल न करने, प्रति उत्तर न देने वाले सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही कर विधान सभा क्षेत्र चौरई के विद्युत सुविधा से वंचित ग्रामों, मजरे, टोलों आदि में शीघ्र विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आदेश देगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) छिंदवाडा जिले में 9 ग्राम परंपरागत विद्युत नेटवर्क की सुविधा से वंचित है जिनका विवरण तथा विद्युत सुविधा प्रदान किये जाने वाले प्रयासों सहित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्तमान स्थिति	विद्युत सुविधा प्रदान किये जाने वाले प्रयासों की जानकारी
1	डुडी भाजीपानी	तामिया	घने जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र	ऊर्जा विकास निगम द्वारा ऊर्जीकृत
2	चोपना भाजीपानी	तामिया	घने जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र	
3	किरई मउ	तामिया	घने जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र	
4	नवलगांव	तामिया	घने जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र	
5	गोलनघाटी	तामिया	वीरान	
6	जामुनखेडा	तामिया	वीरान	
7	पीपरझेला	तामिया	वीरान	
8	डोडरामउ	तामिया	वीरान	
9	टेकापार	बिछुआ	घने जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र	ऊर्जा विकास निगम को ऊर्जीकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित

(ख) जी हां । विधानसभा क्षेत्र चौरई जिला छिंदवाडा के क्षेत्रांतर्गत परंपरागत विद्युत नेटवर्क की सुविधा से वंचित ग्राम, मजरों टोलों हेतु प्रश्नकर्ता विधायक महोदय से प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में

रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है । (ग) कंपनी के अधिकारियों द्वारा माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रेषित पत्रों पर सार्थक कार्यवाही की गई है एवं पत्रों के उत्तर भी प्रेषित किए गए हैं । प्राप्त पत्र एवं प्रेषित उत्तर से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - "ब" अनुसार है । प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित पत्र दिनांक 31.10.2014 कलेक्टर, छिंदवाड़ा के माध्यम से अधीक्षण अभियंता (संचा-संधा), छिंदवाड़ा को दिनांक 11.11.2014 को पत्र प्राप्त हुआ है । अधीक्षण अभियंता (संचा-संधा),छिंदवाड़ा द्वारा वर्तमान में सभी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को कार्यवाही विवरण/वर्तमान स्थिति से अवगत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । जानकारी प्राप्त होने पर स्थिति से माननीय विधायक महोदय को अवगत किया जाना संभव हो सकेगा । (घ) कंपनी के अधिकारियों द्वारा माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रेषित पत्रों पर सार्थक कार्यवाही की गई है एवं पत्रों के उत्तर भी प्रेषित किए गए हैं । प्राप्त पत्र एवं प्रेषित उत्तर से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है । छिंदवाडा जिले के विकासखण्ड चौरई विधानसभा क्षेत्र चौरई अन्तर्गत शेष कार्ययोग्य अविद्युतीकृत ग्रामों तथा विद्युतीकृत ग्रामों तथा विद्युतीकृत क्षेत्र/मजरे/टोलों में सघन विद्युतीकरण के कार्यों हेतु 12वीं पंचवर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्तमान में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । निर्देशों के अनुसार टर्न-की आधार पर विद्युतीकरण का कार्य किये जाने हेतु न्यूनतम निविदाकार मेसर्स विंध्या टेलीलिक्स लिमिटेड, रीवा को दिनांक 20.11.2014 को अवार्ड जारी कर कार्यादेश प्रदान कर दिया गया है तथा वर्तमान में उक्त कार्यों को प्रारंभ किये जाने हेतु प्रक्रिया की जा रही है । अत: प्रश्नांश "क", "ख" एवं "ग" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

खनिज उत्खनन की जानकारी उपलब्ध करायी जाना

83. **(क्र. 982) पं. रमेश दुबे :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चौरई जिला - छिन्दवाड़ा के तहसील चौरई एवं विछुवा में वर्तमान में कौन-कौन से खनिज उत्खनन की अनुमति कितनी अवधि के लिए जारी किये गये हैं ? ग्रामवार जानकारी दें ? (ख) जारी किये खनिज उत्खनन के अनुबंध की शर्तें क्या हैं ? क्या खनिज अनुमति धारियों के द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन किया जा रहा है ? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में जनवरी 2013 से अक्टूबर 2014 तक किन-किन के द्वारा कितनी कितनी मात्रा में कौन-कौन से खनिज का उत्खनन उपरान्त परिवहन कर विक्रय किया गया है, तथा इससे शासन को कितनी बतौर रायल्टी धनराशि प्राप्त हुई है ? (घ) क्या प्रश्नकर्ता ने पेंच परियोजना चौरई के बांध निर्माण व नहर निर्माण में लगने वाले खनिजों का संबंधित ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से उत्खनन करने, उन्हें स्वीकृत लीज क्षेत्र का कोई स्पष्ट प्रदर्शन चिन्ह अंकित नहीं करने, उत्खनित खनिज का परिवहन का कोई लेखा जोखा नहीं रखने, रायल्टी का चोरी करने आदि के संबंध में कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत की जांच का आदेश देंगे ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है । (ख) अनुबंध की शर्तें मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में उल्लेखित है । यह नियम अधिसूचित है । जी हाँ । (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है । (घ) जी हाँ । प्राप्त पत्र में कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चैरई को स्थल निरीक्षण कर कार्यवाही करने बाबत आदेशित किया है ।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

राजस्व अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी न किया जाना

84. **(क्र. 983) पं. रमेश दुबे :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोड़ गोवारी जिसे स्थानीय भाषा में गुड़ेरा अहिर भी कहा जाता है को अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में म.प्र. शासन एवं जिला प्रशासन छिंदवाड़ा के द्वारा क्या कोई आदेश निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो आदेश निर्देश की प्रति संलग्न करें ? (ख) छिंदवाड़ा जिले में गोड़ गोवारी जाति जिसे स्थानीय भाषा में गुड़ेरा अहिर कहा जाता है, के व्यक्तियों के कितने आवेदन पत्र कब से किस स्तर पर लंबित है, तसहीलवार, अनुभागवार संख्या सहित जानकारी दें ? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के परि.अतारांकित प्रश्न संख्या 58(क्र.1035) दिनांक 06 नवंबर 2006 के प्रश्नांश-(ग) के उत्तर में यह बताया गया है कि कलेक्टर द्वारा दिनांक 19/10/2006 को सर्व अनुविभागीय अधिकारियों को गोड़ गोवारी जाति की सूक्ष्म जांच कर अनुसूचित जन जाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ? (घ) शासन व जिला कलेक्टर द्वारा उक्त जाति वर्ग के व्यक्तियों के आवेदन पत्रों की स्थानीय स्तर पर जांच कर अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के स्पष्ट व निरंतर जारी निर्देशों के पश्चात भी छिंदवाड़ा जिले में गोड़ गोवारी को अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र जारी न करने के क्या कारण है ? स्पष्ट करें ? लंबित आवेदन पत्रों की कब तक जांच कर प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट "एक" अनुसार है । (ख) कलेक्टर, छिन्दवाड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के किसी भी अनुभाग में प्रश्नांश (क) मे उल्लेखित जाति के व्यक्तियों के कोई आवेदन लंबित नही है । (ग) जी हॉ । (घ) शासन एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सूक्ष्मता से जॉच उपरांत अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 16 पर उल्लेखित गोड़, गोवारी जाति की पुष्टि होने पर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते है । प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नही होता ।

परिशिष्ट - ''अट्ठावन''

तीन वर्षो से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारी

85. **(क्र. 1006) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 3 वर्ष से अधिक समय से कर्मचारी को एक ही स्थान एवं एक ही कार्य न दिये जाने के नियम शासन ने बनाये हैं ? (ख) क्या यह सत्य है कि जनपद पंचायत मझौली जिला जबलपुर में प्रभारी पंचायत निरीक्षक के पद पर पदस्थ पंचायत समन्वयक सुनील सरागवी लगातार (12) बारह वर्षो से एक ही स्थान पर, एक ही पद पर पदस्थ है ? एवं उनका पूर्व में अनेक बार स्थनांतरण हो चुका है ? जो बार-बार निरस्त हो जाता है ? उत्तर में यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ? इन्हें अन्यत्र कब तक स्थनांतरित कर दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं । (ख) जनपद पंचायत मझौली में श्री सुनील सरावगी वर्तमान में पंचायत निरीक्षक के पद पर नहीं है । जनपद पंचायत कार्यालय में कार्य की आवश्यकता के मद्देनजर उनका पूर्व में स्थानांतरण निरस्त हुआ था ।

प्रदेश में बिजली मॉग एवं उत्पादन

86. **(क्र. 1010) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक माहवार, वर्षवार, प्रदेश में कितने मेंगावाट विद्युत की अधिकतम मांग रही एवं इसी

समयावधि में अधिकतम मांग के समय विद्युत की आपूर्ति हेतु विद्युत उत्पादन निम्न लिखित श्रेणीवार,मेगावाट में बतलावें (1) म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी की ताप एवं जल विद्युत विद्युत स्थापित इकाईयों (2) राज्य शासन की स्थापित इकाईयों ? (ख) प्रश्नांश (क) की समय अवधि में अधिकतम मांग के समय राज्य द्वारा (1) केन्द्र शासन से आवंटित, अनावंटित अंश (2) निविदा प्रस्ताव आधार पर लघु अवधि क्रय माध्यम, प्राइवेट ट्रेडर्स (3) शासन द्वारा MOU हस्ताक्षर कर प्राइवेट विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त बिजली (6) एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गई बिजली मेगावाट में बतलावें प्रश्नांश की समय अवधि में माहवार वर्षवार बतलावें ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित समय अवधि में अधिकतम मांग एवं अधिकतम आपूर्ति का अन्तर बतलावें एवं यदि विद्युत अधिक (सरप्लस) है, तो उसका भी विवरण देवें ? एवं यह भी बतलावें की प्रदेश विद्युत उत्पादन के मामले में कब तक किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) वित्त वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 (20 नवम्बर तक) तक माहवार वर्षवार, प्रदेश में विद्युत की अधिकतम मांग का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । इसी समयावधि में अधिकतम विद्युत की मांग के समय विद्युत की आपूर्ति म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी की ताप एवं जल विद्युत स्थापित इकाईयों एवं राज्य शासन की स्थापित इकाईयों से प्राप्त विद्युत उत्पादन (म.प्र. का अंश) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है । (ख) प्रश्नांश (क) की समय अवधि में अधिकतम मांग के समय राज्य द्वारा केन्द्र शासन से आंवटित, अनावंटित अंश, निविदा प्रस्ताव आधार पर लघु अवधि क्रय माध्यम, प्राइवेट विद्युत परियोजनाओं से दीर्घकालीन क्रय अनुबंध के माध्यम प्राप्त बिजली एवं बैंकिग/अन्य स्त्रोतो से प्राप्त की गई बिजली की माहवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है । (ग) प्रशनांश (क) में वर्णित समय अवधि में अधिकतम मांग, अधिकतम आपूर्ति एवं अंतर का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अधिकतम मांग के समय सामान्यत: प्रदेश द्वारा अपने अंश के अनुसार संपूर्ण बिजली ली जाती है तथापि अधिक उपलब्धता के कारण प्रदेश द्वारा म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी की ताप, केन्द्र शासन से आंवटित, अनावंटित अंश एवं प्राइवेट विद्युत परियोजनाओं से अपने अंश/अनुबंध के विरूद्व छोड़ी गयी बिजली एवं अधिक उपलब्धता के आधार पर म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा विक्रय की गयी विद्युत की वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 (माह अक्टूबर तक) तक माहवार, वर्षवार जानकारी मिलियन इकाई में पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है । प्रश्न दिनांक की स्थिति में, प्रदेश हेतु राज्य क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र एवं निजी संयंत्रों से आवंटित अंशो को मिलाकर 13399 मेगावाट की विद्युत क्षमता उपलब्ध है एवं प्रदेश में विद्युत की कमी नहीं है ।

<u>बरखास्त आई.ए.एस. अधिकारी टीनू जोशी दंपति की राजसात सम्पति</u>

87. **(क्र. 1011) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि पूर्व आई.ए.एस अधिकारी द्वेय टीनू जोशी दंपति को बर्खास्त कर, उनकी संपति को राजसात करने के आदेश हुये हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हां, तो यह बतलावें की प्रश्नांश(क) में वर्णित व्यक्तियों की कहां-कहां पर स्थित कौन-कौन सी संपतियों को राजसात किया गया ? एवं उनसे संबंधित कौन-कौन सी कम्पनियों की संपतियों को भी राजसात किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) से संबंधित क्या कोई संपति ग्राम बिजुरिया तहसील मानपुर जिला उमरिया में भी स्थित है? (घ) प्रश्नांश (ग) में यदि हां, तो यहॉ पर स्थित संपति का सम्पूर्ण विवरण देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) भारत सरकार, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण के आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2014 द्वारा श्रीमती टीनू जोशी एवं श्री अरविंद जोशी को बर्खास्त किया गया । विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन,भोपाल संभाग भोपाल द्वारा श्रीमती टीनू जोशी एवं श्री अरविंद

जोशी के विरूद्ध म.प्र. विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय,भोपाल में विशेष प्रकरण क्रमांक 5/2013 प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में लंबित है । (ख) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हॉ । (घ) वर्ष 2008 में पॉवर ऑफ अटार्नी प्राप्त श्री एस.पी. कोहली के माध्यम से एथोस-एक्सपोर्ट प्रा.लि. के नाम ग्राम बिजहरिया जिला उमरिया में सर्वे नं. 181/12, 183, 184, 190/1, 181/1, 190/2, 191, 192, 179, 180, 182 कुल रकबा 6.01 एकड भूमि स्थित है ।

<u>पाटन विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित खदानें</u>

88. **(क्र. 1014) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्तमान में संचालित या पूर्व में स्वीकृत कौन सी मारबल, आयरन, बाक्साइड एवं मुरम की खदानें हैं ? स्वीकृति दिनॉक, स्वीकृत क्षेत्रफल, खसरा नम्बर सहत वर्तमान स्थिति सहित सूची देवें ? (ख) प्रश्नांक (क) में वर्णित कौन-कौन सी खदानों पर पर्यावरण या वन विभाग की N.O.C. के अभाव में उत्खनन पर रोक लगाई गई ? सूची देवें ? (ग) क्या यह सही है कि वर्तमान समय में क्षेत्र की राजस मार्बल क्रियाशील है ? एवं उसके द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा है ? (घ) प्रश्नांक (ख) में पर्यावरण या वन विभाग की N.O.C. के अभाव में उत्खनन से रोकी गई, खदानों द्वारा रोक के बावजूद उत्खनन का कार्य किया जा रहा है ? शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 में दर्शित है ।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 में दर्शित है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 में दर्शित है । (घ) जी नहीं अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा मेडीकल कौंसिल की जांच</u>

89. **(क्र. 1057) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि आर्थिक अपराध अनुसंधान (ई.ओ.डब्ल्यू.) के द्वारा म.प्र. स्टेट फार्मेसी कौंसिल की जांच की जा रही है ? अगर हां, तो यह जांच किस दिनांक से शुरू हुई है ? उक्त जांच में किस दिनांक से किस दिनांक तक जारी फार्मासिस्टों के लायसेंसों की जांच की जा रही है ? (ख) क्या यह सत्य है कि ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा कितने वर्षों से उक्त जांच प्रश्न तिथि तक चल रही है ? अभी जांच कितने प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है ? (ग) क्या यह सत्य है कि ई.ओ.डब्ल्यू. के द्वारा उक्त प्रकरण में जब्त किये गये दस्तावेज प्रश्नतिथि तक गायब या नष्ट हो चुके हैं ? अगर नहीं तो किस-किस वर्ष में किस-किस संख्या में दस्तावेज जब्त किये ? प्रश्नतिथि तक उक्त दस्तावेजों की क्या स्थिति है ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जांच शुरू होने की दिनांक से प्रश्नतिथि तक किस-किस नाम/पदनाम के अधिकारी/इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर इन चार्ज पदस्थ रहे ? किस-किस नाम/पदनाम के द्वारा कितने दिनों तक उक्त जांच की ? कब तक जांच पूर्ण होगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हॉ । दिनांक 12/04/2001 । वर्ष 1984 से 2001 तक । (ख) 13 वर्षो से । प्रथम सूचना पत्र में दर्ज समस्त नामजद आरोपियों के विरूद्ध दिनांक 10/10/2006 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है । अन्य अवैध फार्मासिस्टों की जांच विवेचना में है । (ग) जी

नहीं । अभियोग पत्र से संबंधित समस्त दस्तावेज माननीय न्यायालय में जमा किये जा चुके है । (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । प्रकरण वृहद स्वरूप का होने के कारण जांच पूर्ण होने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - ''उनसठ''

ग्वालियर एवं चम्बल संभाग की खनिजों की खदान

90. **(क्र. 1058) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चम्बल संभाग में किन-किन स्थानों पर अन्य गौण खनिज एवं रेत की खदानें प्रश्नतिथि तक संचालित है ? जिलेवार/स्थानवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के वर्णित स्थानों पर उक्त खदानों का क्षेत्रफल क्या निर्धारित किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित उक्त खदानों के द्वारा किस-किस गौण खनिज एवं रेत की प्रति टन क्या कीमत ग्राहक को शासकीय गाईडलाइन के तहत तय कर रखी है ? राज्य शासन को प्रति टन कितनी रायल्टी दी जाती है ? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में जिन्हें गौण खनिज एवं रेत की खदानें आवंटित है उन पर प्रश्नतिथि तक कितनी-कितनी शासकीय राजस्व धनराशि रायल्टी राज्य शासन को प्राप्त होना शेष है ? खदानवार/खनिजवार/ जिलेवार/राशिवार/जानकारी दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन संभाग के मुरैना श्योपुर एवं भिण्ड जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है । (ख) प्रश्नानुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है । (ग) म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में गौण खनिज की कीमत नियत किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । राज्य शासन को प्रति टन कोई रायल्टी नहीं दी जाती है । मप्र गौण खनिज नियम 1996 की अनुसूची 3 में गौण खनिज की रायल्टी प्रति घनमीटर निर्धारित है । रायल्टी दरें राजपत्र में अधिसूचित की जाती है । अधिसूचना में नियत दर पर राज्य शासन को रायल्टी प्राप्त होती है । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है ।

सारनी पावर हाऊस के बांध की पर्यावरण स्वीकृति

91. **(क्र. 1065) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सारनी पावर हाऊस की पुरानी यूनिटों के लिए 111 हेक्टयर वनभूमि पर बनाए जा रहे राखड़ बांध की पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रकरण को भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने 28 एवं 29 अगस्त 2014 को आयोजित बैठक में निरस्त या नस्तीबद्ध कर दिया है ? (ख) 111 हेक्टयर वन भूमि पर वर्ष 2009 में दी गई अनुमति के आदेश में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किए जाने की क्या शर्त लगाई गई उस शर्त के तहत पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण किस दिनांक को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के राखड़ बांध की निविदा आमंत्रित करने, कार्य आदेश जारी करने का क्या कारण रहा है ? (ग) भारत सरकार से बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए 111 हेक्टेयर वन भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई किए जाने, निविदा आमंत्रित किए जाने, कार्य आदेश दिए जाने के लिए शासन किस-किस को जिम्मेदार एवं दोषी मानता है उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं की गई हो तो कारण बतावें ? (घ) भारत सरकार की कमेटी द्वारा स्वीकृति के प्रकरण पर लिए गए निर्णय 28 एवं 29 अगस्त 2014 के बाद पावर हाऊस की यूनिट क्रमांक 6 से 9 तक की निकलने वाली राख के संग्रहण की क्या योजना बनाई गई है यदि योजना भी नहीं बनाई हो तो कारण बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं । (ख) 111 हेक्टेयर वन भूमि पर वर्ष 2009 में दी गई अनुमति की शर्त क्रमांक 10 में लेख किया गया है कि " All other condition under different rules, regulation and guidelines including enviromental clearance and the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 Shall be complied with before transfar of forest land" उपरोक्त परिपालन के पश्चात ही वन विभाग, म.प्र.शासन द्वारा दिनांक28/07/2010 को 111 हेक्टयर भूमि राखड़ बांध के निर्माण हेतु म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लि., जबलपुर को विधिवत स्थांनातरित की गई एवं तद्नुसार निर्माण कार्य किया गया है । म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के निर्देश पर दिनांक 23 अक्टूबर 2013 को 111 हेक्टयर वन भूमि स्थित राखड़ बांध का उपयोग राखड संग्रहण हेतु करने के लिए भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के समक्ष अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । निविदा आमंत्रित करने तथा कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2009 को जारी स्वीकृति पश्चात ही की गई थी । (ग) उपरोक्त प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में 111 हेक्टयर वन भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई, निविदा आमंत्रित किया जाना एवं कार्यादेश दिये जाने के संबंध में किसी को जिम्मेदार, दोषी मानने अथवा कार्यवाही करने का प्रश्न ही नही उठता । (घ) भारत सरकार की समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यूनिट क्रमांक 6 से 9 तक निकलने वाली राख के उपयोग को बढाने के लिये प्रयास किये जा रहे है, साथ ही भारत सरकार से नये राखड बांध के उपयोग हेतु अनापत्ति दिये जाने का पुन: अनुरोध किया गया है ।

<u>अवैध खनिज खनन के प्रकरण</u>

92. **(क्र. 1066) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 में किस दिनांक को किए गए संशोधन के तहत अवैध खनिज खनन के प्रकरणों को सुनवाई हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के क्या प्रावधान किए गए हैं ? इन प्रावधानों का पालन किए जाने हेतु राज्य शासन या खनिज संचालनालय ने किस दिनांक को किस-किस को पत्र, परिपत्र जारी किए ? (ख) नियम 53 में किए गए संशोधन दिनांक से प्रश्नांकित तिथि तक भोपाल संभाग के किस जिले में किस वर्ष में अवैध खनिज खनन के कितने प्रकरण बनाए गए इनमें से कितने प्रकरण सुनवाई हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए कितने प्रकरणों को समझौतें हेतु अपर कलेक्टर या कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया ? (ग) नियम 53 में किए गए प्रावधानों के बाद भी अवैध खनिज खनन के प्रकरणों को सुनवाई हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है ? मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत न करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई ? (घ) नियम 53 के तहत सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत न करने वालों के विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही कर रहा हैं, कब तक करेगा ? समय-सीमा सहित बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन नियम के नियम 53 में अवैध खनिज खनन केप्रकरणों की सुनवाई हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने संबंधी कोई संशोधन नहीं किया गया है । अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) प्रश्नांश ''क'' में दिए गए उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश ''क'' में दिए गए उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश ''क'' में दिए गए उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

गौण खनिज का बाजार मूल्य

93. **(क्र. 1067) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के किस नियम में किस-किस गौण खनिज का बाजार मूल्य निर्धारित किए जाने का अधिकार किस-किस अधिकारी को दिया गया है, गौण खनिज का बाजार मूल्य निर्धारित किए जाने हेतु विभाग ने क्या-क्या प्रक्रिया किस पत्र क्रमांक दिनांक के द्वारा निर्धारित की है ? (ख) भोपाल संभाग के किस जिले में गत एक वर्ष में किस-किस गौण खनिज का प्रति क्यूबिक मीटर कितना बाजार मूल्य माना जाकर अवैध खनिज खनन एवं अवैध खनिज परिवहन के प्रकरणों में खनिज विभाग के द्वारा अर्थदण्ड प्रस्तावित किया है ? (ग) गत एक वर्ष में भोपाल संभाग के अंतर्गत खनिज विभाग ने गौण खनिज का बाजार मूल्य किस आधार पर किसकी अनुमति से निर्धारित कर अर्थदण्ड प्रस्तावित किया है ? (घ) गौण खनिज का बाजार मूल्य निर्धारित करने का अधिकार खनिज निरीक्षक एवं खनिज अधिकारी को कब तक प्रदान कर दिया जावेगा ? समय-सीमा सहित बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाघीन नियम में बाजार मूल्य निर्धारण के कोई प्रावधान नहीं होने से प्रश्नानुसार शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होताहै । (ख) प्रश्नाधीन संभाग के जिलों में गौण खनिज का बाजार मूल्य स्थानीय स्तर पर बाजार की मांग के अनुसार मान्य करते हुए प्रकरणों में कार्यवाही प्रस्तावित की गई है । (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिये गये पत्र

94. **(क्र. 1068) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-2015 की प्रश्नांकित तिथि तक संचालक खनिकर्म एवं भौमिकी खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल को प्रश्नकर्ता एवं माननीय विधायक श्री उमंग सिंघार के द्वारा किस दिनांक को किस पत्र क्रमांक से किस विषय में लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ उसमें से किस पत्र में किस-किस विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया गया है ? किस जानकारी को किस दिनांक को उपलब्ध करवाया गया ? (ख) निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा पत्र लिखकर चाही गई कौन-कौन सी जानकारी कितनी अवधि में उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में शासन के क्या-क्या आदेश निर्देश वर्तमान में प्रचलित है ? (ग) प्रश्नकर्ता एवं माननीय उमंग सिंघार को किस पत्र में चाही गई जानकारी कब तक उपलब्ध करवा दी जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नकर्ता एवं माननीय विधायक श्री उमंग सिंघार द्वारा प्रेषित पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार है । पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 में दर्शित पत्रों में अधिकांशतः विषयवस्तु विभिन्न जिलों से संबंधित होने के कारण संचालनालय द्वारा जानकारी सीधे प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जिलों को जारी किये गये थे । निर्देश के पालन में जिलों के द्वारा माननीय विधायक एवं प्रश्नकर्ता को प्रेषित की गई जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट 2 के अनुसार है । शेष जिलों को शीघ्र जानकारी प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं । (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनाँक 06082012 में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा नियत नहीं है । (ग) प्रश्नांश क में दिये गये उत्तर अनुसार ।

खनिज विभाग द्वारा पत्रों के जवाब न दिये जाना

95. **(क्र. 1106) श्री उमंग सिंघार :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्नकर्ता के द्वारा दिनांक 28/8/2014 को लिखे गए पत्र क्रमांक 5533 दिनांक 22/9/2014 को पत्र क्रमांक 6040 एवं दिनांक 22 सितम्बर 2014 को पत्र क्रमांक 6012 संचालक खनिकर्म एवं भौमिकी भोपाल और माईनिंग कॉरपोरेशन के भोपाल कार्यालय को किस दिनांक को प्राप्त हुए ? (ख) प्रश्नकर्ता को संचालक खनिकर्म एवं भौमिकी भोपाल ने किस दिनांक को किस नियम, किस आदेश, किस निर्देश, किस आपत्ति की जानकारी उपलब्ध करवाई ? (ग) प्रश्नांकित तिथि तक भी जानकारी उपलब्ध न करवाये जाने का क्या कारण रहा है ? तथा जानकारी प्रश्नकर्ता को कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन पत्र क्रमॉंक 5533 दिनॉंक 28.08.2014 संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म में दिनॉंक 10.09.2014 तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को दिनॉंक 11.09.2014 को प्राप्त हुआ । पत्र क्रमॉंक 6040 दिनॉंक 22.09.2014 प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्यखनिज निगम को संबोधित पत्र है । संचालनालय द्वारा पत्र दिनॉंक 28.11.2014 से यह पत्र मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को प्रेषितकिया गया है । पत्र क्रमॉंक 6012 दिनॉंक 22.09.2014 तत्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं हो रहा है । (ख) पत्र क्रमॉंक 5533 दिनॉंक28.08.2014 से वांछित जानकारी मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा पत्र दिनॉंक 01.11.2014 से प्रश्नकर्ता को प्रेषित की गई है तथा पत्र क्रमॉंक 6040 दिनॉंक 22.09.2014 भी निगम से संबंधित होने के कारण उन्हें प्रेषित की गई है । निगम द्वारा जानकारी संकलित करतैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है । अतः संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा प्रश्नकर्ता को पृथक से जानकारी उपलब्धनहीं करवाई गई । (ग) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमॉंक 5533 दिनॉंक 28.08.2014 के संबंध में प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर अनुसार जानकारी प्रश्नकर्ता को प्रेषित की गई है । पत्र क्रमॉंक 6040 दिनॉंक 22.09.2014 की जानकारी प्रश्नकर्ता को प्रदाय करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को लेख किया गया है तथा जानकारी विस्तृत होने से समय सीमा बताना संभव नहीं है । पत्र क्रमॉंक 6012 दिनॉंक 22.09.2014 तत्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

विभागों द्वारा समय-सीमा में पत्रों का उत्तर नहीं दिया जाना

96. **(क्र. 1107) श्री उमंग सिंघार :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा धार जिले के विभिन्न विभागों से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विगत जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न पत्र लिखे गये हैं, परन्तु उक्त पत्रों के संबंध में कुछ विभागों से प्रश्नकर्ता को आज दिनांक तक कोई उत्तर प्राप्त क्यों नहीं हुआ है ? क्या कारण है ? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 06.08.2012 अनुसार सांसदों/विधायकों के पत्रों का उत्तर समय सीमा में दिया जाना अनिवार्य है ? स्पष्ट करें कि प्रश्नकर्ता के पत्रों का जवाब विभागों द्वार समय-सीमा में क्यों नहीं दिया गया ? इस अनियमितता के लिए कौन-कौन दोषी है ? क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? उनके विरूद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी ? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक धार जिले के विभिन्न विभागों में लगाये गये पत्रों पर विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? विभागवार जानकारी उपलब्ध करायें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) विभिन्न विभागों द्वारा उत्तर समय-सीमा में दिये जा रहे है । खाद्व विभाग में दिनांक 27.06.2014 को एक पत्र प्राप्त हुआ था । जिसका उत्तर नहीं दिया गया है । जिला विपणन अधिकारी धार को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है । (ख) जी हॉ । एक पत्र का उत्तर नहीं दिया गया अनियमिता के लिए जिला विपणन अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।

मुरैना सवलगढ़ मार्ग पर पोल शिफ्टिंग कार्य में अनियमितताऐं

97. **(क्र. 1122) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुरैना, सबलगढ मार्ग राज्यपथ पर विद्युत पोल सिफ्टिंग कार्य मनमाने स्टीमेंटों को बनाकर अधिकरियों द्वारा शासन के धन का दुरूपयोग किया जा रहा है ? (ख) उक्त कार्य में अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिली भगत से स्टीमेंट के आधार पर गुणवत्ता को नजर अन्दाज कर लाखों रूपये की राशि का दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है ? क्या गुणवत्ता की जांच की जा रही है ? यदि हां, तो पदस्थ अधिकारी का नाम बतावें ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या यह भी सही है कि अधिकारियों द्वारा हेरा-फेरी करने के उद्देश्य से एक से अधिक मात्राओं में वर्कऑर्डर जारी किये गये हैं ? क्या ऐसा प्रावधान है ? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्य आरंभ करने से पूर्व पुराने सामान की मात्रा को आंकलित किया गया था ? आंकलित की गई मात्रानुसार पुराना सामान विभाग के भण्डार में जमा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो जमा सामान की मात्रा बतायें ? यदि नहीं, तो पुराने सामान का दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं । मुरैना, सबलगढ मार्ग राजपथ पर विद्युत पोल शिफ्टिंग कार्य के प्राक्कलन (स्टीमेट) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा आवेदन करने पर कंपनी द्वारा पांच प्रतिशत सुपरविजन राशि जोड़कर योजना अंतर्गत कंपनी में प्रचलित शेड्यूल ऑफ रेट के अनुसार प्राक्कलन स्वीकृत किये गये हैं । जिसमें कम्पनी को केवल सुपरविजन प्राप्त होगा । कार्य सड़क विकास निगम के द्वारा कराया जावेगा । (ख) जी नहीं । सड़क विकास निगम द्वारा सुपरविजन राशि जमा ना करने के कारण कार्यादेश जारी नहीं किया गया है । चूंकि उक्त कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, अत: गुणवत्ता को नजर अंदाज करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । (ग) जी नहीं । स्वीकृत प्राक्कलन के विरूद्ध सुपरविजन राशि प्राप्त ना होने से कार्यादेश जारी नहीं किये गये है. केवल प्राक्कलन स्वीकृत किये गये है, जो कि वितरण केन्द्रवार आने वाले क्षेत्रों के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की गई है । (घ) जी हाँ । प्राक्कलन स्वीकृत करने के पूर्व - पुराने सामान की मात्रा का आंकलन कर प्राक्कलन में समावेश किया गया है । प्राक्कलन में पुरानी अनुपयोगी सामग्री क्षेत्रीय भण्डार में वापिस किये जाने प्रावधान है । चूंकि कार्य प्रारंभ ही नही किया है अत: पुराने सामान वापसी तथा दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जौरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित खदानें

98. **(क्र. 1123) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधान सभा क्षेत्रमें रेत, पत्थर एवं मिट्टी की कितनी-कितनी खदानें और कहां-कहां संचालित हैं ? वर्तमान में संचालित सभी खदानें शासन के सभी नियम एवं अनुबन्ध अनुसार शर्तों का पालन कर रही हैं ? (ख) क्या यह सही है कि जौरा विधान सभा क्षेत्र में अधिकांशत: खदाने विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध संचालित होकर शासन को

लाखों रूपये की राजस्व हानि हो रही है ? (ग) क्या यह भी सत्य है कि क्षेत्र में संचालित पत्थर खदानों पर छोटा क्रेशर लगाना शर्तों में उल्लेखित है ? यदि हां, तो कितनी खदानों पर क्रेशर कार्य कर रहे हैं, इस संबंध में कितनी खदानों का भौतिक सत्यापन किया गया है ? यदि नहीं, तो शर्तों के उल्लंघन पर क्या-क्या और कब कार्यवाही की गई है ? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित नियमों, अनुबंध, शर्तों जो क्षेत्र में संचालित खदानों पर लागू है, की प्रतियां उपलब्ध कराई जावेगी ? नियम, अनुबंध शर्तों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्या संबंधित ठेकेदारों एवं अधिकारी/ कर्मचारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है या की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्वीकृत खनिज पत्थर फर्शी मिट्टी खनि रियायतों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित है । खनिज रेत की कोई भी खदान स्वीकृत नहीं है । पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित खदानें शासन के समस्त नियमों एवं अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण किया जाता है तदुपरांत 11 खदानों में नियमों शर्तो के उल्लंघन पाये जाने पर कार्यवाही प्रचलन में है । (ख) जी नहीं । अतः राजस्व की हानि का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में क्रेशर लगाये जाने की शर्त पर पत्थर उत्खनन के पट्टा स्वीकृत किये जाने के प्रावधान हैं । पत्थर की नीलाम खदानों में क्रेशर लगाये जाने की शर्त की अनिवार्यता नहीं है । पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार भौतिक सत्यापन उपरांत कार्यवाही का उल्लेख किया गया है । (घ) नियम म प्र राजपत्र में अधिसूचित हैं जिसमें नियम व शर्तें उल्लेखित हैं । नियम व शर्तों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाती है । अतः अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>इछावर वि.स. क्षेत्र में पर्यटन के संदर्भ में</u>

99. **(क्र. 1139) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पर्यटन विभाग ने इछावर विधान सभा क्षेत्र के किन स्थानों का चयन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया है ? (ख) चयनित स्थानों के पर्यटन विकास के लिए क्या योजना बनाई हैं ? (ग) योजना कब तक क्रियान्वित होगी ? (घ) विगत 5 वर्षों में पर्यटन विभाग ने इछावर वि.स. में पर्यटन विकास के लिए किन-किन मदो में किन-किन स्थानों पर कितना खर्च किया ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा इछावर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी स्थल का चयन पर्यटन को बढावा देने के लिए नहीं किया गया है । (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतो के संबध में</u>

100. **(क्र. 1171) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु कौन-कौन से तकनीकी कारक आवश्यक है ? कुक्षी विधानसभा क्षेत्र मे सोलर पोजिशन एवं इनटेंसिटी, सोलर इररेडियेन्स, वायु प्रवाह प्रबलता आदि महत्वपूर्ण तकनीकी कारको की रीडिंग की जानकारी ग्रामवार प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में, क्या यह सही है कि कुक्षी विधानसभा क्षेत्र

पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये उपयुक्त क्षेत्र है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि उत्तर हां है, तो क्या शासन कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की कोई बड़ी योजना बना रहा है ? यदि हां, तो योजना की विस्तृत जानकारी सहित कार्य की समय-सीमा बतायें ? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु तकनीकी रूप से निम्न कारकों का अध्ययन आवश्यक है:- अ- वायु वेग, ब- हवा का घनत्व । सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु तकनीकी रूप से सौर विकिरण का अध्ययन आवश्यक है । परियोजनाओं की स्थापना हेतु तकनीकी कारकों की ग्रामवार रीडिंग उपलब्ध नही है तदापि कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर आंकलित निम्न कारकों की रीडिंग क्षेत्र के सभी ग्रामों पर मान्य है:- अ- सौर विकिरण 5.5 $kwh/m^2/day$ आंकलित है । ब- औसत वार्षिक वायु वेग 5.26 मीटर प्रति सेकेण्ड आंकलित है । स- हवा का घनत्व 1.103 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर आंकलित है । (ख) शासन की पवन ऊर्जा नीति के प्रावधान के अनुसार यह परियोजनाऐं निजी क्षेत्र के माध्यम से स्थापित की जाती है । क्षेत्र विशेष में परियोजना को वित्तीय रूप से साध्य पाये जाने पर निजी क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परियोजना स्थापना की कार्यवाही की जाती है । क्षेत्र विशेष में सौर विकिरण 5.5$kwh/m^2/day$ होने के फलस्वरूप कुक्षी विधान सभा क्षेत्र सौर ऊर्जा परियोजना के लिये उपयुक्त क्षेत्र है । (ग) सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना शासन की सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा नीतियों के अन्तर्गत यह परियोजनाऐं निजी इकाइयों द्वारा साध्यता के आधार पर की जाती है । वर्तमान में कुक्षी क्षेत्र के दाही में मेसर्स ब्रेक थ्रू इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा 45 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापना हेतु वायु वेग आदि की गणना हेतु सर्वे किया जा रहा है ।

<u>शा. महाविद्यालय कुक्षी में पाठ्यक्रमों का अभाव</u>

101. **(क्र. 1172) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय कुक्षी में स्नातक और स्नातकोत्तर के कौन-कौन से पाठ्यक्रम उपलब्ध है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के छात्रों को कुक्षी महाविद्यालय में कम पाठ्यक्रम उपलब्ध होने के कारण बड़वानी और इंदौर जिले के महाविद्यालयों में दाखिला लेना पड़ रहा है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि उत्तर हॉ है तो, शासन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कुक्षी में स्थित महाविद्यालय में कौन-कौन से पाठ्यक्रम, कब तक शुरू करने की योजना बना रहा है । यदि शासन की कोई योजना नहीं है तो क्यों, कारण स्पष्ट करें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) शासकीय महाविद्यालय, कुक्षी में स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एससी. और स्नातकोत्तर स्तर पर इतिहास, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र पाठ्यक्रम संचालित हैं । (ख) जी नहीं । पर्याप्त पाठ्यक्रम संचालित हैं अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं । वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों के सुदृढीकरण एवं गुणवत्ता/विकास करने के प्रयास किये जा रहे हैं । अतः वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय, कुक्षी में नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने में कठिनाई है ।

छिंदवाड़ा जिले के ग्राम नवेगांव में शा. महाविद्यालय की स्थापना

102. **(क्र. 1183) श्री नथनशाह कवरेती :** क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत ग्राम नवेगांव कला से 50 कि.मी. दूर तक कोई शासकीय महाविद्यालय स्थापित है ? (ख) यदि नहीं तो जनसंख्या एवं ग्रामीणों की उच्च शिक्षा की दृष्टि से कब तक ग्राम नवेगांव कला में शासकीय महाविद्यालय खोला जायेगा ? (ग) क्या प्रश्नकर्ता एवं जनप्रतिनिधियों के इस संबंध में आवेदन शासन स्तर पर लंबित है ? यदि हॉ तो कब तक निराकरण कर शासकीय महाविद्यालय खोलने की कार्यववाही की जायेगी ? (घ) यदि शासन स्तर पर शासकीय महाविद्यालय खोलने की कार्यवाही लंबित है, तो कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हॉ । छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत ग्राम नवेगांव कला से 50 कि.मी. दूरी पर क्रमशः शासकीय महाविद्यालय, दमुआ 35 कि.मी., शासकीय महाविद्यालय, जुन्नारदेव 45 कि.मी. की दूरी पर स्थापित है । (ख) "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) एवं (घ) जी नहीं । माननीय विधायक जी के पत्र का उत्तर दिनांक 17.10.2014 को दिया गया ।

महिदपुर वि.स. क्षेत्र के डेम का एरिया

103. **(क्र. 1199) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के अरन्याबहादुर डेम का कमांड एरिया कितना है ? (ख) उपरोक्त डेम से कितने लोगों पर पानी की रिकवरी निकाली गई है ? कितने लोगों ने पैसा जमा करा दिया है एवं कितनों का बाकी हैं ? पृथक-पृथक ग्राम सहित सूची देवें ? (ग) जिन लोगों से पैसा वसूलना शेष है, उनसे कब तक वसूली कर ली जावेगी ? समय सीमा बतावें ? (घ) इस ओर ध्यान न देने वाले उत्तरदायी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी, समयसीमा बतावें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) 3,828 हेक्टर । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है । (ग) जल कर बकाया की वसूली एक सतत प्रक्रिया है । जिसके लिए समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है । (घ) वसूली करने के लिए प्रमुख अभियन्ता स्तर से निर्देश देने के साथ-साथ नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है । कृषकों द्वारा धनराशि जमा नहीं कराने के लिए अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करना उचित नहीं है ।

परिशिष्ट - "साठ"

खनिज व्यापारी की संख्या

104. **(क्र. 1200) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कुल कितने लाइसेंसधारी खनिज व्यापारी हैं ? इनकी सूची विधानसभा क्षेत्रवार देवें ? (ख) दि. 01.01.2014 से 10.11.2014 तक उज्जैन जिले में विभिन्न खनिज उत्पादनों की कितनी रायल्टी इन खनिज व्यापारियों द्वारा चुकाई गई ? माहवार, खनिजवार, नामवार देवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित खनिज व्यापारी द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में कोई रायल्टी नहीं चुकाई गई है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट - ''इकसठ''

खनिज पर जब्तीकरण पर दण्ड

105. **(क्र. 1206) श्री रमेश पटेल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में खनिज विभाग द्वारा खनिज उत्खन्न पर जब्ती प्रकरण में मनमानी राशि किस आधार पर वसूली जाती हैं ? (ख) विगत 1 वर्ष में बड़वानी जिले में कितने प्रकरण बनाये गए ? वाहन नं. वसूली राशि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार देवें ? (ग) मनमानी राशि वसूलने वालों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन के दर्ज प्रकरणों में म.प्रगौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(5) तथा म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 केनियम 18(5) के अंतर्गत अर्थदण्ड आरोपित कर प्रशमन के प्रावधान हैं । इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत राशि वसूल की जाती है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । (ग) प्रश्नांश ''क'' में दिए गए उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - ''बासठ''

राजीव गांधी विद्युतीकरण से वंचित ग्राम

106. **(क्र. 1210) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत बैतूल जिले के ग्रामों के कुछ मजरे टोले एवं ढावे विद्युतीकरण से वंचित रह गये हैं ? (ख) यदि हॉ, तो ऐसे किस-किस ग्राम में ढावे एवं मजरे टोले है ? (ग) क्या इन्हें द्वितीय चरण में शामिल कर लिया गया है ? यदि हॉ, तो कब तक विद्युतीकरण पूर्ण होगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हां । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ग) जी हां । इनका विद्युतीकरण सितम्बर 2016 तक संभावित है ।

खनिज नियमों में छूट

107. **(क्र. 1212) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में गौण खनिज नियम 1996 लागू हैं ? यदि हां, तो ग्रामीण विकास कार्यो हेतु ग्राम पंचायतों को किन नियमों के अंतर्गत छूट दिए जाने का प्रावधान है, एवं नियम की प्रति देवें ? (ख) क्या पंचायतो को उनके द्वारा निर्धारित किए गए क्षेत्रों में उत्खनन हेतु पर्यावरण की अनुमति लिया जाना आवश्यक हैं ? यदि हां, तो अनुमति किस स्तर से प्राप्त की जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित म.प्र. गौण खनिजनियम 1996 के नियम 3 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को छूट दियेजाने का प्रावधान है । (ख) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय की अधिसूचना दिनाँक 14.09.2006 एवं इसमें किये गये संशोधनों के प्रावधान तथा प्रक्रिया से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना होगी । यह अधिसूचनाएँ भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हैं ।

<u>अवैध रेत का उत्खनन</u>

108. **(क्र. 1217) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बॉसपुर (घोड़ा डोंगरी) बैतूल रेत खदान का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो ठेकेदार का नाम बताईये ? यदि नहीं, तो डम्पर द्वारा कैसे परिवहन हो रहा है ? (ख) बॉसपुर तवा नदी, पुल, रेत, खदान का सीमांकन कब हुआ था ? (ग) वर्ष 2014-15 में रेत खदान नीलाम क्यों नहीं किया गया ? (घ) क्या खदान नीलाम नहीं करके अवैध उत्खनन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं । प्रश्नाधीन क्षेत्र में जप्त रेत खनिज के अवैध भण्डार की नीलामी पश्चात रेत का परिवहन किया जा रहा है । (ख) प्रश्नाधीन रेत खदान की नीलामी पूर्व में नहीं हुई है । अतः खदान का सीमांकन नहीं किया गया । (ग) प्रश्नाधीन रेत खदान के क्षेत्र का पुनरीक्षण कर नई खदान घोषित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है । क्षेत्र पुनरीक्षण पूर्ण न होने से वर्तमान में रेत खदान की नीलामी नहीं की गई है । (घ) जी नहीं । प्रश्नाधीन क्षेत्र में रेत खनिज के अवैध परिवहन के 12 प्रकरण दर्ज कर रूपये 3 लाख का अर्थदण्ड वसूल किया गया है । रेत खनिज के अवैध भण्डारण के 02 प्रकरण दर्ज कर रूपये 1170000/- का अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है । जप्त रेत के भण्डार को रूपये 5550000/- में नीलाम किया गया है । अतः यह प्रश्न सही नहीं है कि खदान नीलाम न होने के कारण अवैध उत्खनन को प्रोत्साहन किया जा रहा है ।

<u>दो अलग-अलग क्षेत्र के निर्वाचन परिचय पत्र बनाये जाना</u>

109. **(क्र. 1218) डॉ. रामकिशोर दोगने :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री रामकुमार उपाध्याय, पिता स्व. श्री जमुना प्रसाद उपाध्याय द्वारा विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 90 के अंतर्गत वोट डालने हेतु दो अलग-अलग क्षेत्र के निर्वाचन परिचय - पत्र बनाये जाने के संबंध में सी.एम. हेल्पलाईन में पत्र क्रं. 143970, दिनांक 20/8/2014 को शिकायत की गई है ? शिकायतकर्ता कौन है ? (ख) वांछित शिकायत की जांच करने हेतु किन-किन अधिकारियों को अग्रेषित की गई है ? उनके द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इस कार्यवाही को एस.डी.एम. बिरसिंहपुर पाली, जिला - उमरिया द्वारा रोका जा रहा है ? इस पर संबंधित के विरूद्ध कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हां. शिकायतकर्ता शिवशंकर दुबे निवासी गोरइया तहसील पाली है । (ख) शिकायत की जांच करने हेतु तहसीलदार पाली को अग्रेषित की गई है । उनके द्वारा मतदाता सूची से नाम विलोपित करने के लिये बी.एल.ओ. को निर्देशित किया गया है । बी.एल.ओ. द्वारा नाम काटने हेतु आवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने पर मतदान केन्द्र क्रमांक 261 मतदाता क्रमांक 605 पर राजकुमार उपाध्याय का नाम विलोपित किये जाने की कार्यवाही कर दी गई है । एसडीएम पाली जिला उमरिया द्वारा कार्यवाही को नहीं रोका जा रहा है । संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ।